मेरी योजना

योजनाएं / नीतियां

- लोककल्याणकारी
- स्वरोजगार / रोजगारपरक
- कौशल विकास / प्रशिक्षण
- निवेशपरक

मेरी योजना मेरा अधिकार, अपनी सरकार जनता के द्वार

मूलभूत सेवायें

प्रमाण पत्र

लाभ

पात्रता

आवेदन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया

पोर्टल

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

मा0 प्रधानमंत्री जी का गढवाल मण्डल में श्री बदरीनाथ

और

कुमांऊ मण्डल में आदि कैलाश का भ्रमण।

"मेरी योजना"

"इस पुस्तक को प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य, पात्र लाभार्थियों को जनकल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/प्रशिक्षणपरक, निवेशपरक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को सरल शब्दों में अवगत कराना है, जिससे पात्र लाभार्थी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें और हमारा उत्तराखण्ड "सर्वश्रेष्ठ उत्तराखण्ड" बन सके।" प्रथम बार, इस प्रकार की पुस्तक बनाने का समग्र प्रयास किया गया है। यह पुस्तक जहां पात्र लाभार्थी को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहयोग करेगी वहीं नीतिनिर्धारणकर्ताओं, शोधकर्ताओं, पाठकों के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के प्रति सजग बनायेगी। इस पुस्तक में संशोधन/सुधार/सुझाव/आपत्ति हेतु सूचना निम्न पते/ईमेल में प्रेषित करना चाहें ताकि आगामी संस्करण को सुधारों के साथ प्रस्तुत किया जा सके।"

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
ईमेल–sopt-1@uk.gov.in

संरक्षण एवं निर्देशन

श्री पुष्कर सिंह धामी– मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड, श्रीमती राधा रतूड़ी–अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं श्री दीपक कुमार–सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सम्पादन

श्री दीपक कुमार–सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं सुश्री रचना–समीक्षा अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विभागीय समन्वयन एवं नियम/अधिनियम/शासनादेशों का संकलन तथा सूची तैयार करना

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिकारी/कार्मिक श्री एन0एस0 डुंगरियाल–संयुक्त सचिव, श्री राजेन्द्र चौहान–विशेषकार्याधिकारी, श्रीमती वन्दना पाटनी–विशेषकार्याधिकारी, श्री जगदीश चन्द्र मिश्रा–पूर्व अनुभाग अधिकारी, श्री रमेश कुमार–समीक्षा अधिकारी, श्री उत्तम सेमवाल–सहायक समीक्षा अधिकारी।

पुस्तक प्रूफ रीडिंग

श्री दीपक कुमार–सचिव, श्री एन0एस0 डुंगरियाल–संयुक्त सचिव, श्री अनिल प्रकाश उनियाल–अनु सचिव, श्रीमती लता नेगी–अनुभाग अधिकारी, सुश्री रचना–समीक्षा अधिकारी।

सहयोग

समस्त विभागीय अधिकारी/कार्मिक, सचिवालय के कतिपय वरिष्ठ अधिकारी, अनुभाग अधिकारी एवं निजी सचिव, मीडिया सेंटर सचिवालय, ई-ऑफिस टीम, एन0आई0सी0, मा0 मुख्यमंत्री जी की मीडिया टीम।

कम्प्यूटर कम्पोजिंग एवं पेज डिजाइन

सुश्री रचना–समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार–समीक्षा अधिकारी, श्रीमती कुसुम–कम्प्यूटर सहायक, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

मुद्रण

(संबंधित पुस्तक आमजन हेतु डिजिटल रूप में उपलब्ध एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के सर्वाधिकार सुरक्षित)

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

पुष्कर सिंह धामी

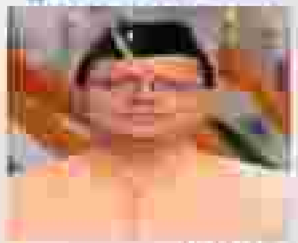

मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय
देहरादून - 248001
कार्यालय फोन: 0135-[illegible]
0135-[illegible]
फैक्स: 0135-[illegible]
विधान सभा फोन: 0135-[illegible]
0135-[illegible]
फैक्स: 0135-[illegible]
Email: cm-uk@nic.in

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी, विकासपरक, रोजगारपरक, कौशल विकास, प्रोत्साहन योजनाओं को आम जन-मानस तक सुलभता से पहुँचाने जाने के उद्देश्य से नीतियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों को संकलित करते हुए इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के साथ-साथ डिजिटल माध्यम से भी आम जन-मानस को सुगमता से उपलब्ध कराये जाने का अनूठा एवं अभिनव प्रयास किया गया है। इससे समाज के प्रत्येक वर्ग/आम जन-मानस की अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार की नीतियों को जनसामान्य तक पहुँचाने में अत्यन्त सुगमता होगी। मुझे आशा है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से प्रदेश के सभी वर्गों को सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी विकासपरक योजनाओं एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त होने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे यह भी आशा है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सरकार की विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं का लाभ आम जन-मानस को पहुँचाये जाने के उद्देश्य से प्रकाशित होने वाली पुस्तक एवं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना एक सकारात्मक पहल के साथ ही मील का पत्थर साबित होगी। इस पुस्तक के प्रकाशन से विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं की जानकारी इस पुस्तक में उपलब्ध होने एवं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होने पर निःसंदेह यह भविष्य के लिए भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे यह भी अवगत कराया गया है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड का यह प्रथम प्रयास है, इसके लिए इस विभाग के पूरे सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं।

मेरी ओर से पुस्तक के सफल प्रकाशन एवं इस महत्वपूर्ण जानकारियों को आम जन-मानस तक डिजिटल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें।

(पुष्कर सिंह धामी)

डा० सुखबीर सिंह संधु
Dr. Sukhbir Singh Sandhu

मुख्य सचिव
Chief Secretary

उत्तराखण्ड शासन
Government of Uttarakhand
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन
Netaji Subhash Chandra Bose Bhawan
सचिवालय परिसर, देहरादून
Civil Secretariat, Dehradun
Phone: [illegible]
E-mail: [illegible]

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित, जनकल्याणकारी, विकासात्मक योजनाओं का संकलन करते हुए उन्हें जनमानस तक सुगमता से पहुँचाने के उद्देश्य से पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। पुस्तक को आम जनमानस तक सुगमता से पहुँचाने के लिए डिजिटल माध्यम से भी पुस्तक को उपलब्ध किया जा रहा है।

मेरा विश्वास है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक सरकार की विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी राज्य के अंतिम गांव के व्यक्ति तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध होगी।

पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

(डॉ० सुखबीर सिंह संधु)
मुख्य सचिव

राधा रतूड़ी, आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
गृह एवं कारागार विभाग
4 सुभाष मार्ग, देहरादून-248001
दूरभाष 0135-2712065
फैक्स 0135-2712014

दिनांक- 22.11.2020

संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य सरकार के अन्तर्गत राज्य के विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी संकलित कर जनोपयोगी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुँचाए जाने के उद्देश्य से पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग प्रकाशित होने वाली पुस्तक को डिजिटल रूप में भी उपलब्ध करा रहा है जिससे राज्य में निवासरत युवा भी अधिक [illegible] लाभान्वित होंगे।

मुझे आशा है कि पुस्तक के प्रकाशन से राज्य के सभी वर्गों के जनमानस जिनको सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है, उन्हें सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी सुगमता से उपलब्ध हो पायेगी।

पुस्तक के सफल प्रकाशन हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

दीपक कुमार
सचिव

उत्तराखण्ड शासन।
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
4 सुभाष मार्ग,
देहरादून–248001
दूरभाष : 0135–2664127

[illegible]

जाने के रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप कार्य किया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को सरल भाषा में संकलित किया जाये जिससे प्रदेश के आम जनमानस (जिसमें प्रदेश के युवाओं एवं महिला वर्ग विशेष रूप से सम्मिलित हो सकें) को प्रदेश में संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी, आवेदन कहाँ और कैसे किया जाये? योजनाओं की पात्रता क्या है? चयन प्रक्रिया क्या है? आवेदन हेतु भिन्न-भिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? इत्यादि की जानकारी को सुगमता से समझाने का प्रयास किया गया है। मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक से जहां एक ओर आम जनमानस को सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो पाएगी वहीं सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में पुस्तक लाभकारी सिद्ध होगी एवं युवाओं एवं महिला वर्ग के भविष्य के लिए यह पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी।

पुस्तक के प्रकाशन में योजनाओं के नवीनतम शासनादेशों, नीतियों, दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं आदि दस्तावेजों की आवश्यकता थी और इन दस्तावेजों के संकलन में अधिकांशतः प्रशासन विभाग द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती /कुशल कार्मिकों की आवश्यकता के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी का मार्गदर्शन एवं सहयोग सदैव मिलता रहा और उनके सहयोग से ही इस पुस्तक का प्रकाशन किये जाने में सफलता प्राप्त हो पाई।

समस्त विभागों के प्रमुख दस्तावेजों का अध्ययन कर उन्हें प्रस्तुत आलेख के रूप में लिपिबद्ध किया जाना अतीव चुनौतीपूर्ण होता है अर्थात इस पुस्तक की भूमिका के रूप में मुझे [illegible], समीक्षा अधिकारी का महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ। समस्त विभागीय अधिकारियों के अथक प्रयास और कड़ी लगन के बिना पुस्तक का प्रकाशन संभव नहीं था और इसी कड़ी में मैं श्री [illegible] सिंह पूर्व अपर सचिव, श्री [illegible] सिंह [illegible], संयुक्त सचिव, श्री [illegible] प्रकाश [illegible], अनु सचिव, श्री [illegible] चन्द्र मिश्रा (पूर्व अनुभाग अधिकारी), श्रीमती [illegible] नेगी (प्रभारी अनुभाग अधिकारी), श्री [illegible] सिंह [illegible], श्री [illegible] कुमार, समीक्षा अधिकारी, श्री [illegible], सहायक समीक्षा अधिकारी, श्रीमती [illegible], कम्प्यूटर सहायक, के साथ ही विशेष कार्याधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण एवं मार्गदर्शक के रूप में श्री [illegible], श्री [illegible] चौहान, श्री संजीव कुमार शर्मा और [illegible] कुमार, श्री [illegible] यादव, श्रीमती [illegible] और श्रीमती [illegible] के द्वारा किये गये परिश्रम की प्रशंसा के साथ ही इनके द्वारा अथक प्रयासों के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके अतिरिक्त समस्त विभागों के शासन स्तर पर विभिन्न पदों पर सुशोभित उच्चाधिकारियों, विभिन्न विभागाध्यक्षों जिनके द्वारा अपने विभागों से सम्बन्धित आवश्यक तथ्यों/शासनादेशों/आदेशों/नियमों/अधिनियमों/नीतियों/योजनाओं का संकलन, संशोधित सूचनायें तथा विवरण उपलब्ध कराये जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, का भी आभार व्यक्त करता हूं साथ ही मैं समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव गणों के सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अन्त में विशेष मार्गदर्शक के रूप में देवभूमि एवं प्रदेश के यशस्वी मा0 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश के मुखिया के रूप में डॉ0 सुखबीर सिंह संधु, मुख्य सचिव महोदय का "मेरी योजना" पुस्तक को पूर्ण रूप दिये जाने में अभिप्रेरित/प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रस्तुत योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

(दीपक कुमार)
सचिव।

अनुक्रमणिका

क्र.	[illegible]	[illegible]	पृष्ठ संख्या
1	[illegible]	[illegible] (EBC) [illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	[illegible] BOCW	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	1-ECCE [illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible] https://uttarakhand.samarth.ac.in/index.php/site/login	[illegible]

	विभाग	...की गई, कार्य की प्रक्रिया। **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड** — 1. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) 2. जननी सुरक्षा योजना (JSY) 3. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) [illegible] (NTCP) [illegible] (NPCB) [illegible] (NPHCE) [illegible]	
	चिकित्सा शिक्षा विभाग	[illegible]	[illegible]
24.	होम्योपैथी	[illegible]	[illegible]
25.	आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग	[illegible]	[illegible]
	सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग	(1) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना [illegible]	[illegible]
26	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	(1) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) (2) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना [illegible]	[illegible]
27	पर्यटन विभाग	[illegible]	[illegible]
28	ऊर्जा विभाग (उरेडा)	1. राष्ट्रीय [illegible] 2. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना [illegible] Grid Connected Rooftop Phase II [illegible] MNRE [illegible]	[illegible]
	यूपीसीएल	[illegible]	[illegible]
29	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग	[illegible]	[illegible]
30	ग्राम्य विकास विभाग	1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) 2- दीनदयाल अन्त्योदय- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) 3- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUGKY) 4- प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) 5- [illegible] (RBI) 6- [illegible]	[illegible]

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

14	संस्कृत शिक्षा विभाग	**उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा संचालित योजनाएं / पाठ्यक्रम** – (1) संस्कृत ग्राम [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible] **उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित योजनाएं/ पाठ्यक्रम** – (1) [illegible] P.G. Diploma, (2) सर्टिफिकेट Certificate (3) [illegible] (4) [illegible] **संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएं/ पाठ्यक्रम**– (1) [illegible] (2) [illegible]	[illegible]
15	संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग	(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible] (5) [illegible] (6) [illegible]	[illegible]
16	[illegible] शिक्षा विभाग	[illegible] – 1 [illegible] 2 [illegible] 3 [illegible]	[illegible]
17	कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग	1 [illegible] (ELSTP) 2 [illegible] 3 [illegible]	[illegible]
18	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग	(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible] (5) [illegible] (6) [illegible] (7) [illegible]	[illegible]
19	खेल विभाग	1 [illegible] 2 [illegible] 3 [illegible] 4 [illegible] 5 [illegible] 6 [illegible] 7 [illegible] 8 [illegible]	[illegible]
20	उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू-सैक)	(1) [illegible]	[illegible]
	उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र	(1) E-Content का निर्माण एवं [illegible] (2) STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics) की प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं [illegible] (3) [illegible] (4) Experiential Learning [illegible]	[illegible]
	उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	1 [illegible] 2 [illegible] 3 [illegible] 4 [illegible] 5 [illegible] 6 [illegible] 7 [illegible] 8 [illegible] 9 [illegible] 10 [illegible]	[illegible]
21	उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद [illegible]	[illegible]	[illegible]
22	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	**महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य की योजनाएं** –1 [illegible] 2 [illegible] 3 [illegible] 4 [illegible] 5 [illegible]	[illegible]

44.	[illegible] विभाग	[illegible]	[illegible]
45.	राजस्व विभाग	[illegible]	[illegible]
46.	परिवहन विभाग उत्तराखण्ड	[illegible]	[illegible]
47.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48.	निर्वाचन आयोग	मतदाता पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया	[illegible]
49.	सूचना प्रौद्योगिकी (ITDA)	1. [illegible] https://cm[illegible].uk.gov.in/ 2- [illegible] https://esevices.uk.gov.in/ 3- [illegible]	[illegible]
50.	कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)	1. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोलने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण 2. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान	[illegible]
51.	नागरिक उड्डयन विभाग	उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)	[illegible]
52.	आपदा प्रबन्धन विभाग	[illegible]	[illegible]
53.	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में जानकारी।	306
54.	सेवा का अधिकार आयोग	सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के संबंध में जानकारी।	307
55.	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	उत्तराखण्ड राज्य में समूह 'क' 'ख' 'ग' की सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु राज्य लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में।	[illegible]

... EMINENT ...

		[illegible]	
33	[illegible] विभाग	(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible]	[illegible]
34	कृषि विभाग	[illegible] (PM-Kisan) [illegible] (PM-KMY) [illegible] (PMFBY) [illegible] (SMAE) [illegible] (NFSM) [illegible] (R.K.V.Y.) [illegible] (S.H.C.) [illegible] (R.K.V.Y.) [illegible] (SMAM) [illegible] (SMAM) [illegible]	[illegible]
35	उद्यान विभाग	(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible]	[illegible]
36	[illegible]	(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible]	[illegible]
37	[illegible] विभाग	(1) [illegible] (2) [illegible]	[illegible]
38	[illegible] विभाग	(1) [illegible] (2) [illegible]	[illegible]
39	[illegible] विभाग	1 [illegible] 2 [illegible] 3 [illegible]	[illegible]
	[illegible] विभाग	(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible] (5) [illegible]	[illegible]
	[illegible] विभाग	1 [illegible] 2 [illegible] 3 [illegible]	[illegible]
40	आवास विभाग	1 [illegible]	[illegible]
41	[illegible] विभाग	1 [illegible] 2 [illegible] 3 [illegible]	[illegible]
42	[illegible]	(1) [illegible] (2) [illegible]	[illegible]
43	[illegible]	(1) [illegible] (2) [illegible]	[illegible]

समाज कल्याण विभाग

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	वृद्धावस्था पेंशन	प्रतिमाह रू0 1,500/- पेंशन प्रदान की जाती है।	60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे वृद्ध (स्त्री-पुरुष दोनों) जिनके परिवार की मासिक आय रू0 4000/- से कम अथवा बी0पी0एल0 श्रेणी के हों। कोई अन्य पेंशन मिलने पर आवेदक को इस पेंशन का लाभ अनुमन्य नहीं है।	आवेदक, आवेदन पत्र/ऑनलाइन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन विभाग के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in, अथवा कॉमन सर्विस सेंटर एवं अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से करेगा। आवेदन करने हेतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं – आवेदक का मोबाइल नम्बर, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण/ [illegible] द्वारा प्रमाणित, तथा आधार कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक/सीड हो की छायाप्रति। परिवार का बैंक खाता अथवा आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र। परिवार रजिस्टर की नकल। [illegible] ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान/शहरी क्षेत्रों में पार्षद की मुहर/हस्ताक्षर [illegible] की हो। जिस माध्यम से आवेदन करेंगे, उसके सभी दस्तावेज उसी माध्यम से होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र **ग्रामीण क्षेत्रों** में सत्यापन हेतु संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है इसी प्रकार **शहरी क्षेत्रों** में सहायक समाज कल्याण अधिकारी व उपजिलाधिकारी द्वारा सत्यापन व संस्तुति उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत किये जाने पर [illegible] पेंशन भुगतान की कार्यवाही की जाती है। आवेदन स्वीकृत होने के [illegible] बाद पेंशन खाते में आ जाती है।
2.	निराश्रित विधवा पेंशन	रू0 1,500/- प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।	विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से कम न हो। परिवार की मासिक आय रू0 4000/- प्रतिमाह से कम हो या बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र हो। अन्य पेंशन का लाभ न ले रही हो।	**वृद्धावस्था पेंशन** के समान आवेदन प्रक्रिया, स्वीकृति प्रक्रिया एवं हस्तांतरण समान होंगे परन्तु उक्त दस्तावेजों के साथ पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगा होगा।
3.	दिव्यांग पेंशन	रू0 1,500/- प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।	आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा मासिक आय रू0 4000/- प्रतिमाह से कम हो या बी0पी0एल0 श्रेणी का हो। अन्य पेंशन का लाभ न ले रहा हो।	**वृद्धावस्था पेंशन** के समान आवेदन प्रक्रिया, स्वीकृति प्रक्रिया एवं हस्तांतरण समान होंगे परन्तु उक्त दस्तावेजों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र तथा यू0डी0आई0डी0 प्रमाण पत्र भी लगा होगा।
4.		रू0 1200/-	18 वर्ष से ऊपर के महिला/पुरुष जो कृषि कार्य करते हुए 40 प्रतिशत	**वृद्धावस्था पेंशन** के समान आवेदन प्रक्रिया, स्वीकृति प्रक्रिया एवं हस्तांतरण समान होंगे परन्तु उक्त दस्तावेजों के साथ कृषि कार्य करते हुए घायल होने का कृषि अधिकारी का

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / मानदण्ड	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		अनुदान।		आवेदक द्वारा शादी की न किया हो। जिस वर्ष शादी हो उसी वर्ष 01 मार्च से 28 फरवरी के बीच आवेदन करना अनिवार्य है। यदि किसी की शादी माह जनवरी, फरवरी में हो तथा उसी समय वित्तीय वर्ष पूर्ण न हो, तो ऐसी स्थिति में शादी होने से पूर्व ही आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड कराने के उपरान्त ही मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जांच की कार्यवाही तथा जांच आख्या/ संस्तुति के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकृत कर अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में भुगतान की जायेगी।
9.	निराश्रित विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना	निराश्रित विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु रु. 10,000/- प्रति पुत्री अनुदान।	विधवा पेंशन प्राप्त कर रही ऐसी विधवाओं को जिनकी समस्त स्रोतों से मासिक आय रू. 4000/- तक हो की समस्त [illegible] योजना हो। शादी के समय युवक (दूल्हा) की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती (दुल्हन) की आयु 18 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक न हो।	क्रमांक-8 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं भुगतान प्रक्रिया समान होगी परन्तु इस में अतिरिक्त जिला प्रोबेशन, महिला कल्याण के द्वारा दी गयी है अथवा नहीं समाज कल्याण विभाग इसकी पुष्टि करता है तथा इसमें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।
10.	दिव्यांग युवक/ युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन योजना	विवाह करने पर दम्पति को प्रोत्साहन के रूप में रू. 20,000/- दिये जाते हैं।	ऐसे व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है जो सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित ऐसे दिव्यांगजनों द्वारा विवाह करने पर लाभ दिया जाता है। दम्पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए तथा पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो। दम्पति उत्तर प्रदेश का निवासी हो या कम से कम पांच वर्ष से अधिवासी हो, परन्तु दम्पति भारत का नागरिक हो। दम्पति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दोषित न हो। शादी के समय युवक (दूल्हा) की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य, युवती (दुल्हन) की आयु 18 से 45 के मध्य हो तथा दम्पति का विवाह प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाज से सम्पन्न हुआ हो या अदालती विवाह किया	इसमें वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन का प्रारूप सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट https://socialwelfare.up.gov.in से डाउनलोड करने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर आवेदन सहायक समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ निम्न संलग्नक संलग्न करना होगा— दम्पति का आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, युवक/युवती की प्रमाणित [illegible] दिव्यांग/ [illegible] वर्ष से [illegible] के विवाह करने की पुष्टि का प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण की छायाप्रति, शादी पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति। दम्पति का आयकरदाता न होने, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त न होने तथा पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न होने संबंधी। सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदनों की जांच कर आख्या के आधार पर संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा जनपद के जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने पर लाभार्थी को प्रोत्साहन धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	संचालन	निःशुल्क सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।	निवासियों हेतु संचालित। राज्य में 02 वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह संचालित हैं। वर्तमान में जनपद चमोली एवं बागेश्वर में हैं।	करवायी जाती है जिसमें राजस्व निरीक्षक की आख्या, तहसीलदार की संस्तुति प्राप्त होती है तथा चिकित्सक द्वारा जारी दूसरे संवासीयों को संक्रमित नही करने वाली बीमारी का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाता है। जांच के उपरात, दिये गये निवेदन/प्रार्थना पत्र के क्रम में जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित आवास में रहने हेतु आदेश पारित किया जाता है तथा संबंधित व्यक्ति उसके उपरांत आवास में निवास कर सकता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEP

सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

कारगिल विजय दिवस (शौर्य दिवस) पर गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। दिनांक 26 जुलाई, 2023

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/पात्रताएँ	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] पेंशन	रु0 1200/- प्रतिमाह [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] पेंशन	रु0 1,200/- प्रतिमाह [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] पेंशन	रु0 1200 [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] की शादी हेतु अनुदान।	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/मापदण्ड	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			हो।	
11	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (भारत सरकार द्वारा संचालित)	परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उनके परिवार को रू0 20,000/- दिये जाते हैं।	ऐसे बी0पी0एल0 परिवार के कमाऊ सदस्य जिनकी आयु 18 से 59 के मध्य हो की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता परिवार को दी जाती है। परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु के उपरान्त कभी भी आवेदन कर सकते हैं।	योजना में ऑफलाइन आवेदन है। सभी आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र, सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in/ से प्राप्त कर सकते हैं। [illegible]
12	अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की कक्षा 01 से 08 तक की छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति धनराशि (राज्य सरकार द्वारा पोषित) का लाभ दिया जाता है।	• आय सीमा का कोई प्राविधान नहीं है। • उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। • अनुसूचित जाति/जनजाति का छात्र/छात्रा। • आवेदक सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले रहा हो।	[illegible]
13.	अनुसूचित जाति/जनजाति कक्षा 09 तथा 10 की छात्रवृत्ति योजना	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति [illegible] द्वारा [illegible] दिया जाता है।	• ऐसे छात्र/छात्राएं जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक हो। • उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। • अनुसूचित जाति/जनजाति का छात्र/छात्रा हो।	क्रमांक-12 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परन्तु इसके साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक का आय प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।
14.	अनुसूचित जाति/जनजाति	राष्ट्रीय [illegible]	अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे छात्र/छात्राएं जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0	क्रमांक-12 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परन्तु इसके साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक का आय प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	दशमोत्तर छात्रवृत्ति	द सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	2.50 लाख तक हो। उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। 10वीं कक्षा के बाद किसी भी पाठ्यक्रम हेतु।	
15	पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	• ऐसे छात्र / छात्रायें जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक हो। • उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। • अन्य पिछड़ी जाति के छात्र / छात्रा हो। • 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम हेतु।	क्रमांक–12 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं हस्तान्तरण समान होगें परन्तु इसमें के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख से कम का आय प्रमाण–पत्र तथा पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
16	पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	अन्य पिछड़ी जाति के ऐसे छात्र / छात्रायें जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0 1.50 लाख तक हो। उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। 10वीं कक्षा के बाद किसी भी पाठ्यक्रम हेतु।	क्रमांक–12 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं हस्तान्तरण समान होगें परन्तु इसमें के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक का आयप्रमाण पत्र तथा पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
17	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना	छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के ऐसे छात्र / छात्रायें जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक हो। उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो।	क्रमांक–12 में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं हस्तान्तरण समान होगें परन्तु इसमें के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक का आयप्रमाण पत्र।
18	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह का	वृद्धजनों को रहने, खाने, वस्त्र, चिकित्सा आदि की	• महिला / पुरूष • 60 वर्ष से अधिक उम्र वर्ग के लिए। • आय का कोई प्रावधान नहीं है। • उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी	संबंधित वृद्ध महिला / पुरूष द्वारा स्वहस्तलिखित प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी / जिलाधिकारी कार्यालय अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी / अधीक्षक, राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। प्रार्थना पत्र के साथ परिवार रजिस्टर की नकल, आधार की प्रति, प्रधान / सभासद की संस्तुति संलग्न करनी होगी। इसके उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्ध विभाग से स्व

क्र	योजना का नाम	राशि	पात्रता / पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं भुगतान प्रक्रिया
			चौथा आवेदन लागू आवश्यक है।	सहायता प्राप्त न करने का स्व घोषणा प्रमाणपत्र, आवेदक की बैंक पास बुक। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा पत्र जांच के उपरान्त सही पाए गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई०सी०एस० के माध्यम से किया जाता है।
4	शिक्षा अनुदान	रू0 1000 / – प्रतिमाह	हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक / सैनिक विधवा के अधिकतम दो बच्चों (स्नातक तक) तथा सैनिक विधवा (स्नातकोत्तर) के लिए अनुदान।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरान्त अपनी डीआईएनओ०डी० के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – डिस्चार्ज बुक/पीपीओ, पूर्व सैनिक के अभिलेख कार्यालय द्वारा जारी परिचय प्रमाणपत्र, आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पिछले वर्ष में उत्तीर्ण की गयी कक्षा की अंक तालिका, अन्य स्रोत से इसी हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त न करने का स्व घोषणा प्रमाणपत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाए गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई०सी०एस० के माध्यम से किया जाता है।
5	व्यावसायिक ट्रेनिंग अनुदान	रू0 20000 / – एकमुश्त।	केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक विधवा, जिनके द्वारा केन्द्र / राज्य / मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, हेतु अनुदान।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरान्त अपनी डीआईएनओ०डी० के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – डिस्चार्ज बुक, आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पास बुक, केन्द्र / राज्य / मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक के प्रशिक्षण के उपरान्त सत्यापित किये जाने वाले प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त ई०सी०एस० के माध्यम से किया जाता है।

सैनिक कल्याण विभाग

क्र0	योजना का नाम	दर	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा देय सहायता	
1	**पेन्यूरी ग्रान्ट**	रू0 4000/– प्रतिमाह	सहायता हेतु सेना से नॉन पेंशनर पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा, पूर्व सैनिक निधनोपरान्त के बाद 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त तथा पात्रता के अभाव में निराश्रित पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा को 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त अनुदान। **नोट** – केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय की गई पूर्व सैनिक की परिभाषा (केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की प्रबंधकारिणी समिति की समिति में अनुमोदित हो)।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा पंजीकरण के उपरान्त अपनी यूजर-आई0डी0 के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – डिस्चार्ज बुक, आयु प्रमाण पत्र, यदि डिस्चार्ज बुक में जन्म तिथि अंकित न हो, आवेदक का पहचान पत्र, आवेदक की बैंक पास बुक का प्रथम पृष्ठ, पेन्यूरी प्रमाण पत्र, जो कि जनप्रतिनिधि से उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदनों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांचोपरान्त केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को भेजा जाता है। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान वर्ष में एकमुश्त डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाता है।
2	**मेडिकल ग्रान्ट**	रू0 30000/– प्रतिवर्ष	सहायता हेतु सेना से नॉन-पेंशनर/हवलदार तक के पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा हेतु अनुदान। **नोट**– चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने के उपरान्त 180 दिन के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा पंजीकरण के उपरान्त अपनी यूजर-आई0डी0 के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – डिस्चार्ज बुक, आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पास बुक, चिकित्सा पर व्यय हुए बिल तथा डिस्चार्ज की समरी (संबंधित चिकित्सालय से मुहर सहित हस्ताक्षरित), अन्य स्रोत से उक्त हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त न करने का स्वघोषणा प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्र निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांचोपरान्त केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को भेजा जाता है। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाता है।
3	**विवाह हेतु अनुदान**	रू0 50000/– प्रति पुत्री	केवल हवलदार तक के पद से पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह तथा सैनिक विधवा के पुनर्विवाह हेतु अनुदान। **नोट**– विवाह होने के उपरान्त 180 दिन के	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा पंजीकरण के उपरान्त अपनी यूजर-आई0डी0 के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – डिस्चार्ज बुक, पी0पी0ओ0, आवेदक का पहचान पत्र, पुत्री का आयु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, अन्य स्रोत से उक्त हेतु आर्थिक

क्र	योजना का नाम	राशि	पात्रता / पात्रताएँ	आवेदन प्रक्रिया एवं भुगतान प्रक्रिया
[illegible]	**100 % अपंगता बच्चों हेतु अनुदान**	रू0 3000 / – प्रतिमाह	सभी रैंक के पूर्व सैनिक / सैनिक विधवा के शत–प्रतिशत विकलांग बच्चों हेतु अनुदान।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी0 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – डिस्चार्ज बुक, पी0पी0ओ0, आवेदक के बैंक पास बुक, आवेदक एवं अपंग बच्चों का प्रमाण पत्र, सेना चिकित्सालय द्वारा जारी पूर्व सैनिक के शत–प्रतिशत अपंगता बच्चे का प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त भरी गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त ई0सी0एस0 के माध्यम से किया जाता है।
[illegible]	**निराश्रित अनुदान**	रू0 3000 / – प्रतिमाह	समस्त रैंक के पूर्व सैनिक तथा सैनिक विधवा दोनों की मृत्यु होने पर उनके निराश्रित बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक अथवा विवाह होने तक (जो भी पूर्व हो) अनुदान धनराशि दी जाती है।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी0 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – डिस्चार्ज बुक, आवेदक का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण, बैंक पास बुक, माता–पिता मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक पुत्री होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अविवाहित प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त भरी गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त ई0सी0एस0 के माध्यम से किया जाता है।
[illegible]	**विशेष चिकित्सा सहायता**	अधिकतम रू0 1,50,000 (प्रथम बार) अनुमन्य, उन्हीं हेतु अधिकारियों	समस्त रैंक के पूर्व सैनिकों / उनके आश्रितों की निम्न बीमारियों हेतु अनुदान – (1) एन्जियोप्लास्टी, एन्जियोग्राफी। (2) सी0ए0बी0जी0, डायलेसिस। (3) ओपन हार्ट सर्जरी। (4) वाल्व रिप्लेसमेंट। (5) कैंसर उपचार। (6) सेरिब्रल स्ट्रोक।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी0 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – डिस्चार्ज बुक, आवेदक का पहचानपत्र, बैंक पासबुक, चिकित्सा के व्यय का विवरण, जिस चिकित्सालय से इलाज कराया हो उसका प्रमाणित एवं डिस्चार्ज स्लिप, जिस चिकित्सालय के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करने एवं पुष्ट करने तथा अन्य स्रोत से इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त न करने का शपथपत्र प्रमाण पत्र।

PROGRAMME IMPLEME

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हतायें	आवेदन प्रक्रिया एवं भुगतान प्रक्रिया
		को कुल व्यय का 75% एवं अन्य हेतु 90% (अधिकतम रू0 75000 प्रतिवर्ष)।	(7) प्रोस्टेट सर्जरी। (8) ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। (9) किडनी डायलिसिस। (10) कैंसर।	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान इलेक्ट्रानिक ईसीएस के माध्यम से किया जाता है।
9.	भवन निर्माण हेतु लिए गये ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति	अधिकतम रू0 1,00,000 तक ब्याज की प्रतिपूर्ति।	युद्ध में शहीद सैनिक के आश्रित, युद्ध विकलांग सैनिक एवं शान्ति काल में सैन्य सेवा के कारण दिव्यांग ऑपरेशनल सैनिकों को भुगतान किया जाता है। सम्बन्धित द्वारा भवन निर्माण हेतु बैंकों से सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान जैसे एल.आई.सी., जी.आई.सी. एवं हुडको से लिए गये ऋण के ब्याज की वार्षिक प्रतिपूर्ति।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा पंजीकरण के उपरान्त अपनी आई0डी0/पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :- डिस्चार्ज बुक, पी0पी0ओ0, आवेदक का राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ऋण प्रदाता सरकारी संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें ऋण भुगतान की तिथि सहित एवं धनराशि अंकित हो, भूमि व भवन का रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान इलेक्ट्रानिक ईसीएस के माध्यम से किया जाता है।
10.	मोबिलिटी इक्विपमेन्ट सहायता	मोडिफाइड स्कूटर हेतु वास्तविक व्यय अथवा रू0 1,00,000 जो भी कम हो।	पूर्व सैनिक जो विकलांग हो जिनका 50% या अधिक (लोअर लिम्ब) की विकलांगता हेतु।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा पंजीकरण के उपरान्त अपनी आई0डी0/पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :- डिस्चार्ज बुक, पी0पी0ओ0, आवेदक का राशन कार्ड, बैंक पास बुक, सैन्य चिकित्सालय द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान इलेक्ट्रानिक ईसीएस के माध्यम से किया जाता है।
11.	प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना	पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं के	व्यावसायिक शिक्षा (इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेन्टल, वेटनरी, एम0बी0ए0 आदि ए0आई0सी0टी0ई0) की [illegible] पर अंतिम	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर आवेदक द्वारा पंजीकरण के उपरान्त अपनी आई0डी0/पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :-

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं भुगतान प्रक्रिया
		पुत्र को रु. 2000 प्रोत्साहन एवं पुत्री को रु. 3000 प्रोत्साहन।	[illegible] पुत्र/पुत्री। [illegible] पुत्र/पुत्री द्वारा [illegible]/Minimum Education Qualification MEQ [illegible] 60 % से अधिक अंक प्राप्त किए हों।	[illegible] पुत्र/पुत्री [illegible] MEQ [illegible] हो। [illegible]
13.	[illegible]	[illegible]	[illegible] (1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible] (4) [illegible] (5) [illegible]	[illegible] www.kdb.gov.in [illegible]
		[illegible]		
14.	[illegible]	[illegible]	[illegible] (1) [illegible] (2) पुत्र 25 वर्ष की आयु तथा/पुत्री विवाह होने तक। (3) माता-पिता। (4) अविवाहित [illegible]	[illegible]

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				करने हेतु सूचित करती है।
19	**निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण।**	सेना / अर्द्ध सैनिक बलों एवं पुलिस बल में भर्ती हेतु 6 सप्ताह का भर्ती पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण।	पूर्व सैनिकों के पुत्र जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक तथा 21 वर्ष से कम हो और हाईस्कूल में 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो, को निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण पर होने वाले समस्त व्यय (प्रशिक्षकों का मानदेय + खाना + आवास) का भुगतान निदेशालय सैनिक कल्याण द्वारा किया जाता है। **नोट** :— वर्ष में 5 कोर्सों का संचालन किया जाता है।	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रचार— प्रसार के माध्यम से पूर्व सैनिकों के पुत्रों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :— साधारण प्रार्थना पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षिक संबंधी प्रमाण पत्र (कम से कम हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण), चिकित्सा प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक पहचान पत्र, डिस्चार्ज बुक। उक्त दस्तावेजों के साथ सम्बंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा किया जाता है। इसके उपरान्त प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु सूचित किया जाता है। तदोपरान्त राज्य के गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल में प्रशिक्षण शुरु किया जाता है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

जनपद नैनीताल के रामनगर में गोदभराई कार्यक्रम में मा0 मंत्री जी

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार वितरण समारोह वर्ष 2022

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		3 लाख एक मुश्त 40 हजार दी जाती है।	(ii) माता-पिता (60 वर्ष की आयु तक)।	सभी पात्र पाये आवेदकों को डीबीटी के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाता है, जिसमें एकमुश्त अनुदान भुगतान की जाती है तथा मासिक अनुदान भुगतान की जाती है।
14.	विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को एकमुश्त अनुदान राशि।	अधिकतम 2 लाख तथा न्यूनतम 25 हजार दी जाती है।	विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत राज्य के मूल निवासी सैनिक / पूर्व सैनिकों को एकमुश्त अनुदान अनुमन्य है।	सम्पूर्ण आवेदन एवं चयन प्रक्रिया क्रमांक 13 के अनुसार होगी परन्तु उक्त दस्तावेजों के साथ विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किये जाने के सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
15.	[illegible] शहीद कोष अनुदान।	रु. 10 लाख एकमुश्त अनुदान	विभिन्न युद्धों व सैन्य अभियानों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुये सैनिकों व अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को अनुमन्य। (क) शहीद के विवाहित होने की दशा में — (i) विधवा (वीर नारी)—विधिक उत्तराधिकारी [illegible] (ii) माता-पिता—विधिक उत्तराधिकारी [illegible] (iii) परन्तु जब कि यदि माता-पिता जीवित नहीं है तो पूर्ण विधिक उत्तराधिकारी विधवा (वीर नारी) को ही धनराशि तथा जहां विधवा (वीर नारी) जीवित नहीं है तो विधिक उत्तराधिकारी का भी [illegible] माता-पिता को 60 प्रतिशत तथा अन्य आश्रित बच्चों में बराबर-बराबर बाँट दिया जायेगा। (ख) ऐसी स्थिति में जहां माता-पिता तथा विधवा (वीर नारी) जीवित नहीं है तो विधिक उत्तराधिकारी सभी आश्रित बच्चों में बराबर-बराबर बाँट दिया जायेगा। (ग) ऐसी स्थिति में जहां विधवा (वीर नारी) जीवित न हो और बच्चे भी न हों तो सम्पूर्ण विधिक उत्तराधिकार माता-पिता को दिया जायेगा। (घ) ऐसी स्थिति में जहां	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर सम्बंधित कार्यालय में ही जमा करना होता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज — [illegible] युद्ध में सम्बन्धित शहीद [illegible] सम्बन्धित अभिलेख कार्यालय / महानिदेशक कार्यालय का भाग-2 आदेश, [illegible] सैनिक का वैध नैक्स्ट ऑफ किन प्रमाण पत्र, आश्रितों का सम्बन्धित अभिलेख कार्यालय / महानिदेशक कार्यालय द्वारा निर्गत वारिसान प्रमाण पत्र, [illegible] जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा अनुग्रह अनुदान भुगतान न किए जाने का प्रमाण पत्र, अर्द्धसैनिक बल के लिए — महानिदेशक अर्द्धसैनिक बल द्वारा जारी वैध नैक्स्ट ऑफ किन / आश्रितता नैक्स्ट ऑफ किन का प्रमाण पत्र, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए — महानिदेशक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा जारी वैध नैक्स्ट ऑफ किन / आश्रितता नैक्स्ट ऑफ किन का प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर आवेदनों की जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदकों को डीबीटी के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हतायें	आवेदन प्रक्रिया एवं भुगतान प्रक्रिया
			शहीद अविवाहित अथवा विधुर की स्थिति में माता–पिता को दिया जायेगा।	
16	आवासीय सहायता अनुदान।	रु० 2 लाख एकमुश्त अनुदान।	विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों में शहीद सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों एवं युद्ध दिव्यांग तथा मुक्त सैनिकों को पूर्ण जीवन में एक बार भवन निर्माण/मरम्मत हेतु अनुदान।	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सम्बंधित कार्यालय में ही जमा करना होता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज – शहीद सैनिक/युद्ध दिव्यांग सेवामुक्त सैनिक की [illegible] की सत्यापित प्रतिलिपि, [illegible] आश्रितों का प्रमाण–पत्र, भवन निर्माण/मरम्मत के कार्य का आगणन अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा जारी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक को पूर्व में राज्य सरकार से आवासीय सहायता भुगतान न करने का प्रमाणपत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर आवेदनों की जांच के पश्चात सही पाये गये आवेदकों को डीबीटी के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाता है।
17	इंजीनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।	इंजीनियरिंग –12 हजार, मेडिकल–15 हजार, पीएचडी–10 हजार, प्रतिवर्ष	इंजीनियरिंग/मेडिकल एवं पीएचडी की कक्षाओं में अध्ययनरत पूर्व सैनिकों के आश्रितों को अनुमन्य धनराशि भुगतान की जाती है। नोट – आवेदक का बैंक खाता एवं डिस्चार्ज बुक में नाम/जन्मतिथि अंकित होना अनिवार्य है।	आवेदक द्वारा सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट www.sainikkalyan.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक है– आवेदक का आधार कार्ड, बैंक खाता, पूर्व सैनिक पहचान पत्र, डिस्चार्ज बुक, जिस कक्षा में अध्ययनरत हो, उसका प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय एवं निदेशालय स्तर पर आवेदनों की जांच के पश्चात सही पाये गये आवेदकों को डीबीटी के माध्यम से [illegible] स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाता है।
18.	निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण।	01 वर्षीय कम्प्यूटर/एकाउंटिंग निःशुल्क प्रशिक्षण।	पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा एवं उनके आश्रित जिन्होंने शैक्षिक योग्यता 12वीं पास की हो हेतु अनुमन्य है। जिसमें [illegible] को निम्न प्रशिक्षण वर्तमान में दिये जा रहे हैं – • डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन की प्रशिक्षण अवधि– 01 वर्ष • डिप्लोमा इन [illegible] अवधि– 01 वर्ष	सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों से कोर्स हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – सम्बन्धित आवेदक का आधार कार्ड, पूर्व सैनिक पहचान पत्र, डिस्चार्ज बुक, 12वीं पास प्रमाण पत्र। इसके उपरान्त सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण कराने वाली संस्था को नाम उपलब्ध कराये जाते हैं तथा सम्बन्धित संस्था आवेदकों को प्रशिक्षण शुरू किये जाने से पूर्व प्रशिक्षण में प्रतिभाग

PROGRAMME IMPLEMENTATION

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)	आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती है – 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों को अनुपूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण/टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएं। 03 वर्ष–06 वर्ष के बच्चों को प्रतिरक्षण/टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं हेतु प्रतिरक्षण/टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सेवाएं।	देश के समस्त 06 माह से 06 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं। इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु आय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है।	संबंधित क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा या स्वयं लाभार्थी द्वारा नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र पर जाकर योजना के लाभ हेतु पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकरण कराने हेतु गर्भवती/धात्री महिला/बच्चे का आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा पोषण ट्रैकर मोबाइल एप पर पंजीकृत कर योजना का लाभ निम्न प्रकार दिया जाता है – **[illegible]** – आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत 03 से 06 वर्ष के [illegible] बच्चों को [illegible] माह में 25 दिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिया जाता है। **टेक होम राशन** – 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों, 03–06 वर्ष के [illegible] बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से [illegible] के रूप में [illegible] उपलब्ध कराया जा रहा है तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रतिरक्षण, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण प्रदान किया जाता है।
2	किशोरी बालिका योजना	किशोरी बालिकाओं को पोषण, स्वास्थ्य एवं जीवन कौशल विषयों पर जागरूकता तथा वर्ष में 300 दिवस अनुपूरक पोषाहार (फोर्टिफाइड) प्रदान करने हेतु प्रत्येक माह में 25 दिन का अनुपूरक पोषाहार दिया जाता है।	उत्तरप्रदेश के आकांक्षी जनपद– [illegible] एवं [illegible] की 14 वर्ष से 18 वर्ष की समस्त किशोरी बालिकाएं।	पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाता है, जिसके लिए किशोरी का आधार एवं जन्मप्रमाण पत्र आवश्यक है।
3	वन स्टॉप सेन्टर	पीड़ित महिला/किशोरी को एक ही छत के नीचे सामाजिक/मानसिक एवं आश्रय/रहने की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, कानूनी सलाह, पुलिस सुविधा एवं काउंसिलिंग की सेवाएं एक ही परिसर में [illegible] निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।	पीड़ित महिलाएं/किशोरी (दुर्व्यवहार, अत्याचार, घरेलू हिंसा आदि से पीड़ित)	मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में 01 वन स्टॉप सेन्टर स्थापित किया गया है। पीड़ित महिला/किशोरी सीधे वन स्टाप सेन्टर में जाकर अपनी समस्या से अवगत करा सकती है या राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181 पर फोन करके अपनी समस्या बता सकती है। सेन्टर द्वारा [illegible]/[illegible]/संबंधित अधिकारी द्वारा पीड़ित महिला को समस्या [illegible] कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना	प्रथम बच्चे के जन्म पर [illegible] रू 3000/– मिलते हैं। [illegible] MCP [illegible] LMP [illegible] प्रथम बच्चे की द्वितीय किश्त [illegible] रू 2000/– मिलते हैं। [illegible] MCP [illegible] दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि कन्या [illegible] रू 6000/– मिलते हैं। [illegible] LMP [illegible] MCP [illegible]	[illegible] 19 [illegible] वर्ष [illegible] PMJAY [illegible] 40% [illegible]	[illegible] https://[illegible].gov.in [illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / हितग्राही	आवेदन प्रक्रिया एवं लाभ प्रक्रिया
			[illegible] अन्य [illegible] की पहली [illegible] होने के उपरान्त [illegible] राज्य [illegible] निवास [illegible] की [illegible] होगी।	की जाती है एवं [illegible] पर [illegible] की [illegible] के आधार पर [illegible] में भुगतान की जाती है।
[illegible]	मुख्यमंत्री बाल [illegible] योजना	[illegible] 3 वर्ष से 06 वर्ष के [illegible] के लिए [illegible] दिन [illegible] किये जाते हैं।	3 वर्ष से 06 वर्ष तक	आंगनबाड़ी केन्द्र पर जो बच्चे जाते हैं/पंजीकृत होते हैं उनको केन्द्र में ही लाभ प्रदान किया जाता है।
[illegible]	मुख्यमंत्री [illegible] योजना	गर्भवती/शिशुवती महिलाओं को सप्ताह में [illegible] दिन [illegible] दिया जाता है [illegible] गर्भवती/शिशुवती महिलाओं द्वारा [illegible] नहीं लिया जाता उनको [illegible] उपलब्ध कराया जाता है।	गर्भवती/शिशुवती महिलाएं	आंगनबाड़ी केन्द्र पर महिला पंजीकृत होते हैं उनको केन्द्र से ही लाभ प्रदान किया जाता है।
[illegible]	मुख्यमंत्री [illegible] योजना	03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को [illegible] विटामिन [illegible] से लाभ [illegible] किया जाता है।	03 से 06 वर्ष तक के बच्चे	आंगनबाड़ी केन्द्र पर जो बच्चे जाते हैं/ पंजीकृत होते हैं उनको केन्द्र में ही लाभ प्रदान किया जाता है।
[illegible]	मुख्यमंत्री महतारी किट योजना	राज्य में प्रसवोपरान्त महिला को [illegible] प्रसव [illegible] के [illegible] महतारी किट से लाभान्वित किया जायेगा।	गर्भवती महिलाएं [illegible] आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हों उन्हें प्रसवोपरान्त महतारी किट प्रदान की जाती है।	आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव होने के उपरान्त [illegible] महतारी किट प्रदान की जाती है। किट के अन्तर्गत महिलाओं और बच्चों के लिए निम्न सामग्री निर्धारित की गई है:- माताओं के लिए – [illegible]; शिशुओं के लिए – [illegible]
[illegible]	[illegible] पुरस्कार	[illegible] राज्य सरकार द्वारा रू. 100000/- की नगद राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।	[illegible]	जिला द्वारा समाचार-पत्रों के माध्यम से वर्ष में एक बार आवेदन [illegible] जाते हैं। [illegible] ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट https://cgwcd.cg.gov.in पर ऑनलाइन करना होता है। प्राप्त आवेदनों को [illegible] समिति द्वारा [illegible] राज्य स्तरीय समिति द्वारा पुरस्कार का अंतिम [illegible]

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			आवेदन करेंगे।	चयन किया जाता है। पुरस्कार 8 अगस्त को वितरित किया जाता है।
12	**सैनेटरी नैपकिन योजना**	किशोरी बालिकाओं/महिलाओं को रू0 6.00 में सैनेटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है।	किशोरी बालिकाएं एवं महिलाएं।	समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों से खरीद सकते हैं।
13	**आंगन बाड़ी कर्मी कल्याण कोष**	न्यूनतम धनराशि रू0 30,000/- दिये जाते हैं एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर रू0 1,30,000/- दी जाती है तथा जमा धनराशि पर प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि का प्राविधान है।	मानदेय सेवा पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/मिनी कार्यकत्री/सहायिका को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर।	आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष अन्तर्गत, पारितोषिक धनराशि प्राप्त करने हेतु उन्हें सम्बन्धित सीडीपीओ कार्यालय में आवेदन करना पड़ता है। आवेदन के साथ आंगनबाड़ी केन्द्र से सेवानिवृत्त होने का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संलग्न करना होगा।
14	**राष्ट्रीय महिला हैल्प लाईन 181**	महिलाओं एवं किशोरियों को आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक एवं त्वरित सहायता प्रदान करने हेतु **181** राष्ट्रीय महिला हैल्पलाइन नम्बर संचालित किया जाता है।	महिलायें/किशोरी	पीड़ित एवं जरूरतमंद महिला द्वारा **181** नम्बर पर 24 घंटे में से कभी भी काल कर अपनी समस्या को बताया जाता है। यदि किसी योजना की जानकारी प्राप्त करनी हो तो, तत्सम्बन्धी सूचना भी एवं विभाग सम्बन्धी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

....

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

महिला कल्याण विभाग

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं अनुमोदन प्रक्रिया
1.	स्पान्सरशिप योजना (60 प्रतिशत केन्द्र पोषित)	लाभार्थियों को 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह रुपये 4,000/- (रुपये चार हजार मात्र) धनराशि बैंक खातों में भुगतान किया जा रहा है।	18 वर्ष की आयु तक के ऐसे बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों हेतु रू0 72,000/- तथा शहरी क्षेत्रों हेतु रू0 96,000/- हो। ऐसे बच्चे जिन्होंने माता-पिता/अभिभावक दोनों को खो दिया है। [illegible] (CCL), [illegible] POCSO पीड़ित बच्चे, [illegible]	योजना का लाभ लेने हेतु जिला प्रोबेशन कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त [illegible]
2.	अनाथ बच्चों हेतु शैक्षिक आरक्षण प्राप्त करने के लिए "अनाथ प्रमाण पत्र" बनाने की प्रक्रिया	राजकीय/अशासकीय संस्थाओं में 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।	उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे निवासी एवं अनाथ बच्चे जिनके [illegible] माता-पिता दोनों की मृत्यु [illegible] 21 वर्ष की आयु [illegible] आरक्षण हेतु पात्र होंगे। राज्य के [illegible] आरक्षण हेतु पात्र होंगे।	सम्बंधित जिले के जिलाधिकारी कार्यालय अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में [illegible] प्रमाण-पत्र [illegible]
3.	राजकीय महिला शरणालय एवं पुनर्वास केन्द्र तथा महिला गृह में प्रवेश की प्रक्रिया।	18 वर्ष से ऊपर की मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित, [illegible] निराश्रित महिलाओं को [illegible]	18 वर्ष से ऊपर की अनाथ/निराश्रित/परित्यक्ता/तलाकशुदा या किसी [illegible] महिला तथा मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित महिला, [illegible] महिला।	[illegible] पुलिस/एस0डी0एम0/सिटी मजिस्ट्रेट/डी0एम0 [illegible]

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		भोजन, आवास, चिकित्सा, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है।		पुनर्वास केन्द्र तथा महिला गृह में संस्थाएं हैं जिनकी सूची निम्नवत है :- 1. राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र, केदारपुरम देहरादून 2. राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र [illegible] देहरादून। 3. राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र (संरक्षण गृह) नैनीताल। 4. राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र (संरक्षण गृह) अल्मोड़ा। 5. राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पिथौरागढ़।
4.	राजकीय बाल देखरेख संस्थान, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह तथा खुला आश्रय गृह में प्रवेश की प्रक्रिया।	संस्थान एवं गृह में बच्चों को उनके पोषण, आवास, चिकित्सा, परामर्श, मनोरंजन, प्रशिक्षण, शिक्षा आदि की निःशुल्क सुविधा दी जाती है। इन सुविधाओं के साथ बच्चों को आवश्यकता के अनुसार [illegible] सेवा सुविधा दी जाती है।	राजकीय बाल देखरेख संस्थान में अनाथ/परित्यक्त बच्चे, परित्यक्त बच्चे, उत्पीड़ित बच्चे, शोषित एवं [illegible] बच्चे। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में विधि विवादित/अपराध का आरोपण करने वाले बच्चे रखे जाते हैं। खुला आश्रय गृह के अन्तर्गत सड़क पर रहने वाले [illegible] बच्चे, [illegible] बच्चे एवं [illegible] बच्चे।	बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के आदेश से संस्थान में [illegible] बच्चों को [illegible] के अनुसार प्रवेश दिया जाता है तथा [illegible] संस्थान से निष्कासन पूर्ण कर सकते हैं। राज्य में [illegible] संस्थान/गृह स्थापित हैं :- राजकीय बाल देखरेख संस्थान-देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा में कुल 08 स्थापित है। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह-बालक देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी, पौड़ी एवं [illegible] में कुल 6 स्थापित हैं। खुला आश्रय गृह-देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार में कुल 03 स्थापित है।
5.	दत्तक बच्चे ग्रहण करने की प्रक्रिया	अनाथ, परित्यक्त, समर्पित बच्चों को माता-पिता कानूनी रूप से दत्तक ले सकते हैं एवं जो माता-पिता बच्चों को गोद लेना चाहते हैं उनको कानूनी रूप से बच्चे दिये जाते हैं।	बच्चों को गोद लेने के लिये भावी माता-पिता की पात्रता :- भावी दत्तक माता-पिता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, उनका जीवन के लिए जोखिम वाली चिकित्सा स्थिति नहीं होनी चाहिये और उन्हें किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य में दोषी न ठहराया गया हो या बाल अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले में आरोपित नहीं होना चाहिए। कोई भी भावी दत्तक माता-पिता उनकी वैवाहिक स्थिति और उनका जैविक पुत्र या पुत्री होने या न होने के बावजूद किसी भी बालक का दत्तकग्रहण कर सकते हैं :- • वैवाहिक दम्पति के मामले में [illegible]	दत्तक बच्चे ग्रहण करने हेतु केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Agency-CARA) की वेबसाइट www.cara.nic.in पर ऑनलाईन पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाईन पंजीकरण हेतु [illegible] दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार के फोटोग्राफ, पैन-कार्ड/जन्म प्रमाण पत्र/आधार/वोटर आईडी/पासपोर्ट, निवास प्रमाण-पत्र, पिछले वर्ष का आय प्रमाण-पत्र, सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची/आय प्रमाण-पत्र/आयकर रिटर्न, विवाह प्रमाण-पत्र, विवाह-विच्छेद डिक्री/पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण-पत्र, भावी माता-पिता का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, किसी चिकित्सा पेशेवर से इस आशय का चिकित्सा प्रमाण-पत्र कि भावी माता-पिता को किसी [illegible] रोग से ग्रस्त नहीं है और वे भावी दत्तक ग्रहण के लिए सक्षम है, एकल भावी दत्तक माता-पिता के मामले में रिश्तेदार से [illegible] घोषणा-पत्र, दत्तक ग्रहण परिवार के बड़ी आयु के बालक व बालकों की सहमति। बच्चे को गोद लेने के पूर्व गृह अध्ययन रिपोर्ट द्वारा गृह अध्ययन (होम स्टडी) की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए [illegible]

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			दत्तक ग्रहण के लिए दोनों पति–पत्नी की सहमति आवश्यक होगी। • कोई भी एकल महिला किसी भी लिंग के बालक का दत्तकग्रहण कर सकती है। परंतु कोई एकल पुरुष बालिका को दत्तकग्रहण का पात्र नहीं होगा। किसी दम्पत्ति का कम से कम दो वर्ष का स्थिर वैवाहिक संबंध न होने पर बालक का दत्तक ग्रहण नहीं किया जाएगा। बालक और भावी दत्तक माता–पिता में से किसी के बीच न्यूनतम आयु का अंतर 25 वर्ष से कम का नहीं होगा। भावी दत्तक माता–पिता, जिन्हें 03 वर्षों के भीतर एक भी अभिहस्तांकन प्राप्त नहीं हुआ है की ज्येष्ठता की गणना रजिस्ट्रेशन की तारीख से की जायेगी।	करते हुए विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में भेजा जाता है जो वर्तमान में अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार में है। जब गोद लेने वाले माता–पिता ऑनलाइन आवेदन करते हैं तथा संबंधित प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उनको उक्त अभिकरणों से बच्चे गोद दिये जाते हैं। • **जिला मजिस्ट्रेट के उत्तरदायित्व –** 1. आवेदन भरने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर दत्तकग्रहण आदेश जारी किया जायेगा। 2. विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान या जिला बाल संरक्षण कार्यालय और बालक के सम्बन्धी परिवार या दत्तकग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिये आवेदन लेना। 3. सम्बन्धित जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा दस्तावेजों की उचित छानबीन के बाद मामले की सुनवाई के लिये आवश्यक प्रबंधन। 4. न्यायालयों के समक्ष लंबित दत्तकग्रहण मामलों से सम्बन्धित सभी मामले नियम 48 के अंतर्गत विनियमों की अधिसूचना की तारीख से जिला मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट किये जायेंगे।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

PR... DEPARTMENT

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।		
1.	स्व रोजगार योजना "अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगारों हेतु"	स्वरोजगार के लिए अनुदान की व्यवस्था है। [illegible] 2,50,000/- है। [illegible]	[illegible] 2,50,000/- से अधिक नहीं हो [illegible]	[illegible]
2.	मुख्यमंत्री हुनर योजना	इस योजना में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है [illegible] रू. 2000/- [illegible] रू. 2800/- [illegible] रू. 4000/- [illegible]	[illegible]	[illegible]

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		माह होने पर रू. 4800/- प्रशिक्षण अवधि 12 माह होने पर प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान किया जाता है। विभाग, प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से होती है तथा प्रशिक्षण में उपस्थिति के अनुसार मानदेय दिया जाता है। उपस्थिति 80 प्रतिशत होनी अनिवार्य है।	प्रशिक्षु भारतीय हो एवं [illegible] सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षणों में कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर/ नेटवर्किंग/ एप्लीकेशन [illegible] के प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता [illegible] उत्तीर्ण हो। परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 1,50,000 एवं शहरी क्षेत्र में रू. 4,50,000 होनी चाहिए।	द्वारा आवेदक को [illegible] हेतु [illegible] किया जाता है। आवेदक को [illegible] होगी। चयन के उपरान्त [illegible] द्वारा [illegible] है। प्रशिक्षण संस्था एवं [illegible] जाते हैं। यदि किसी को प्रशिक्षण [illegible] पूर्व भी [illegible] अल्पसंख्यक [illegible] है ताकि प्रशिक्षण शुरू होने से पहले [illegible] किया जाये।
3.	मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउण्डेशन कन्सेशनल योजना	अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु रू. 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।	अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे छात्र-छात्राएं जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हो, आयु 16 वर्ष से 32 वर्ष के मध्य हो, 12वीं उत्तीर्ण हो, [illegible] विश्वविद्यालय/ कॉलेज/ संस्थान में अध्ययन कर रहे हो/ [illegible] केन्द्र/ राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू. 2,50,000 होनी चाहिए। ऋण प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को शिक्षा पूर्ण करने के 6 माह/ [illegible] के उपरान्त अगले 5 वर्षों में ऋण की वापसी करनी होगी।	आवेदन पत्र जनपदीय कार्यालय से प्राप्त कर जनपदीय कार्यालय में दिनांक 31 अगस्त तक जमा किया जाता है तथा आवेदन [illegible] ऑनलाइन [illegible] है। [illegible] आधार कार्ड, [illegible] निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष की मार्कशीट, कॉलेज/संस्थान में [illegible] की छायाप्रति [illegible] होगी। 02 गारन्टर के [illegible] गारन्टरों के [illegible] होगी। तत्पश्चात जनपदीय कार्यालय द्वारा उक्त आवेदन 15 सितम्बर तक निगम मुख्यालय को प्रेषित किये जाते हैं। [illegible] जनपदवार [illegible] चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं जिन्हें [illegible] चयन समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है एवं ऋण की स्वीकृत धनराशि [illegible] सम्बन्धित [illegible] जाती है। जनपदीय कार्यालय द्वारा सम्बन्धित आवेदक को [illegible] दी जाती है। [illegible] स्वीकृत होते हैं [illegible] जाते हैं।

निदेशालय समाज कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।

क्र.	योजना का नाम	दर	पात्रता/अर्हताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4.	अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100% केन्द्र पोषित)	[illegible] कक्षा 11वीं व 12वीं हेतु– अधिकतम रू 7000/– [illegible] हेतु– अधिकतम रू 10,000/– [illegible] हेतु– अधिकतम रू 3,500/– [illegible] (छात्रावासी–[illegible]/–) (दिवाछात्रावासी–[illegible]/–)	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राएं [illegible]	अल्पसंख्यक समुदाय के [illegible] [illegible] scholarships.gov.in [illegible] [illegible] INO (Institute Nodal Officer) Verify कर आवेदन–पत्रों को SNO (State Nodal Officer) को [illegible] SNO द्वारा [illegible] आवेदन–पत्रों को Random Verify (2% Only) [illegible]
5.	अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना (100% केन्द्र पोषित)	छात्र/छात्राओं [illegible] अधिकतम रू 20,000/– [illegible]	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राएं [illegible]	

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			जो भारी बालों के वार्षिक आय दो लाख पचास हजार से अधिक न हो।	
6.	अल्पसंख्यक कक्षा 9 से 10 तक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100% केन्द्र पोषित)	कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु (डेस्कॉलर/हॉस्टलर्स) छात्र/छात्राओं को मासिक निम्नवत छात्रवृत्ति दी जाती है – प्रवेश शुल्क रु 500/- शिक्षण शुल्क रु 350/- प्रति शैक्षिक वर्ष के अधिकतम 10 माह के लिए ही अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जायेगा।	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राएं जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्र हों एवं पिछली परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, पात्र होंगे। छात्र/छात्रा के अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो।	
7.	अल्प संख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना	राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक के कक्षा 01 से 10 तक निम्नवत छात्रवृत्ति दी जाती है – कक्षा 01 से 5 तक– 50 रु. कक्षा 06 से 8 तक–80 रु कक्षा 9 से 10 तक–120 रु	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राएं जो उत्तराखण्ड राज्य के किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्र हों पात्र होंगे।	
8.	मुख्यमंत्री अल्प संख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना	अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को निम्न प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है – **हाईस्कूल/मुंशी/मौलवी–** 60% से अधिक प्राप्तांक पर रू 10,000/- 70 % से अधिक प्राप्तांक पर रू 15,000/- 80 % से अधिक प्राप्तांक पर रू 20,000/- **इण्टरमीडिएट/आलिम–** 60 % से अधिक प्राप्तांक पर रू 15,000/- 70 % से अधिक प्राप्तांक पर रू 20,000/-	अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी मेधावी छात्रा होगी जो – उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा अथवा मदरसा मुंशी/मौलवी एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत छात्रा के रूप में 60 % या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों। माता/पिता/अभिभावक उत्तराखण्ड के मूल निवासी हों तथा सभी स्रोतों से वार्षिक आय [illegible]	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्रों को भरे जाने हेतु विज्ञापन प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है तथा ऑनलाइन के आवेदन ऑनलाइन लिए जाते हैं। आवेदन फार्म विभागीय कार्यालय से तथा विभागीय वेबसाइट www.minority welfare.uk.gov.in से प्राप्त करने के उपरान्त निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे – अल्पसंख्यक होने का व्यक्तिगत प्रमाण पत्र, निर्धारित आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं [illegible] [illegible]

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
		लेने के उपरान्त रू0 60,000 / – समूह (ख)– AIIMS, IIS बंगलौर, IISAR (कोलकाता एवं बंगलौर) MCI भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज, AICTE (All India Council for Technical Education) द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थान एवं (NITs) राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, BCI(Bar Council of India) द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं CLAT (Common Law Admission Test) हेतु। उपर्युक्त संस्थानों / परीक्षाओं में प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त रू. 80,000 / – दिये जाते हैं।		यदि अभ्यर्थी एक ही वित्तीय वर्ष में दो या अधिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है तो उसे एक ही योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा। यह अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर निर्भर करेगा कि वह किस योजना के तहत लाभ लेना चाहता है।

नोट– अल्पसंख्यक वर्ग – (मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन समुदाय के व्यक्ति / लाभार्थी)

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		[illegible] 25,000/–	51,000/– [illegible] 1,00,000/– [illegible]। [illegible] 30 वर्ष से अधिक न हो। [illegible]	[illegible] है। [illegible]
[illegible]	मुख्यमंत्री [illegible] प्रोत्साहन योजना	[illegible] तैयारी हेतु [illegible] है :– संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु :– प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त तैयारी हेतु रू. 15000/– मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु रू. 25000/– [illegible] लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित [illegible] सेवा [illegible] संयुक्त इंजीनियरी परीक्षा एवं [illegible] सेवा (सिविल) परीक्षा हेतु :– प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त रू. 60,000/– मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु रू. 25000/– राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं [illegible] प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन [illegible] IIT, IIM [illegible] प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा प्रवेश [illegible]	[illegible]	[illegible]

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज राजपुर रोड, देहरादून में श्रमिकों की पुत्रियों का विवाह उपरान्त आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किये। दिनांक 16 सितंबर 2023

श्रम विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / आवश्यकता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया (असंगठित कामगारों का एकीकृत नेशनल डेटा बेस)	ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने पर असंगठित कामगार को ई-श्रम कार्ड प्राप्त होता है जो असंगठित कामगार की पहचान पत्र के रूप में उपयोग होता है। पंजीकरण के उपरांत पंजीकृत कामगार को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 02 लाख का दुर्घटना बीमा प्रथम वर्ष निःशुल्क आवंटन के लिए होता है। राज्य के साथ ही सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाया जा रहा है। ताकि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा असंगठित कामगार को आवश्यकता के लिए कार्य तथा भविष्य में कोविड जैसी आपातकालीन स्थिति में सीधे लाभ पहुंचाया जा सके।	असंगठित कामगार (प्रवासी कामगार, प्लेटफार्म कामगार, घरेलू कामगार, कृषि कामगार, निर्माण श्रमिक, स्वरोजगारी कामगार, फुटपाथ विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर आदि) हो। उक्त कामगार ईपीएफओ/ईएसआईसी के सदस्य न हो तथा उनका आयकरदाता न हो। उक्त असंगठित कामगार की आयु 16-59 वर्ष के बीच हो। ई-श्रम कार्ड हेतु पात्र होंगे।	असंगठित कामगार द्वारा पंजीकरण स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल https://eshram.gov.in पर तथा UMANG ऐप के माध्यम से किया जाता है। पंजीकरण हेतु आधार संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या आवश्यक है। नोट– यदि किसी भी श्रमिक के पास उनका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह अपने नजदीकी CSC में बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण के दौरान कामगार का नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रकार, परिवार के विवरण इत्यादि सूचनाएं मांगी जाती हैं। पंजीकरण के उपरांत ई-श्रम कार्ड बन जाता है, जिसे भविष्य हेतु सुरक्षित रखना होता है।
2.	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)	60 वर्ष की आयु के उपरांत लाभार्थी को रु. 3,000/- की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर पेंशन का 50% जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र होगा। यदि 60 वर्ष से पूर्व लाभार्थी की मृत्यु होती है तो रु. 3000/- मासिक पेंशन हेतु पात्र होगा। यह योजना स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित है। जिसमें लाभार्थी को आवेदन करने के दौरान से ही मासिक अंशदान न्यूनतम रु. 55/- से	18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र के घर-घरेलू श्रमिक, कृषि मजदूर, भवन निर्माण श्रमिक, रेहड़ी वाले, रिक्शा चालक, मजदूर, धोबी, घरेलू श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता इत्यादि जिनकी मासिक आय रु. 15,000/- से कम हो एवं आयकरदाता न हो।	लाभार्थी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अथवा भारत सरकार के पोर्टल https://maandhan.in पर आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के दौरान आधार संख्या, मोबाइल नंबर एवं आधार से लिंक बैंक खाते जिसमें लाभार्थी अंशदान की राशि का भुगतान करना

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		अधिकतम रू0 200/- तक का भुगतान (उम्र के अनुसार मासिक भुगतान विवरण पर आधार ही स्थान के उपरान्त निर्धारित होगा) 60 वर्ष तक करना पड़ता है तथा उतना ही अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।	नई पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना (ESIC) या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) में पंजीकृत न हो।	आवेदक का विकल्प देना होगा तथा नॉमिनी का ब्यौरा/विवरण देना होता है। लाभार्थी प्रथम किश्त/भुगतान नकद अभिदाता जमा करेगा अथवा ऑनलाइन बैंक के माध्यम से जमा करेगा। भुगतान के उपरान्त पेंशन नंबर प्रदर्शित होगा।
3.	**राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders)**	60 वर्ष की आयु के उपरान्त लाभार्थी को रू0 3,000/- की सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। लाभार्थी की मृत्यु पर उत्तराधिकारी पति या पत्नी को 50% मासिक पेंशन हेतु पात्र, पति और पत्नी दोनों के योजना में शामिल होने की स्थिति में वे रू0 6,000/- मासिक पेंशन हेतु पात्र। यह योजना भी स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित है, जिसमें लाभार्थी को आवेदन करने के दौरान से ही मासिक अंशदान न्यूनतम रू0 55/- से अधिकतम रू0 200/- तक का भुगतान (उम्र के अनुसार मासिक भुगतान विवरण के आधार पर नामांकन के उपरान्त निर्धारित होगा) 60 वर्ष तक करना पड़ता है तथा उतना ही अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।	18 से 40 आयु वर्ग के लघु व्यापारी, खुदरा व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों हेतु। सालाना 1.50 करोड़ से कम वार्षिक टर्न ओवर वाले खुदरा व्यापारी/दुकानदार एवं स्व-नियोजित व्यक्ति। लाभार्थी आयकर दाता न हो।	उक्त लाभार्थी पोर्टल पर नामांकन करने के उपरान्त एक स्वीकृति प्रमाण पत्र जनरेट होता है, जिसमें लाभार्थी को स्वीकृति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके पुनः अपलोड करना पड़ता है तथा उसके उपरान्त पेंशन कार्ड जारी होता है, जिसे भविष्य के लिए संभालकर रखना पड़ता है। बैंक द्वारा स्वतः डेबिटिकरण करने के उपरान्त भविष्य में ऑटो डेबिट द्वारा ही अंशदान कटने लगता है। उक्त योजना का वित्तीय प्रबन्धन पेंशन फण्ड मैनेजर – भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है।

****

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं भुगतान प्रक्रिया
1.	श्रमिक कार्ड एवं श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण	भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की समस्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु यह कार्ड अनिवार्य है। यह कार्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार की पहचान के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।	[illegible]	[illegible]
1.	पुत्र/पुत्री शिक्षा सहायता	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/[illegible]	आवेदन प्रक्रिया एवं भुगतान प्रक्रिया
		प्रदान की जाती है – कक्षा 1 से 8 तक रू0 1,800/– कक्षा 9 से 10 तक रू0 2,400/– कक्षा 11 से 12 तक रू0 3,000/– स्नातक, परास्नातक अथवा उसके समकक्ष उपाधि रू0 10,000/– व्यावसायिक पाठ्यक्रम/कोर्स करने पर जैसे [illegible] पॉलीटेक्निक एवं उच्च शिक्षा हेतु कोर्स की फीस [illegible] /[illegible] के अनुसार देय होगी।	श्रमिक के 02 बच्चों हेतु। [illegible] कक्षा 1 से [illegible] कक्षाओं में प्रवेश लिया हो [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाना [illegible]। शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता [illegible] में ही दी जाती है।	[illegible] की [illegible] 31 के लिए आवश्यकता नहीं। [illegible] द्वारा [illegible] होने का प्रमाण–पत्र [illegible]। [illegible] से किसी अन्य विभाग/संस्थान से सहायता न ली गई हो का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होता है। [illegible] विभाग द्वारा जांच की जाती है [illegible] सम्पूर्ण [illegible] आर्थिक सहायता [illegible] [illegible] की जायेगी।
3	टूल-किट सहायता	रू0 10,000/– की सीमा तक टूल-किट सहायता दी जाती है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, कार्यक्षेत्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। विभागीय जांच के उपरान्त निर्माण श्रमिक को टूलकिट [illegible] [illegible] निर्माण [illegible] टूल किट दिए जाते हैं। सम्पूर्ण [illegible] में केवल 01 बार [illegible] को लाभ मिलेगा।
4	साइकिल/ सिलाई मशीन सहायता	[illegible] श्रमिकों को [illegible] [illegible] निर्माण श्रमिकों [illegible] सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उनके आश्रित।	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड तथा [illegible] प्रमाण–पत्र संलग्न करना होता है। विभागीय जांच में सही पाए जाने के उपरान्त साइकिल/सिलाई मशीन विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों को [illegible] की जाती है। यह सम्पूर्ण [illegible] में केवल एक बार दी जाती है।
5	सौर ऊर्जा सहायता	सौर ऊर्जा लाईट/ [illegible] [illegible] एक–[illegible] एवं [illegible]	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, कार्यक्षेत्र प्रमाण पत्र, [illegible] किसी अन्य विभाग से लाभ न लिए जाने

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं प्रदान प्रक्रिया
		पत्नी के लिए [illegible] आपूर्तिकर्ता से [illegible] [illegible] होगा।	श्रमिक के [illegible] को।	का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। विभागीय जांच में सही पाये जाने के उपरान्त बोर्ड द्वारा [illegible] आपूर्तिकर्ता/डीलर से उपलब्ध कराई जाती है। यह सम्पूर्ण सेवाकाल में केवल एक बार श्रमिक को मिलता है।
6.	[illegible] सहायता	[illegible] हेतु [illegible] उपलब्ध कराया जाता है।	उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, [illegible] प्रमाण पत्र, इस आशय से किसी अन्य विभाग से लाभ न लिए जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। विभागीय जांच में सही पाये जाने के उपरान्त [illegible] द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यह सम्पूर्ण सेवाकाल में केवल एक बार श्रमिक को मिलता है।
7.	सैनेट्री नैपकिन	निःशुल्क सैनेट्री नैपकिन उपलब्ध कराया जाता है।	उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बालिकाओं एवं महिला श्रमिकों हेतु।	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, [illegible] इस आशय से किसी अन्य विभाग से लाभ न लिए जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। [illegible] द्वारा सैनेट्री नैपकिन उपलब्ध कराया जाते हैं।
8.	शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता (02 किस्तों में)	कुल रू0 12,000/- की धनराशि दी जाती है जो दो किस्तों में दी जाती है प्रथम किस्त रू0 8,000.00 एवं द्वितीय किस्त रू0 4,000.00	उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन के [illegible] श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, [illegible] प्रमाण पत्र, बैंक खाता [illegible] के लिए [illegible] शौचालय निर्माण [illegible] श्रमिक की एक फोटो [illegible] शौचालय [illegible] [illegible] संलग्न करना चाहिए। जिस स्थान पर शौचालय निर्माण होना है, उसका [illegible] (खतौनी/रजिस्ट्री आदि) अथवा भूमि [illegible] प्रमाण [illegible] संलग्न करने होंगे। किसी अन्य योजना से [illegible] लाभ न लिए जाने एवं अन्य विभाग से लाभ हेतु आवेदन न किये जाने का शपथ पत्र [illegible] संलग्न होगा है। विभागीय जांच में सही पाये जाने पर प्रथम किस्त का भुगतान [illegible] किया जाता है तथा निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त [illegible] दूसरी किस्त के लिए [illegible] के साथ आवेदन करना पड़ता है तथा दूसरी किस्त रू0 4000/- भुगतान की जाती है।
9	भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु	भवन क्रय/ निर्माण हेतु रू0 50,000/- की धनराशि ब्याज के रूप में [illegible] [illegible] निर्माण [illegible] हेतु प्रदान की जाती	उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक। भवन क्रय निर्माण हेतु [illegible] भवन [illegible]	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, बैंक [illegible] द्वारा इस आशय से किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न ली गयी हो, का [illegible] प्रमाण पत्र, [illegible] प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। विभागीय जांच में सही पाये जाने पर [illegible] धनराशि भुगतान की जाती है

PROGRAMME IMPLEMENT

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/दस्तावेज	आवेदन प्रक्रिया एवं भुगतान प्रक्रिया
		है। इस ऋण पर ब्याज की दर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज ली जाती है।	लिए आवेदक को मकान/भूमि के स्थिति का प्रमाण होना तथा आवेदक/लाभार्थी की आयु 18 वर्ष का होना आवश्यक है।	किश्त का भुगतान 6 मासिक किश्तों में श्रमिक द्वारा भुगतान किया जाता है। ऋण स्वीकृत होने की तिथि से 36 माह में भवन पूर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा। ऋण की वसूली बोर्ड द्वारा निर्धारित किश्तों में की जाएगी।
10.	प्रसूति आर्थिक सहायता	रु. 6 हजार प्रति पुत्र/पुत्री (अधिकतम दो) पुत्र/पुत्री हेतु दी है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्र/पुत्री (केवल 2) हेतु। महिला निर्माण श्रमिक।	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड तथा प्रसूति के संबंध में चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न लेने का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र तथा स्वघोषणा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदन प्रसूति की तारीख से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। यह सुविधा 02 बच्चों के जन्म पर ही दी जाती है। 3 बच्चे के जन्म पर यह सुविधा नहीं दी जाएगी। आवेदन के उपरान्त विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक के खाते में धनराशि का भुगतान किया जाता है।
11.	पुत्री विवाह आर्थिक सहायता	रु. 51 हजार प्रति विवाह (दो पुत्रियों/स्वयं के विवाह हेतु)।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनकी 2 पुत्रियों के विवाह हेतु।	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, श्रमिक का बैंक खाता, शादी का कार्ड, वर-वधु के आधार कार्ड तथा विवाह होने के उपरान्त पंजीकरण प्रमाण पत्र, किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न लेने का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र तथा स्वघोषणा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आवेदन विवाह की तिथि से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के उपरान्त विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक के खाते में धनराशि का भुगतान किया जाता है।
12.	विकलांगता पेंशन	रु. 1,000/- प्रति माह एवं अनुग्रह राशि रु. 40,000/- दी जाती है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो अचानक दुर्घटना या शारीरिक दुर्बलता आदि के कारण स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों।	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, स्थाई रूप से विकलांग होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित सी0एम0एस0/सी0एम0ओ0 द्वारा बनाया गया हो, किसी भी योजना का लाभ न लिये जाने का शपथ पत्र, स्वघोषणा प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। श्रमिक को स्थायी रूप से विकलांग होने की तिथि से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के उपरान्त विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक के खाते में प्रतिमाह रु. 1000/- तथा अनुग्रह राशि एकमुश्त रु. 40 हजार का भुगतान किया जाता है।
13.	वृद्धा पेंशन	रु. 1,000/-	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / शामिली	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	(60 वर्ष पूर्ण होने पर)	प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।	सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।	आवेदन के दौरान श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक, स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र तथा किसी भी योजना का लाभ प्राप्त न किये जाने का शपथ पत्र की आवश्यकता होती है। विभागीय जांच/परीक्षण में सही पाये जाने पर पेंशन प्रत्येक माह [illegible] मिलने लग जाती है तथा 6 माह पर श्रमिक को जीवित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
14.	वृद्धा पेंशन (60 वर्ष पूर्ण होने पर)	रू. 1,500.00 प्रतिमाह।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ पूर्व श्रमिक कार्ड एवं बोर्ड से पेंशन प्राप्त करने संबंधी प्रमाण-पत्र, स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र, किसी भी योजना का लाभ प्राप्त न किये जाने का शपथ पत्र संलग्न करना होता है। विभागीय जांच/परीक्षण में सही पाये जाने पर पेंशन मिलने लग जाती है।
15.	कुटुम्ब पेंशन	रू. 900.00 प्रति माह या पेंशनभोगी की पेंशन का 50% जो भी अधिक हो।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो पेंशनभोगी हो, उसकी मृत्यु होने की दशा में पति/पत्नी को मिलेगी।	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन के दौरान स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र, मृतक श्रमिक का श्रमिक कार्ड, मृतक श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि संलग्न करने होंगे। कुटुम्ब पेंशन हेतु आवेदन पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि से 03 माह के भीतर आवेदन करना होगा। विभागीय जांच/परीक्षण में सही पाये जाने पर पेंशन मिलने लग जाती है।
16.	दुर्घटनावश आर्थिक सहायता	रू. 2 लाख (सामान्य मृत्यु होने पर) रू. 04 लाख (दुर्घटना में घायल मृत्यु की दशा में)	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को, जिनके नाम नामिनि के रूप में श्रमिक कार्ड में उल्लिखित हो।	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत निर्माण श्रमिक के नामित आश्रित द्वारा किया जायेगा, जिसका नाम श्रमिक के श्रमिक कार्ड में उल्लिखित हो। श्रमिक की मृत्यु की तिथि से 01 साल के अन्तर्गत आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के दौरान स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र, मृतक श्रमिक का श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, दुर्घटना होने की स्थिति में दुर्घटना संबंधी प्रमाण, आश्रित का आधार कार्ड एवं बैंकखाता विवरण संलग्न करना होगा तथा किसी अन्य योजना से यह लाभ प्राप्त न किये जाने का शपथ पत्र भी लगाना होगा। विभागीय जांच/परीक्षण में सही पाये जाने पर आर्थिक सहायता मिल जाती है।

****

PROGRAMME

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / मानकी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय अन्न योजना-मुख्य की उपयन कार्ड)	प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न (13.3 गेहूं रू0 2.00 प्रति किग्रा की दर से, 21.7 किलोग्राम चावल रू0 3.00 प्रति किग्रा की दर से) अथवा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड रू0 13.5 प्रति किग्रा की दर से दिया जाता है। वर्तमान में 31 जनवरी 2023 से राशनकार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।	राज्य का अन्त्योदय वर्ग का परिवार/व्यक्ति – • ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य का [illegible] ... तथा परिवार की मासिक आय रू0 4,000/- से कम हो ऐसे परिवारों को भी अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत रखा जायेगा। • टी0बी0/एच0आई0वी0 ग्रसित व्यक्तियों को अन्त्योदय प्राथमिकता दी जायेगी।	अन्त्योदय अन्न योजना हेतु [illegible] निर्धारित है। **अन्त्योदय श्रेणी से नाम हटाने की प्रक्रिया–** [illegible] अन्त्योदय श्रेणी से हटाया जाता है। **अन्त्योदय श्रेणी में नाम जोड़ने की प्रक्रिया–** [illegible]

PROGRAMME IMPLEMENTATION

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				परिवार का राशन कार्ड बनाया जाता है। संबंधित प्रखंड विकास पूर्ति अधिकारी/ पूर्ति निरीक्षक/ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय के 10 दिन के भीतर जाँच कर राशन कार्ड प्राप्त कर सकेगा है। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव न होने की स्थिति में उक्त दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा करेगा। खंड विकास ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय द्वारा जाँच कर जाँच में पात्रता पाये जाने पर निःशुल्क होने पर डिजिटलाइजेशन किया जाता है।
2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार–पात्र गृहस्थी राशन कार्ड)	प्रति यूनिट 5.00 किग्रा० खाद्यान्न (02 किग्रा० गेहूँ रू0 2.00 प्रति किलो की दर से 3 किग्रा० चावल रू0 3.00 प्रति किलो की दर से) वर्तमान में 01 जनवरी 2023 से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।	ऐसा परिवार जिसकी मासिक आय रू0 15,000 से कम/ अन्त्योदय राशन कार्ड न हो। अहिवासी तथा सीमांत जोतों में निवासरत आदिवासी परिवार/ विधवा महिला/ अकेली महिला/ असहाय रोगों से पीड़ित व्यक्ति/ दिव्यांग व्यक्ति/ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो परिवार के मुखिया हो परन्तु मासिक आय रू0 15,000/– से कम हो। ऐसा परिवार जिसके पास एकाधिक आजीविका में कुल सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल 2 है0 से कम हो अथवा 1 है0 सिंचित तथा 2 है0 असिंचित से कम हो अथवा कुल क्षेत्रफल 4 है0 असिंचित भूमि से कम हो। ऐसे व्यक्ति जो रिक्शा चालक, कुली, मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, मोची, लोहार, बढ़ई, ग्रामीण दस्तकार, घरों में काम करने वाले सेवक/ सेविका, सफाई कर्मी का कार्य करते हो। ऐसा परिवार जो किसी अन्य किसान की लेकिन उसकी भूमि पर खेत जोतता है। शहरी क्षेत्रों में स्थापित मलिन एवं झुग्गी झोपड़ी में निवासित ऐसी आबादी जो शहरी सामान्यतः की रीति पर उसके सस्ते एवं सामुदायिक तरह से उस स्थान पर निवास करता हो। ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय पर	ऐसा राशन कार्ड बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ववत् राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया के अनुरूप होगी परन्तु दस्तावेजों के साथ रू0 15,000/– से कम का आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है तथा पात्रता हेतु क्रमांक 4 में अंकित है उनको वरीयता प्रदान की जाती है, जो संबंधित प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराने होंगे। इस योजना हेतु परिवार की मासिक आय रू0 15,000/– से कम होनी चाहिए।

क्र०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/मापदण्ड	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			आयकर विभाग की देयता न बनती हो। ऐसे व्यक्ति जो बेघर हों तथा आध्यात्मिक धर्म से पृथक होकर, संगठन या आश्रम में रहकर जीवन यापन करते हों यथा विधवा आश्रम, नारी/ महिला सुधार गृह, भिक्षुक गृह, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, मानसिक रोगों से पीड़ितों का आश्रम, चिकित्सा एवं कुष्ठाश्रम। उपरोक्त मानक के अनुसार चिन्हित करने के उपरान्त अवशेष पात्र परिवारों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर बनायी बी०पी०एल० सूची में से न्यूनतम प्राप्त प्राप्तांक से ऊपर के क्रम से किया जायेगा।	
2.	राज्य खाद्य योजना (पीला राशन कार्ड)	प्रति राशन कार्ड धारकों को 7.50 किलोग्राम चावल प्रति माह रू0 11.00 प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जा रहा है।	ऐसा परिवार जिसकी आय 05 लाख वार्षिक या उससे कम हो इस योजना के लिए पात्र होगा।	इस प्रकार के राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदक द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/ जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन के साथ परिवार के समस्त सदस्यों का आधार कार्ड, मुखिया की फोटो, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता, बैंक पासबुक, वोटर आई०डी० कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बिजली का बिल सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी /जिला पूर्ति कार्यालय/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में जमा करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा इसका भाव अपनी सिफारिश के साथ भेजा जाता है तथा संस्तुति सहित खाद्य आपूर्ति विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर डिजिटाइजेशन किया जाता है। सम्बन्धित क्षेत्रीय जिला पूर्ति कार्यालय से 10 दिन के भीतर सम्पर्क कर राशन कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। यदि सम्बन्धित राशनकार्ड धारक की आय अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इस बाबत सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को दी जायेगी। इसके उपरान्त विभाग द्वारा सम्बन्धित कार्ड धारक को इस योजना से बाहर किया जाता है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा भी समय-समय पर सत्यापन भी निरीक्षण किया जाता है तथा गलत सत्यापन के उपरान्त गलत पाये जाने पर भी हटाने की कार्यवाही की जाती है। किसी व्यक्ति द्वारा सूचना देने

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

गृह (पुलिस) विभाग, उत्तराखण्ड

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				खाद्य विभाग द्वारा संबंधित कार्डधारक की जांच की जाती है तथा जांच में सूचना सही पाये जाने पर संबंधित कार्ड धारक को राशन कार्ड निर्गत किया जाता है।
4.	मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना	वर्ष में 03 गैस सिलेण्डर निःशुल्क रिफिल।	राज्य के अन्त्योदय राशनकार्ड धारक (पुराने कार्ड)।	जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा क्षेत्र की संबंधित गैस एजेन्सी को अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों की सूची उपलब्ध करायी जाती है। अन्त्योदय राशन कार्ड धारक द्वारा सम्बन्धित गैस एजेंसी से अपने राशन कार्ड का विवरण, आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण एजेंसी में लिंक कराने के उपरान्त निःशुल्क सिलेण्डर का लाभ लिया जा सकता है। अन्त्योदय राशन कार्ड धारक द्वारा प्रत्येक 04 माह में 01 निःशुल्क सिलेण्डर प्राप्त करने हेतु पहले गैस का पूरा मूल्य गैस एजेन्सी जमा कर सिलेण्डर प्राप्त किया जायेगा। तदोपरान्त, गैस की धनराशि सीधे उपभोक्ताओं के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से शासन भुगतान की जाती है।
5.	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	गरीब परिवार को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।	गरीब परिवार की ऐसी महिला मुखिया को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिलता है जिनका पूर्व से कोई गैस कनेक्शन न हो तथा एस0सी0/एस0टी0 जाति/जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी, अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थी (पुराने राशनकार्ड धारक), एस0ई0सी0सी0 ... सहित कोई गरीब परिवार जो 14 बिंदुओं के अनुसार निर्धारित है, की महिला हो।	केवाईसी अनुसार ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन न हो, उस परिवार की महिला के नाम से कनेक्शन निर्गत किया जायेगा। इसके लिए परिवार रजिस्टर/राशन कार्ड में दर्ज व्यक्तियों के आधार के साथ निकटतम गैस एजेन्सी में आवेदन किया जा सकता है।

****

PROGRAMME DEPARTMENT

गृह (पुलिस) विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / अर्हताएँ	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनकी विधवाओं की मासिक / पारिवारिक पेंशन।	रूपये 25,000/– मासिक / पारिवारिक पेंशन दी जाती है।	उत्तराखण्ड राज्य के मूलनिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा उनकी विधवा।	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनकी विधवाओं को आवेदन का प्रपत्र जिलाधिकारी कार्यालय से [illegible] प्राप्त होता है। आवेदन के प्राप्त [illegible] हेतु [illegible] अभिलेखों का [illegible] स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों [illegible] 1979 [illegible] है। [illegible] जिला कलेक्टर [illegible] आवेदन प्रस्तुत किये जाना होगा। जिलाधिकारी द्वारा [illegible] का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जाती है [illegible] है।
2	उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रथम पीढ़ी के सभी जीवित आश्रित उत्तराधिकारियों को सम्मिलित रूप से अनुमन्य "सम्मान पेंशन" की योजना।	अतिरिक्त रूपये 4,000/– "सम्मान पेंशन" दी जाती है।	उत्तराखण्ड प्रदेश के मूलनिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रथम पीढ़ी के सभी जीवित आश्रित उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे।	[illegible] जिला कलेक्टर के कार्यालय में आवेदन [illegible] है [illegible] आवेदन [illegible] जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, [illegible] जिला कलेक्टर [illegible] पेंशन स्वीकृत की जायेगी। [illegible] स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रथम पीढ़ी के सभी जीवित आश्रित उत्तराधिकारी [illegible] प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारी [illegible] सम्मिलित रूप से पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।
3	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पुत्रवधु को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा।	उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा है।	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विधवा पुत्रवधु होना आवश्यक है और उसका [illegible] परिचय पत्र होना अनिवार्य है।	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विधवा पुत्रवधु को परिचय पत्र बनाने हेतु संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय में [illegible] आवेदन हेतु [illegible] प्रस्तुत करना होगा तथा तत्पश्चात् जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा उन्हें परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा। परिचय पत्र के आधार पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की जा सकती है।
4	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान [illegible] दिन जेल गये अथवा घायल हुये	अतिरिक्त रूपये 6,000/– पेंशन दी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान [illegible] दिन जेल गये अथवा घायल हुए आन्दोलनकारियों जो किसी सरकारी सेवायोजित नहीं हो सके।	संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा, आवेदन हेतु कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है। आन्दोलनकारियों की [illegible] परिचय पत्र बनाने के उपरान्त ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने

न्याय विभाग (उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)

PROG

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं प्रदाय प्रक्रिया
	आन्दोलनकारियों की पेंशन।	जाती है।		हेतु पात्र होंगे। उक्त श्रेणी के अन्तर्गत राज्य आन्दोलनकारी चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–777/XX(4)/24-05/05/2004-03 दिनांक 22.10.2004 तथा अन्तिम शासनादेश संख्या 1962/बीस-4/2017-3(13)/2011 दिनांक 01.12.2017 में निहित मानकों के पूर्ण होने पर ही चिन्हीकरण किया जाना। आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट की संस्तुति/आख्या के क्रम में मा. विभागीय मंत्री/मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी। **चिन्हीकरण**– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को जिलाधिकारियों एवं उनके द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा चिन्हित किया जाता है तथा चिन्हीकरण अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है– एलआईयू की रिपोर्ट, पुलिस के अन्य अभिलेख यथा जेल जाने के प्रमाण-पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.), जिस समय में भी घायल हो चिकित्सालय की रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेखों पर आधारित सूचना जिसकी स्थानिक जिलाधिकारी द्वारा पुष्टि की जाये, के फलस्वरूप ही चिन्हीकरण हेतु निर्णय लिया जाता है।
5	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन योजना।	रूपये 4,500/– प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न समस्त ऐसे चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों, जिन्हें आन्दोलनकारी पेंशन अथवा किसी अन्य सरकारी स्रोत से पेंशन अनुमन्य नहीं थी अथवा है सरकारी सेवा में सेवायोजित नहीं थे को मासिक पेंशन अनुमन्य होगी।	सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाकर प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होगा। प्रार्थना पत्र के साथ वांछित अभिलेख जमा करने होंगे, तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से जांच के उपरान्त ही पेंशन स्वीकृत की जायेगी।
6	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों (पति/पत्नी) को आन्दोलनकारी की मृत्यु	रूपये 4,500/– प्रतिमाह आश्रितों को पेंशन दी जाती है।	राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न समस्त ऐसे चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों, जिन्हें आन्दोलनकारी पेंशन या किसी अन्य सरकारी स्रोत से पेंशन अनुमन्य नहीं थी या है सरकारी सेवा में सेवायोजित नहीं थे के आश्रितों	सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाकर प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होगा। प्रार्थना पत्र के साथ वांछित अभिलेख जमा करने होंगे, तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से जांच के उपरान्त ही पेंशन स्वीकृत की जायेगी।

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	सम्मान पेंशन योजना।		(पति/पत्नी) होंगे।	
7	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त हुए राज्य आन्दोलनकारियों की विशेष सम्मान पेंशन योजना।	प्रतिमाह रूपये 20,000/- विशेष सम्मान पेंशन दी जाती है।	लाभार्थी वे होंगे जो उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त (Bedridden) हुए हों।	सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के क्रम में मा0 विभागीय मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी। आवेदन हेतु प्रारूप उपलब्ध नहीं है किन्तु इस सम्बन्ध में विशेष सम्मान पेंशन हेतु आवेदक को पूर्णतः शय्याग्रस्त (Bedridden) होने के सम्बन्ध में स्टेट मेडिकल बोर्ड/ मेडिकल कॉलेज द्वारा निर्गत प्रमाण- पत्र के साथ सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया होगा।
8	आपातकालीन अवधि (दिनांक-25.06.1975 से दिनांक-21.03.1977 तक) में मीसा / डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों को "लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन" योजना।	प्रतिमाह रूपये 20,000/- "लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन" दी जाती है।	लाभार्थी वे होंगे जो आपातकालीन अवधि (दिनांक-25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में मीसा/ डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध रहे हों।	सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के क्रम में मा0 विभागीय मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी।
9	आपातकालीन अवधि (दिनांक-25.06.1975 से दिनांक-21.03.1977 तक) में मीसा / डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों की विधवा पत्नी अथवा विधुर पति को "लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन" योजना।	प्रतिमाह रूपये 20,000/- "लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन" दी जाती है।	लाभार्थी आपातकालीन अवधि (दिनांक-25.06.1975 से दिनांक-21.03.1977 तक) में मीसा/ डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध रहे लोकतन्त्र सेनानियों की विधवा पत्नी अथवा विधुर पति होंगे।	सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के क्रम में मा0 विभागीय मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी। आवेदन हेतु प्रारूप उपलब्ध नहीं है। आवेदन हेतु साक्ष्य के रूप में आवेदक/आवेदिका को इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि उनके स्व0 पति/पत्नी लोकतंत्र सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे थे अथवा वे आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध/जेल रहे।

****

न्याय विभाग (उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता देना।	निःशुल्क विधिक सेवा के लिए पात्र व्यक्ति जिनका कोई मामला न्यायालय में लम्बित है या दायर किया जाना है या किसी मामले में बचाव करना है, इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति से वैसे ही निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने का हकदार होगा।	निःशुल्क विधिक सहायता हेतु निम्न व्यक्ति पात्र होंगे :- - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी व्यक्ति। - संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यापार/बेगार के शिकार व्यक्ति। - सभी महिलाएं एवं बच्चे। - सभी दिव्यांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति। - अनुचित [illegible] जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं सूखा, भूकम्प, औद्योगिक आपदा जैसी दैविक आपदा से पीड़ित व्यक्ति। - औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर। - जेल/कारागार/अभिरक्षा गृह/ किशोर गृह एवं मनोचिकित्सकीय अस्पताल या मनोचिकित्सकीय गृह में निरुद्ध सभी व्यक्ति। - बुजुर्ग व्यक्ति। - ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्ति/ वरिष्ठ नागरिक। - एच.आई.वी./एड्स प्रभावित व्यक्ति। - ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू. 3,00,000 (रू. तीन लाख) से कम हो। नोट :- क्रम संख्या-1 से 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिए आर्थिक	निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में एक न्यायालय विधिक सेवा समिति, समस्त जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील स्तर पर विधिक सेवा समितियां स्थापित हैं। मा0 उच्च न्यायालय परिसर (गेट नम्बर-7) में फ्रंट ऑफिस स्थापित है जहां पर कार्य दिवस को [illegible] उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल के दूरभाष नम्बर-05942/237208 पर सम्पर्क कर विधिक सहायता/परामर्श लिया जा सकता है। राज्य प्राधिकरण के द्वारा संचालित की विधिक सहायता हेल्प लाइन नम्बर 15100 और टोल फ्री नम्बर 1800 180 4000 संचालित हैं, जिन पर कॉल कर विधिक सहायता/परामर्श लिया जा सकता है। निःशुल्क विधिक सहायता हेतु यदि कोई व्यक्ति नागरिक/महिला/ बच्चे [illegible] में आने/ ऑनलाइन कार्य नहीं कर सकने में असमर्थ हों उन स्थिति में [illegible] वीडियोकॉल [illegible] जो राज्य के सभी जिलों में [illegible] स्थित है, जिनकी सूची [illegible] वेबसाइट https://slsa.uk.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। जिला स्तर पर प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में फ्रंट ऑफिस स्थापित है जहां पर अधिवक्ता स्तर के उपस्थित होकर या आकर [illegible] विधिक सहायता/परामर्श लिया जा सकता है। [illegible] इस लिंक पर जाकर भी निःशुल्क विधिक सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑफलाइन आवेदन फार्म राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखण्ड की वेबसाइट https://slsa.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। पात्र आवेदक को कार्य हेतु हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :- आवेदक यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/एस.सी./एस.टी. है तो जाति प्रमाण-पत्र, दिव्यांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी/जिला प्रशासन द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण-पत्र, ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू. 3,00,000 (रू. तीन लाख) या उससे कम हो तो आय प्रमाण-पत्र/शैक्षिक प्रमाण पत्र [illegible] आवश्यक है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			आयु की कोई सीमा नहीं है।	
2.	बहु उद्देशीय शिविरों/ जन जागरूकता शिविर/ चिकित्सा शिविरों/ विधिक सेवा शिविरों का आयोजन	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समितियों तथा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बहुउद्देशीय शिविर, जागरूकता कार्यक्रम तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है।	सम्बन्धित कार्यक्रमों के अनुसार समाज के सभी वर्गों के व्यक्ति/ महिला/ बच्चे। विभिन्न जनपदीय क्षेत्र के व्यक्तियों, मानसिक रूप से बीमार और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, एसिड हमले के पीड़ित व्यक्तियों, तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ित व्यक्तियों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। साथ ही सरकारी जनकल्याण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने हेतु बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाता है। उक्त शिविर समस्त जिलों की तहसीलों में आयोजित होते हैं।	जन-जागरूकता कार्यक्रम, बहुउद्देशीय शिविर, विधिक सेवा शिविर एवं जागरूकता शिविर/ चिकित्सा शिविर का आयोजन किये जाने से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार किया जाता है तथा सम्बन्धित क्षेत्र/ ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों/ ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों को सूचना प्रदान की जाती है ताकि स्थानीय जनता बहुउद्देशीय शिविरों/ जनजागरूकता शिविरों का लाभ प्राप्त कर सके। इन शिविरों में प्रवेश निःशुल्क होता है तथा बहुउद्देशीय शिविरों में कोई भी व्यक्ति आकर अपनी समस्या एवं शिकायत आदि कानूनी सहायता हेतु प्रार्थना पत्र भी सम्बन्धित शिविर में जमा कर सकते हैं। शिविरों के आयोजन हेतु https://slsa.uk.gov.in से इसकी भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
3.	विशेष अभियान – [illegible]	सम्बन्धित योजना/ अभियान के अन्तर्गत समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को जनकल्याणकारी योजनाओं, उनके कानूनी अधिकारों तथा इन जनकल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच, कौशल विकास, व्यवसाय, नौकरी और वित्तीय सहायता, सुरक्षा एवं संरक्षण के बारे में डोर-टू-डोर कार्यक्रम आयोजित	उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा राज्य के समस्त पीड़ित नागरिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग तथा अन्य निराश्रितों के लिए एक विशेष अभियान आयोजित किया गया है।	प्रत्येक जिले के जनपद न्यायालय परिसर में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिले के प्रत्येक तहसील न्यायालय व प्रत्येक तहसील स्तर पर नियुक्त अधिकारी, पारा लीगल वालेंटियर्स और पैरा लीगल वालेंटियर्स (Para-Legal Volunteers) को एक से तीन दिनों प्रशिक्षित किया जाता है ताकि उनके द्वारा एक भी कोई व्यक्ति छूटे तो वह उनकी मदद कर सकें। आवश्यकता पड़ने पर पैरा लीगल वालेंटियर्स द्वारा डोर-टू-डोर जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो वह अपने क्षेत्र के लीगल हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। लीगल हेल्पडेस्क का उद्देश्य होगा कि वह बुजुर्गों/ दिव्यांग/ निराश्रितों की मदद करें। लीगल हेल्पडेस्क का एक मोबाइल नम्बर

बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय बनियावाला, देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित "अक्षरोत्सव" कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।

दिनांक 11 अप्रैल, 2023

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/मापदण्ड	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		कराये जाते हैं।		वेबसाइट https://slsa.uk.gov.in में उपलब्ध है।
4.	'उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020'	योजना में पीड़ित महिलाओं को न्यूनतम 3 लाख से अधिकतम 10 लाख तक की आर्थिक सहायता/प्रतिकर के रूप में तत्काल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मुकदमे का आवेदन राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त होने पर पीड़िता/आश्रित को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा उपचार निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का आदेश पारित कर सकता है या रु 5000/- अथवा 10,000/- जैसी आवश्यकता हो, सदस्य-सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समुचित निर्णय लिया जायेगा। यदि कोई तेजाब हमला/एसिड हमले की पीड़ित महिला एवं उसके आश्रित अपराधी से क्षतिपूर्ति भी ले तो वह मुआवजे की समेकित धनराशि की हकदार होगी।	सामूहिक बलात्कार, बलात्कार, अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न, अपराधों के कारण गर्भावस्था, भ्रूण [illegible] अथवा अपराध के कारण मृत्यु, शारीरिक चोट, विकलांगता, मानसिक आघात आदि या मानसिक आघात जिसमें पुनर्वास की आवश्यकता हो। तेजाब से हमला पीड़ित, एसिड हमले से पीड़ित व्यक्ति की स्थिति में उसके आश्रित/उसके आश्रित प्रतिकर को प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।	प्रतिकर की धनराशि का भुगतान कराया जाता है, इस योजना अंतर्गत पीड़ित को अपराध के बाद तत्काल राहत देने हेतु सुविधा प्रदान किया जाता है जिसमें निःशुल्क चिकित्सा उपचार का आदेश किया जा सकता है अथवा जैसी आवश्यकता हो, रु 10,000/- तक की धनराशि दी जा सकती है। पूर्ण अंतिम प्रतिकर-इसमें पीड़ित एवं आश्रित की स्थिति के अनुसार रु 3 लाख से 10 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अंतरिम प्रतिकर हेतु अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण के पश्चात स्वयं पीड़ित, पुलिस अधिकारी/पुलिस अधीक्षक/थानाधिकारी/प्रभारी पुलिस चौकी/क्षेत्र संबंधी अधिकारी आदि से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करेंगे, ताकि पात्र व्यक्ति को अंतरिम प्रतिकर प्रदान करने हेतु जाँच करके या प्राथमिक आकलन कर तत्काल एवं पात्र को पीड़ित को तत्काली सुविधा प्राप्त हो सके। साथ ही पीड़िता/आश्रित अपराध होने के पश्चात् [illegible] पुलिस अधीक्षक द्वारा की प्रति, चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ जिला विधिक/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा ऑनलाइन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट के विधिक सहायता पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अंतिम प्रतिकर प्राप्त करने हेतु पीड़िता/उसके आश्रित अथवा नामित द्वारा उनकी ओर से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए प्रथम सूचना की रिपोर्ट, चार्जशीट, चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिस कोर्ट में वाद लंबित है का विवरण, यदि केस निर्णीत हो गया हो तो उसकी प्रति, यदि वाद विचाराधीन है तो उसकी स्थिति, पूर्व में अंतरिम सहायता प्राप्त की हो तो उसकी सम्बंधी आदेश, मृत्यु होने पर [illegible] के विवरण संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने होंगे। अथवा ऑनलाइन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट के विधिक सहायता पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उसके उपरान्त सक्षम अधिकारी/समिति द्वारा जाँच कर प्रतिकर पीड़िता/आश्रित को सुविधा प्रदान की जाती है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				यदि पीड़िता/आश्रित को कानूनी ज्ञान न होने के कारण आवेदन करने में दिक्कत हो तो, तत्संबंधी सहायता हेतु पैरा लीगल वॉलंटियर, पैनल अधिवक्ता की निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। पैरा लीगल वॉलंटियर, पैनल अधिवक्ता की सूची राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट में उपलब्ध है।
5.	'विधिक सेवा यान' का संचालन / कार्यान्वित यान।	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मोबाईल वैन 'विधिक सेवा यान' को जन-आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक एक माह में दो से तीन जनपदों के दूर दराजी क्षेत्र में लेकर दुरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के लिए भेजा जाता है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रोजेक्टर द्वारा दिखाया जाता है। विभिन्न विषयों पर प्रकाशित 'सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तक' निःशुल्क वितरित की जाती है।	जिस क्षेत्र में संचालित वैन जाती है, उस क्षेत्र की समस्त जनता इसका लाभ प्राप्त कर सकती है। प्रत्येक कार्यक्रम हेतु नामित टीम सदस्यों द्वारा 'विधिक सेवा यान' में स्थापित प्रोजेक्टर के माध्यम से योजनाओं के बारे में आमजन को बताया जाता है।	जिस क्षेत्र में विधिक सेवा यान जाती है उस क्षेत्र तत्संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा पुस्तकों की प्राप्ति के लिए पुस्तक वितरण पंजिका में सम्बन्धित व्यक्ति का नाम, पता/मुकाम/मोबाइल नम्बर व हस्ताक्षर अंकित करवाया जाता है एवं पुस्तक निःशुल्क प्रदान की जाती है। आपके क्षेत्र में कब विधिक सेवा यान आयेगा, इसकी सूचना पैरा लीगल वॉलंटियर के माध्यम से दिया जाता है जिनके नाम, मोबाइल नंबर सहित समस्त सूचना उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट www.slsa.uk.gov.in पर उपलब्ध है। यदि किसी व्यक्ति/महिला अथवा बच्चे को उक्त पुस्तकों की नितान्त आवश्यकता होती है तो वह जिला मुख्यालय में स्थित जिला प्राधिकरण के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए सम्बन्धित पुस्तकों की प्राप्ति कर सकता है। इस बाबत् किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक पत्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है।

******

PROGRAMME IMPLEMENT

माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

बेसिक शिक्षा विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक योजना	कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती है।	समस्त राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त एवं राज्य सरकार सम्पत्ति प्राप्त मदरसे के कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत छात्र-छात्राएं पात्र है।	संबंधित स्कूलों में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को स्कूल स्तर से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सत्र के प्रारम्भ में ही उपलब्ध करा दी जाती है।
2	निःशुल्क जूता एवं बैग योजना	बालक बालिकाओं को जूता एवं बैग खरीदने हेतु कक्षा 1 से 5 तक रू० 318.00 तथा कक्षा 6 से 8 तक रू० 462.00 प्रति छात्र डी०बी०टी० के माध्यम से भुगतान किया गया है।	समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राएं पात्र होंगे।	छात्र-छात्राओं को अभिभावकों के खाते आधार कार्ड से सीडिंग किया जाने पर खाता प्रमाणित होने पर डी०बी०टी० द्वारा धनराशि भुगतान की जाती है।
3	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी०एम० पोषण) योजना	रोस्टर का भोजन मेन्यू के आधार पर पकाकर बच्चों को खिलाया जाता है जिसमें दाल चावल/सब्जी निर्धारित है। सप्ताह में 01 दिन अण्डा फल, गुड़ चना आदि दिया जाता है तथा सप्ताह में दो दिन फोर्टिफाइड दूध भी उपलब्ध कराया जाता है।	समस्त राजकीय/परिषदीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों/मदरसा/मकतब ट्रेनिंग सेन्टर में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र-छात्राएं इस योजना हेतु पात्र होंगे।	विद्यालय में अध्ययनरत उक्त छात्रों को कार्य दिवसों में उपस्थित रहने पर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
4	राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया।	कक्षा 1 से 8 तक विद्यालयों में प्रवेश करने के उपरान्त निःशुल्क शिक्षा, भोजन, जूता-बैग, पुस्तकें आदि दी जाती है।	कक्षा 01 में प्रवेश करने हेतु बच्चे की उम्र 06 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। वर्तमान में आंगनवाड़ी बाल वाटिका में नामांकित विद्यार्थी कक्षा 1 में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।	राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 में प्रवेश प्रतिवर्ष माह अप्रैल में शुरू होता है। प्रवेश करते हुए जन्म वर्ष का जन्मतिथि/जन्मस्थान का रजिस्टर अभिलेख, आंगनवाड़ी का अभिलेख, ग्राम पंचायत/परिवार रजिस्टर, अभिभावक/माता-पिता द्वारा बच्चे की आयु के सम्बन्ध में दिया गया घोषणा-पत्र में से कोई एक अभिलेख मान्य है। यदि कोई अन्य स्कूल से आता है तो संबंधित स्कूल छोड़ने की टी०सी० अनिवार्य होगी।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

माध्यमिक शिक्षा विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	आवासीय-राजीव गांधी नवोदय विद्यालय/ राजीव गांधी अभिनव विद्यालय	कक्षा 6 से 12 तक छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा (सह-शिक्षा), आवास, भोजन, ड्रेस इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन विद्यालयों में कुल सीटों का 50 प्रतिशत बालिकाओं एवं 50 प्रतिशत बालकों के लिए आरक्षित है तथा उक्त सीटों में 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं 20 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। उक्त सीटों पर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, दिव्यांग, अनाथ आदि आरक्षण अनुमन्य है। इनमें प्रवेश कक्षा 6 के लिए होता है।	उत्तराखण्ड में कक्षा 5 में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राएं। जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल से कक्षा 3 एवं 4 उत्तीर्ण किया हो तथा कक्षा 5 में उसी स्कूल में अध्ययनरत हो।	प्रवेश हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी परीक्षा परिषद् रामनगर द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है जिस हेतु बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष माह दिसम्बर से जनवरी तक विज्ञप्ति के माध्यम से विद्यार्थियों से आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाइट [illegible] से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ विद्यार्थी का फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, सामान्य जाति वर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (E.S.C.), अध्ययन प्रमाण पत्र एवं कक्षा 3, 4 उत्तीर्ण होने का अंक पत्र एवं कक्षा 5 का प्रवेश पत्र संलग्न कर अध्ययनरत स्कूल में जमा करेंगे। सम्बन्धित स्कूल द्वारा सभी आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किये जाते हैं। आवेदन पत्र जमा करने के बाद विद्यार्थी का प्रवेश पत्र स्कूल में प्राप्त होता है तथा सब परीक्षार्थी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता है। परीक्षा सूची में नाम आने के बाद चिह्नित विद्यार्थी को आवास है तथा विद्यार्थी कक्षा 6 में आवासीय-राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी अभिनव विद्यालय में प्रवेश पाता है।
2.	पंडित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार	राज्य स्तर पर सर्वोच्च परिणाम देने वाले 3 विद्यार्थियों को इन्टर स्तर पर क्रमशः रू० [illegible] लाख, रू० [illegible] लाख व रू० 1.00 लाख तथा हाईस्कूल स्तर पर क्रमशः रू० [illegible] लाख, रू० 1.00 लाख एवं रू० [illegible] लाख पुरस्कार एवं इन्टर स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को क्रमशः रू० 21 हजार, रू० 15 हजार एवं रू० 11 हजार पुरस्कार तथा स्कूलों में टॉप करने वाले छात्र-छात्राओं को रू० 5000 का पुरस्कार प्रदान किया	उत्तराखण्ड बोर्ड हाईस्कूल एवं इन्टर स्तर पर सर्वोच्च परीक्षाफल देने वाले 10 हाईस्कूल एवं 10 इन्टर स्तर के विद्यार्थियों को यह लाभ प्रदान किया जाता है। उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षाफल परीक्षा में टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले हाईस्कूल एवं इन्टर के छात्र-छात्राओं को यह लाभ मिलता है।	माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड बोर्ड का परीक्षा परिणाम आने पर बोर्ड से सूची प्राप्त करता है तथा बोर्ड के टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले हाईस्कूल एवं इन्टर के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली धनराशि की स्वीकृति शासन स्तर से प्राप्त कर मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करते हैं। सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, स्कूलों को छात्रों की संख्या के अनुसार धनराशि प्रदान करते हैं एवं स्कूल विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते हैं अथवा कार्यक्रम पुरस्कार समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को धनराशि (चेक) के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। इसमें विद्यार्थी को कोई आवेदन नहीं करना पड़ता

IMPLEMENTATION

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/मापदंड	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		जाता है तथा [illegible] प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्र/छात्राओं को क्रमशः रू. 15 हजार, रू. 11 हजार एवं रू. 8 हजार पुरस्कार तथा [illegible] शेष छात्र-छात्राओं को रू. 3100 का पुरस्कार प्रदान किया जाता है।		है।
3	बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल योजना)	कक्षा 9 में [illegible] प्रति बालिका को [illegible] के लिए साईकिल एवं [illegible] रू. 3100 की एफ.डी. [illegible]।	उत्तराखण्ड राज्य के अधीन राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्रायें।	उत्तराखण्ड राज्य के अधीन राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त [illegible] विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या प्राप्त कर [illegible] को साईकिल/एफ.डी. प्रदान करना है [illegible] अध्ययनरत बालिकाओं को साईकिल/एफ.डी. उपलब्ध कराया जाता है। इसमें [illegible] कोई आवेदन नहीं करना।
4	डॉ. शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति	SCERT उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा से चयनित छात्र-छात्राओं के [illegible] में [illegible] प्राप्त छात्र-छात्राओं में से [illegible] 50 एवं [illegible] 50 छात्र-छात्राओं को रू. 1000.00 प्रतिमाह की दर से [illegible] माह।	इस परीक्षा में [illegible] शामिल होंगे जो उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय, [illegible] शिक्षा या राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों [illegible] की [illegible] कक्षा 8 में नियमित छात्र-छात्रा के रूप में अध्ययनरत हों। कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत [illegible] एवं [illegible] 45 प्रतिशत अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की हो। माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कक्षा 09 से 12 तक [illegible] हेतु [illegible]।	इन छात्रवृत्ति परीक्षाओं में प्रतिभाग करने हेतु विद्यार्थी [illegible] निदेशक-अकादमिक [illegible] आवेदन-पत्र [illegible] शिक्षा अधिकारी कार्यालय [illegible] विद्यालयी शिक्षा विभाग की वेबसाइट [illegible] एवं SCERT उत्तराखण्ड की वेबसाइट [illegible] से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र की फोटो प्रति भी मान्य है। परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का [illegible] शुल्क नहीं है। आवेदन पत्र भरते हुए [illegible] [illegible] कक्षा 7 [illegible] [illegible] विद्यालय [illegible] होगा तथा [illegible] सम्बन्धित विद्यालय [illegible] [illegible] स्कूल के प्रधानाचार्य [illegible] होगा। प्रधानाचार्य [illegible] एवं स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर [illegible] छात्रवृत्ति [illegible] तिथि 10 नवम्बर तक खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। [illegible] खण्ड शिक्षा अधिकारी [illegible] हैं। विद्यार्थी प्रवेश पत्र स्कूल/खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। [illegible] परीक्षा आयोजित होगी है। [illegible]
5	[illegible] राज्य योग्यता छात्रवृत्ति	SCERT उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा में चयनित छात्र-छात्राओं में [illegible] डॉ. शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति [illegible] वाले छात्र-छात्राओं को [illegible] 95 छात्र-छात्राओं (95X5=475) [illegible] छात्रवृत्ति हेतु [illegible] रू. 1000.00 प्रतिमाह 12 [illegible]।		

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी को सूचित किया जाता है और विद्यार्थी से आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाता विवरण [illegible] विद्यार्थी को छात्रवृत्ति [illegible] जाती है।
6	[illegible] छात्रवृत्ति (मैरिट छात्रवृत्ति)	रू० 1000.00 प्रतिमाह की दर से छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देय है।	राष्ट्रीय [illegible] परीक्षा में [illegible] उत्तराखण्ड राज्य के छात्र/छात्राएं	विद्यार्थी NMMS में चयनित होने के उपरान्त [illegible] छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, [illegible] बैंक खाता [illegible] किया जाता है। तथा NMMS उत्तराखण्ड के [illegible] छात्र-छात्राओं [illegible] विभाग द्वारा [illegible] प्रतिमाह रू० 1000/- छात्र-छात्रा को [illegible] होने तक उपलब्ध कराया जाता है।
7	प्रदेश के बाहर स्थित सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति	रू० 12000/- तक वार्षिक आय वाले अभिभावक के विद्यार्थी को पूर्ण छात्रवृत्ति 40,000 वार्षिक। रू० 12001 से 15000/- तक वार्षिक आय वाले अभिभावक के विद्यार्थी को 30,000 वार्षिक। रू० 15001 से 18000/- तक वार्षिक आय वाले अभिभावक के विद्यार्थी को 20,000 वार्षिक। रू० 18001 से 22000/- तक वार्षिक आय वाले अभिभावक के विद्यार्थी को 10,000 वार्षिक।	प्रदेश के बाहर स्थित सैनिक स्कूलों में [illegible] उत्तराखण्ड के [illegible] विद्यार्थी। अभिभावक की आय के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है। रू० 22000/- वार्षिक आय से ऊपर आय वाले अभिभावक के विद्यार्थी को यह छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं है।	विद्यार्थी राज्य के बाहर स्थित सैनिक स्कूल में अध्ययनरत होंगे, उस स्कूल में छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य [illegible] प्रपत्र के साथ अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (तहसील से निर्गत हो) [illegible] विद्यार्थी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाते का [illegible] जमा होगा। राज्य के बाहर स्थित सभी सैनिक स्कूल, [illegible] सैनिक स्कूल [illegible] सैनिक स्कूल [illegible] प्रस्ताव को [illegible] विभाग को [illegible] सैनिक स्कूल [illegible] के माध्यम से [illegible] विद्यालयों को धनराशि [illegible] करते हैं एवं विद्यालय, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं।
8	मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना ([illegible])	कक्षा 06 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को रू० 600 प्रतिमाह 01 वर्ष हेतु। कक्षा [illegible] — रू० 700 प्रतिमाह 01 वर्ष हेतु। कक्षा [illegible] — रू० 800 प्रतिमाह 01 वर्ष हेतु।	राज्य के राजकीय विद्यालय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (केन्द्रीय व नवोदय विद्यालयों को छोड़कर) में कक्षा 5 [illegible] विद्यालयों से उत्तीर्ण [illegible] कक्षा 6 में अध्ययनरत हो।	छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष माह जून–जुलाई में ऑनलाइन–पत्र [illegible] जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा विद्यालयी शिक्षा विभाग की वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in एवं SCERT उत्तराखण्ड की वेबसाइट scert.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश में

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अभ्यर्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			ऐसे छात्र छात्राओं के मध्य JCERT द्वारा प्रतियोगात्मक परीक्षा आयोजित करायी जाती है। परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल मेधावी छात्रों में से 10 प्रतिशत मेधावी छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। सामान्य विद्यार्थी को कक्षा 6 एवं 7 में न्यूनतम 75 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य। अनुसूचित जाति/जनजाति को 5 प्रतिशत अंकों/उपस्थिति में शिथिलता। छात्रवृत्ति हेतु अभ्यर्थी के माता-पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है। किसी भी विद्यार्थी को राज्य की छात्रवृत्ति योजनाओं का दोहरा लाभ नहीं दिया जायेगा।	आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन/परीक्षा शुल्क देय नहीं है। आवेदन पत्र भरते हुए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, कक्षा 6 उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र, कक्षा 6 में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार लिंक बैंक खाता विवरण संलग्न करना होगा तथा फॉर्म में सभी जानकारी भरनी होगी एवं फॉर्म अध्ययनरत स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास जमा करना होगा। प्रधानाध्यापक, सम्बन्धित/स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर जाँच कर फॉर्म पर अनुशंसा देंगे तथा फॉर्मों को जाँच कर अनुमानित तिथि 21 अगस्त तक प्रखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जमा करने के पश्चात प्रखंड शिक्षा अधिकारी प्रवेश पत्र जारी करते हैं। विद्यार्थी प्रवेश पत्र स्कूल/प्रखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा अधिकतर अनुमानित सितम्बर माह में आयोजित होती है तथा छात्रवृत्ति प्रकाशित होती है। मेरिट के आधार पर प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यार्थी को सूचित किया जाता है और विद्यार्थी को धनराशि उनके खाते में भेज दी जाती है।
9	मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर)	कक्षा 09– रू0 800 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु। कक्षा 10– रू0 900 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु।	राज्य के सरकारी विद्यालय एवं सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) में कक्षा 8 (नियमित) से उत्तीर्ण किया हो एवं कक्षा 9 में अध्ययनरत हो, ऐसे छात्र/छात्राओं के मध्य JCERT द्वारा प्रतियोगात्मक परीक्षा आयोजित करायी जाती है। सामान्य विद्यार्थी को कक्षा 8 में न्यूनतम 75 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य। अनुसूचित जाति/	आवेदन पत्र भरते हुए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, कक्षा 8 उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र, कक्षा 9 में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र। अन्य प्रावधान क्रमांक 8 में उल्लिखित चयन प्रक्रिया के अनुसार।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			जनजाति को 5 प्रतिशत अंकों / उपस्थिति में शिथिलता। अन्य प्रावधान क्रमांक 8 में उल्लिखित पात्रता के अनुसार।	
10	**मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर कक्षा 11 एवं 12)**	कक्षा 11– रू0 1200 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु कक्षा 12– रू0 1200 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु	राज्य के राजकीय विद्यालय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 10 की उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को प्रदान की जाती है। चयनित विद्यार्थी को कक्षा 11 में उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य। अनुसूचित जाति / जनजाति को बोर्ड परीक्षा में 5 प्रतिशत अंकों / उपस्थिति में शिथिलता। अन्य प्रावधान क्रमांक 8 में उल्लिखित पात्रता के अनुसार।	इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों को परीक्षा नहीं देनी होती है। विभाग स्वयं बोर्ड के परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों का चयन करता है। विद्यार्थी उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु स्कूल में आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र एवं उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा में पास होने का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रार्थना पत्र के साथ जमा करेंगे। विद्यालय में बजट उपलब्ध होने पर धनराशि विद्यार्थी के खाते में भेजी जाती है।

****

समग्र शिक्षा परियोजना, उत्तराखण्ड।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय ननूरखेड़ा, देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित "प्रवेशोत्सव" कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। दिनांक 11 अप्रैल, 2023

PRC ... T

समग्र शिक्षा परियोजना

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/आवश्यकता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	ECCE (प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा)	राज्य के राजकीय विद्यालय के परिसर में संचालित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में अध्ययनरत [illegible] (प्रशिक्षण, टीएलएम/खेल सामग्री) सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का प्रशिक्षण। बच्चों की विद्यालय पूर्व तैयारी एवं कक्षा-1 में प्रवेश से पूर्व भाषा, संख्यात्मक एवं मनोवैज्ञानिक कौशल प्राप्त कर सके।	3 से 6 आयु के बालक/बालिका पात्र होंगे। 6 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र आरम्भ होने की तिथि को 06 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व की अवस्था।	बच्चों को संचालित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी [illegible] तथा सत्र में बच्चों का [illegible] आयु [illegible] हो [illegible] बच्चों के [illegible] के लिए [illegible] है। [illegible] बच्चों का [illegible] 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु [illegible] भी कर सकते हैं। राजकीय विद्यालय के परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र/प्राथमिक में [illegible] निर्धारित आयु वर्ग के समस्त बच्चों का नामांकन।
2.	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका (छात्रावास)	दुर्गम क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्तर पर तथा माध्यमिक स्तर (कक्षा-6 से कक्षा-12 तक) पर विभिन्न आवासीय [illegible] की बालिकाएं जैसे-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, [illegible] रूप से पिछड़ी एवं [illegible] वाली बालिकाओं को शिक्षित एवं सशक्तिकरण किया जाता है।	योजना के अंतर्गत [illegible] अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय की 75% बालिकाओं को [illegible] से प्रवेश [illegible] तथा शेष 25% गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की बालिकाओं हेतु। उक्त के अतिरिक्त ऐसी बालिकाएं जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनकी वार्षिक आय रू. 50,000 से कम हो अथवा जिन बालिकाओं के माता-पिता अथवा माता-पिता में से कोई एक जीवित न हो को प्रवेश होगा।	शैक्षिक सत्र के आरम्भ होने से पूर्व [illegible] करते हुए [illegible] सीटों के सापेक्ष आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं। प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र 1-जन्मतिथि प्रमाण-पत्र/जन्म व विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र/राशन-कार्ड/[illegible] पत्र 2-बीपीएल/आय प्रमाण-पत्र/राशन कार्ड 3-आय प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र 4-विद्यालय की निवास स्थान से [illegible] किमी से अधिक दूरी का प्रमाण-पत्र।

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कार्यक्रम।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / सहायता	आवेदन प्रक्रिया एवं भुगतान प्रक्रिया
3.	[illegible] कुल 14 [illegible]	[illegible] 220/- [illegible]	[illegible] 10,000/- [illegible]	[illegible] http[illegible] [illegible]
4.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009	[illegible]	[illegible] SC, ST [illegible] HIV/AIDS [illegible]	[illegible] https://rte121c-[illegible]uttarakhand [illegible]

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				[illegible]
3	[illegible] योजना	[illegible] रू. 50,000, 30,000 एवं 15,000 [illegible] रू. 75,000, 60,000 एवं 30,000 [illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible] रू. 31,000 [illegible]	[illegible]	[illegible] (MOU) [illegible] www.vidyasaarathi.co.in [illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Nandi Foundation [illegible] (MOU) [illegible]

PROGRAMMING [illegible]

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			के अन्तर्गत माता-पिता पर आश्रित बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख से कम हो। [illegible] के आश्रित बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय 60,000/- से कम हो।	[illegible] पालक द्वारा बच्चे का आवेदन पत्र [illegible] जिला शिक्षा अधिकारी/ खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना पड़ता है। 2-विकास खण्ड स्तर पर समिति द्वारा समस्त दस्तावेजों की जांच की जाती है एवं तदनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर [illegible] किया जाता है। 4-निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में [illegible] के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाता है।
5.	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (मध्यान्ह भोजन)	शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत प्री-प्राइमरी (बालवाटिका), प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शासकीय एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को शाला दिवसों पर पौष्टिक भोजन मीनूनुसार गरम, पका हुआ प्रदाय किया जाता है।	बालवाटिका, प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से कक्षा 5) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6 से कक्षा 8) के शासकीय व शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों के सभी छात्र।	शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों का एडमिशन करने के पश्चात उनको स्कूल में ही दिया जाता है।
6.	व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम	कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों के कक्षा-9 से 12 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अकादमिक शिक्षा के साथ ही रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु NSQF की अनुशंसा भारत सरकार से प्राप्त कर [illegible] सेक्टर स्वीकृत किये गये हैं जिसमें छात्र-छात्राओं को व्यवसायपरक शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाता है।	प्रदेश के [illegible] शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के अध्ययनरत छात्र-छात्राएं।	व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने वाले शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के सभी छात्र-छात्राएं उस विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित सेक्टर में प्रवेश ले सकते हैं। यदि अन्य विद्यालय का कोई छात्र-छात्रा व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहता है तो उसे व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं, ऐच्छिक अन्य विषयों की भांति व्यावसायिक शिक्षा को एक विषय के रूप में चयनित कर सकता है इसके लिए पृथक से आवेदन की आवश्यकता नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा विषय के चयन हेतु किसी भी [illegible] प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है।

****

PROVISIONAL IMPLEMENTATION

उच्च शिक्षा विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राज्य के मेधावी छात्रों [illegible] प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु [illegible] योजना।	₹ 50,000/- प्रति अभ्यर्थी को प्रदान किया जाता है।	[illegible]	[illegible] https://he.uk.gov.in/ [illegible]
2.	एन०डी०ए०, [illegible] के [illegible] योजना।	50,000/- प्रति अभ्यर्थी	[illegible]	[illegible] https://he.uk.gov.in/ [illegible]

क्र	योजना का नाम	उद्देश्य	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	पाठ्यक्रमों का कौशल विकास करने की योजना।	महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण आयोजित कराया जा रहा है।		राजकीय महाविद्यालय, [illegible] महाविद्यालयों के विद्यार्थी प्रशिक्षण ले सकते हैं।
८	उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक संकाय में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को न्यूनतम रू0 1,000 एवं अधिकतम रू0 40,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	प्रत्येक महाविद्यालय/परिसर स्तर पर [illegible] में: 1—स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में से 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक/समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 3,000, 2,000 एवं 1,500 मासिक छात्रवृत्ति। स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक/समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 3,000, 2,000 एवं 1,500 मासिक छात्रवृत्ति। स्नातक स्तर की परीक्षाओं में सफल छात्र-छात्राओं में से [illegible] वर्ष की परीक्षा के न्यूनतम [illegible] प्राप्तांक/समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 30,000, 25,000 एवं 20,000 एकमुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। 2—स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में से प्रथम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक/समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 3,000, 2,000 एवं 1,000 मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। 3— स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष अथवा एक वर्षीय पाठ्यक्रम में परीक्षाओं में सफल छात्र-छात्राओं में से प्रथम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक	राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों परिसर द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त [illegible] आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त विद्यार्थी को छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित समय के भीतर समर्थ पोर्टल https://uttarakhand.samarth.ac.in/index.php/site/login पर अपना पंजीकरण करते हुए, पंजीकरण प्रपत्र सहित आवेदन करना होगा। [illegible] जिन संकाय में 60 प्रतिशत/60 प्रतिशत/75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, उनके सम्बन्धित समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के साथ [illegible] प्रस्तुत करना होगा। समर्थ पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजों एवं ऑफलाइन में जमा किए गए दस्तावेजों की जांच के उपरान्त विभाग द्वारा पोर्टल पर लाभार्थियों की सूची तैयार कर दी जाती है तथा इसके उपरान्त चयनित लाभार्थियों को खाते में धनराशि प्राप्त होने लग जाती है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / अर्हताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			/समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रमशः रू0 40,000, 30,000 एवं 25,000 [illegible] प्रदान की जायेगी। [illegible]	
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना	राज्य सरकार द्वारा शोध हेतु [illegible]	राज्य के राजकीय महाविद्यालयों [illegible] (Interdisciplinary) [illegible] (Problem and Action Based Research Programme) [illegible]	[illegible] https://uttarakhand.samarth.ac.in/ index.php/site/login के माध्यम से आवेदन [illegible] (Principal Investigator) [illegible]

संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

PROGRAMME IMPL
MENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हतायें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			समर्पित किया जा सकता है। शोध कार्य पूर्ण करने हेतु अधिकतम 03 वर्ष का समय प्रदान किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 01 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है। किसी भी शिक्षक/शोधार्थी को एक समय में केवल एक ही शोध परियोजना अनुमन्य होगी।	किया जायेगा- प्रथम किश्त में 50 प्रतिशत अनुदान राशि शोध प्रस्ताव की स्वीकृति के समय ही जारी की जायेगी। दूसरी किश्त के रूप में 30 प्रतिशत की अनुदान राशि उपयोग प्रमाण- पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही देय होगी। तीसरी एवं अंतिम किश्त के रूप में 20 प्रतिशत की अनुदान राशि शोध कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ही देय होगी। शोध मौलिक तथा पुनरावृत्ति के मानकों के अनुरूप होगा। शोध कार्य हेतु शोध सहयोगी (Research Assistant) के प्रथम चयन से शोध कार्य की समाप्ति की तिथि तक रू0 15,000/- प्रति माह की दर से देय होगा।
8	समर्थ पोर्टल https://uttarakhand.samarth.ac.in/index.php/site/login	कोई भी विद्यार्थी जो स्नातक/स्नातकोत्तर में उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय (उच्च शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं तकनीकी) विश्वविद्यालय तथा उनसे जुड़े सम्बद्ध महाविद्यालयों की प्रोग्रामों में प्रवेश हेतु इच्छुक हो, समर्थ पोर्टल में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीकरण करने से विद्यार्थी को अलग-अलग कॉलेज/ विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अलग-अलग से आवेदन नहीं करने पड़ते हैं।	विद्यार्थी को उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में स्नातक/ स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु इच्छुक हो।	समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण हेतु विद्यार्थी का आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नम्बर, बैंक खाता, जन्म प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट शैक्षिक प्रमाण-पत्र, माइग्रेशन एवं करेक्टर सर्टिफिकेट, यदि कोई गैप हो तो शपथ प्रमाण-पत्र जिस संस्थान में अंतिम बार से पढ़ाई की हो अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त EWS, दिव्यांग/ स्पोर्ट्स/एनसीसी अन्य प्रमाण पत्र यदि लागू हो। ईडी हेतु राज्य-स्तर के भारत सरकार के mygov-https://www.mygov.in/ ऐप पर पंजीकरण करने के उपरान्त राज्य शिक्षा डाउनलोड किया हो। इस ऐप पर पंजीकरण हेतु आधार नं0 मोबाइल नं0 एवं ईमेल आईडी अनिवार्य है।

****

संस्कृत शिक्षा विभाग

उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार द्वारा संचालित योजनाएं/कार्यक्रम

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	संस्कृत छात्र प्रतियोगिता– (1 संस्कृत नाटक 2 संस्कृत समूहगान वाद–विवाद अनुच्छेद श्लोकोच्चारण)	प्रत्येक स्तर पर कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग की पृथक–पृथक 06 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। 1 विकासखण्ड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रू0 300/– एवं अधिकतम रू0 800/– तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रू0 300/– एवं अधिकतम रू0 800/– पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। 2 जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रू0 400/– एवं अधिकतम रू0 2000/– तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रू0 400/– एवं अधिकतम रू0 800/– पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। 3 राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रू0 3000/– एवं अधिकतम रू0 20000/– तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रू0 1500/– एवं अधिकतम रू0 5000/– पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी राजकीय/अशासकीय/निजी विद्यालय के कनिष्ठ वर्ग में (कक्षा 06 से 10 तक) एवं वरिष्ठ वर्ग में (कक्षा 11 से स्नातकोत्तर कक्षा तक) अध्ययनरत संस्कृत छात्र व छात्राएं (इसमें सभी छात्र/छात्राएं सम्मिलित होंगी किन्तु शोध, नौकरी एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के छात्र–छात्राओं का प्रतिभाग प्रतिबंधित है।) प्रतिभाग कर सकते हैं। यह प्रतियोगिता स्तर में दो वर्ग और वा त्रिस्तरीय–क्रमबद्ध रूप से आयोजित होती है। इसका दायित्व/अतिरिक्त अकादमी द्वारा संबंधित जनपद संयोजक एवं खण्ड संयोजक को सौंपी है।	छात्र/छात्रा या विद्यालय/कॉलेज स्तर पर अपने के प्रधानाचार्य/प्राचार्य की संस्तुति सहित प्रतिभाग हेतु उक्त विकासखण्ड/खण्ड संयोजक को प्रस्तुत किया जाता है। खण्ड स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/समूह को पुरस्कार धनराशि दी जाती है। इसके उपरान्त प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त समस्त प्रतिभागी जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/समूह को पुरस्कार धनराशि दी जाती है। जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त समस्त प्रतिभागी/दल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/समूह को पुरस्कार धनराशि दी जाती है।
2	अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन	प्रत्येक आमंत्रित कवि को मानदेय रू0 3000/– प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड सहित अन्य प्रदेशों के संस्कृत कवि	यह आयोजन 15 जनवरी एवं 26 जनवरी को उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा कराया जाता है। देश के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अध्यापनरत शिक्षकों जो संस्कृत कवि के रूप में विख्यात हों की सूची तैयार कर कार्यक्रम संयोजक द्वारा प्रस्तावित कवियों की सूची सक्षम अधिकारी से अनुमोदन/संस्तुत की जाती है। तदनुसार चयनित उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत कवियों को काव्यपाठ हेतु आमंत्रित किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3	संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान	प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता रू० 5000/- द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता रू० 4000/- तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता रू० 3000/-	राज्य के छात्र/छात्रा द्वारा प्रदेश के हाईस्कूल परीक्षा (विद्यालयी शिक्षा परिषद) में संस्कृत विषय में / इण्टरमीडिएट परीक्षा (विद्यालयी शिक्षा परिषद) में संस्कृत विषय में / पूर्वमध्यमा परीक्षा (संस्कृत शिक्षा परिषद) / उत्तरमध्यमा परीक्षा (संस्कृत शिक्षा परिषद) / शास्त्री व आचार्य (उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं केन्द्रीय संस्कृत संस्थान देवप्रयाग) की कक्षाओं / अथवा व स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत विषय के प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता।	अकादमी द्वारा सम्बंधित बोर्ड के कार्यालय से सम्बन्धित वर्ष घोषित वर्ष के हाईस्कूल व इण्टर परीक्षा में संस्कृत विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता छात्र/छात्रा की सूचना प्राप्त की जाती है। अकादमी द्वारा सम्बंधित विश्वविद्यालय से परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव से शास्त्री, आचार्य व स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत विषय में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची प्राप्त की जाती है। सम्मान स्वरूप धनराशि का चैक द्वारा भुगतान किया जाता है।
4	अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति के छात्रों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना	कक्षा 6 से 8 तक के छात्र/छात्रा को रू० 300/- प्रतिमाह तथा 9-10 के छात्र/छात्रा को रू० 400/- प्रतिमाह एवं कक्षा 11-12 के छात्र/छात्रा को रू० 500/- प्रतिमाह प्रदान किया जाता है।	प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों के कक्षा 06 से कक्षा 12 तक के अध्ययनरत सामान्य 100 छात्र-छात्राएं, जिनमें एक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रत्येक वर्ग से होंगे।	संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अनु. जाति/जनजाति के अध्ययनरत छात्र/छात्रा जिनकी पात्रता की शर्त का प्रमाण पत्र सहित आवेदन करेंगे जिस छात्र के आगे संस्तुति सहित छात्रवृत्ति का प्रस्ताव करेंगे तथा छात्रवृत्ति संस्तुति सहित निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे, जिसे वह निदेशक को अग्रसारित करेंगे तथा निदेशक की संस्तुति के पश्चात छात्रवृत्ति अकादमी द्वारा प्रदान की जाती है।
5	संस्कृत शोध छात्रवृत्ति योजना	राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में संस्कृत विषय में शोध हेतु पंजीकृत 20 शोध-छात्रों को वार्षिक रू० 40,000/- की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति 02 वर्ष हेतु रू० 40,000.00 प्रतिवर्ष दी जाती है, जिसे प्रत्येक वर्ष में आवेदन देकर नवीनीकृत कराना होगा।	शोध छात्रवृत्ति के लिए सामान्य श्रेणी के 16, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 02 व अधिक पिछड़े वर्ग के 02 अतिरिक्त कुल 20 पंजीकृत/अध्ययनरत शोधार्थियों को नेट परीक्षा में अर्हतापूर्ण प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाता है।	शोधछात्रवृत्ति हेतु इच्छुक शैक्षिक स्तर वाले पात्र अभ्यर्थी की वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपना ईमेल आईडी व फोन नंबर आदि, नेट परीक्षा प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, पीएचडी पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक खाता सम्बंधी दस्तावेज के साथ आवेदन जमा करना है। प्राप्त आवेदनों की चयन समिति द्वारा समीक्षा के पश्चात चयनित शोधछात्रों को संस्कृत विषय में शोध हेतु वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है।
	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा संचालित योजनाएं / पाठ्यक्रम			
1	पी०जी० डिप्लोमा P.G. Diploma ([illegible])	व्यक्तित्वविकास डिप्लोमा (एक वर्ष)	स्नातक छात्र/छात्रा (किसी भी संकाय से)	आवेदन विश्वविद्यालय के प्रपत्र का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। आवेदन प्रक्रिया जुलाई से अगस्त माह तक चलती है। आवेदन तथा उसके साथ संलग्न प्रमाणपत्र के आधार

संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग, उत्तराखण्ड

मा0 मंत्री जी महासू देवता मंदिर, के जागडा कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए

PROGRAMME IMPLEMENTATION

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	डिप्लोमा 3. योग 4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन 5. पौरोहित्य एवं कर्मकाण्ड			मोबाइल/ईमेल पता, आधार कार्ड, जन्मतिथि/स्थायी प्रमाण पत्र, पूर्व संस्था का शैक्षिक प्रमाण पत्र, निर्धारित कार्यालय में प्रेषित/प्रस्तुत करने होंगे। प्रति पाठ्यक्रम निर्धारित शुल्क रु0 10000/-है।
2	सर्टिफिकेट (Certificate) 1. योग 2. संस्कृत 3. कर्मकाण्ड 4. कम्प्यूटर [illegible] 5. ज्योतिष [illegible]	व्यावसायिक कोर्स (06 माह)	10+2 अथवा समकक्ष	आवेदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर ऑफलाइन जमा करना पड़ता है। ऑनलाइन प्रक्रिया [illegible] है। [illegible] 31 अगस्त तक होता है। आवेदन जमा करते समय निर्धारित आवेदन में [illegible] मोबाइल/ईमेल पता, आधार कार्ड, जन्मतिथि/स्थायी प्रमाण पत्र, पूर्व संस्था का शैक्षिक प्रमाण पत्र, संलग्न करने होंगे। प्रति पाठ्यक्रम निर्धारित शुल्क रु0 6000/-है।
3	मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रति कक्षा एक छात्र/छात्रा को सम्बन्धित कक्षा के शिक्षण शुल्क की राशि के बराबर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	सम्बन्धित पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए अर्ह होंगे।	विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन पत्र निर्गत करती है। सम्बन्धित विद्यार्थी हाईस्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, संबंधित कक्षा का अंकपत्र, बैंक खाता विवरण के साथ आवेदन पत्र भरकर प्रकोष्ठ में जमा करेंगे। प्रकोष्ठ आवेदनों की संवीक्षा करने के उपरान्त पात्र छात्र/छात्राओं की सूची जारी करता है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि प्रेषित की जाती है।
4	निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रति कक्षा एक छात्र/छात्रा को सम्बन्धित कक्षा के शिक्षण शुल्क की राशि के बराबर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रति कक्षा एक छात्र सम्बन्धित पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय में सबसे न्यूनतम वार्षिक आय (समस्त आवेदकों में से निम्नतम आय वाला [illegible]) विद्यार्थी उक्त छात्रवृत्ति के लिए अर्ह होंगे।	विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ छात्र/छात्राओं हेतु आवेदन पत्र निर्गत करती है। विद्यार्थी हाईस्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, विश्वविद्यालय का पहचान पत्र के साथ आवेदन पत्र भरकर प्रकोष्ठ में जमा करेंगे। प्रकोष्ठ आवेदनों की संवीक्षा करने के उपरान्त पात्र छात्र/छात्राओं की सूची जारी करता है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि प्रेषित की जाती है।
संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम				
1	संस्कृत छात्र [illegible]	कक्षा 6 से 8 तक रु 250/- कक्षा 9 से	संस्कृत विद्यालयों की कक्षा-06 से	सम्बन्धित छात्र के आवेदन को विद्यालय के प्रधानाचार्य

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	पुस्तकों का मुद्रण एवं निःशुल्क वितरण	8 तक रू. 400/– कक्षा 9 से 10 तक रू. 600/– कक्षा 11 से 12 तक रू. 700/– की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।	12 में अध्ययनरत विद्यार्थी पात्र होंगे।	द्वारा अग्रसारण/संस्तुति के पश्चात् सम्बन्धित जनपद के सहायक निदेशक द्वारा संस्तुति प्रदान करना। **दस्तावेज – आधार कार्ड, बैंक खाता छात्र/छात्रा जिस कक्षा में पढ़ रहे हो, उसी सत्र में स्वयं/अभिभावक स्वयं अपणिसरकार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।**
2	**संस्कृत विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति**	पूर्व मध्यमा (कक्षा–10) के कुल मेधावी विद्यार्थियों को 10 माह के लिए प्रति माह रू. 300/– की छात्रवृत्ति दी जाती है तथा **उत्तर मध्यमा (कक्षा–12)** के 03 मेधावी विद्यार्थियों को प्रथम स्थान– रू0 20,000/– द्वितीय स्थान–रू0 15,000/– तृतीय स्थान–रू0 10,000/– की धनराशि दी जाती है।	संस्कृत विद्यालयों की परिषदीय परीक्षा के मेधावी छात्रों (मेरिट लिस्ट में टॉप 10) जो उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा संचालित / मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में ही उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हों तथा **उत्तर मध्यमा (कक्षा–12) के 03 मेधावी विद्यार्थियों** को संस्कृत विद्यालयों की परिषदीय परीक्षा के मेधावी छात्रों (मेरिट लिस्ट में टॉप 03) को उच्च स्तर की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है।	सम्बन्धित छात्र के आवेदन को विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारण/संस्तुति के पश्चात् सम्बन्धित जनपद के सहायक निदेशक द्वारा संस्तुति प्रदान करना। **दस्तावेज** – आधार कार्ड, बैंक खाता, मेरिट सूची का प्रमाण पत्र। छात्र/छात्रा मेरिट सूची में आने पर उसी सत्र में स्वयं/अभिभावक स्वयं अपणिसरकार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION

संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन	राज्य के विभिन्न स्थानों एवं प्रदेश से बाहर प्रसिद्ध धार्मिक मेलों/ त्योहारों/पर्वों/उत्सवों तथा राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर संस्कृति विभाग देहरादून में पंजीकृत दलों द्वारा सांस्कृतिक आयोजन में प्रस्तुति देने के उपरांत दलनायक को देय मानदेय रू0 1000/- एवं कलाकार को रू0 800/- मात्र, दलनायक को यात्रा भत्ता रू0 500/- एवं अन्य कलाकारों को रू0 500/- एवं अन्य कलाकारों का यात्रा भत्ता रू0 400/- मात्र। यात्रा हेतु साधारण बस किराया एवं द्वितीय श्रेणी रेल किराया का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में विभाग में कुल 238 सांस्कृतिक दल एवं 156 एकल कलाकार सूचीबद्ध हैं।	संस्कृति विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दल/ कलाकार	संस्कृति निदेशालय द्वारा सांस्कृतिक दलों/कलाकारों के पंजीकरण हेतु विज्ञापन हर तीन साल में किया जाता है। विज्ञापन में वर्णित शर्तों के उपरान्त निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है :- संस्था का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, वास्तविक विगत तीन वर्षों के संस्कृति के क्षेत्र में कार्य अनुभव तथा किये गये कार्यों का विवरण, दल में कलाकारों की संख्या तथा विवरण, एकल कलाकारों के लिए विगत तीन वर्षों में सांस्कृतिक क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण, उत्तराखण्ड का मूल निवासी/स्थाई प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है। तदोपरान्त पंजीकरण प्रमाण संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। **मा0 मंत्री जी महासू देवता मंदिर, के जागरा कार्य**
2.	उत्तराखण्ड राज्य के वृद्ध विपन्न कलाकार/साहित्यकार एवं विद्वानों हेतु पेंशन योजना।	विभाग द्वारा रू0 3000/- प्रतिमाह मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। मासिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है।	वृद्ध विपन्न कलाकार, साहित्यकार एवं लेखक जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन कला एवं संस्कृति तथा साहित्य के विकास में समर्पित कर दिया हो एवं वर्तमान में जीवन यापन हेतु असमर्थ हों। आयु 60 वर्ष से कम न हो। मासिक आय रू0 3000 से अधिक न हो। उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई निवासी।	पेंशन योजना का प्रारूप संस्कृति निदेशालय, देहरादून से अथवा संस्कृति विभाग की http://uttarakhandculture.in/schemes.php से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है। इसकी एकल आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज फोटो एवं प्रतिभा का सम्पूर्ण विवरण, आधार कार्ड, राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आश्रितों का विवरण, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण-पत्र, वैवाहिक प्रमाण पत्र, सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी/अन्य द्वारा प्रदत्त कलाकार/साहित्यकार/लेखक सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, कलाकार सिद्ध होने का प्रमाण/जिला प्रशासन की संस्तुति अनिवार्य है। यह आवेदन पत्र सम्पूर्ण संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड में जमा करना अनिवार्य है। निदेशालय द्वारा आवेदन की जांचोपरान्त

PROGRAMME IMPLEMENTATION

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/मापदण्ड	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				सचिव/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। समिति प्रार्थना-पत्र के दस्तावेजों की जांच करते हैं एवं सम्बंधित कलाकारों को साक्षात्कार हेतु बुलाते हैं। साक्षात्कार/जांच में सही पाये जाने पर पेंशन की संस्तुति की जाती है। इसके पश्चात संस्कृति निदेशालय द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाता है। मासिक पेंशन के लाभान्वित कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित के रूप में उनकी पत्नि/पति तथा पुरुष कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी को मृत्यु आश्रित के रूप में मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है।
3.	लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता	प्रदेश के सुयोग्य साहित्यकार लेखकों एवं कवियों जिनकी कृतियां धनाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पायी हैं, उन्हें विभाग द्वारा अधिकतम रू0-1 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	राज्य का स्थायी/मूल निवासी हो तथा धनाभाव के कारण कृतियाँ प्रकाशित नहीं हो पायी हों।	पुस्तक प्रकाशन हेतु विभाग द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। जिसके आधार पर पात्र लेखकों को संस्कृति निदेशालय, देहरादून में आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ लेखकों को अप्रकाशित पाण्डुलिपि, पुस्तक छपवाने का कोटेशन, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड, पैन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। विभाग में प्राप्त पाण्डुलिपियों के परीक्षण हेतु विभागीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निदेशालय स्तर पर निदेशक संस्कृति की अध्यक्षता में लोक संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र में विद्वतजन, राज्य के विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञ एवं संस्कृति निदेशालय के वित्त एवं लेखा सेवा स्तर के अधिकारी सम्मिलित किये जाते हैं। इस समिति की संस्तुति के उपरान्त ही पुस्तक प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
4.	धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता	भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में सम्मिलित होने वाले उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासियों, जो भी दो किश्तों में ... को उत्तराखण्ड सरकार की ओर से रू0 25 हजार की धनराशि यात्रा पूर्ण करने के उपरान्त प्रदान की जाती है।	राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण कर ली हो तथा यात्रा कुमाऊं मण्डल विकास निगम के द्वारा की	आवेदन करने हेतु कोई प्रारूप नहीं है परन्तु यात्रा करने वाले व्यक्ति द्वारा निदेशक, संस्कृति निदेशालय के नाम से लिखकर उसके साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मण्डल विकास निगम से किये जाने का प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र, विदेश मंत्रालय द्वारा उक्त यात्रा पूर्ण किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं यात्रा से सम्बन्धित अन्य अभिलेख, बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0

प्राविधिक(तकनीकी) शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।

प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।
दिनांक 05 जून, 2023

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/आवश्यकता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			गई हो।	लोक कलाकार को पेन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर जमा करेगा। उसके बाद निदेशालय कार्यालय द्वारा [illegible] सही पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति की जाती है।
5.	अ0जा0/जनजाति के व्यक्तियों के लिये वाद्ययंत्र क्रय एवं वेश-भूषा का क्रय करने हेतु	अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति [illegible] पारम्परिक कला से [illegible] है तथा [illegible] वेश-भूषा नहीं है जो उनके जीवन [illegible] के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्र [illegible] [illegible] [illegible] एवं वेश-भूषा क्रय का निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है। जीवनकाल में एक बार ही दिया जाता है।	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोक कलाकार जिनकी मासिक आय रू. 2500/- से अधिक न हो। एक परिवार में एक से अधिक कलाकार को सहायता नहीं दिया जायेगा।	अ0जा0/जनजाति के लोक व्यक्तियों को पारम्परिक वाद्य यंत्रों/वेशभूषा प्रदान किये जाने हेतु संस्कृति निदेशालय द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। विज्ञापन के [illegible] संबंधित व्यक्ति रू. 2500/- मासिक आय प्रमाण पत्र, कलाकार/वाद्य यंत्र का [illegible] एवं आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक / बैंक [illegible] लोक पेन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र [illegible] निदेशक संस्कृति निदेशालय में जमा करेगा। निदेशालय स्तर से गठित संस्कृति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पात्र आवेदकों का चयन किया जाता है तथा [illegible] [illegible] उक्त [illegible] निदेशालय से प्राप्त कर सकते हैं।
6.	[illegible] संगीत महाविद्यालय [illegible] [illegible]	इन महाविद्यालयों में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की शिक्षा प्रदान की जाती है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के रूप में दिया जाता है।	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	महाविद्यालय में प्रवेश हेतु [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जाते हैं। प्रवेश हेतु [illegible] [illegible] [illegible] वर्ष एवं [illegible] [illegible] [illegible] वर्ष है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की जाती है। [illegible] [illegible] [illegible] दिया जाता है।

****

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड

PROGRAMME ... IT

प्राविधिक (तकनीकी) शिक्षा विभाग

क्र०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	1–प्रगति छात्रवृत्ति (तकनीकी शिक्षा हेतु की छात्राओं के लिए (डिप्लोमा) एवं स्नातक स्तर के लिए)	डिप्लोमा/स्नातक स्तर के लिए रू० 50 हजार प्रतिवर्ष।	केवल बालिकाओं के लिए वार्षिक आय रू0 8 लाख होने पर और प्रत्येक परिवार की अधिकतम दो बालिकाओं तक अनुमन्य।	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इन छात्रवृत्ति योजनाओं में निम्न प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती होती है– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजनाओं के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से सभी विवरण के विवरण के साथ आवेदन करने होते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज – हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंकतालिका, आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र। प्रगति योजना हेतु 02 छात्राओं को छात्रवृत्ति अनुमन्य की जाती है जिसकी सम्बन्ध में आय प्रमाण पत्र। सक्षम योजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। स्वनाथ योजना हेतु अभ्यर्थी के पिता/माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है। उक्त योजनाओं हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा भरे गये आवेदनपत्रों को ऑनलाइन सत्यापन किया जाता है जिसे सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त राज्य नोडल अधिकारी (S.L.O.) द्वारा ऑनलाइन आवेदन सत्यापित कर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली (ए०आई०सी०टी०ई०) को अग्रसारित (Forward) किया जाता है।
2.	2– सक्षम छात्रवृत्ति	स्नातक स्तर के लिए रू० 50 हजार प्रतिवर्ष।	दिव्यांग छात्र-छात्राओं हेतु दिव्यांगता 40% से अधिक वार्षिक आय रू0 8 लाख होने पर	
3.	3– स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना	डिप्लोमा/स्नातक स्तर के लिए रू० 50 हजार प्रतिवर्ष।	अनाथ/जिनके माता-पिता अथवा माता पिता में कोई एक कोविड-19 में मृत हुए हों/ किसी सेना और केन्द्रीय सुरक्षा बल के शहीद के आश्रित। वार्षिक आय रू0 8 लाख होने पर	

******

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग, उत्तराखण्ड

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	[illegible] (ELSTP)	[illegible]	[illegible]	[illegible] www.ukadm.org [illegible]
2.	[illegible] ITI	[illegible]	[illegible]	[illegible] I.T.I. [illegible] www.upputtarakhand.in [illegible]
3.	[illegible]	[illegible] Domain (Language, Computer, Work Ethics, [illegible]) [illegible]	[illegible]	[illegible]

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग (पी.आर.डी.)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रांतीय रक्षक दल (पी.आर.डी.) स्वयंसेवकों की तैनाती	पुलिस थानों एवं विभिन्न कार्यालयों में ड्यूटी पर तैनात किए जाने हेतु पी.आर.डी. स्वयंसेवकों को रू. 500/- प्रतिदिन की दर से मानदेय भुगतान किया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी युवा (युवक एवं महिला) भर्ती के समय जिनकी आयु 18 से 40 के मध्य हो।	विभिन्न विभागों के द्वारा आवश्यकतानुसार पी.आर.डी. स्वयंसेवकों की मांग युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग से की जाती है। मांग के क्रम में विभाग द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तथा शारीरिक नाप-जोख एवं शारीरिक परीक्षा हेतु जनपदवार तिथि निर्धारित की जाती है। परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, हाईस्कूल पास, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र अनिवार्य है। शारीरिक परीक्षा की मेरिट के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पी.आर.डी. स्वयंसेवकों का चयन किया जाता है। चयनित पी.आर.डी. स्वयंसेवकों को 22 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है, इसके उपरान्त उन्हें ड्यूटी पर तैनात किया जाता है तथा तैनाती अवधि का मानदेय का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाता है।
		विषम परिस्थितियों में ड्यूटी के दौरान मृत्यु, स्थायी विकलांगता अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में नामांकित दलों के दौरान मृत्यु की दशा में रू. 2.00 लाख, विशेष ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में रू. 1.50 लाख तथा सामान्य ड्यूटी में मृत्यु होने की दशा में रू. 1.00 लाख, स्थायी अपंगता की दशा में उपरोक्त के लिए अनुमन्य अनुग्रह धनराशि की आधी तथा गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य धनराशि की चौथाई अनुग्रह धनराशि आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	प्रशिक्षित पी.आर.डी. स्वयंसेवक/उनके आश्रित।	पी.आर.डी. स्वयंसेवक/उनके आश्रित द्वारा मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण-पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट/प्रथम सूचना रिपोर्ट, उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र एवं विकलांगता की दशा में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन-पत्र जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल कार्यालय में जमा करना होगा। आश्रित होने की स्थिति में आश्रित का जन्म तिथि प्रमाण-पत्र, उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र, बैंक खाता पासबुक/आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करानी होगी। विभाग द्वारा विषम परिस्थितियों का आंकलन करने के उपरान्त पी.आर.डी. स्वयंसेवक/उनके आश्रितों को धनराशि भुगतान की जाती है।

क्र.	योजना का नाम	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		सिलाई हेतु उपकरण क्रय हेतु रु0 30 हजार, [illegible] हेतु उपकरण क्रय हेतु रु0 4.00 लाख, सिलाई मशीन क्रय /बुनाई/कढ़ाई कार्य हेतु रु0 50 हजार, जैविक खाद/मशरूम उत्पादन कार्य हेतु रु0 50 हजार, [illegible] कार्य हेतु रु0 50 हजार, [illegible] कार्य हेतु रु0 50 हजार, सांस्कृतिक [illegible] हेतु रु0 50 हजार, इलेक्ट्रानिक्स कार्य हेतु रु0 50 हजार, [illegible] कार्य हेतु रु0 50 हजार, [illegible] कार्य हेतु रु0 [illegible] हजार, [illegible] कार्य हेतु रु0 [illegible] हजार एवं अन्य कार्य हेतु रु0 1.50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उक्त आर्थिक सहायता विभाग द्वारा अधिकतम [illegible] कार्य योजना की कुल लागत का [illegible] प्रतिशत अथवा [illegible] में अंकित कार्य के सम्मुख धनराशि, जो भी कम हो, होगी तथा अवशेष धनराशि की व्यवस्था सम्बन्धी युवा दलों द्वारा स्वयं के स्तर पर की जायेगी।		क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण करते हुए अपनी संस्तुति सहित उक्त प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। [illegible] दलों से [illegible] हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित [illegible] दलों की सूची संस्तुति सहित निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय को प्रेषित की जायेगी। निदेशालय द्वारा प्रत्येक जनपद से [illegible] दलों का चयन करते हुए [illegible] के अन्तर्गत [illegible] का आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि का भुगतान दल के बैंक खाते में किया जायेगा।
4	युवक मंगल दल एवं युवा महिला मंगल दल हेतु [illegible] योजना	दलों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यावसायिक उपयोग की आवश्यक सामग्री क्रय किये जाने हेतु रु0 14280.00 की धनराशि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	विभाग से सम्बद्ध युवक मंगल दल एवं युवा महिला मंगल दल।	दलों द्वारा ग्राम प्रधान की आम सभा में प्रस्ताव पास करवाकर [illegible] के कार्यालय को भेजा जाता है। प्रस्ताव के साथ सभी सदस्यों का आधार कार्ड, [illegible] एवं दल का बैंक खाता विवरण संलग्न करना होता है। युवा कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्ताव उचित पाये जाने पर संस्तुति सहित जिला युवा कल्याण अधिकारी को भुगतान हेतु प्रेषित किया जाता है तथा उनके द्वारा दल के बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION, RAJ

क्र.	योजना का नाम	उद्देश्य	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं प्रदाय प्रक्रिया
5	महिला मंगल एवं युवक मंगल दल का गठन	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग (पी.आर.डी.) विभाग की सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने तथा किसी भी अभियान को समूह में करने हेतु आवश्यक है।	ग्राम की उन ग्रामवासी के इच्छुक महिला/युवक जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, पात्र होंगे।	महिला मंगल एवं युवक मंगल दल का गठन–प्रान्तीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला मंगल एवं एक युवक मंगल दल का गठन किया जाता है। यदि किसी को महिला मंगल दल/युवक मंगल दल का सदस्य बनना हो तो संबंधित [illegible] जनपदीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
6	ग्रामीण [illegible] एवं व्यायाम [illegible] योजना	युवा वर्ग को स्वस्थ रखने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में आधुनिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) की स्थापना हेतु रू0 [illegible] की धनराशि ग्राम पंचायतों को आवंटित की जाती है।	राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत।	ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम निर्माण हेतु स्थान का चयन कर ग्राम [illegible] के प्रस्ताव सहित जनपदीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। इसके उपरान्त सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को धनराशि आवंटित की जाती है।
7	युवाओं का व्यावसायिक प्रशिक्षण	राज्य के युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे [illegible] आदि में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। [illegible]	उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी युवा (युवक एवं महिला) जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य [illegible] हो। प्रशिक्षण हेतु [illegible] युवक / महिला मंगल दल के सदस्य/ स्वयंसेवकों को वरीयता दी जायेगी।	[illegible]

****

PROGRAMME [illegible]

खेल विभाग, उत्तराखण्ड

37वें गोवा राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान करते हुए मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, 2018

खेल विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन/चयन प्रक्रिया
1.	खेल प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन	विभाग द्वारा प्रचलित खेलों में निम्नानुसार क्रियान्वयन किया जाता है :– **समस्त जनपदों में स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों का संचालन** (जैसे– फुटबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वालीबाल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, कुश्ती, खो-खो, कराटे, कबड्डी, जूडो, वेटलिफ्टिंग, बास्केटबॉल, हैण्डबॉल, जू-जित्सु, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, तैराकी, सेपकटाकरा, जिसमें न्यूनतम शुल्क लेकर प्रशिक्षण दिया जाता है। **स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्पोर्ट्स हॉस्टल संचालन।** (संचालित खेल–फुटबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वालीबाल, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती एवं क्रिकेट) जिसमें न्यूनतम शुल्क लेकर प्रवेश दिया जाता है। राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रू0 600/– तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर रू0 300/– का पुरस्कार दिया जाता है।	राज्य के 08 से 18 वर्ष तक आयु के युवा खिलाड़ी। सीनियर 18 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी।	समस्त जनपदों में स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों के संचालन हेतु जनपद स्तर पर दैनिक प्रशिक्षक रखे जाते हैं माह में विभागीय जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय से जारी कर प्रवेश–प्रपत्र तथा आवेदन ऑफलाइन प्राप्त किये जाते हैं जिन्हें जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय में जमा करना पड़ता है। प्रवेशार्थ चयन ट्रायल्स माह अप्रैल/मई में सम्पन्न किये जाते हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्पोर्ट्स हॉस्टल हेतु चयन जनपद स्तर पर प्रारम्भिक चयन/ट्रायल्स आयोजित कराये जाते हैं, चयनित होने पर फाईनल ट्रायल्स राज्य स्तर पर आयोजित कराकर मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन कमेटी के माध्यम से चयनित किया जाता है। जनपद स्तर पर संचालित स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों में एवं सीनियर खिलाड़ियों हेतु शुल्क (चार्ट संलग्न) लिया जाता।
2.	खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने	जिन खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट सफलता अर्जित की जाती है, उन्हें एवं उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार की धनराशि प्रदान की जाती है। न्यूनतम रू0 10,000/– से लेकर अधिकतम रू0 2.50 करोड़ तक की धनराशि पुरस्कार प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। पुरस्कार	राज्य के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने वाले खिलाड़ी एवं उनके प्रशिक्षक।	**01 जनवरी से 30 जून** तक के खेलों के लिए जुलाई में एवं **01 जुलाई से 31 दिसम्बर** तक के खेलों के पुरस्कार वितरण हेतु माह जनवरी में ऑफलाइन आवेदन (वर्ष में दो बार) खेल निदेशालय द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र के साथ खिलाड़ी को आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट साईज फोटो, प्रतियोगिता जिसमें पदक प्राप्त किया है, उसका सम्पूर्ण

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन/चयन प्रक्रिया
	नकद पुरस्कार धनराशि	विवरण विभाग की वेबसाईट https://sports.uk.gov.in में भी उपलब्ध है।		निवास एवं प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, प्रशिक्षक का 01 वर्षीय खेल डिप्लोमा या समकक्ष अथवा 06 सप्ताह का सर्टिफिकेट अथवा सम्बन्धित खेल के राष्ट्रीय संघ के प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र, रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर प्रशिक्षक के प्रशिक्षण से सम्बन्धित विवरण जिसमें द्वारा खिलाड़ी को निर्धारित पदक से सम्बन्धित प्रतियोगिता से एक वर्ष पूर्व से कम से कम 180 दिन अथवा अधिक अवधि तक प्रशिक्षण दिया गया हो, प्रशिक्षक का बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, नेशनल स्कूल गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों को विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत/ अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता/ चैम्पियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ियों को उच्च शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा खेलो इण्डिया, भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा प्रतियोगिता/ राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव में पदक विजेता खिलाड़ियों को युवा कल्याण विभाग द्वारा तथा अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता/ विश्व पुलिस/फायर गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड पुलिस विभाग से खेल प्रमाण-पत्रों को सत्यापित कराना अनिवार्य होगा तथा आवेदन पत्र को विभाग/संस्था/मान्यता प्राप्त राज्य ओलम्पिक संघ की संस्तुति सहित खेल निदेशालय को निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। खेल निदेशालय द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण करने के पश्चात पुरस्कार धनराशि खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक को प्रदान की जाती है।
2.	राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार	राज्य के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि प्रदान करने पर **खेल रत्न** (01 खिलाड़ी-रू0 3.00 लाख), **हिमालय रत्न** (06 खिलाड़ी-रू0 1.50 लाख प्रति खिलाड़ी), एवं **द्रोणाचार्य**	राज्य के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित करने वाले खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक।	आवेदन वर्ष में एक बार आमंत्रित किये जाते हैं, जिसके मानकानुसार अर्ह खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/मापदण्ड	आवेदन/चयन प्रक्रिया
				शारीरिक दक्षता के परीक्षण हेतु 06 प्रतियोगितायें आयोजित होगी। (1. 30 meter flying Run, 2. standing broad jump, 3. forward bend & reach, 4. 6X10 shuttle run, 5. medicine ball put, 6. 600 meter run.) जिला स्तर की चयन समिति द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग में मेरिट के आधार पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 25 छात्र एवं 25 छात्राओं की अंतिम सूची जारी की जायेगी, जो खेल छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। छात्रवृत्ति खिलाड़ियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खाते में दी जाती है। **प्रक्रिया** – चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों का पंजीकरण करना अनिवार्य है, जिसका आवेदन प्रारूप खेल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन प्रारूप के साथ खिलाड़ी को आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता एवं पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य होता है।
5.	**खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना**	14 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष P-SAT (Physical and Sports Aptitude Test) के आधार पर चयन कर प्रति जनपद 100–100 बालक– बालिकाओं का चयन कर प्रतिमाह रू0 2000/– छात्रवृत्ति एवं वर्ष में एकबार रू0 10,000/– खेल उपकरण हेतु प्रदान किया जाता है।	राज्य के आयुवर्ग 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ी। अन्य पात्रता **क्रमांक–4** के अनुसार। प्राथमिकता के आधार पर निम्न खेलों में ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है – (1)एथलेटिक्स (2) बैडमिंटन (3) बॉक्सिंग (4) तायक्वांडो (5) कबड्डी (6) फुटबॉल (7)वॉलीबॉल (8) बास्केटबॉल (9)हॉकी (10) टेबल टेनिस (11) क्रिकेट (12) जूडो	इसमें विद्यालय/न्याय पंचायत स्तर से चयन नहीं होता है। खिलाड़ी जनपद स्तर से सीधे नगरपालिका, नगर निगम/ जिला में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करता है तथा मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है। अन्य प्रक्रिया **क्रमांक–4** के अनुसार।
6.	**राजकीय सेवाओं में आउट ऑफ टर्न सेवायोजन/**	अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता उत्तराखण्ड राज्य के खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत राजपत्रित /अराजपत्रित पदों (लेवल–5 से लेवल–10 तक) पर आउट ऑफ टर्न	अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय खेलों यथा– ओलम्पिक /पैराओलम्पिक खेल विश्व कप/ विश्व चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स	शासनादेश संख्या–728/VI-3/2023-33(7)2014 दिनांक 14.09.2023 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार खेल निदेशालय द्वारा सम्बन्धित विभागों से रिक्तियां प्राप्त करके उक्त खिलाड़ियों की नियुक्ति किये जाने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा तथा सम्बन्धित श्रेणी

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन/चयन प्रक्रिया
		पुरस्कार एवं प्रोत्साहन–रू. 3.00 लाख (प्रति प्रशिक्षण) प्रदान किया जाता है।		
4	मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना	08 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष P-SAT (Physical and Sports Aptitude Test) के आधार पर चयन कर प्रति जनपद 150–150 बालक–बालिकाओं 08 से 09 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 09 से 10 वर्ष के 25–25 खिलाड़ियों, 10 से 11 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 11 से 12 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 12 से 13 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 13 से 14 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी को **रू0 1500 प्रतिमाह एक वर्ष तक (छात्रवृत्ति) दी जाती है।**	आयु 08 से 14 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाएं उत्तरप्रदेश राज्य के स्थायी निवासी हों। (Physical and Sports Aptitude Test) शारीरिक दक्षता (Strength, Flexibility, Endurance, Speed, Coordination etc) आदि के परीक्षण हेतु 8 विभिन्न चरणों के बाद अधिक अंक से जिला स्तरीय प्रतियोगिता व मैरिट के आधार पर चयनित (टॉप 150) करने वाले बालक एवं बालिकाएं ही उक्त छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।	खेल निदेशालय द्वारा विज्ञापन के माध्यम से चयन का आयोजन समाचार पत्र **माह अप्रैल में प्रकाशित किया जायेगा।** चयन प्रक्रिया सामान्यतः **प्रत्येक वर्ष 15 मई से 15 जून के मध्य सम्पन्न** करा ली जाती है और चयन एवं निर्धारित की जानकारी सम्बन्धित जिला क्रीड़ाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। प्रत्येक विद्यालय (राजकीय/अशासकीय/प्राइवेट सभी) से अधिकतम 02 बालक/बालिकाएं प्रत्येक आयुवर्ग में प्रतिभाग कर सकेंगे। इन बालक–बालिकाओं का चयन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा स्वयं किया जायेगा। विद्यालय स्तरीय चयन हेतु (Physical and Sports Aptitude Test) की बाध्यता नहीं होगी फिर भी विद्यालय प्रचार–प्रसार के माध्यम से एवं इस पद्धति की जानकारी दी जायेगी, ताकि खिलाड़ियों का प्रारम्भिक स्तर पर जानकारी मिल सके। **आगे की प्रक्रिया** – जनपदों द्वारा ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर निम्नवत चयन प्रक्रिया करायी जाती है।

क्र. सं.	स्तर	प्रतियोगी स्रोत	आगे स्तर हेतु चयनित संख्या
1	ग्राम पंचायत/नगर निकाय	प्रत्येक विद्यालय से– 02 बालक एवं बालिकाएं प्रतिभागी	विकासखण्ड स्तर हेतु– 02 बालक एवं 02 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग
2	विकास खण्ड/नगर पालिका/नगर निगम स्तरीय चयन प्रक्रिया	प्रत्येक विद्यालय से– 02 बालक एवं 02 बालिकाएं प्रतिभागी	जनपद स्तर हेतु– (क) नगर पालिका से– 02 बालक एवं 02 बालिका प्रति आयु वर्ग [illegible] हेतु प्रति नगर पालिका– 02 बालक एवं 02 बालिका प्रति आयुवर्ग (ख) नगर निगम से 04 बालक एवं 04 बालिका प्रति आयु वर्ग
3	(क) जनपद स्तरीय प्रतियोगिता हेतु	ग्राम पंचायत/नगर पंचायत से – 02 बालक एवं 02 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग	जनपद स्तर हेतु– विकास खण्ड से –02 बालक एवं 02 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग, [illegible] हेतु प्रति [illegible] – 02 बालक एवं 02 बालिका प्रति आयुवर्ग

PROGRAMME IMPL

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/मानकी	आवेदन/चयन प्रक्रिया
	खिलाड़ियों को नौकरी	समायोजन/नौकरी प्रदान की जाती है।	[illegible] राज्य के खिलाड़ी। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिन्टन, [illegible] बॉक्सिंग [illegible] [illegible] फुटबाल [illegible] हॉकी [illegible] कबड्डी, खो-खो एवं [illegible]। उपरोक्त खेल की आगामी [illegible] खिलाड़ी द्वारा [illegible] प्रतियोगिता [illegible] शर्तें लागू होंगी।	[illegible] खिलाड़ियों को [illegible] आवेदन [illegible] नियुक्ति प्रदान की जाएगी। [illegible] सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किया जायेगा। [illegible] खिलाड़ियों को [illegible] नियुक्ति [illegible] की जायेगी। [illegible] खिलाड़ी [illegible] हेतु आवेदन करना होगा। [illegible] आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
९.	विभाग के अन्तर्गत कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति	विभाग द्वारा 11 माह के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर खेल प्रशिक्षक नियुक्त किये जाते है जिन्हें न्यूनतम रु0 [illegible]/- से अधिकतम रु0 [illegible]/- तक का मानदेय दिया जाता है।	राज्य के खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक। खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक की न्यूनतम आयु 21 एवं अधिकतम [illegible] वर्ष। कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक हेतु मूल/	[illegible] खेल निदेशालय द्वारा [illegible] खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला जाता है जिसमें ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन लिया जाता है। प्रशिक्षक को आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, शैक्षिक योग्यता, खेल योग्यता/ डिप्लोमा/ [illegible]

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन/चयन प्रक्रिया
			स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है।	अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होता है। चयन समिति द्वारा समस्त दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरान्त सही पाये जाने पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
3.	**भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता/ पेंशन**	राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को प्रत्येक माह वित्तीय आर्थिक सहायता/पेंशन न्यूनतम रू0 4000/– एवं अधिकतम रू0 10,000/– जीवन भर के लिए प्रदान की जाती है।	ओलम्पिक खेल, विश्व कप/ विश्व चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एफ्रो–एशियन खेल, सैफ खेल, पैरा ओलम्पिक/स्पेशल ओलम्पिक (अंतर्राष्ट्रीय) मानसिक/ शारीरिक दिव्यांग खिलाड़ी, विश्व मैराथन शारीरिक/ मानसिक (दिव्यांग)/पैरा ओलम्पिक अंतर्राष्ट्रीय वेटरन(मास्टर्स) चैम्पियनशिप के ऐसे भूतपूर्व पदक विजेता/ प्रतिभाग करने वाले उत्तराखण्ड के खिलाड़ी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा जो कहीं अन्य सेवायोजित न हों अथवा निजी साधनों से होने वाली आय रू0 20,000/–प्रतिमाह से अधिक न हो, पात्र होंगे।	खेल निदेशालय द्वारा आवेदन पत्र आमन्त्रित करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा सम्बन्धित खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने/पदक प्राप्त करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, उक्त प्रमाण–पत्र के साथ खेल निदेशालय में आवेदन जमा करना पड़ता है।

****

PROGRAMME I… ON

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक)

क्र०	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	[illegible]	पात्रता/योग्यता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	रिमोट सेंसिंग व जीआईएस एवं एप्लीकेशन पर ट्रेनिंग/क्षमता विकास कार्यक्रम/शोध कार्य	➤ केन्द्र में राज्य सरकार द्वारा दिए गये वैज्ञानिक शोध परियोजनाओं में प्रोजेक्टों अन्तर्गत समय का निर्धारण किया है जो कार्य एवं एप्लीकेशन कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण निःशुल्क होता है। इसमें शोधार्थियों [JRF/SRF/Project scientist] को चयनित किया संस्था द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत fellowship, HRA आदि प्रदान की जाती है। भोजन व आवास की व्यवस्था शोधार्थियों द्वारा स्वयं की जाती है। ➤ राज्य में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर अन्तिम छमाही/वर्ष के विद्यार्थियों को Dissertation व स्नातक के विद्यार्थियों को internship कार्य के माध्यम से रिमोट सेंसिंग व जी. आई. एस. एप्लीकेशन कार्य हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उक्त प्रशिक्षण निःशुल्क होता है। इस अवधि में भोजन व आवास की व्यवस्था विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की जाती है। ➤ आपदाग्रस्त/संवेदनशील समय–समय पर विभिन्न रेखीय विभागों के लिए रिमोट सेंसिंग व जी. आई. एस. के प्रशिक्षण/क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जिसमें हेतु रिमोट सेंसिंग व जीआईएस के क्षेत्र में आयोजित क्षमता विकास कार्यक्रम हेतु	➤ भारत के किसी भी संस्था/विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर (भूगर्भ विज्ञान वर्ग) उत्तीर्ण श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी। ➤ भारत के किसी भी प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय/केन्द्रीय/राजकीय/प्राईवेट के स्नातकोत्तर (भूगर्भ विज्ञान वर्ग) अन्तिम छमाही/वर्ष के विद्यार्थी। ➤ केन्द्र सरकार के शामिल व राज्य के विभिन्न रेखीय विभाग के शामिल।	➤ प्रोजेक्ट में आवश्यकता होने पर यू–सैक की वेबसाइट (www.u-sac.in) पर सूचना प्रदान की जाती है तथा निर्धारित अवधि में ऑन–लाईन–ई–मेल/डाक के माध्यम से आवेदन लिये जाते है। जिस हेतु विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर (प्रथम श्रेणी) एवं अन्य शैक्षिक दस्तावेज, अनुभव आदि की छायाप्रति प्रस्तुत कर साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है। चयनित होने पर शोधार्थियों को शोध स्टाइपेंड (fellowship) दिया जाता है। ➤ विश्वविद्यालय के कुलपति/डीन/विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर (भूगर्भ विज्ञान वर्ग) अन्तिम छमाही/वर्ष के छात्र/छात्राओं को यू–सैक के निदेशक को केन्द्र में Dissertation/internship के लिए अनुरोध पत्र दिया जाता है। जिस हेतु निदेशक यू–सैक को छात्र/छात्राओं के नाम से पत्र प्रेषित कर निदेशक यू–सैक की स्वीकृति के आधार पर प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाता है। प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण के लिए प्रशिक्षार्थी के समस्त दस्तावेज, परिचय प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ आदि की आवश्यकता होती है। ➤ विभागीय शामिल अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से यू–सैक के निदेशक को अनुरोध पत्र प्रेषित करेंगे। यू–सैक द्वारा समय–समय पर रेखीय विभागों हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें विभागाध्यक्ष द्वारा नामित विभिन्न स्तर के

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		रेखीय विभागों से प्रतिभाग हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इस अवधि में भोजन आवास की सुविधा सम्बन्धित विभाग द्वारा यू –सैक के सहयोग से किया जाता है। ➤ समय–समय पर अनुरोध पर व आवश्यकतानुसार प्रदेश के विभिन्न डिग्री कॉलेजों/स्कूलों में भौगोलिक सूचना प्रणाली पर कार्यशाला आयोजित करना तथा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए प्रेरित करना। यू –सैक द्वारा एक दिवसीय **प्रशिक्षण निशुल्क** दिया जाता है जिसमें भोजन एवं परिवहन की व्यवस्था निशुल्क की जाती है यू –सैक द्वारा इसमें आवास की व्यवस्था नहीं की जाती है।	➤ राज्य में स्थित प्राइवेट/ राजकीय/ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/ कॉलेज के मुख्यतः स्नातक व उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी	अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है इसके अतिरिक्त रेखीय विभागों के अनुरोध पर उनकी आवश्यकतानुसार समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। व्यक्ति विशेष हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। ➤ संस्थानों/डिग्री कॉलेज के प्राचार्य विभागाध्यक्ष डीन द्वारा यू–सैक के निदेशक को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाता है तथा यू–सैक प्रशिक्षण की अवधि निर्धारित कर अवगत कराता है तथा सम्बन्धित कॉलेज/विद्यालय अपने विद्यार्थियों को विजिट हेतु ला सकते हैं।

*****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू–सर्क)

		जनपदों के उच्च शिक्षण संस्थानों के UG/PG/Researchers/ Teachers द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। इस आवासीय प्रशिक्षण के दौरान भोजन, भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है।	स्नातकोत्तर स्तर के छात्र–छात्राएं, शोधार्थी एवं प्राध्यापक	आवेदनों को पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर चयन) के उपरांत चयनित छात्र–छात्राएं निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

****

PROGRAMME ... IMPLEMENT

विज्ञानधाम–(यू–कॉस्ट), उत्तराखण्ड

यूकॉस्ट परिसर, विज्ञान धाम, झाझरा में तीन दिवसीय 17वीं उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस –2023 के अन्तर्गत 'प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस' के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, उत्तराखण्ड प्रथम विज्ञान यात्रा एवं विज्ञान पर चर्चा पुस्तकों का विमोचन किया। दिनांक 16 फरवरी 2023

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू0-सर्क)

क्र	शिक्षण / प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	E-Content का विकास एवं प्रसारण	[illegible]	प्रदेश के समस्त छात्र-छात्राएं	[illegible]
2	STEM (Science Technology Engineering Mathematics) प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं उपयोग।	[illegible] Hands-on-Activities [illegible]	STEM [illegible]	STEM [illegible]
3	विभिन्न क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन।	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Experiential Learning के अन्तर्गत शिक्षक [illegible]	[illegible] One week Hands-on training (Certificate programme) [illegible]	[illegible]	[illegible]

उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञानधाम (U-COST)

क्र	कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	आंचलिक विज्ञान केंद्र	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	कक्षा 6 से 12 तक के [illegible]	[illegible] rscdehradoon@gmail.com [illegible] scdoonai@gmail.com [illegible]
3	राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्र	कार्यक्रमों का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4	**शोध अनुसंधान एवं विकास**	राज्य हित से विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक शोध के माध्यम से निदान हेतु शोध अनुसंधान को बढ़ाने के लिए अनुदान दिया जाता है। राज्यभर के सरकारी/ गैर सरकारी महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों/ शोधसंस्थान के शैक्षणिक वैज्ञानिक संवर्ग/ तकनीकी संस्थान/ शोधार्थी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं।	वैज्ञानिक/ शोधार्थी।	प्रस्ताव परिषद को निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित करने के उपरान्त परिषद स्तर पर गठित परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठक में प्रस्तुतीकरण के उपरान्त समिति की अनुशंसा पर। आवश्यक दस्तावेज–प्रस्ताव संस्था (विश्वविद्यालय, कालेज) के अध्यक्ष से अग्रसारित करना जरूरी है।
५	**यात्रा अनुदान**	शोधकर्त्ताओं तथा वैज्ञानिकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली वैज्ञानिक कार्यशालाओं आदि कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिये परिषद द्वारा यात्रा अनुदान भी दिया जाता है। यात्रा का यात्रा खर्च (अधिकतम धनराशि रू0 25,000) इस योजना के अन्तर्गत राज्य के शोधकर्त्ताओं तथा वैज्ञानिकों को दिये जाने की व्यवस्था है।	राज्य के शोधकर्त्ताओं तथा वैज्ञानिकों	वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रारूप (परिषद की वेबसाईट https://ucost.uk.gov.in/पर उपलब्ध) के अनुसार देना होगा एवं विभागाध्यक्ष से अग्रसारित भी कराना होगा।

*****

जैव प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखण्ड

				से प्राप्त किये जाते हैं।
3	**कृषक–वैज्ञानिक संगोष्ठी**	परिषद् कृषक–वैज्ञानिक संगोष्ठियों के माध्यम से प्रदेश के किसानों को विषय–विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन देकर जैव प्रौद्योगिकी आधारित कृषिकरण एवं पशुपालन में आ रही समस्याओं को निराकरण करती है। साथ ही हाईड्रोपोनिक, मृदा रहित खेती एवं ऑर्गेनिक के कृषिकरण, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन इत्यादि की तकनीकी जानकारी प्रदान करके उनको स्वरोजगार के साथ उनके आर्थिकी को बढ़ाने के लिए सतत् रूप से प्रयासरत् है।	युवा किसान, स्वयं सहायता समूह एवं पशुपालक।	परिषद् द्वारा समय–समय पर ऐसे संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। प्रतिभाग हेतु विभिन्न क्षेत्रों के किसानों, युवाओं एवं कृषि से जुड़े छात्र–छात्राओं को प्रकाशित विज्ञप्ति, लिफलेट एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से अवगत कराकर इच्छुक अभ्यर्थियों का पंजीकरण कराया जाता है, तदोपरान्त प्रशिक्षण/ संगोष्ठी सम्पादित की जाती है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में जे बी टावर लिमिटेड कम्पनी तथा यस बैंक द्वारा सीएसआर के तहत लगाये गये हैल्थ एटीएम का लोकार्पण किया।

दिनांक 08 अप्रैल, 2022

उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् हल्दी, पंतनगर (कृषि विभाग, उत्तराखण्ड)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं लाभ प्रक्रिया
1	ईजा-बोई शगुन योजना	जच्चा-बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य हेतु प्रसव उपरान्त सरकारी अस्पताल में 48 घण्टे रुका करने वाली सभी धात्री प्रसूताओं को रू0 2000/- प्रोत्साहन धनराशि के रूप में दी जाती है।	प्रसूता महिला उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी होनी अनिवार्य है। सरकारी अस्पतालों में प्रसव किया हो।	प्रसूता महिला का सरकारी चिकित्सालय में प्रसव होने के उपरान्त सम्बंधित चिकित्सालय द्वारा प्रसूता महिला का आधार लिंक्ड बैंक खाता प्राप्त किया जाता है तथा चिकित्सालय द्वारा महिला को रू0 2000/- की धनराशि भुगतान करने की कार्यवाही की जाती है जो बाद में महिला के खाते में आती है।
2	कैंसर के केयर सेंटर	कैंसर का प्रारम्भिक अवस्था में पता लगाने और उपचार शुरू करने के लिए उत्तराखण्ड के सभी जिलों में सामान्य कैंसर (ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल) की निःशुल्क जांच की जा रही है।	सभी कैंसर रोगी	कैंसर रोगियों को कीमोथेरेपी एवं प्रशामक और अन्य डे केयर सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी 13 जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। अतिरिक्त रूप उत्तराखण्ड के 10 पहाड़ी जिलों में कैंसर डे केयर यूनिट की स्थापना की गई है। सम्बंधित चिकित्सालय में जाकर उक्त सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
3	संस्थागत प्रसव को बढ़ावा।	सभी जनपदों में चिकित्सा आपातकालीन में बर्थ वेटिंग हेतु दुर्गम चिन्हित क्षेत्रों के गर्भवती महिलाओं को सम्भावित प्रसव तिथि से 10 दिन पूर्व जिला चिकित्सालय के नजदीक Birth Waiting Room के रूप में सुसज्जित "One Stop Centre" (महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित) किये जा रहे हैं। मे निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से की जा रही है जिससे आपातकाल के प्रसव की स्थिति होने पर प्रसूता को नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती करवाकर समयानुसार प्रसव की सुविधाओं के माध्यम से सुरक्षित प्रसव करवाया जा सके। प्रत्येक जनपद में एक "One Stop Centre" संचालित है।	सभी गर्भवती महिलाएं	नजदीकी आशा/ आंगनबाड़ी / एएनएम से सम्पर्क कर उक्त सुविधा प्राप्त की जा सकती है।
4	चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया (दिव्यांगता प्रमाणित करने	दिव्यांगता प्रमाणित करने हेतु तथा विभिन्न प्रकार [illegible] की पेंशन आवृत्ति, सेवायोजन में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु यह प्रमाण पत्र आवश्यक है।	दिव्यांग व्यक्ति	दिव्यांग व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने हेतु सर्वप्रथम अपने जनपद के जिला चिकित्सालय में आवेदन करना होता है जहां पर [illegible] फार्म निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। उसके उपरान्त [illegible]

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	हेतु)			अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। दिव्यांग व्यक्ति अपने साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी/राशन कार्ड एवं पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेगा। अधिसूचित दिवसों को जिला चिकित्सालयों में सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित होते हैं तथा उनके द्वारा दस्तावेजों की जांच/आकलन के आधार पर चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं सम्बन्धित दिव्यांग को उपलब्ध कराया जाता है। यदि उपस्थित सम्भव न हो तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
6	दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यू०आई०डी० कार्ड) बनाने की प्रक्रिया।	दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक व्यक्तियों को समाज कल्याण एवं अन्य विभागों की पेंशन, छात्रवृत्ति तथा सरकारी सेवाओं सुविधाएं प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा यू०आई०डी० कार्ड को अनिवार्य किया गया है।	भारत के समस्त ऐसे दिव्यांग व्यक्ति, जिनका दिव्यांग चिकित्सा प्रमाण पत्र बना हो, वे पात्र होंगे।	दिव्यांग व्यक्ति को यू०आई०डी० कार्ड बनाने हेतु स्वयं https://www.swavlambancard.gov.in पर ऑनलाइन कर सकता है या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक का आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता विवरण, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर एवं चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। उक्त पोर्टल पर पंजीकरण के उपरान्त यू०आई०डी० कार्ड जारी हेतु संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास ऑनलाइन जाता है। उसके बाद चिकित्साधिकारी द्वारा जांच में सही पाये जाने पर भारत सरकार को ऑनलाइन भेजा जाता है तथा भारत सरकार के द्वारा यह कार्ड जारी कर संबंधित व्यक्ति के पते पर भेजा जाता है। व्यक्ति इस कार्ड को उक्त पोर्टल से भी डाउनलोड करके प्रिंट कर सकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाएं / कार्यक्रम

PROGRAMME IMPLEMENTATION

क्र.	योजना / कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)	निःशुल्क प्रसव की सुविधा, जिसके अन्तर्गत नॉर्मल डिलीवरी/सिजेरियन डिलीवरी, दवाईयाँ एवं अन्य उपभोग्य वस्तुएँ, जाँच तथा अल्ट्रासोनोग्राफी आदि, रक्त ट्रांसफ्यूजन की सुविधा आवश्यकता होने पर दी जाती है। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन सुविधा (सामान्य प्रसव में 3 दिन तथा सिजेरियन प्रसव में 7 दिन तक) तथा घर से चिकित्सालय तक जाने की सुविधा, यदि अस्पताल द्वारा रेफर किया जाता है तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जाने तथा घर वापस आने के लिए निःशुल्क ट्रान्सपोर्ट सुविधा दी जाती है। बीमार नवजात शिशु के लिए जन्म के बाद एक वर्ष तक निःशुल्क उपचार, दवाईयाँ, जाँचें तथा निःशुल्क रक्त ट्रांसफ्यूजन की सुविधा (आवश्यकता होने पर) तथा घर से अस्पताल एवं एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने तथा घर वापस आने के लिए निःशुल्क ट्रान्सपोर्ट सुविधा।	गर्भवती महिलाओं के लिए सरकारी चिकित्सालयों में प्रसव पूर्व (ANC)/ प्रसवोत्तर (PNC) सेवायें, सभी प्रसव की सभी गर्भवती महिलाओं तथा शिशु (जन्म के बाद एक वर्ष तक) को यह सुविधा दी जाती है।	गर्भवती महिला अथवा शिशु (जन्म के बाद एक वर्ष तक) का किसी भी सरकारी चिकित्सालय में पंजीकरण आवश्यक है। पंजीकरण कराने की प्रक्रिया एवं दस्तावेज- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं के लाभ के पात्रता की कोई सीमा नहीं है। प्रदेश की किसी भी गर्भवती महिला को स्वास्थ्य लाभ के उपरांत किसी भी प्रकार के कागजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। गर्भवती महिलाओं का RCH पोर्टल https://rch.nhm.gov.in/RCH/ पर पंजीकरण आशा/ए.एन.एम./चिकित्सक द्वारा किया जाता है तथा उनको यूनिक RCH ID एवं MCP Card ANM कार्यकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है जिससे गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य का सम्पूर्ण विवरण होता है।
2.	जननी सुरक्षा योजना (JSY)	गर्भवती महिलाओं को राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सालय में प्रसव कराने पर शहरी क्षेत्र की महिला को रू0-1000 एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला को रू0-1400 की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है।	गर्भवती महिलाएं	सरकारी चिकित्सालयों में पंजीकरण कराकर प्रसव कराने पर प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। **पंजीकरण की प्रक्रिया–** स्थानीय कार्यकर्ता के माध्यम से अथवा आशा कार्यकर्ता न होने की दशा में गर्भवती महिलाएं स्वयं भी अपना पंजीकरण नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में करा सकती हैं। जिसके लिए गर्भवती महिला का बैंक खाता, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर आदि होना जरूरी है। प्रसव कराने के उपरान्त अगले एक सप्ताह के भीतर धनराशि का भुगतान महिला के खाते में हो जाता है।
3.	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)	सरकारी चिकित्सालयों में प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं एवं उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच के दौरान ANC में विशेषज्ञ चिकित्सक जांचें एवं Ultrasound की सुविधा सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क प्रदान की जाती है।	गर्भवती महिलाएं	गर्भवती महिलाओं को सरकारी चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के लिए पंजीकरण कराने पर यह सुविधा प्रदान की जाती है। पंजीकरण संबंधित चिकित्सालय में ए.एन.एम./आशा/चिकित्सक द्वारा किया जाता है तथा पंजीकरण हेतु महिला का आधार कार्ड अथवा कोई पहचान पत्र अनिवार्य होता है।

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>योजना/ कार्यक्रम का नाम</th><th>लाभ</th><th>पात्रता</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td>4.</td><td>टीकाकरण कार्यक्रम</td><td>गर्भवती महिलाओं व शिशुओं के बचाव हेतु सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यू०आई०पी०) के अन्तर्गत निःशुल्क टीकाकरण निम्नवत निर्धारित अवधि में किया जाता है:-
<table>
<tr><th colspan="3">National Immunization Schedule</th></tr>
<tr><th>Vaccine</th><th>Dose</th><th>Vaccination Age</th></tr>
<tr><td>BCG</td><td>1 dose</td><td>At birth (Upto one year)</td></tr>
<tr><td>OPV</td><td>5 doses</td><td>At birth, 6 week, 10 week, 14 week and 16-24 months</td></tr>
<tr><td>FIPV</td><td>3 doses</td><td>6 week, 14 week, & 9 month</td></tr>
<tr><td>Hepatitis-B</td><td>1 dose</td><td>At birth</td></tr>
<tr><td>Pentavalent</td><td>3 doses</td><td>6 week, 10 week, 14 week</td></tr>
<tr><td>RVV</td><td>3 doses</td><td>6 week, 10 week, 14 week</td></tr>
<tr><td>PCV</td><td>3 doses</td><td>6 week, 10 week, 14 week</td></tr>
<tr><td>MR</td><td>2 doses</td><td>9 month & 16-24 month</td></tr>
<tr><td>JE (in endemic district only)</td><td>2 doses</td><td>9 month & 16-24 month</td></tr>
<tr><td>DPT</td><td>2 doses</td><td>16-24 month & 5-6 year</td></tr>
<tr><td>Td</td><td>2 doses</td><td>10 year & 16 year</td></tr>
</table></td><td>0–16 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे जिन्हें टीकाकरण की आवश्यकता हो।</td><td>टीकाकरण की सुविधा समस्त राजकीय चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है जिसमें 0–16 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चे टीकाकरण का लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण हेतु बच्चों को सम्बन्धित राजकीय चिकित्सालयों में ले जाना पड़ता है तथा बच्चे का जन्म सम्बन्धी प्रमाण / पंजीकरण की आवश्यकता होती है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम</td><td>बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 0–5 वर्ष तक के बच्चों को चिकित्सा सुविधा एस०एन०सी०यू०, एन०बी०एस०यू० एवं एन०आर०सी० के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके साथ ही आशा/आंगनबाड़ी कार्यकत्री/ANM द्वारा Vitamin A, IFA Syrup 0-5 Month तक के बच्चों को निःशुल्क वितरित की जाती है।</td><td>0–5 वर्ष तक के बच्चे</td><td>राज्य के जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एस०एन०सी०यू०, एन०बी०एस०यू० एवं एन०आर०सी० संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में पंजीकरण कराकर सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>किशोर स्वास्थ्य परामर्श क्लीनिक</td><td>किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक में निःशुल्क परामर्श प्रदान की जाती है।</td><td>राज्य के समस्त किशोर (10 से 19 वर्ष)</td><td>राज्य के 13 जिला चिकित्सालयों, 22 उप जिला चिकित्सालयों तथा 48 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पंजीकरण कराने पर निःशुल्क परामर्श प्रदान किया जाता है।</td></tr>
</table>

क्र.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	पात्रता	लाभुक चयन प्रक्रिया एवं प्रदान प्रक्रिया
7.	[illegible]	राज्य के सभी राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को [illegible] निःशुल्क [illegible] किया जाता है।	[illegible]	[illegible] राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के [illegible] छात्र-छात्राओं को [illegible] किया जाता है।
8.	सैनिटरी नैपकिन वितरण	किशोरियों को मासिक धर्म के दौरान [illegible] स्वच्छता की आदत विकसित करने हेतु [illegible] 6/- भुगतान करने पर सैनिटरी नैपकिन [illegible] प्रदान किया जाता है।	राज्य की 10 से 19 वर्ष की [illegible] किशोरियां	सैनिटरी नैपकिन [illegible] उपलब्ध [illegible] है।
9.	निःशुल्क दवा योजना	जिला चिकित्सालयों एवं [illegible] चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क दवाएं प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत [illegible] दवाएं निःशुल्क दी जाती है।	राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में [illegible] हेतु आने वाले [illegible] निःशुल्क [illegible]	राज्य के [illegible] चिकित्सालयों एवं जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में [illegible] उपलब्ध है। [illegible] Daily/Hospital Package [illegible] किया जाता है [illegible] की [illegible] द्वारा निःशुल्क दवाएं दी जाती है।
10.	108, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा	किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना [illegible] चिकित्सालय तक पहुँचाना तथा [illegible] चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। [illegible] एम्बुलेंसों के माध्यम से [illegible] है।	दुर्घटना [illegible] एवं आपातकालीन सेवा हेतु	108 नम्बर पर [illegible] निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
11.	[illegible] सेवा	[illegible] गर्भवती महिलाओं [illegible] निःशुल्क चिकित्सालय [illegible] चिकित्सालय तक [illegible] निःशुल्क सुविधा 102 [illegible] के माध्यम से [illegible] उपलब्ध कराई जा रही है।	गर्भवती महिलाएं [illegible] 01 वर्ष तक के [illegible] शिशु हेतु	102 नम्बर पर [illegible] निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
12.	[illegible] डायलिसिस कार्यक्रम	राज्य में [illegible] डायलिसिस [illegible] निःशुल्क डायलिसिस [illegible] किया जा रहा है। 1. [illegible] 2. जिला अस्पताल [illegible] 3. [illegible] 4. जिला अस्पताल [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible] 7. [illegible] 8. जिला अस्पताल [illegible] 9.	[illegible] रोगी, [illegible] रोगी एवं अन्य रोगी।	[illegible] डायलिसिस [illegible] रोगी डायलिसिस [illegible] हेतु [illegible] है। [illegible] डायलिसिस [illegible] हेतु [illegible] राज्य की [illegible] चिकित्सा [illegible]

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य	समस्या	अपेक्षित प्रगति एवं समाधान प्रक्रिया
		जिला अस्पताल, रूद्रप्रयाग 10. उप जिला अस्पताल, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल, 11. उप जिला अस्पताल, खटीमा, उधम सिंह नगर, 12. जिला अस्पताल, उत्तरकाशी 13. जिला अस्पताल, पौड़ी गढ़वाल, 14. दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून। राज्य के 06 डायलिसिस केन्द्रों कोरोनेशन अस्पताल देहरादून, मेला अस्पताल, हरिद्वार, बेस अस्पताल, हल्द्वानी, नैनीताल, बेस अस्पताल, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, जिला अस्पताल, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर में राज्य के आयुष्मान कार्डधारक रोगियों, राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बी0पी0एल0 आई0 कार्ड रोगियों को निःशुल्क एवं अन्य रोगियों को निम्नलिखित निर्धारित दरों पर डायलिसिस सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। रू0 1028/- प्रति डायलिसिस सेशन की दर से मेला अस्पताल, हरिद्वार, बेस अस्पताल, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल एवं जिला अस्पताल, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर डायलिसिस केन्द्रों में। रू0 1280/- प्रति डायलिसिस सेशन की दर से कोरोनेशन अस्पताल, देहरादून एवं बेस अस्पताल, हल्द्वानी, नैनीताल डायलिसिस केन्द्रों में।		जो अनुलग्नक 1 में अंकित है, में रोगियों को डायलिसिस उपचार की सुविधा अर्न्तगत में प्रदान की जाती है।
13.	निःशुल्क रक्त	योजना के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती समस्त रोगियों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जाता है।	राजकीय चिकित्सालय में भर्ती समस्त रोगी जिन्हें रक्त की आवश्यकता हो।	रक्त की आवश्यकता होने पर राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती रोगी को राजकीय रक्तकोषों द्वारा रक्त निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। राज्य की कुल 23 चिकित्सा इकाईयों में रोगियों को निःशुल्क रक्त की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 1. जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा 2. उप-जिला चिकित्सालय, रानीखेत 3. जिला चिकित्सालय, बागेश्वर 4. जिला चिकित्सालय, चमोली 5. जिला चिकित्सालय, चम्पावत 6. दून चिकित्सालय 7. राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून 8. उप-जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश 9. जिला चिकित्सालय हरिद्वार 10. उप-जिला चिकित्सालय, रूड़की 11. जिला चिकित्सालय, नैनीताल 12. बेस चिकित्सालय हल्द्वानी 13. सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज 14. जिला चिकित्सालय, पौड़ी 15. बेस चिकित्सालय, कोटद्वार 16. श्रीनगर

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना / कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं प्राप्त करने का स्थान
				राजकीय मेडिकल कॉलेज, 17. जिला चिकित्सालय [illegible] 18. जिला चिकित्सालय [illegible] 19. जिला चिकित्सालय टिहरी 20. जिला चिकित्सालय [illegible] सिंह नगर 21. जिला चिकित्सालय [illegible] 22. उप-जिला चिकित्सालय [illegible] 23. जिला चिकित्सालय [illegible]
14.	हीमोफीलिया [illegible]	इस योजना के अन्तर्गत हीमोफीलिया के ग्रसित रोगी को निःशुल्क [illegible] फैक्टर [illegible] निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। थैलेसीमिया के ग्रसित को निःशुल्क थैलेसीमिया [illegible] उपलब्ध कराया जाता है।	हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से ग्रसित समस्त रोगी।	हीमोफीलिया के ग्रसित रोगी [illegible] [illegible] चिकित्सालय [illegible] जिला चिकित्सालय [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] रोगी [illegible] [illegible] [illegible] चिकित्सालय में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जिसके उपरान्त निःशुल्क [illegible] फैक्टर [illegible] [illegible] हैं। हीमोफीलिया से ग्रसित रोगी को चिकित्सालय [illegible] [illegible] [illegible] से थैलेसीमिया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] निःशुल्क थैलेसीमिया [illegible] प्राप्त कर सकते हैं। [illegible] हीमोफीलिया के ग्रसित रोगी [illegible] [illegible] (निःशुल्क) [illegible] हीमोफीलिया [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] कर सकते हैं।
15.	[illegible] [illegible] की [illegible]	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत [illegible] की 104 हेल्पलाइन [illegible] दिन [illegible] पर संचालित किया जा रहा है। इसमें [illegible] के माध्यम [illegible]/जानकारी प्राप्त की जा सकती है।	सभी जन मानस	इसके हेतु 104 नम्बर पर [illegible] सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
16.	राष्ट्रीय [illegible] उन्मूलन कार्यक्रम	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] निःशुल्क उपलब्ध है। [illegible] [illegible] रोगियों को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के अन्तर्गत [illegible] [illegible] रू0 800/- [illegible] प्रदान किया जाता है।	[illegible] [illegible] [illegible] रोग से ग्रसित व्यक्ति।	राष्ट्रीय [illegible] उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] रोग से ग्रसित व्यक्तियों को [illegible] [illegible] केन्द्र में निःशुल्क [illegible] किया जाता है। [illegible] हेतु रोगी का [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आवश्यक होता है।
17.	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP)	तम्बाकू का सेवन कर रहे व्यक्तियों को जिला चिकित्सालयों में स्थापित तम्बाकू उन्मूलन केन्द्रों में [illegible] [illegible] के द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] प्रदान कर तम्बाकू की लत से छुटकारा दिलाया जाता है।	समस्त आयु वर्ग के व्यक्ति।	तम्बाकू का सेवन कर रहे व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय में स्थापित तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं लाभ प्रक्रिया
			राशन कार्ड के साथ आधार लिंक मोबाइल नंबर।	राज्य लाभार्थी ऑनलाइन आयुष्मान कार्ड तैयार करने हेतु https://beneficiary.nha.gov.in/ पर अपना पंजीकरण कर सकता है। अनुश्रवित कार्ड बनाने एवं आयुष्मान योजना से संबंधित शिकायत अथवा जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 155368 (राज्य में) तथा 1800-180-5368 (राज्य से बाहर) पर कॉल करें अथवा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेबसाइट https://sha.uk.gov.in/ पर संपर्क करें।
2	राज्य सरकारी स्वास्थ्य योजना	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त सरकारी कार्मिकों/ पेंशनरों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजकीय कार्मिकों/ पेंशनरों एवं उनके आश्रितों हेतु राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना 1 जनवरी 2021 से लागू है। जिसमें निर्धारित चिकित्सा उपचार निःशुल्क है।	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/ पेंशन धारकों द्वारा गोल्डन कार्ड बनवाया गया है, ई.एच.एस. सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।	[illegible] कार्मिकों/ पेंशनरों द्वारा [illegible] चिकित्सालयों [illegible] में कराया जाता है। राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में [illegible] उत्तराखण्ड [illegible] 2018 में उल्लिखित है। [illegible] योजना के अनुसार निर्धारित होगी। नोट – [illegible] 40 प्रतिशत [illegible] है [illegible]।

राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाएं

1	मानसिक संस्थान में रोगियों के पंजीकरण की प्रक्रिया	शासनादेश संख्या-773/XXVIII-4-2019-101/2019 दिनांक 17.09.2019 के अनुसार राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में मानसिक रोगों को आवास सहित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है।	संस्थान में सेवा के लिए जनपद/ राज्य से आने वाले मानसिक रोगी का उपचार किया जाता है।	मानसिक रोगी को संस्थान में बाह्य रोगी विभाग (ओ0पी0डी0) अथवा न्यायालय के आदेश से मनोरोग विशेषज्ञ/ चिकित्सक द्वारा निरीक्षण/ परीक्षण के उपरान्त की संस्तुति के आधार पर भर्ती किया जाता है। सामान्यतः भर्ती होने वाले मानसिक रोगी के साथ उनका नामित प्रतिनिधि/ पारिवारिक सदस्य/ रिश्तेदार की आवश्यकता होती है। रोगी निर्धारित की औपचारिकता व पारिवारिक सदस्य/ रिश्तेदार की पहचान आई0डी0 [illegible] संस्थान में जमा किया जाता है।

क्र.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं लाभ प्रक्रिया
				[illegible] राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के [illegible]
18.	राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB)	[illegible] चिकित्सालयों [illegible] नेत्र रोगों [illegible]	नेत्र रोग से [illegible]	[illegible]
19.	राष्ट्रीय पैलिएटिव केयर कार्यक्रम (NPPC)	[illegible] चिकित्सालयों [illegible] पैलिएटिव [illegible] [illegible] Cancer, Heart Disease, Lung Disease, Kidney Failure, Chronic Liver Disease, [illegible] Arthritis, [illegible] Disease, Congenital Anomalies, Dementia, HIV AIDS, ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) [illegible] Chronic Disease [illegible]	[illegible]	[illegible]
20.	राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NPHCE)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाएं		
1	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना)	उत्तराखण्ड [illegible] आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य [illegible] सितम्बर 2018 [illegible] अटल आयुष्मान [illegible] 25 दिसम्बर 2018 से लागू है। [illegible]	राष्ट्रीय [illegible]	[illegible]

चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मेडिकल/डेण्टल/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का विवरण –

1. मेडिकल

स्नातक पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	एम0बी0बी0एस0
नियामक परिषद	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	5½ वर्ष (4½ वर्ष + 01 वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इन्टर्नशिप)
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित नीट यू0जी0 प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	भारत सरकार / राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
वर्तमान में संचालित संस्थान	**राजकीय मेडिकल कॉलेज :–** 1. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल। 2. राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी। 3. राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून। 4. सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा। **निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज :–** 1. हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून। 2. श्री गुरु राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज, देहरादून। 3. गौतम बुद्धा चिकित्सा महाविद्यालय, देहरादून।
सीटों का विभाजन	**राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु** 85% राज्य कोटा (01 सीट सेन्ट्रल पूल कोटा एवं 01 सीट कश्मीरी विस्थापितों हेतु आरक्षित) 15% केन्द्रीय कोटा **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु** समय–समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार
शिक्षण शुल्क	**राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु :–** 1. बॉण्डेड छात्रों हेतु – रु0 50,000/– (प्रतिवर्ष) 2. नॉन बॉण्डेड छात्रों हेतु – रु0 1.45 लाख /– (प्रतिवर्ष) पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेजों (श्रीनगर गढ़वाल एवं अल्मोड़ा) के छात्रों हेतु रियायती दरों पर मेडिकल शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु अनिवार्य सेवा सम्बन्धी बॉण्ड सुविधा ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध है। **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु**

	समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
काउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु :–** **15 % केन्द्रीय कोटे हेतु** अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित मेडिकल काउन्सिलिंग कमेटी द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग के माध्यम से। **85% राज्य कोटे हेतु** कुलपति, हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। केन्द्रीय पूल कोटे की सीट पर भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा सीट आवंटन किया जाता है। **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु** समय–समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार कुलपति, हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय (केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु)	हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता, ई–मेल आई डी	न्यू सेन्ट्रल जेल टाउन, चौधा खाला, सुद्धोवाला, देहरादून-248011 Website- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	एम०डी० / एम०एस०, पोस्ट डिप्लोमा डी०एन०बी०, पोस्ट एम०बी०बी०एस० डी०एन०बी०, पोस्ट एम०बी०बी०एस० डिप्लोमा
नियामक परिषद	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	• एम०डी० / एम०एस० – (03 वर्ष) • पोस्ट एम०बी०बी०एस० डिप्लोमा – (02 वर्ष) • पोस्ट डिप्लोमा डी०एन०बी० – (02 वर्ष) • पोस्ट एम०बी०बी०एस० डी०एन०बी० – (03 वर्ष)
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित **नीट पीजी** प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	भारत सरकार / राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अर्हता मानकानुसार
वर्तमान में संचालित संस्थान	**राजकीय मेडिकल कॉलेज :–** 1. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल। 2. राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी। 3. राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून। **निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज :–** 1. हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून। 2. श्री गुरु राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज, देहरादून।

सीटों का विभाजन	**राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु** • एम०डी० / एम०एस० (50% राज्य कोटा तथा 50 % केन्द्रीय कोटा) • पोस्ट डिप्लोमा डी०एन०बी० (50% राज्य कोटा तथा 50 % केन्द्रीय कोटा) • पोस्ट एम०बी०बी०एस० डी०एन०बी० (50% राज्य कोटा तथा 50 % केन्द्रीय कोटा) • पोस्ट एम०बी०बी०एस० डिप्लोमा (50% राज्य कोटा तथा 50 % केन्द्रीय कोटा) **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु** समय–समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार
शिक्षण शुल्क	**राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम०डी०/एम०एस० (क्लीनिकल विषयों) हेतु** :– 1. बॉण्डेड छात्रों हेतु :– रू० 80,000/– (प्रतिवर्ष) 2. नॉन बॉण्डेड छात्रों हेतु :– रू० 5 लाख/– (प्रतिवर्ष) **राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम०डी०/एम०एस० (नॉन–क्लीनिकल विषयों) हेतु** :– रू० 01 लाख/– (प्रतिवर्ष) **राजकीय मेडिकल कॉलेजों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु** :– भारत सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (बॉण्ड अनिवार्य) राजकीय मेडिकल कॉलेजों में छात्रों हेतु रियायती दरों पर मेडिकल शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु अनिवार्य सेवा सम्बन्धी बॉण्ड सुविधा मात्र एम०डी०/एम०एस० (क्लीनिकल विषयों) में वैकल्पिक आधार पर उपलब्ध है। **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु** समय–समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में प्रदेश में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
काउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु** **1. एम०डी०/एम०एस० हेतु** **50% केन्द्रीय कोटे हेतु** अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित मेडिकल काउन्सिलिंग कमेटी द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग के माध्यम से। **50% राज्य कोटे हेतु** कुलपति, हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **2. पोस्ट डिप्लोमा डी०एन०बी० /पोस्ट एम०बी०बी०एस० डी०एन०बी० /पोस्ट एम०बी०बी०एस० डिप्लोमा** **50% केन्द्रीय कोटे हेतु** अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग के माध्यम से। **50% राज्य कोटे हेतु** कुलपति, हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु** समय–समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार कुलपति, हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा

	विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत ऑनलाइन काउंसलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय/ संस्था (केवल राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु)	1. **एम०डी०/एम०एस० पाठ्यक्रम हेतु** हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून 2. **पोस्ट डिप्लोमा डी०एन०बी० /पोस्ट एम०बी०बी०एस० डी०एन०बी०/पोस्ट एम०बी०बी०एस० डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु** आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम एवं ई-मेल आई०डी०	**हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।** [illegible] देहरादून–248011, Website:- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com **आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली।** मेडिकल एन्क्लेव, अंसारी नगर, महात्मा गांधी मार्ग, रिंग रोड, नई दिल्ली– 110029, Website:- www.natboard.edu.in.

2. डेन्टल पाठ्यक्रम –

स्नातक पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	बी०डी०एस०
नियामक परिषद	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	5 वर्ष (4 वर्ष + 01 वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इन्टर्नशिप)
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षिक सत्र हेतु आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित **नीट यूजी** प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	भारत सरकार / भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
राज्य में संचालित संस्थान	**निजी डेन्टल संस्थान–** 1. सीमा डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ऋषिकेश। 2. उत्तरांचल डेन्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून।
सीटों का विभाजन	**राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु** –50% राज्य कोटा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटा।
शिक्षण शुल्क	**राज्य स्थित निजी डेन्टल कॉलेजों हेतु** उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियमन) अधिनियम, 2006 (संशोधित) अधिनियम, 2015 एवं 2018 के अन्तर्गत गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क।
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
काउंसिलिंग प्रक्रिया	**राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु** 50% राज्य कोटे तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय	हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम, ई–मेल आई०डी०	[illegible] देहरादून–248001। Website:- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	एम०डी०एस०
नियामक परिषद	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	एम०डी०एस० – 03 वर्ष

प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित नीट (एन०ई०ई०टी०) प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	राज्य सरकार / भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अर्हता मानकानुसार
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (समय-समय पर संशोधित) व्यवस्था के अनुसार।
सीटों का विभाजन	**राज्य स्थित निजी डेंटल संस्थानों हेतु** 50% राज्य कोटा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटा
शिक्षण शुल्क	**राज्य स्थित निजी डेण्टल कॉलेजों हेतु** उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियमन) अधिनियम, 2006 (यथासंशोधित) अधिनियम, 2010 एवं 2018 के अन्तर्गत गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क।
काउंसिलिंग प्रक्रिया	**राज्य स्थित निजी डेंटल संस्थानों हेतु** 50% राज्य कोटे तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु काउंसिलिंग हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय	हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता एवं ई-मेल आई०डी०	**हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।** मधुबन आश्रम, पोस्ट ऑफिस दून विश्वविद्यालय, मोथरोवाला, देहरादून-248001. Website - www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com

3. **नर्सिंग पाठ्यक्रम :-**

डिप्लोमा / स्नातक पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	एएनएम (डिप्लोमा), जीएनएम (डिप्लोमा), बेसिक बी०एससी० नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी०एससी० नर्सिंग
नियामक परिषद	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	एएनएम (डिप्लोमा) – 02 वर्ष जीएनएम (डिप्लोमा) – 03 वर्ष 06 माह बेसिक बी०एससी० नर्सिंग – 04 वर्ष * पोस्ट बेसिक बी०एससी० नर्सिंग – 02 वर्ष
प्रवेश परीक्षा	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु :-** 100% राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु :-** 50% राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियमन) नियमावली के प्राविधानानुसार अथवा निजी नर्सिंग संस्थानों को राज्य सरकार के एन०ओ०सी० के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार व सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को केवल अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं।
शुल्क	**राजकीय नर्सिंग संस्थानों हेतु** एएनएम (डिप्लोमा) – रू० 4437/– प्रति वर्ष

	जी०एन०एम० (डिप्लोमा) – रू0 6713/– प्रति वर्ष बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग – रू0 11613/– प्रति वर्ष पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग – रू0 11613/– प्रति वर्ष **निजी नर्सिंग संस्थानों हेतु** ए०एन०एम० (डिप्लोमा) – रू0 41800/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रू0 62800/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) जी०एन०एम० (डिप्लोमा) – रू0 44000/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रू0 65000/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग – रू0 61800/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रू0 72800/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग – रू0 61800/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रू0 72800/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	भारत सरकार / भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रचलित मानकानुसार
सीटों का विभाजन	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** – 100% राज्य कोटा के अंतर्गत से। **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** –50% राज्य कोटा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटा।
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटा की सीटों में शासन में लागू आरक्षण (उर्ध्वाधर/क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
काउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** – 100% राज्य कोटा की सीटों हेतु हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** –50% राज्य कोटा की सीटों हेतु हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से तथा 50% प्रबन्धकीय कोटा की सीटों हेतु उत्तराखण्ड असहायतित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियमन) नियमावली के प्राविधानानुसार
सम्बद्ध विश्वविद्यालय / संस्था	हे०न०ब०उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून / स्टेट मेडिकल फैकल्टी
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता ई-मेल आईडी	न्यू कैन्ट रोड टाउन, [illegible], [illegible], देहरादून-248001 Website- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com

नोट– * बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा एवं काउन्सिलिंग समय–समय पर भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाती है।

	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम का नाम	एम०एससी० नर्सिंग, एन०पी०सी०सी०
नियामक संस्था	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	एम०एससी० नर्सिंग (02 वर्ष), एन०पी०सी०सी० (02 वर्ष)
प्रवेश परीक्षा	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** – 100% राज्य कोटा की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा

	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार अन्य निजी पैरामेडिकल संस्थानों को राज्य सरकार की एन्ट्री के अनुसार नोड के विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को अंतरिम अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
शुल्क	**राजकीय पैरामेडिकल संस्थानों हेतु** –पैरामेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु– रू0 45000/– प्रति वर्ष **निजी पैरामेडिकल संस्थानों हेतु** • पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु– रू0 35000/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं 50000/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) • पैरामेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु –रू0 45000/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं 60000/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) • पैरामेडिकल पी0जी0 पाठ्यक्रमों हेतु –रू0 55000/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं 70000/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	नियामक परिषद / स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकानुसार
सीटों का विभाजन	**राजकीय पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** –100% राज्य कोटे के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** –50% राज्य कोटा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटा
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
काउंसिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** –100% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड [illegible] चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** –50% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग बोर्ड के माध्यम से तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार
सम्बद्ध विश्वविद्यालय / संस्थान	हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून / स्टेट मेडिकल फैकल्टी
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता एवं ई-मेल आईडी	न्यू सेन्ट्रल बॉयज हॉस्टल, सीमा द्वार, [illegible], देहरादून–248001 Website- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com

******

होम्योपैथी चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड

दून विश्वविद्यालय, देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 'होम्योकॉन– 2023' के शुभारम्भ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। दिनांक 14 मई, 2023

	राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं हेतु – 50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय नर्सिंग प्रवेश परीक्षा **तथा** 30 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनुमोदित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियमन) नियमावली के प्राविधानानुसार **अथवा** निजी नर्सिंग संस्थाओं को राज्य सरकार से एन०ओ०सी० के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित प्रक्रिया सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को केवल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं।
शुल्क	**राजकीय नर्सिंग संस्थाओं हेतु**–एम०एस०सी० नर्सिंग– रू0 26179/– प्रति वर्ष **निजी नर्सिंग संस्थाओं हेतु**–एम०एस०सी० नर्सिंग – रू0 10000/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रू0 15000/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	भारत सरकार/भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अर्हतानुसार मानकानुसार
सीटों का विभाजन	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं हेतु** – 100 प्रतिशत राज्य कोटे के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं हेतु** –50 प्रतिशत राज्य कोटा तथा 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटा
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
काउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं हेतु** – 100 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं हेतु**–50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से तथा 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनुमोदित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियमन) नियमावली के प्राविधानानुसार।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय	हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता, ई–मेल आईडी	न्यू कैम्पस ... देहरादून–248001 Website– www.hnbumu.ac.in E-mail- info.hnbumu@gmail.com

4. पैरामेडिकल पाठ्यक्रम –

डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–472/XXIV(3)/2017-07(07)2017 दिनांक 23 मार्च 2017 के द्वारा अधिसूचित पाठ्यक्रम
नियामक परिषद	उत्तराखण्ड पैरामेडिकल चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड
पाठ्यक्रम अवधि	उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–472/XXIV(3)/2017-07(07)2017 दिनांक 23 मार्च 2017 / नियामक परिषद एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित।
प्रवेश परीक्षा	**राजकीय पैरामेडिकल शिक्षण संस्थाओं हेतु** – 100 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा **राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थाओं हेतु** – 50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग

क्र.	लाभार्थी सुविधाओं का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं भुगतान प्रक्रिया
1	**आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र–** आयुष्मान भारत योजना	राज्य में कुल 300 आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र संचालित है जिनमें रोगानुसार औषधि वितरण, रोगानुसार योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान की जाती है। **प्रकृति परीक्षण एवं ऋतुचर्या**–दिनचर्या के अनुसार जीवनशैली, गैर–संचारक रोगों जैसे–डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की जांच एवं निदान किया जाता है। **औषधीय पौधों का वितरण।** रजि. हेतु प्रति व्यक्ति रू. 1.00 ग्रामीण क्षेत्र एवं रू. 2.00 शहरी क्षेत्र में ओ.पी.डी. शुल्क निर्धारित है।	कोई भी आयु वर्ग	सम्बन्धित निकटतम राजकीय आयुर्वेद/ यूनानी/ होम्योपैथी औषधालय/ चिकित्सालय में पंजीकरण करवाना हो।
2	**आयुर्विद्या–** आयुष के माध्यम से स्कूली बच्चों के लिए स्वस्थ जीवनशैली	आयुष के माध्यम से स्कूली बच्चों में स्वस्थ जीवनशैली का विकास करना, रोगानुसार औषधि वितरण करना। यह सुविधा निःशुल्क है।	स्कूली बच्चे	राजकीय स्कूलों में नामांकित बच्चे
3	**सुप्रजा–** आयुष के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों हेतु स्वास्थ्य लाभ	आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना। रोगानुसार औषधि वितरण करना। इस हेतु प्रति व्यक्ति रू. 10.00 ओ.पी.डी. शुल्क निर्धारित है।	मातृ एवं नवजात शिशु	03 आयुर्वेदिक कॉलेजों (आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर, उदयपुर एवं [illegible]) में उपचार हेतु पंजीकृत गर्भवती।
4	**योग वैलनेस केन्द्र**	रोगानुसार योग, प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान करना एवं काउन्सलिंग प्रदान करना। इस हेतु प्रति व्यक्ति रू. 1.00 ग्रामीण क्षेत्र एवं रू. 2.00 शहरी क्षेत्र में ओ.पी.डी. शुल्क निर्धारित है।	कोई भी आयुवर्ग	सम्बन्धित निकटतम राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पंजीकरण करवाना हो।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

होम्योपैथी विभाग

क्र.	स्वास्थ्य सुविधाओं का नाम	लाभ	पात्रता/ शामिल	आवेदन प्रक्रिया एवं वितरण प्रक्रिया
1	33 राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय, 71 राज. होम्योपैथिक चिकित्सालय, 22 एन.आर.एच.एम. [illegible] 86 [illegible] तथा 54 [illegible] केन्द्र	होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के सिद्धान्तों पर आधारित रोग निदान, उपचारात्मक एवं पुनर्वास सहित स्वास्थ्य सेवायें राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। [illegible] ग्रामीण क्षेत्रों में [illegible] निःशुल्क होम्योपैथी उपचार तथा औषधियां प्रदान की जाती हैं। विभिन्न मौसमी रोगों [illegible] के लिए [illegible] स्वास्थ्य शिविरों [illegible] अभियान चलाये जा रहे हैं।	सभी जनसामान्य	समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श, उपचार एवं होम्योपैथिक औषधियां प्रदान की जा रही हैं।
2	27 राजकीय होम्योपैथिक शिक्षा एवं [illegible] केन्द्रों की स्थापना	शिक्षा एवं [illegible] केन्द्रों के माध्यम से आमजनमानस को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सकीय परामर्श, निःशुल्क होम्योपैथिक औषधियों का वितरण एवं निम्न सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं :- [illegible] जनमानस को औषधीय पौधों की जानकारी के लिए [illegible] तथा [illegible] की जानकारी प्रदान की जा रही है।	सभी जनसामान्य	समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श, उपचार एवं होम्योपैथिक औषधियां प्रदान की जा रही हैं।
3	होम्योपैथिक औषधि निर्माण एवं विक्रय के नवीन लाइसेंस निर्गत तथा नवीनीकरण करना	होम्योपैथिक औषधि के थोक एवं फुटकर लाइसेंस प्राप्त कर औषधियों के विक्रय हेतु दुकान खोली जाती है तथा [illegible] रोजगार [illegible] है।	बी.एच.एम.एस./ फार्मेसी की डिग्री/ पंजीकृत होम्योपैथिक [illegible] में 01 वर्ष कार्य का अनुभव/ होम्योपैथिक [illegible] 1 वर्ष का अनुभव	नवीन लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु ई-ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते हैं तथा होम्योपैथी औषधि निर्माण लाइसेंस एवं नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करते हैं। आवेदन के दौरान [illegible] प्रपत्र [illegible] करनी होगी। [illegible] प्रति लाइसेंस रू. 200/- शुल्क निर्धारित है तथा एक लाइसेंस 05 वर्ष के लिए वैध रहता है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड।

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/मानक	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		20,000/-) व कैटेगरी-बी में शैड हेतु 30 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी-अधिकतम रू0 15000/- एवं 35 प्रतिशत-विशेष श्रेणी-अधिकतम रू0 17500/-) कैटेगरी-सी व डी हेतु 25 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी-अधिकतम रू0 12500/- एवं 30 प्रतिशत -विशेष श्रेणी-अधिकतम रू0 15000/-) सब्सिडी दी जाती है। योजना प्रस्तावों का शासनादेश अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।	चाहिये। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये।	
2.	स्टार्टअप नीति-2023	मान्यता प्राप्त स्टार्टअप या ग्राम उद्यमियों के स्टार्टअप को रू 15,000 प्रतिमाह का एक वर्ष तक मासिक भत्ता तथा महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/ट्रांसजेण्डर या पलायन प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित स्टार्टअप को रू 20,000 प्रतिमाह का मासिक भत्ता दिया जाता है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को रू. 10 लाख तक की एक मुश्त सीड फंडिंग। महिला/अनुसूचितजाति/जनजाति/दिव्यांग/ट्रांसजेण्डर या पलायन प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित स्टार्टअप को रू. 12.50 लाख तक की सीड फंडिंग सहायता। पेटेंट के लिए घरेलू पेटेंट पर रू. 01 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए रू. 10 लाख की प्रतिपूर्ति सहायता। ट्रेडमार्क तथा औद्योगिक डिजाइन के लिए आवेदन प्रक्रिया करने पर रू. 10 हजार की प्रतिपूर्ति सहायता। उत्तराखण्ड नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन, ब्याज उपादान, पूंजी उपादान, स्टाम्प शुल्क में छूट, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति सहायता। प्री-इन्क्यूबेशन सपोर्ट, इन्क्यूबेशन सेवाओं के लिए एक मुश्त निशुल्क सहायता। नए इन्क्यूबेशन सेंटरों की स्थापना के लिए रू. 01 करोड़ तक तथा विद्यमान इन्क्यूबेशन सेंटर के विस्तार के लिए रू. 50 लाख तक का पूंजीगत उपादान। वेंचर फण्ड की स्थापना के लिए रू. 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है।	राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास, सीड फण्ड, समर्पित इन्क्यूबेशन सुविधाएं प्रदान करने के लिये और इन्क्यूबेशन कार्यक्रमों/केन्द्रों की स्थापना, पूंजी तक पहुंच, बाजार तक पहुंच की व्यवस्था के लिये नई स्टार्टअप नीति-2023 अधिसूचित की गई है। नीति में स्टार्टअप की परिभाषा [illegible] भारत सरकार द्वारा परिभाषित [illegible] के अनुसार रखी गयी है। अनुलग्नक-2 पर संलग्न है। नीति की अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होकर पांच वर्ष या नई नीति लागू होने तक, जो भी पहले घटित हो, लागू रहेगी। इस नीति के प्रयोजन के लिए किसी इकाई को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप अथवा पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। नई स्टार्टअप नीति के तहत पांच वर्षों में 1000 स्टार्टअप को बढ़ावा देना, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इन्क्यूबेशन सेंटर के साथ राज्य भर में 30 नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करना लक्ष्य है।	योजना में लाभान्वित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल माध्यम, startuputtarakhand.com के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है तथा ऑनलाइन आवेदन हेतु दस्तावेजों का विवरण https://www.startuputtarakhand.com/attachments/164006819441.pdf पर उपलब्ध है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड

क्र.	योजना का नाम	[illegible]	पात्रता / [illegible]	आवेदन [illegible]
1	मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना (राज्य सरकार)	[illegible]	[illegible]	[illegible] www.msy.uk.gov.in [illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	आवेदन एवं चयन प्रक्रिया मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अनुसार होगी [illegible]

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / आवश्यकता	आवेदन प्रक्रिया एवं सक्षम अधिकारी
		अधिकतम रू. 50.00 लाख प्रतिवर्ष। सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– 7 प्रतिशत, अधिकतम रू. 75.00 लाख प्रतिवर्ष। **एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति (केवल विनिर्माणक उद्यमों हेतु)** स्वनिर्मित माल/वस्तु के राज्यांतर्गत विक्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के समायोजन के बाद 5 वर्ष तक शुद्ध एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति– लार्ज प्रोजेक्ट्स– 30 प्रतिशत। मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स/सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– 50 प्रतिशत। **विद्युत बिल में प्रतिपूर्ति सहायता (केवल विनिर्माणक उद्यमों हेतु)** उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक देय विद्युत बिल में रू. 1.00 प्रति यूनिट की दर से विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता– लार्ज प्रोजेक्ट्स– रू. 50 लाख प्रतिवर्ष। मेगा प्रोजेक्ट्स– रू. 75 लाख प्रतिवर्ष। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– रू. 1 करोड़ प्रतिवर्ष। सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– रू. 1 करोड़ 50 लाख प्रतिवर्ष। **इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति: शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति।** **स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति:** भूमि क्रय विलेख पत्र तथा लीज डीड के निष्पादन में देय स्टाम्प शुल्क व्यय पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति। **भूमि क्रय विलेख पत्र/लीज डीड के निष्पादन** के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर प्रति रू. 1000 पर रू. 999 की दर से प्रतिपूर्ति। **ईटीपी/ईटीसी पर अनुदान:** ETP स्थापना की लागत हेतु 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50.00 लाख का पूंजीगत अनुदान। **बृहत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु Payroll assistance** Payroll assistance सहायता की अनुमन्यता हेतु लार्ज प्रोजेक्ट के लिए 50, मेगा प्रोजेक्ट के लिए 100, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 200 तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 400 लोगों को नियमित रोजगार की न्यूनतम निर्दिष्ट सीमा होगी। निर्दिष्ट सीमा से अधिक अतिरिक्त नियोजित कर्मचारियों पर रू. 500/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की दर से आगामी 5 वर्ष तक उत्पादन के बाद में पेरोल अतिरिक्त सहायता दी जायेगी। महिला कर्मचारियों हेतु यह दर रू. 700/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी होगी।		

IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं सक्षम अधिकारी
6.	उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार	उत्तराखण्ड राज्य के 10 शिल्पियों को प्रतिवर्ष 'उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार' से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार राशि के रूप में चयनित उत्कृष्ट शिल्पी को एक लाख रुपये धनराशि, प्रशस्ति चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी कोई भी शिल्पी/हस्तशिल्पी जिसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो तथा जो हस्तशिल्प क्षेत्र या शिल्प विशिष्ट क्षेत्र में कार्यरत हो और जिसने हस्तशिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया हो। राष्ट्रीय/राज्य स्तर से पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों को वरीयता दी जायेगी। शिल्पी द्वारा पुरस्कार को आवेदित किये जाने से पूर्व (?) शिल्पी द्वारा तैयार कलाकृतियों की गुणवत्ता/उत्कृष्टता के आधार पर, शिल्प क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष कार्य किया हो। कोई भी राजकीय/अर्द्धराजकीय/सहकारी संस्था/संघ के कर्मचारी इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।	आवेदन पत्र, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है तथा वेबसाइट [illegible] से भी डाउनलोड किया जा सकता है तथा विभागीय वेबसाइट [illegible] पर भी देखा जा सकता है। आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक द्वारा उत्पादित कलाकृति का प्रमाण, गुरु/शिल्पी का प्रशिक्षण प्रमाण, जिसने शिल्प विधा में वैश्विक/परम्परागत उत्पाद बनाये हों, शिल्प में योगदान का विवरण, शिल्प विशिष्ट उत्पादों को प्रदर्शित करने का प्रमाण, युवा शिल्पियों को प्रशिक्षित करने का विवरण, मुख्य उपलब्धियों का विवरण जिन्हें प्रोत्साहन दिया हो, औसतन प्रतिवर्ष आय का विवरण आदि उपलब्ध कराना होगा तथा शिल्पी द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों को किसी संग्रहालय/प्रतिष्ठित कला संग्रहकर्ता द्वारा क्रय किया गया हो। क्रय के विवरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र संलग्न करने होंगे। उसके उपरान्त आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र में जमा कराना रहता है। प्राप्त आवेदन-पत्रों में से उत्कृष्ट शिल्पियों का चयन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विभागीय/निदेशालय की अध्यक्षता में गठित शिल्प रत्न चयन समिति की

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023	उत्तराखण्ड को वैश्विक स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु पसंदीदा गंतव्य बनाने, अर्थव्यवस्था में अधिकतम योगदान, रोजगार सृजन एवं हरित ऊर्जा तथा अनुकूल सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में अनुकूल क्रियाकलाप / गतिविधियों के लिए नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन सहायता का विवरण अनुलग्नक–3 पर संलग्न है एवं वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति के लिए चेकलिस्ट का प्रारूप अनुलग्नक–4 पर संलग्न है।	कोई भी व्यक्ति जो राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित करके इन्वेस्ट करना चाहता है पात्र होंगे।	योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के अन्तर्गत निवेश पोर्टल पर www.investuttarakhand.gov.in से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। पंजीकरण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया का विस्तृत विवरण लिंक से उपलब्ध है। https://investuttarakhand.uk.gov.in/themes/backend/uploads/User_Manual_Registration.pdf निर्धारित प्रारूप आवेदनों का परीक्षण जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति / राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है।
5	मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी–2021	अत्यधिक पूँजी निवेश के आधार पर परियोजनाओं का वर्गीकरण **लार्ज प्रोजेक्ट्स**– रू. 50 करोड़ से रू. 75 करोड़ तक। **मेगा प्रोजेक्ट्स**– रू. 75 करोड़ से अधिक एवं रू. 200 करोड़ तक। **अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स**– प्लान्ट व मशीनरी में रू. 200 करोड़ से अधिक एवं रू. 400 करोड़ तक। **सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स**– प्लान्ट व मशीनरी में रू. 400 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश। **वित्तीय प्रोत्साहन** चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की प्रचलित दरों में छूट / रियायत (केवल विनिर्माणक उद्योगों को) – लार्ज प्रोजेक्ट्स– 15 प्रतिशत। मेगा प्रोजेक्ट्स– 25 प्रतिशत। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– 30 प्रतिशत। सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– 30 प्रतिशत। **ब्याज उपादान**– 5 वर्ष तक बैंक से लिये गये सावधि ऋण के ब्याज पर प्रतिपूर्ति सहायता– लार्ज प्रोजेक्ट्स– 7 प्रतिशत, अधिकतम रू. 25 लाख प्रतिवर्ष। मेगा प्रोजेक्ट्स– 7 प्रतिशत, अधिकतम रू. 35.00 लाख प्रतिवर्ष। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– 7 प्रतिशत,	कोई भी व्यक्ति जो राज्य में मेगा इण्डस्ट्री एवं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पात्र होंगे।	नीति के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत निवेश पोर्टल पर www.investuttarakhand.gov.in से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। पंजीकरण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण तथा कौन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी का विवरण भी लिंक से उपलब्ध है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्ताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				वस्तुओं के उत्पादन अनुभव [illegible] उत्तराखण्ड हथकरघा [illegible] की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति को भेज जाते हैं। तत्पश्चात राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा प्राप्त संस्तुतियों/आवेदनों पर विचार कर लिया पुरस्कार हेतु चयन किया जाता है।
3.	उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार योजना	पुरस्कार का स्वरूप 1-राज्य स्तरीय पुरस्कार • हस्तशिल्प क्षेत्र के उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों हेतु प्रथम पुरस्कार रू0 15000/- द्वितीय पुरस्कार रू0 10000/- एवं तृतीय पुरस्कार रू0 7000/- दिया जाता है। • हथकरघा/खादी एवं ऊनी वस्त्र क्षेत्र के उत्कृष्ट बुनकरों हेतु प्रथम पुरस्कार रू0 15000/- द्वितीय पुरस्कार रू0 10000/- एवं तृतीय पुरस्कार रू0 7000/- दिया जाता है। 2-जनपद स्तरीय पुरस्कार • हस्तशिल्प क्षेत्र के उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों हेतु प्रथम पुरस्कार रू0 8000/- द्वितीय पुरस्कार रू0 4000/- दिया जाता है। • हथकरघा/खादी एवं ऊनी वस्त्र क्षेत्र के उत्कृष्ट बुनकरों हेतु प्रथम पुरस्कार रू0 8000/- द्वितीय पुरस्कार रू0 4000/- दिया जाता है।	बुनकर/हस्तशिल्पी अथवा बुनकर उद्योग को उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड अथवा विकास आयुक्त (हथकरघा)/(हस्तशिल्प), भारत सरकार से अधिकृत पहचानपत्र बुनकर/हस्तशिल्पियों के रूप में पंजीकृत हो। उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत पंजीकृत हथकरघा/हस्तशिल्प के लिये उत्पादन तथा सहकारी समितियां तथा पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं के हस्तशिल्पी एवं बुनकर पुरस्कार हेतु पात्र होंगे। बुनकर/हस्तशिल्पी जिनकी सहकारी समिति/संस्था किसी भी प्रकार के वित्तीय/बैंक ऋण के डिफाल्टर न हो पात्र होंगे। एक बार पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पी/बुनकर को पुरस्कार की तिथि से आगामी तीन वर्षों तक पुनः पुरस्कार के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।	आवेदन पत्र महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट https://doiuk.org से भी। आवेदन पत्र के साथ उत्पाद सैम्पल तथा हस्तशिल्पी/बुनकर द्वारा उत्पादित/कौशल/प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पत्र या निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र तीन प्रतियों में निर्धारित प्रारूप के साथ रू0 50/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के नाम से देय होगा। चयन प्रक्रिया- जिला स्तरीय पुरस्कार के चयन हेतु जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार के चयन हेतु उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के माध्यम से पुरस्कार का चयन किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION RAJ

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
8.	हथकरघा कताई–बुनाई महिला दस्तकारों की सहायता योजना	चयनित महिला दस्तकारों को हथकरघा / पेटू / [illegible] एवं अन्य उपकरणों [illegible] क्रय करने हेतु अधिकतम मूल्य रू. 29000 / – का 90 प्रतिशत धनराशि विभाग द्वारा तथा अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।	ऐसी महिला दस्तकार जिनका पैतृक व्यवसाय बुनकारी / कताई–बुनाई है। ऐसी महिला दस्तकार जिन्हें हथकरघा [illegible] का अनुभव है परन्तु धनाभाव में [illegible] की स्थिति में कुशल कार्य सम्पादित नहीं कर पा रही है को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। भारत सरकार / राज्य सरकार से पंजीकृत महिला दस्तकार।	आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट https://[illegible].org से भी। आवेदन पत्र के साथ [illegible] कार्ड, बैंक खाता पास बुक / राशन कार्ड में अंकित [illegible] से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, अन्य [illegible] / हुनर सम्बन्धी प्रमाण पत्र / फोटो / प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिले के सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी। चयन प्रक्रिया–सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा [illegible] पात्र महिला दस्तकारों का चयन की अनुमान चयन कर सूची सहित विभाग अनुमोदन हेतु उद्योग निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा, इसके उपरान्त 90 प्रतिशत धनराशि महिला दस्तकारों के खाते में भेजी जाती है।
9	सिलिकोसिस हेतु पेंशन योजना	60 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के ऐसे सिलिकोसिस को वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हो रही है उन्हें रू. 400 / – का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है।	सिलिकोसिस गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से सम्बन्धित होना चाहिए। यदि किसी सिलिकोसिस का पुत्र जिसकी उम्र 25 या इससे अधिक आयु का है, किन्तु वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है तो भी सिलिकोसिस पेंशन हेतु पात्र होगा। राज्य के ऐसे सिलिकोसिस जो अन्यथा [illegible] की विभिन्न [illegible] तथा [illegible] रोग, [illegible] एवं [illegible] से	आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट https://[illegible].org से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने सम्बन्धी प्रमाण, चिकित्सा प्रमाण पत्र, [illegible] हेतु [illegible] प्रमाण पत्र / आधार सहित प्रमाणित करने हेतु [illegible] की [illegible] और [illegible] सम्बन्धी प्रमाणपत्र सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			उत्पाद विकास कार्य हेतु जिन शिल्पी को शासन द्वारा समय-समय पर अनुमोदन किया जायेगा, उन शिल्पी में आधे वह जो शिल्पी योजना के पात्र होंगे।	जिला उद्योग केन्द्र में जमा करेंगे। चयन प्रक्रिया– महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन शिल्पियों के उत्पादों का परीक्षण कर चयन हेतु अनुमोदित किया जाता है। चयन के उपरान्त आवेदित प्रोत्साहन राशि का भुगतान वैयक्तिक खाते में बैंक/ डाकघर खाते में किया जाता है।
10.	थारू बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना (प्रशिक्षण एवं विपणन हेतु)	प्रशिक्षण प्रोत्साहन – थारू बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं द्वारा उत्पादित किये जा रहे उत्पादित शिल्पों के साथ–साथ बाजार की मांग के अनुरूप डिजाइन विकास में प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 01 माह की होगी, जो एक माह में अधिकतम 25 दिन कार्यदिवस होंगे। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रतिदिन 6 घण्टे के अनुसार कुल प्रशिक्षण अवधि 150 घण्टे होगी। विपणन प्रोत्साहन-जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले उत्तरायणी मेले, प्रदर्शनियों एवं जिला उद्योग केन्द्र द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में प्रतिभाग का अवसर प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विपणन प्रोत्साहन के उद्देश्य से समय-समय पर राज्य/देश में आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय/ भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों की प्रदर्शनी एवं विपणन हेतु स्टाल उपलब्ध कराये जाते है। उक्त प्रदर्शनियों/ मेलों में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं को आने–जाने का वास्तविक किराया (साधारण बस का) तथा रहने खाने हेतु प्रतिदिवस रू. 1000/– मात्र भत्ता भी शिल्पी एवं सहित विपणन की राशि शासन द्वारा वहन किया जाता है।	राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिला शिल्पी प्रशिक्षण एवं विपणन हेतु पात्र होंगी।	आवेदन पत्र महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट doiuk.org से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट फोटो, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं उद्योग का विवरण अथवा मेलों में प्रतिभाग करने का अनुरोध किया गया हो, अथवा उद्योग कार्यालय में पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र, सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र में जमा करेंगी। चयन प्रक्रिया–महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किये जाने के उपरान्त पात्र शिल्पियों के चयन हेतु निदेशक उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। चयन के उपरान्त चयनित महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु एवं मेलों में प्रतिभाग करने हेतु बुलाया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPA

वित्तीय प्रोत्साहन सहायता–	
राज्य में अधिकतम निवेश आकर्षित करने एवं अन्य राज्यों से सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए उद्यम स्थापना हेतु नियम एवं शर्तों के अधीन निम्नानुसार वित्तीय प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान होगी–	
1.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सहायता – राज्य में स्थापित होने वाले विभिन्न श्रेणी के नये सूक्ष्म उद्यमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु सहायता दी जायेगी। इसके लिए उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा सलाहकारों (Consultants) का सूचीबद्धीकरण (Empanelment) किया जायेगा। राज्य में स्थापित होने वाले सूक्ष्म उद्यमों द्वारा सूचीबद्ध सलाहकारों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने पर शुल्क के रूप में होने वाले व्यय की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सम्बन्धित उद्यमों को उनके वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त, दावा प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
2.	स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति ए, बी, सी व डी श्रेणी के जनपदों/क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमी द्वारा भूमि/शेड क्रय करने/लीज पर लेने/हस्तान्तरण के रूप में प्राप्त करने पर प्रदत्त स्टाम्प शुल्क की निम्नवत प्रतिपूर्ति, उद्यम स्थापना के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात, इकाई द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर देय होगी–

जनपद/क्षेत्र की श्रेणी	स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति प्रतिशत
श्रेणी –ए	100 प्रतिशत
श्रेणी– बी	100 प्रतिशत
श्रेणी– सी	75 प्रतिशत
श्रेणी–डी	50 प्रतिशत

3\. पूँजीगत उपादान: राज्य में स्थापित होने वाले विभिन्न श्रेणी के नये अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण करने वाले विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को, उनके द्वारा कार्यस्थल भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपकरण में किए गए स्थायी पूँजी निवेश के आधार पर, निम्नानुसार पूँजीगत उपादान सहायता देय होगी–

इकाई श्रेणी →	सूक्ष्म	लघु		मध्यम
जनपद/क्षेत्र श्रेणी ↓	संयंत्र व मशीनरी/उपकरण में रू. 01 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/उपकरण में रू. 01 करोड़ से अधिक रू. 05 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/उपकरण में रू. 05 करोड़ से अधिक रू. 10 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/उपकरण में रू. 10 करोड़ से अधिक रू. 50 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम
श्रेणी–ए	स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम रू. 40 लाख)	रू. 40 लाख + रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 25 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.40 करोड़)	रू. 1.40 करोड़ + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 2.40 करोड़)	रू. 2.40 करोड़ + रू. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 15 प्रतिशत (अधिकतम रू. 04 करोड़)

	/ प्रदूषण नियंत्रण / ZED–Zero Effect Zero Defect आदि प्राप्त करने पर, इकाई द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1 लाख प्रति इकाई की प्रतिपूर्ति देय होगी।
5.	मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति – श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले कृषि एवं उद्यान आधारित नई खाद्य प्रसंस्करण तथा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाईयों को राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थित मण्डी से कच्चा माल क्रय करने पर, इस पर लगने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति, अधिकतम 5 वर्ष तक निम्नवत् देय होगी–

जनपद/क्षेत्र की श्रेणी	मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति मात्रा
श्रेणी–ए	50 प्रतिशत (अधिकतम रु0 5 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)
श्रेणी–बी	50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 3 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)

अनुलग्नक–4

श्रेणी–ए :

- जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।

श्रेणी–बी

- जनपद अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण भू-भाग।
- जनपद टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय क्षेत्र भूभाग।
- जनपद नैनीताल (धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखलकाण्डा विकासखण्ड) तथा जनपद देहरादून (चकराता विकासखण्ड)।

श्रेणी–सी

- जनपद टिहरी का मैदानी भाग (ढालवाला, स्वर्गाश्रम, मुनि की रेती एवं उससे जुड़े फकोट विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र)।
- जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 650 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।
- जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 650 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।

श्रेणी–डी

- जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भू-भाग।
- जनपद नैनीताल के रामनगर, हल्द्वानी विकासखण्ड, नगर निगम हल्द्वानी, नगरपालिका रामनगर, नगरपालिका भवाली तथा कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 650 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र। जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 650 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा देहरादून नगर निगम के क्षेत्र।

PR... IMPLEMENTATION DEPARTMENT

अनुलग्नक–1

श्रेणीवार जनपदों का वर्गीकरण

1	श्रेणी ए	• जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र
2	श्रेणी बी	• जिला अल्मोड़ा का सम्पूर्ण क्षेत्र • जिला पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के सभी पहाड़ी विकास खंड (श्रेणी बी + के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर) • जिला नैनीताल और देहरादून के सभी पहाड़ी विकासखंड (श्रेणी बी + के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर)
3	श्रेणी बी+	• जिला पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखंड के कोटद्वार, सिगड्डी और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र • जिला टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखंड के ढालवाला, मुनि की रेती, तपोवन और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र • जिला नैनीताल का कोटाबाग विकासखंड • जिला देहरादून के कालसी विकासखंड के मैदानी क्षेत्र
4	श्रेणी सी	• जिला देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर और डोईवाला विकासखंडों में समुद्र तल से 650 मीटर ऊपर स्थित क्षेत्र • जिला नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी विकास खंड
5	श्रेणी डी	• जिला हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर का सम्पूर्ण क्षेत्र • जिला देहरादून और नैनीताल का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी बी, बी + और सी श्रेणी में शामिल नहीं है)

अनुलग्नक–2

स्टार्टअप की परिभाषा

उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के अधीन एक इकाई को "स्टार्टअप" माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है– ऐसी निजी इकाइयां जिनका पंजीकृत कार्यालय उत्तराखण्ड में हो:

- वैधिक अस्तित्व वाली इकाई के गठन एवं पंजीकरण की तिथि/इकाई निगमन की तारीख से दस वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए, और
- निगमन / पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी निजी इकाई का टर्नओवर एक सौ करोड़ रुपये से अधिक का नहीं हुआ है और
- किसी मौजूदा व्यवसाय को विभाजित करके या पुनर्निर्माण करके इकाई का गठन नहीं किया जाना चाहिए और उस कंपनी/व्यवसाय का भाग या हिस्सा भी नहीं होना चाहिए और
- इकाई को उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम करना चाहिए, या यदि वह रोजगार सृजन या धनसृजन की उच्च क्षमता वाला एक मापनीय व्यवसाय मॉडल है। या समय–समय पर भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्टअप के मानदंडों के अनुसार

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखण्ड

PROG

	श्रेणी–बी	अचल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम रु. 40 लाख)	रु. 40 लाख – रु. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त अचल पूंजी निवेश का @ 25 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.25 करोड़)	रु. 1.25 करोड़ – रु. 25 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त अचल पूंजी निवेश का @ 15 प्रतिशत (अधिकतम रु. 12 करोड़)	रु. 25 करोड़ – रु. 40 करोड़ के ऊपर के अतिरिक्त अचल पूंजी निवेश का @ 1.50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 45 करोड़)
	श्रेणी–सी	अचल पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 30 लाख)	रु. 30 लाख – रु. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त अचल पूंजी निवेश का @ 12.50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 30 लाख)	रु. 30 लाख – रु. 05 करोड़ के ऊपर के अतिरिक्त अचल पूंजी निवेश का @ 08 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.25 करोड़)	रु. 1.25 करोड़ – रु. 10 करोड़ के ऊपर के अतिरिक्त अचल पूंजी निवेश का @ 02 प्रतिशत (अधिकतम रु. 45 लाख)
	श्रेणी–डी	अचल पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत (अधिकतम रु. 20 लाख)	रु. 20 लाख – रु. 01 करोड़ के ऊपर के अतिरिक्त अचल पूंजी निवेश का @ 15 प्रतिशत (अधिकतम रु. 30 लाख)	रु. 60 लाख – रु. 06 करोड़ के ऊपर के अतिरिक्त अचल पूंजी निवेश का @ 06 प्रतिशत (अधिकतम रु. 30 लाख)	रु. 60 लाख – रु. 10 करोड़ के ऊपर के अतिरिक्त अचल पूंजी निवेश का @ 1.50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 150 लाख)

- इस नीति के अंतर्गत 'उच्चप्राथमिकता श्रेणी' के रूप में चिन्हित [illegible] विनिर्माणक उद्यमों की दशा में स्थापना पर 5 प्रतिशत (अधिकतम : सूक्ष्म उद्यम– रु. 5 लाख, लघु उद्यम– रु. 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– रु. 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।
- इस नीति के अंतर्गत 'अति-उच्चप्राथमिकता श्रेणी' के रूप में चिन्हित नये विनिर्माणक उद्यमों को श्रेणी–ए [illegible] के जनपद/क्षेत्र में स्थापना पर 15 प्रतिशत (अधिकतम : सूक्ष्म उद्यम– रु. 15 लाख, लघु उद्यम– रु. 15 लाख तथा मध्यम उद्यम– रु. 20 लाख), तथा श्रेणी–सी व डी के जनपद/क्षेत्र में स्थापना पर 5 प्रतिशत (अधिकतम : सूक्ष्म उद्यम– रु. 5 लाख, लघु उद्यम– रु. 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– रु. 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।
- इस नीति के अंतर्गत चिन्हित श्रेणी के बड़े/एंकर (**Anchor**) इकाई एवं सहायक / अनुषांगिक (**Ancillary**) इकाईयों की दशा में स्थापना पर एंकर इकाई तथा उनकी नयी सहायक इकाइयां जो कि चिन्हित उद्यम श्रेणी में सम्मिलित हैं, को 5 प्रतिशत (अधिकतम : सूक्ष्म उद्यम– रु. 5 लाख, लघु उद्यम– रु. 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– रु. 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।
- इस नीति के अंतर्गत राज्य में स्थापित होने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला/ दिव्यांग के स्वामित्व वाली इकाईयों को 5 प्रतिशत (अधिकतम : सूक्ष्म उद्यम– रु. 5 लाख, लघु उद्यम– रु. 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– रु. 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।
- किसी भी उद्यम द्वारा इस नीति के अंतर्गत केवल विशिष्ट श्रेणी में से एक श्रेणी का ही लाभ लिया जा सकेगा।
- पूंजीगत उपादान सहायता की गणना हेतु अचल पूंजी निवेश के लिए [illegible] भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी में कुल पूंजी निवेश को [illegible]

[illegible]

- [illegible] (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme) [illegible]
- [illegible]
- [illegible] –
- सूक्ष्म उद्यम – [illegible]
- लघु एवं मध्यम उद्यम – [illegible]

2. [illegible] (Term Loan) [illegible]

[illegible] / श्रेणी	[illegible] प्रतिपूर्ति [illegible] / सीमा		
	सूक्ष्म उद्यम	लघु उद्यम	मध्यम उद्यम
ए	[illegible] प्रतिशत (अधिकतम रू0 [illegible] लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)	[illegible] प्रतिशत (अधिकतम रू0 [illegible] लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)	[illegible] प्रतिशत (अधिकतम रू0 [illegible] लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)
बी	[illegible] प्रतिशत (अधिकतम रू0 [illegible] लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)	[illegible] प्रतिशत (अधिकतम रू0 [illegible] लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)	[illegible] प्रतिशत (अधिकतम रू0 [illegible] लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)
सी	[illegible] प्रतिशत (अधिकतम रू0 [illegible] लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)	[illegible] प्रतिशत (अधिकतम रू0 [illegible] लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)	[illegible] प्रतिशत (अधिकतम रू0 [illegible] लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)
डी	[illegible] प्रतिशत (अधिकतम रू0 [illegible] लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)	[illegible] प्रतिशत (अधिकतम रू0 [illegible] लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)	[illegible] प्रतिशत (अधिकतम रू0 [illegible] लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई)

3. [illegible]

4. [illegible]

पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड

कार्तिक स्वामी मंदिर, जनपद–रुद्रप्रयाग

वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस परेड में पाया पहला स्थान–मानसखण्ड झांकी, उत्तराखण्ड

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखण्ड

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / अर्हतायें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)	विनिर्माण क्षेत्र के लिये रू 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिये रू 10 लाख तक की परियोजनाओं हेतु बैंकों से ऋण स्वीकृत कराने के लिए सहायता किया जाता है। सामान्य श्रेणी हेतु (शहरी क्षेत्र में प्रोत्साहन-15 प्रतिशत तथा मार्जिन मनी(अनुदान)) एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत)। विशेष श्रेणी हेतु (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, शारीरिक रूप से विकलांग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र (सरकार द्वारा सूचित किए गये के अनुसार)) हेतु परियोजना का प्रोत्साहन 5 प्रतिशत तथा मार्जिन मनी (अनुदान) एवं शहरी क्षेत्र हेतु-25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिशत।	आवेदक की उम्र 18 वर्ष और इससे अधिक हो। आय की कोई उच्चतम सीमा नहीं है। रू 5 लाख तक की लागत वाली परियोजना के लिये कोई शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं। विनिर्माण क्षेत्र की रू 10 लाख से अधिक लागत तथा सेवा क्षेत्र में रू 5.00 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण। योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र है। परिवार में स्वयं और पति/पत्नी शामिल है।	योजना का संचालन भारत सरकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। आवेदन पत्र हेतु ऑनलाइन पोर्टल www.kviconline.gov.in तथा PMEGP-E-PORTAL के माध्यम से किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन से ही सभी आवेदन बैंकों को सीधे ऋण हेतु अग्रसारित किये जाते हैं। योजना का क्रियान्वयन खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं जिला उद्योग केन्द्रों के द्वारा किया जाता है। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो), विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र (जहाँ आवश्यक हो), ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र (प्रधान द्वारा), परियोजना रिपोर्ट, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि। अन्य कोई भी दस्तावेज (उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल पर) भी आवेदन किया जाता है। लाभार्थियों का चयन राज्य/जिला स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंकों द्वारा जिला स्तर पर ही जायेगा। लाभार्थियों को 10 दिनों का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के आधार पर उद्यम स्थापना प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किया जाता है। मार्जिन मनी 3 वर्ष के लिए सावधि जमा के रूप में रखी जाती है, उसके बाद निर्धारित मार्जिन मनी अनुदान समायोजित होगा।
2.	खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना	गांधी जयन्ती से 28 जनवरी तक खादी वस्त्रों पर 10 प्रतिशत छूट ग्राहक को दी जाती है।	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) में पंजीकृत उत्तराखण्ड के उत्पादन/बिक्री केन्द्रों को दी जाती है, इनके द्वारा सम्बन्धित ग्राहकों को दी जाती है।	खादी ग्रामोद्योग के उत्पादन/बिक्री केन्द्रों पर समस्त उपभोक्ताओं को वस्त्रों की खरीद पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

पर्यटन विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम- स्टे) विकास योजना	प्रदेश के पहाड़ी/दूरस्थ स्थितियों को होम-स्टे निर्माण हेतु ऋण लिये जाने पर पर्वतीय क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 15.00 लाख तथा की प्रथम पांच वर्षों में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का अधिकतम रू0 1.50 लाख तथा मैदानी क्षेत्र हेतु 25% अधिकतम रू0 7.5 लाख तथा की प्रथम पांच वर्षों हेतु रू0 1.00 लाख अनुदान धनराशि भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। ऋण लेने वाले लाभार्थी का अंशदान 12.50 प्रतिशत होता है। ऋण लेने पर ही सब्सिडी दी जाती है। नये गृह आवास के निर्माण के अतिरिक्त पुराने भवनों की आंतरिक साज-सज्जा, उच्चीकरण/ विस्तार/ नवीनीकरण/ सुधार एवं शौचालयों के निर्माण के लिये शासनानुसार धनराशि/सब्सिडी दी जाती है।	यह स्वयं नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होमस्टे बनाने पर अनुदान दिया जाता है। आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। भवन स्वामी को संचालन स्वयं भवन में निवास करते हुये अतिथियों के लिये न्यूनतम एक एवं अधिकतम 6 कक्षों का निर्माण कर सकता है। ऋण लेने के पश्चात से भी गृह आवास को संचालित करने के उपरान्त पंजीकरण उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद में अनिवार्य रूप से कराना होगा। व्यावसायिक/सरकारी सेवा में नियुक्त/[illegible] भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।	आवेदक ऑनलाईन msy.uk.gov.in > दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना में आवेदन करेगा। आवेदन करने के दौरान पंजीकरण हेतु आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नम्बर अनिवार्य है। उसमें नवीन फोटो, पासपोर्ट प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।), स्थायी निवास प्रमाण पत्र, भूमि/भवन सम्बंधी प्रमाण पत्र, योजना का प्रारूप, नगरपालिका में शामिल न होने सम्बंधी प्रशासन द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, अधिशासी अभियंता एवं कार्यदायी/अभियंत्रण विभाग की एनओसी, प्राधिकृत विभाग/संस्था द्वारा प्रदत्त प्राक्कलन तथा अनुसूचित जाति/अनु0 जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो।) अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन स्वतः सम्बंधित जनपद के जिला पर्यटन विकास अधिकारी को प्राप्त होगा। जि0प0वि0अ0 जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आयोजित करने हेतु तिथि नियत करेगा तथा उस तिथि को सम्बंधित आवेदक को इण्टरव्यू हेतु बुलाया जाता है। जिलाधिकारी के समक्ष इण्टरव्यू होता है। समिति द्वारा सही पाये जाने पर प्रस्ताव उस बैंक को प्रेषित किया जाता है जहाँ से आवेदक ऋण लेना चाहता है। बैंक को प्रस्ताव अग्रसारित किया जाता है जिस बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया अपनायी जाती है। ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में बैंक पर्यटन अधिकारी को अवगत कराता है तथा सम्बंधित आवेदक के सूची में सूचना

PROGRAMME IMPL

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हतायें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। आवेदक द्वारा होमस्टे निर्माण/मरम्मत का कार्य पूर्ण किए जाने के उपरान्त आवेदक पर्यटन अधिकारी को सूचित कर देगा कि कार्य हो गया। उसके बाद बैंक में आवेदक को होमस्टे में पंजीकरण करायेगा। तत्पश्चात जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक द्वारा संयुक्त निरीक्षण एवं परियोजना पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त उक्त अनुदान जमा करने के बाद होमस्टे में आगन्तुकों के ठहराने का कार्य शुरू करेगा तथा विभाग द्वारा सब्सिडी बैंक को किश्तों में दी जाती है।
5.	ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम- स्टे अनुदान योजना	वर्ष 2020 से आरम्भ इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर के 02 किमी0 की परिधि में आने वाले गांव इस योजना में सम्मिलित किये जाते हैं। चिन्हित रूट पर होमस्टे हेतु भवन निर्माण हेतु रू0 60,000/- प्रति कक्ष तथा पुराने भवन की साज-सज्जा की जाती है तो ऐसी दशा में प्रति कक्ष रू0 25,000/- अधिकतम 06 कक्षों के लिये अनुदान की व्यवस्था है।	एक ग्राम स्तरीय पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर के 02 किमी0 की परिधि में आने वाले गावों पर ही लागू होती है तथा यह गांव शहरी क्षेत्रों से अलग हो। इसमें ऋण लेने की बाध्यता नहीं है। आवेदक ट्रैक्शन सेंटर के पास पड़ने वाले गांव का मूल निवासी हो। आवेदक स्वयं परिवार सहित प्रस्तावित होम-स्टे में निवास करता हो या करेगा। अनिवार्य हेतु न्यूनतम एक एवं	विभाग द्वारा अधिसूचित गावों के निवासियों द्वारा आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केन्द्र से प्राप्त किये जाते हैं। आवेदन प्रारूप के साथ स्थायी निवास/आयु प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, अनु0 जाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), ग्राम प्रधान से मूल निवासी अथवा ग्राम सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, भूमि/भवन सम्बन्धी प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केन्द्र में आवेदन जमा करने के उपरान्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होती है। गठित समिति द्वारा सम्बन्धित आवेदक को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तथा इंटरव्यू में सही पाये जाने पर आवेदकों का चयन किया जाता है तत्पश्चात सम्बन्धित आवेदकों द्वारा कार्य पूर्ण करने पर विभाग द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			औसतन ... कक्षों की व्यवस्था की गई है। होम–स्टे का भवन ... पंजीकरण ही ... करने पर पंजीकरण ... होगा। पारम्परिक पहाड़ी शैली के निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।	निरीक्षण/परीक्षण किये जाने के उपरान्त सही पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा [illegible] पर्यटन विभाग द्वारा होम स्टे [illegible] की जाती है। [illegible] का निर्धारण– [illegible] अधिकारी की अध्यक्षता में [illegible] समिति [illegible] पर्यटन विकास अधिकारी [illegible] सदस्य [illegible] की जाती है [illegible] होम-स्टे (होम-स्टे) [illegible] की [illegible] जिलाधिकारी [illegible] की जाती है। [illegible] द्वारा [illegible] चयनित/श्रेणीकरण [illegible] की जाती है। [illegible]
3.	अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम–स्टे) पंजीकरण	इसके अंतर्गत राज्य के ऐसे भवन स्वामी जो अपने भवन के आवासीय कक्षों को पर्यटकों हेतु उपलब्ध कराने का इच्छुक हो, को पर्यटन विभाग में पंजीकृत कर किसी भी अतिथि को [illegible] की व्यवस्था [illegible] है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को आवास–भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को घर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। पंजीकरण के उपरान्त संबंधित भवन विभाग की वेबसाइट पर डाली जा सकती है जिससे कोई भी अतिथि विभागीय वेबसाइट से उक्त जानकारी प्राप्त कर भवन किराए पर ले सकता है।	शहरी क्षेत्र में निवास प्रतिष्ठान/स्वामी निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक होगा। आवासीय [illegible] पुलिस [illegible] की तथा भवन स्वामी अपने परिवार सहित उसी	अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम–स्टे) में पंजीकरण ऑनलाइन uttarakhandtourism.gov.in> Trade > Homestay Registration में जाकर होता है जिसके लिए आधार, मोबाइल, [illegible] लिंक होना आवश्यक है तथा पंजीकरण के दौरान आवेदन पत्र पर [illegible] हस्ताक्षर, [illegible] की [illegible] होम–स्टे की फोटो (होम–स्टे का नाम सहित कमरों की [illegible]), [illegible] भू-स्वामित्व की प्रति (खतौनी/रजिस्ट्री [illegible]), [illegible] सर्टिफिकेट [illegible] की प्रति), पंजीकरण शुल्क- 500 रु.

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			[illegible]	[illegible]
4.	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		श्रेणी क– 80 प्रतिशत तक अनुदान निम्न विकल्प के अनुसार दिया जाएगा। a) अनुमन्य अधिकतम पूंजीगत अनुदान, वाणिज्यिक उत्पादन (Commercial Operation Date) की तिथि से 10 समान वार्षिक किश्तों में अथवा पूंजीगत अनुदान का [illegible] प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा b) इकाई द्वारा पिछले 12 महीनों के लिए भुगतान किया गया नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) का [illegible] + अतिरिक्त प्रोत्साहन में से जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। अतिरिक्त प्रोत्साहनों के लिए अतिरिक्त पूंजीगत प्रोत्साहन i. विस्तार और प्रसार के लिए प्रोत्साहन–(अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान के 01 प्रतिशत की सीमा तक) ii. रोजगार और कौशल के लिए प्रोत्साहन–(अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान के 0.5 प्रतिशत की सीमा तक) iii. ब्याज अनुदान –(अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान के 01 प्रतिशत की सीमा तक) iv. [illegible] के लिए प्रोत्साहन (अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान के 0.25 प्रतिशत की सीमा तक) v. राज्य द्वारा विकसित [illegible] एजेंसी/परियोजनाओं के माध्यम से [illegible] (अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान के 0.25 प्रतिशत की सीमा तक) ❖ [illegible] के विकास के लिए पूंजीगत अनुदान–[illegible] का अधिकतम 100 प्रतिशत तक अनुदान निम्न विकल्प के अनुसार दिया जाएगा। a) पूंजीगत [illegible] वाणिज्यिक उत्पादन (Commercial Operation Date) की तिथि से 08 समान वार्षिक किश्तों में अथवा पूंजीगत अनुदान का 25 प्रतिशत	कोई भी इकाई/निवेशक जो [illegible] 2022 तथा [illegible] के अनुसार निवेश [illegible] अनुदान प्राप्त कर सकता है। [illegible] हेतु भूमि की [illegible] भूमि [illegible] की जा सकती है।	[illegible] की आवश्यकता होगी, [illegible] विभाग द्वारा [illegible] किया जाता है। [illegible] करोड़ [illegible] (MSME) [illegible] विभाग [illegible] किया जाता है। [illegible] विभाग [illegible] अनुमति/अस्वीकृति [illegible] विभाग को [illegible] दिया जाता है। [illegible] करोड़ रुपये से अधिक निवेश [illegible] अधिकारी [illegible] किया जाता है। [illegible] अनुमति/अस्वीकृति की सिफारिश हेतु [illegible] किया जाता है। [illegible] अनुमति/अस्वीकृति [illegible] विभाग को [illegible] किया जाता है। उत्तर प्रदेश [illegible] अधिनियम 20[illegible] के अनुसार [illegible] करोड़ [illegible] सैद्धान्तिक अनुमोदन [illegible] समिति (SLEC) द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश [illegible] अधिनियम 20[illegible] के प्रावधानों के अनुसार [illegible] निवेश हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन [illegible] की आवश्यकता है

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं स्वीकृत प्रक्रिया
		प्रतिवर्ष अथवा b) इकाई द्वारा पिछले 12 महीनों के लिए भुगतान किया गया नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर (SGST) का 75% + अतिरिक्त प्रोत्साहन में से जो भी कम हो अनुदान देय होगा। कृषि उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन i. विपणन और प्रचार के लिए प्रोत्साहन (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 12 प्रतिशत की सीमा तक) ii. परिवहन और भाड़ा के लिए प्रोत्साहन– (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 12 प्रतिशत की सीमा तक) iii. ब्याज अनुदान – अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 12 प्रतिशत की सीमा तक) iv. राज्य द्वारा चिन्हित [illegible] एजेंसी/परियोजनाओं के माध्यम से सुविधा (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 12 प्रतिशत की सीमा तक) टर्न ओवर (Turnover) लिंक प्रोत्साहन– पूर्व में उल्लेखित ए पूंजीगत अनुदान के अलावा [illegible] परियोजनाओं हेतु [illegible] अनुदान का प्राविधान है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित अनुदान अनुमन्य है– a) [illegible] इकाइयों हेतु टर्न ओवर का 1 प्रतिशत अधिकतम b) विदेशी [illegible] का प्रोत्साहन [illegible] टर्न ओवर का 1 प्रतिशत अधिकतम c) [illegible] तथा [illegible] और [illegible] कार्यक्रमों [illegible] और [illegible] का [illegible] का 1 प्रतिशत अधिकतम [illegible] के लिए प्रोत्साहन–[illegible] [illegible] तथा [illegible] के आयात के विरुद्ध		राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति (SLEC) द्वारा किया जाता है। [illegible] प्राप्त होने के उपरान्त निवेशक विभिन्न विभागीय अनुमतियों/NOC [illegible] भवन [illegible] हेतु सिंगल विंडो पोर्टल अथवा सम्बन्धित विभागीय पोर्टल हेतु आवेदन किया जाता है। निवेशक से पूर्व की सभी विभागीय अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त होने के उपरान्त निवेशक द्वारा परियोजना का निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना का कार्य पूर्ण होने के बाद परियोजना संचालन से पूर्व (Consent to Operate) की विभागीय अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ/पंजीकरण हेतु सम्बन्धित विभागों यथा– प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, [illegible] विभाग से [illegible] हेतु पंजीकरण तथा [illegible] सर्टिफिकेट आदि हेतु आवेदन किया जाता है। सभी प्रकार की अनापत्तियाँ/पंजीकरण/सर्टिफिकेट प्राप्त होने के उपरान्त आवेदक द्वारा इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन (Commercial Operation) प्रारम्भ किया जाता है। इकाई का वाणिज्यिक संचालन (Commercial Operation) प्रारम्भ करने के उपरान्त ही पॉलिसी नीति में उल्लेखित अनुदान हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकता है। पॉलिसी नीति में प्राविधानित अनुदान हेतु कोई भी पात्र [illegible] इकाई का वाणिज्यिक संचालन (Commercial Operation) के उपरान्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 180 दिनों के भीतर निवेश मित्र [illegible] सिंगल विंडो पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। अनुदान हेतु सम्बन्धित इकाई द्वारा [illegible] सिंगल

ऊर्जा विभाग (उरेडा), उत्तराखण्ड

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएँ	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		कैप्टिव एवं कमर्शियल परिवहन के लिए इकाई को अधिकतम 500 रूपये प्रति लेग (Per Leg) अनुदान **विद्युत शुल्क (Electricity Duty) की प्रतिपूर्ति**- नई पात्र पर्यटन इकाईयों को 10 वर्ष अवधि तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति। **स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति**- नई पात्र पर्यटन इकाईयों को भूमि स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति 05 समान किश्तों में। ➤ पर्यटन नीति 2022 के अन्तर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु नई परियोजना/विस्तारीकरण हेतु न्यूनतम निवेश अलग-अलग श्रेणियों हेतु पृथक-पृथक है जो कि 0.10 करोड़ से 500 करोड़ तक है। उक्त की निवेश की न्यूनतम अहर्ता/पात्रता, निर्धारित शर्तों एवं गाईडलाइन्स में निर्धारित अन्य नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। विस्तृत विवरण ऑपरेशनल गाईडलाइन्स में उपलब्ध है।		पर पूर्व में आधारित कैफ (CAF) आवेदन के माध्यम से ही ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। ऑन लाईन अनुदान आवेदन पत्र पर्यटन विभाग में प्राप्त होने पर विभाग द्वारा पूर्णता परीक्षण कर जांच, स्थलीय निरीक्षण के लिए संबंधित जिले में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पर्यटन समिति को अग्रसारित किया जायेगा। जिला स्तरीय पर्यटन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं औपचारिक अभिलेखों का परीक्षण कर अपनी संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट ऑन लाईन पर्यटन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त रिपोर्ट एवं अभिलेखों का परीक्षण कर यथोचित अनुदान प्रस्ताव पर्यटन मुख्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड पर्यटन समिति (आईटीसी) के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा। (आईटीसी) द्वारा अनुदान प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी संस्तुति/टिप्पणी सहित प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य प्राधिकृत समिति (SLEC) में प्रस्तुत किया जायेगा। (SLEC) द्वारा प्रस्ताव पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी। (SLEC) से अंतिम वित्तीय स्वीकृति के अनुरूप नियत अनुदान राशि सम्बन्धित निवेशक/आवेदक को उनके बैंक खाते में उत्तरप्रदेश पर्यटन विकास परिषद द्वारा ऑन लाईन हस्तानान्तरित की जायेगी। नोट— किसी भी अनुदान हेतु पर्यटन नीति तथा ऑपरेशनल गाईड लाईन्स में उल्लिखित नियमों/शर्तों एवं इस हेतु समय-समय पर संशोधित नियमों के अधीन होंगे।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

****

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमि0 (यू0पी0सी0एल0)
उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित लोहिया हेड पावर हाउस का निरीक्षण किया। दिनांक 28 जनवरी 2023

PROG... MENT

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/आवश्यकता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	राष्ट्रीय बायो ऊर्जा कार्यक्रम	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त गैस का उपयोग कुकिंग के लिये किया जा सकता है तथा स्लरी की खाद (जैविक खाद) प्राप्त की जा सकती है। निम्नानुसार अनुदान देय होगा– 1 घनमीटर –रू0 17,000/– 2–4 घनमीटर –रू0 22,000/– 6 घनमीटर –रू0 29,250/– 8–10 घनमीटर –रू0 34,500/– 15 घनमीटर –रू0 63,250/– 20–25 घनमीटर –रू0 70,400/– 2 घनमीटर संयंत्र की अनुमानित लागत रू0 40,000.00 लगभग व्यय होती है–जिसमें विभाग के रू0 22,000.00 का अनुदान दिया जाता है।	प्रदेश के पशुपालक ग्रामीण व्यक्ति जो संयंत्र की स्थापना हेतु इच्छुक हों। ग्रामीण क्षेत्र हेतु पशुओं का पशुपालन होना आवश्यक है। ग्रामीण लाभार्थी परिवार हेतु 4X3=12 वर्ग मी0 भूमि तथा 02 पशुओं की आवश्यकता होगी।	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल https://biogas.mnre.gov.in/ पर ऑनलाईन या जनपद स्तरीय उरेडा कार्यालय के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। संयंत्र की स्थापना के लिये ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं बैंक खाते की आवश्यकता होगी; [illegible] अन्य किसी विभाग की एनओसी की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाईन आवेदन न कर पाने की [illegible] आवेदन [illegible] सकता है। उरेडा का जनपद स्तरीय कार्यालय [illegible]
2	मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना	योजना के अन्तर्गत राज्य के युवाओं/प्रवासियों को 20/25/50/100 एवं 200 कि0वा0 क्षमता के [illegible] का आवंटन [illegible] किया जाता है। 20 किलोवाट हेतु रू0 10 लाख एवं 25 किलोवाट हेतु 12.50 लाख लागत, 300 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी। 50 किलोवाट हेतु 700–1000 वर्ग मी0 भूमि, लागत रू0 25.00 लाख है। 100 किलोवाट हेतु 1500–2000 वर्ग मी0, अनुमानित लागत रू0 50.00 लाख। 200 किलोवाट हेतु 3000–4000 वर्ग मी0, अनुमानित लागत रू0 100.00 लाख। [illegible] उत्तराखण्ड राज्य/जिला सहकारी बैंकों से 8 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। [illegible] नीति–2023 के अंतर्गत [illegible] उत्पादित बिजली को यूपीसीएल द्वारा 25 वर्षों के लिये क्रय किया जायेगा। [illegible]	उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे तथा 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही प्रोजेक्ट आवंटित किया जाता है। [illegible] इस योजना के अन्तर्गत [illegible] आवेदन किया जा सकेगा। अन्य किसी निजी पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी [illegible] इस योजना के अन्तर्गत [illegible] अनुमन्य नहीं होगी।	योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन ही आवेदन के पोर्टल www.msy.uk.gov.in पर आवेदन किया जायेगा। आवेदन हेतु [illegible] आधार कार्ड, [illegible] भूमि विवरण सम्बन्धी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी; [illegible] यूपीसीएल को [illegible] हेतु प्रेषित किया जायेगा। [illegible] जिसके उपरान्त जनपदस्तरीय [illegible] समिति [illegible] द्वारा [illegible] आवेदक को [illegible] आवंटन किया जाता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / आवश्यकी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		यूपीसीएल द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा।		
3	ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना	एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार की रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना के अन्तर्गत भी पात्र लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के राज्य में 01 किलोवाट से 03 किलोवाट तक की सोलर प्लांट लगाने हेतु रू0 17000.00 प्रति किलोवाट की दर से एवं 03 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की क्षमता के संयत्रों हेतु रू0 51,000.00 निश्चित सब्सिडी के रूप में अनुदान दिया जाता है। अतिरिक्त सौर ऊर्जा संयंत्रों की सहायता से उत्पादित विद्युत को यूपीसीएल द्वारा नेट मीटरिंग के माध्यम से उपभोक्ता के विद्युत बिल में समायोजित किया जायेगा।	सम्पूर्ण भारत के विद्युत घरेलू उपभोक्ताओं [illegible] द्वारा एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना के अन्तर्गत एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार के नेशनल पोर्टल https://solarrooftop.gov.in पर आवेदन किये जाने की [illegible] होगी।	एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार द्वारा [illegible] लाभार्थियों को अनुदान का भुगतान किया जाता है [illegible] द्वारा [illegible] नेट मीटर [illegible] के माध्यम से [illegible] सकती है। [illegible] राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान प्रदान किया जायेगा।
4	Grid Connected Rooftop Phase-II योजना, MNRE भारत सरकार द्वारा संचालित	घर की छत पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने से अपने विद्युत बिल की धनराशि को सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित विद्युत के उपयोग से कम कर सकते हैं तथा अपने विद्युत को ग्रिड में निर्यात कर उसके बदले भुगतान प्राप्त कर उपभोक्ता अतिरिक्त लाभ अर्जित कर सकते हैं। एकल घरेलू उपभोक्ताओं हेतु भारत सरकार द्वारा 3KW क्षमता तक सोलर प्लांट हेतु रू 17662/KW एवं तदुपरान्त 10KW क्षमता तक रू 8831/KW का अनुदान सीधे लाभार्थियों के खाते में दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी 3KW क्षमता तक के सोलर प्लांट हेतु रू 7060/KW का अनुदान अनुमन्य किया गया है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/ रेजिडेन्शियल वेलफेयर एसोसिएशन हेतु 10 KW क्षमता तक रू 8831/KW का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।	एकल घरेलू उपभोक्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/ रेजिडेन्शियल वेलफेयर एसोसिएशन।	MNRE भारत सरकार के पोर्टल www.solarrooftop.gov.in पर ऑनलाइन उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन आवेदन किया जाता है जिस हेतु UPCL द्वारा NOC भी ऑनलाइन दी जाती है। उपभोक्ता द्वारा UPCL के किसी भी सूचीबद्ध वेंडर के माध्यम से सोलर प्लांट स्थापित करवाया जा सकता है। प्लांट स्थापना के उपरान्त UPCL द्वारा Net Meter स्थापित कर प्लांट को ग्रिड से जोड़ दिया जाता है एवं उसका संयुक्त निरीक्षण पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। अंत में उपभोक्ता द्वारा अपने बैंक एकाउंट का विवरण उक्त पोर्टल पर अपलोड किया जाता है जिससे अनुदान की धनराशि सीधे खाते में जाती है।

******

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

PROGRAMMI

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू०पी०सी०एल०)

क्र	विद्युत सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया/संस्तुति प्रक्रिया
1	नये विद्युत मीटर (घरेलू) संयोजन/कनेक्शन की प्रक्रिया एल०टी० संयोजन एच०टी० संयोजन	विद्युत कनेक्शन– बिजली/विद्युत को मकान/भवन में सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है। निर्धारित शुल्क जमा कर कनेक्शन लेना होता है।	कोई भी व्यक्ति जो नया विद्युत संयोजन लेना चाहता है अथवा अस्थायी विद्युत संयोजन लेना चाहता है अथवा संयोजन में भार वृद्धि/कमी करना चाहता है आवेदन कर सकता है।	विद्युत संयोजन के आवेदन हेतु आवेदक विभाग की वेबसाइट से फार्म डाउनलोड कर सकते हैं या सम्बन्धित क्षेत्र के यू०पी०सी०एल० कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग की वेबसाइट (www.upcl.org) पर ऑन लाईन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है। आवेदन के साथ ID Proof (आधार कार्ड, वोटर आई०डी०, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि में से कोई भी एक), Ownership Proof (sale deed, lease deed, registered general power attorney, Municipal tax receipt, Letter of allotment आदि में से कोई एक)। यदि Ownership Proof में इंगित उक्त दस्तावेज में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न होने तो तीन गुणा प्रतिभूति धनराशि जमा करने का भी प्राविधान उपलब्ध है। आवेदन पत्र व वांछित दस्तावेज ऑन लाईन माध्यम से अथवा सम्बन्धित कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। आवेदन व दस्तावेज की जाँच करने के पश्चात् आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी। तदोपरान्त विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है जिसके अनुसार आवेदक को निर्धारित धनराशि ऑनलाईन/ऑफलाईन के माध्यम से भुगतान करनी होती है। सम्पूर्ण औपचारिकताऐं पूर्ण होने के उपरान्त विद्युत संयोजन का मीटर सम्बंधित भवन/क्षेत्र में लगाया जाता है। यह प्रक्रिया ऑनलाईन भी विभागीय वेबसाइट www.upcl.org के माध्यम तथा उत्तराखण्ड सरकार पोर्टल माध्यम एवं वाणिज्यिक/औद्योगिक संयोजन हेतु सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से भी संचालित है।

****

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	शूटिंग अनुमति प्रमाण–पत्र	राज्य में फिल्मों की शूटिंग।	फिल्म निर्माता	फिल्म शूटिंग की अनुमति हेतु सिंगल विन्डो सिस्टम https://investuttarakhand.uk.gov.in/filmshooting/ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना होगा। आवेदन के लिए निर्माता को आधार कार्ड, फिल्म का सारांश, Production house के registration, production house द्वारा अधिकृत दस्तावेज और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के फार्म को भर के online attach करना होता है। फिल्म निर्माण की अनुमति से पूर्व निर्माता को सिंगल विन्डो सिस्टम https://investuttarakhand.uk.gov.in/filmshooting/ पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। आवेदन के लिए निर्माता को आधार कार्ड, फिल्म का सारांश (Synopsis) Production house का registration Certificate/GST या किसी Line Producer से फिल्म निर्माण कराने की स्थिति में Line Producer के लिए अधिकार पत्र तथा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के फार्म को भर के online attach करना होता है। विभाग द्वारा अनुमति प्रदान करने के उपरान्त फिल्म अनुमति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि सम्बन्धित विभागों को स्वतः ही पोर्टल से भेज दी जाती है। विभागों की सूची निम्नवत है :– 1.To the Office of District Magistrate 2.To Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police 3. To the concerned DFO / Ranger / Forest 4. To the concerned Kotwali / Police Station / Outpost in-charge यदि फिल्म का निर्माण कोई संरक्षित वन विभाग में होना है तो फिल्म विकास परिषद द्वारा मुख्य वन संरक्षक अधिकारी (CCF) और सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) को अनापत्ति जारी करने हेतु पत्राचार किया जाता है। फिल्म शूटिंग की अनुमति निःशुल्क 14 दिन के अन्दर E-mail: ufdc2015@gmail.com के माध्यम से भी फिल्म निर्माता को प्रदान की जाती है।

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

चौबट्टाखाल में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉलों का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।
दिनांक 07 अप्रैल, 2023

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
2.	फिल्मों को अनुदान	• उत्तराखण्ड राज्य में 75 प्रतिशत शूटिंग की गई हो, क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों में बनने वाली फिल्मों को फिल्म प्रोसेसिंग लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 लाख। • अन्य राज्यों की क्षेत्रीय फिल्मों को, जो 75 प्रतिशत उत्तराखण्ड में शूटिंग की गई हो, को फिल्म प्रोसेसिंग लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू015 लाख। • हिन्दी फिल्मों को फिल्म उत्पादन लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम 1.5 करोड़ रुपये तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके लिए फिल्मों की 75 प्रतिशत राज्य में शूटिंग की जानी होगी।	ऐसे फिल्म निर्माता जिन्होंने फिल्मों की 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग राज्य में की हो।	फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म सेंसर प्रमाण पत्र तथा फिल्म रिलीज/प्रदर्शन के उपरान्त अनुदान हेतु आवेदन किया जाता है। अनुदान हेतु आवेदन ऑफलाइन फिल्म विकास परिषद, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून में जमा होगा। तथा इसके लिए फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म निर्माण से सम्बन्धित समस्त व्यय/बही, वेतन/भुगतान, वाउचर तथा अन्य अभिलेख (अन्य अभिलेखों जैसे—CA certificate, Bank Statement) यदि फिल्म प्रोडक्शन हाउस में बनी है तो सम्बन्धित इनवॉइस प्राप्त किये जाने होते हैं। इत्यादि विभाग में जमा कराने होते हैं, जिन पर फिल्मों को अनुदान हेतु गठित तकनीकी एवं वित्तीय समितियों द्वारा फिल्मों के प्रस्तावों तथा बिलों का परीक्षण करते हुए अनुदान दिये जाने पर विचार किया जाता है। फिल्म अनुदान हेतु गठित वित्तीय समिति की संस्तुति के उपरान्त मा0 मुख्यमंत्री/अध्यक्ष, फिल्म विकास परिषद से अनुमोदन/स्वीकृति के उपरान्त अनुदान धनराशि फिल्म निर्माता के खाते में भुगतान की जाती है। अनुदान हेतु आवेदन ऑफलाइन फिल्म विकास परिषद, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून में जमा होगा।

****

PROGRAMME IMPLEMENT

ग्राम्य विकास विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / पात्रताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं प्राप्ति प्रक्रिया
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)	ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। योजना में एक परिवार को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। कुशल श्रमिक को लोक निर्माण विभाग के प्रचलित SOR की अनुसार मजदूरी दी जाती है जो श्रमिक के विभिन्न श्रेणी में रू० 400 –800/– प्रतिदिन की दर है। अकुशल श्रमिक को 1 अप्रैल 2023 से रू० 230/– प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है।	जॉब कार्ड धारक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य	जॉब कार्ड हेतु आवेदन एवं प्राप्ति प्रक्रिया– ग्रामीण परिवार जो अकुशल श्रम [illegible] करने का इच्छुक हो, जॉब कार्ड हेतु आवेदन कर सकता है। जॉब कार्ड प्राप्त हेतु ग्राम पंचायत/विकासखण्ड कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होता है। आवेदन पत्र के साथ [illegible] फोटो, [illegible] कार्ड/बैंक पासबुक, [illegible]/ आधार कार्ड [illegible] संलग्न करनी होती है। [illegible] 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। एक जॉब कार्ड में परिवार के 8 सदस्य दर्ज हो सकते हैं। कार्य की मांग जॉब कार्ड प्राप्त हो जाने के उपरान्त जॉब कार्ड में दर्ज कोई भी सदस्य निर्धारित प्रारूप में ग्राम पंचायत/विकासखण्ड कार्यालय में कम से कम 14 दिन के कार्य की मांग कर सकता है। यदि मांग किये जाने के 15 दिन तक कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक विकासखण्ड कार्यालय में आवेदन कर बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकता है।
2	दीनदयाल अन्त्योदय–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)	योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीब परिवारों विशेष रूप से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं को संगठित कर स्वयं सहायता समूहों [illegible] बनाये जाते हैं ताकि वे आजीविका में सुधार के लिए [illegible] साधन से कार्यों को शुरू कर सकें। समूह बनाने के बाद समूह सदस्यों को प्रशिक्षण [illegible] द्वारा दी जाती है। तथा महिलाओं समूह बनाने के उपरान्त [illegible] किया जाता है तथा [illegible] की [illegible] 1.5 लाख [illegible] बैंक क्रेडिट लिमिट बैंक द्वारा दी जाती है जिससे समूह [illegible] कोई कार्य करना चाहें, [illegible] से ले सकती है। सरकार द्वारा समूह के	सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना –2011 अर्थात SECC-2011 एवं सहभागिता के आधार पर गरीबों का चयन किया जाता है तथा समूह बनाने समय उनको प्राथमिकता दी जाती है। कुछ वर्ग के गरीब महिलाओं, दलित और आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्येक ग्राम में एक से अधिक समूह बन सकते हैं। सदस्यों की आयु 18–60 वर्ष के बीच हो। [illegible]	समूह बनाने की प्रक्रिया– ग्राम में [illegible] (Community Resource Person) की सहायता से ग्राम स्तर पर उपलब्ध गरीब महिलाओं/परिवारों को समूह में जुड़ने हेतु मोटिवेट किया जाता है तथा समूह में जुड़ने हेतु इच्छुक होने तथा बैठकों में भाग लेने के लिए तैयार होने पर उनका समूह गठित किया जाता है। समूह हेतु [illegible] में कम से कम 5 महिलाओं और [illegible] के लिए कम से कम [illegible] महिलाओं का होना अनिवार्य है। [illegible] समूह की महिला का नाम ग्राम [illegible] में दर्ज होना चाहिए। उसके बाद समूह की बैठक आयोजित करने पर एक [illegible] बनाया जाता है। समूह गठित होने का विवरण [illegible] पोर्टल पर [illegible] की जाती है। इसके बाद समूह सदस्यों को [illegible] खाता [illegible]

		[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUGKY)	[illegible] tourism & hospitality, retail, logistics, banking, electronics [illegible]	[illegible] Auto Included [illegible]	[illegible] www.kaushalpanjee.nic.in [illegible] candidate registration [illegible]
4	प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (PMAY-G)	[illegible]	सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना –2011 (SECC-2011) [illegible]	[illegible]

		किसान क्रेडिट कार्ड हेतु ब्याज मुख्यमंत्री योजना के अन्तर्गत लाभार्थी रू0 6,000/- की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।		तक नई योजना एप के माध्यम से [illegible] गया। आवास प्लस नई सूची के आधार पर पात्र प्रतीक्षा सूची तैयार की गई जिसके आधार पर वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा लक्ष्य आवंटन किया जा रहा है। वर्तमान में पात्र लोगों को धनराशि सीधे उनके खाते में आवंटित की जा रही है।
5	रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स **(RBI)**	ग्राम्य विकास विभाग की एक अभिनव पहल है। ऐसे उद्यमियों को तकनीकी, व्यावसायिक, कानूनी सलाह, वित्तीय सहयोग आदि हेतु इन्क्यूबेटर के माध्यम से परामर्श प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड के ऐसे निवासी जो किसी भी व्यवसाय को करने हेतु इच्छुक हों तथा 18 वर्ष से अधिक आयुसीमा के हों योजना हेतु पात्र है। राज्य में गठित स्वयं सहायता समूहों के सदस्य जो व्यवसाय करना चाहते हों। ऐसे व्यक्ति जो पहले से कार्य कर व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हों। तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना चाहते हों। बिजनेस प्लान तैयार करने में सहायता चाहते हों। जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं के लिए मार्गदर्शन चाहते हों/ बाजार, सेल, प्रोडक्ट एवं मार्केटिंग की जानकारी चाहते हों।	यदि राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवसाय करना चाहता है परन्तु उसको व्यवसाय करने की कोई जानकारी नहीं है जैसे-बैंक ऋण कहां से लेना, व्यवसाय में क्या सहायता मिलेगी, मार्केटिंग कैसे करेगा, वह जिला मुख्यालय में स्थित बिजनेस इन्क्यूबेटर्स कार्यालय में जाकर व्यवसाय से संबंधित जानकारी/ सहयोग तथा इन्क्यूबेटर्स की अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकता है। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट https://ukrdd.uk.gov.in पर ऑनलाइन पर आवेदन भी कर सकता है या ईमेल rbiuttarakhand@gmail.com या फोन नम्बर 7080463021 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स के बारे में जनता को अवगत कराये जाने हेतु समय समय पर विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते है। रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स के पास फोन द्वारा/आवेदन मिलने पर उपरोक्त इन्क्यूबेटर्स कार्यालय द्वारा आवेदक से सम्पर्क किया जाता है। आवेदक द्वारा कार्यालय में आवेदन के पंजीकरण होने पर उसके व्यवसाय/ कौशल तथा अन्य सहायता विषय पर जानकारी तैयार की जाती है तत्पश्चात जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कर संबंधित विभाग [illegible] से सम्बन्धित को हैंडहोल्डिंग के अन्तर्गत [illegible] द्वारा उन इन्क्यूबेटीज को सहयोग प्रदान किया जाता है। रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण उद्यमिता को विकसित करना एवं स्वरोजगार हेतु व्यवसायों को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए राज्य से युवाओं के पलायन को कम करना तथा रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है। राज्य के उत्पाद के [illegible] (कुमाऊं मण्डल की जानकारी हेतु)

सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकुल मैदान, हरिद्वार से राज्य की ९५ संयुक्त सहकारी खेती, ९५ जन सुविधा केन्द्र, ९५ जन औषधि केन्द्र एवं राज्य की समस्त बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। दिनांक 30 मार्च 2023

				[illegible] हेतु में [illegible] की गयी है। [illegible] 11 जनपदों में [illegible] कार्यालय, जनपद [illegible] की गयी है। इस [illegible] जनपद हेतु [illegible] प्रतिहार [illegible]
6	बीपीएल(ग्रा0) सूची में नाम जोड़ने एवं संशोधन करने एवं हटाने की प्रक्रिया	**बीपीएल(ग्रा0) सूची में नाम जोड़ने एवं संशोधन करने एवं हटाने की प्रक्रिया**–शासनादेश सं0 [illegible]/ग्रा0वि0/2002 दिनांक 22 मई 2002 द्वारा बी0पी0एल0(ग्रा0) सर्वेक्षण 2002 हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये, जिसमें **गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की गणना हेतु 13 सूचकांक निर्धारित थे,** जिसका मुख्य उद्देश्य [illegible] ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों का बी0पी0एल0(ग्रा0) [illegible] निर्धारण की कार्यवाही करना था। बी0पी0एल0(ग्रा0) सर्वेक्षण 2002 [illegible] मई 2003 से माह सितम्बर 2003 तक सम्पन्न किया गया और शासन द्वारा अनुमोदित सूची विकास खण्ड/ग्राम पंचायतों में उपलब्ध करते है। मा0 उच्चतम न्यायालय में [illegible] रिट पिटीशन 196 सन 2001 दिनांक 17.2.2006 में दिये गये निर्णय **"Provision will be made to allow new names to be added and ineligible names deleted from the BPL list 2002 on a continuous basis during the period that the list will be applicable"** [illegible] दिनांक 02 मार्च 2007 में **अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाया जायेगा तथा नये पात्र व्यक्तियों को सूची में सम्मिलित किया जायेगा,** [illegible] संख्या 4967/ दि0 16.03.2008 द्वारा निर्देश वर्ष 2008–09 में [illegible] जिसमें [illegible] अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाकर नये पात्र व्यक्तियों को सूची में सम्मिलित किया गया था। [illegible] ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 प्रारम्भ की गयी, जिसके आधार पर [illegible] विभाग के [illegible] विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बीपीएल में नाम जोड़ने एवं हटाने की प्रक्रिया 2008–09 के बाद नहीं की गयी है। **बीपीएल(ग्रा0) प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया**–खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा बी0पी0एल0(ग्रा0) सर्वेक्षण–2002 सूची में सम्मिलित ग्रामीण पात्र परिवारों को बी0पी0एल0(ग्रा0) प्रमाण पत्र जारी किये गये। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 प्रारम्भ की गयी, जिसके आधार पर [illegible] विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।		
7	सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 SECC सूची	सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 (SECC) में भारत सरकार द्वारा की गयी थी, जिसके मानक निर्धारित कर, सर्वे किया गया था, मानकों के अनुसार पात्र परिवारों को (SECC) में जोड़ा गया, जिसकी सूची ग्राम्य विकास विभाग की वेबसाइट, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं ग्राम विकास अधिकारी के पास उपलब्ध होती है। इस सूची में नाम जोड़ने एवं हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। [illegible] परिवारों को हटाया/जोड़ा जा सकता है।		

******

सहकारिता विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अपात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना	अल्पकालीन कृषि कार्य हेतु रू. 1.00 लाख तथा कृषियेत्तर कार्य (जैसे पशुपालन, दुग्ध, मुर्गी पालन, मत्स्य, जड़ी-बूटी, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] कृषि-[illegible], [illegible] [illegible] आदि) हेतु रू. 3.00 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूह को रू. 4.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण दिया जाता है।	सामान्य लघु सीमांत कृषकों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार के सदस्य एवं स्वयं सहायता समूह जो उस क्षेत्र की सहकारी समिति के सदस्य अथवा जिला सहकारी बैंक के [illegible] हों। परिवार के एक सदस्य को ही उक्त योजना का लाभ दिया जायेगा। लघु कृषक का तात्पर्य उन कृषकों से है जिनके पास 5 एकड़ तक असिंचित भूमि अथवा 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि उपलब्ध हो। सीमांत कृषक का तात्पर्य ऐसे कृषकों से है जिनके पास 2.5 एकड़ तक असिंचित भूमि अथवा 1.25 एकड़ तक सिंचित भूमि उपलब्ध हो। [illegible] का कोई सहकारी [illegible] नहीं दिया जायेगा। [illegible] के [illegible] के [illegible] सीमा निर्धारित नहीं है।	रू. 1 लाख से 3 लाख तक का ऋण हेतु आवेदक को सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक है [illegible] [illegible] आवेदन पत्र के साथ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आदि। ऋण लेने हेतु 2 [illegible] का होना आवश्यक है [illegible] [illegible] जाता है। आवेदन पत्र के साथ [illegible] [illegible] [illegible] बैंक/समिति में जमा करने के [illegible] [illegible] समिति द्वारा [illegible] का [illegible] कर [illegible] योजना के अन्तर्गत [illegible] ऋण प्रदान किया जाता है। रू. 3 लाख तक के ऋण हेतु [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] है [illegible] [illegible] [illegible] दिया जाता है। [illegible] [illegible] सहकारी बैंक से [illegible] होना [illegible] है। योजना के अन्तर्गत [illegible] [illegible] [illegible] राज्य शासन/ केन्द्र शासन द्वारा [illegible] कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित योजनाओं से आच्छादित [illegible] हेतु स्वीकृत होना चाहिए। उक्त [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] रू. 1 लाख [illegible] [illegible] हेतु भुगतान की अंतिम ऋण वितरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि [illegible]। [illegible] ऋण रू. 3 लाख हेतु भुगतान की अवधि ऋण वितरण की तिथि से [illegible] वर्ष की अवधि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हेतु भी [illegible] [illegible] की आवश्यकता होगी। [illegible] ऋण वितरण का [illegible] [illegible] [illegible] वर्ष [illegible] [illegible] किया जाता है। [illegible] [illegible] योजना के अन्तर्गत [illegible] [illegible] हेतु स्वीकृत किये गये अल्पकालीन कृषि ऋणों का [illegible] [illegible] [illegible] होगा। [illegible] [illegible] [illegible] सहकारी बैंक [illegible] [illegible] है। यदि किसी कृषक को किसी वर्ष ऋण नहीं मिला है तो [illegible] [illegible] वर्ष में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आवेदन [illegible] [illegible] [illegible]। **सहकारी समिति के सदस्य बनने की प्रक्रिया**-इच्छुक [illegible] [illegible] समिति कार्यालय में [illegible] हेतु आवेदन पत्र भरते हुए रू. [illegible]/- [illegible] [illegible] [illegible]

PROGRAMME

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				में जमा कर समिति सहायता हेतु आवेदन कर सकता है। सहायता स्वरूप सम्बन्धित समिति द्वारा सहायता हेतु दिये गये आवेदन पत्र विचार कर सम्बन्धित आवेदक की सहायता स्वीकार/अस्वीकार की जाती है। सहायता करने हेतु पूर्ण क्षेत्र के अधीन सक्षमी प्रमाण पत्र, पहचान के प्रमाणित विवरण हेतु सक्षमी प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की आवश्यकता होती है।
2.	मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना	उत्तराखण्ड के दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों को हरा चारा के साथ पौष्टिक तत्व मिलाते हुये पैकड साइलेज एवं सम्पूर्ण मिश्रित पशुआहार तैयार कर रू 2.75 प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत साइलेज के विक्रय मूल्य रू0 10.00 प्रति किलो पर 75 प्रतिशत अनुदान तथा परिवहन, प्रबन्धन, ढुलान आदि व्ययों पर रू0 3.36 प्रति किलो की दर से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। फलस्वरूप सामग्री को रू 2.75 प्रति किलो की दर से साइलेज उपलब्ध हो रहा है।	पर्वतीय क्षेत्रों के समस्त पशुपालक/कृषक। योजना मात्र पर्वतीय क्षेत्रों में ही लागू है।	पशुपालक/कृषक साइलेज की मांग हेतु सीधे सम्बन्धित समिति के सचिव को लिखित रूप से अथवा फोन से मांग दर्ज कराते हुये साइलेज की मांग करेंगे। प्राथमिक रूप से सदस्य पशुपालकों को समिति क्षेत्र में निवास करने से सम्बन्धित आधार कार्ड आदि उपलब्ध कराने पड़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सहकारी समितियां आसानी से दूर होती हैं, दूरस्थ होने की स्थिति में समितियों द्वारा [illegible] आगामी माह [illegible] की जा सकती है। इस योजना में सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। उक्त प्रक्रियानुसार पशुपालक/कृषक, सहकारी समितियों के कार्यालयों/केन्द्र में निर्धारित शुल्क जमा कर साइलेज/टोटल मिक्स राशन/चारा प्राप्त करेंगे।
3.	मोटर साईकिल टैक्सी योजना	आवेदनकर्ता को स्कूटी/ पर्यटक/ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने हेतु स्कूटर अथवा मोटर साईकिल को क्रय करने हेतु 2 वर्ष तक कुल धनराशि का 30	आवेदक उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 50 वर्ष से कम हो। आवेदक के पास परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध लाइसेन्स हो। आवेदक किसी वित्तीय	आवेदक स्कूटर अथवा मोटर साईकिल खरीदने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के सहकारी बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त करेगा। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, कोटेशन तथा उसमें मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेन्स की छायाप्रतियों का विवरण संलग्न करेगा तथा सम्बन्धित बैंक में ही जमा करेगा। आवेदन पत्र जमा होने के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

[illegible] मंडुवे की खेती को बढ़ावा देने के कार्यक्रम [illegible] विधि से मंडुवा की बोआई करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।
दिनांक 11 जून, 2023

जनपद टिहरी में मा0 मुख्यमंत्री जी पॉवर वीडर (आधुनिक कृषि यंत्र) के माध्यम से खेत की जुताई करते हुए

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएँ	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		प्रतिशत अथवा रू0 1.25 लाख जो भी कम हो, उसे स्कूटर/मोटर सायकिल पर ब्याजमुक्त ऋण दिया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत धनराशि आवेदक के पास होनी चाहिए। आवेदक अधिकतम दो स्कूटर/इलेक्ट्रानिक वाहन खरीद सकता है।	संस्था/सहकारी संस्था का कर्मचारी न हो। आवेदक का न्यूनतम सिबिल (क्रेडिट स्कोर) एक्सपीरियन स्कोर 700 से कम न हो।	स्थानीय कमेटी के समक्ष चयन के लिये प्रस्तुत किया जाता है। कमेटी द्वारा चयनित आवेदकों के आवेदन पत्र जिला सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय के माध्यम से सम्बन्धित बैंक शाखाओं को प्रेषित किये जायेंगे। सम्बन्धित शाखाओं द्वारा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये ऋण स्वीकृति पर निर्णय करते हुये स्वीकृत ऋण की धनराशि सीधे उस संस्था/फर्म को प्रेषित की जायेगी जिससे वाहन क्रय किया जाना है। ऋण की अदायगी-अवधि 05 वर्ष होगी। ऋण की वसूली ऋण वितरण की तिथि से 3 माह के बाद से अधिकतम 57 समान किस्तों में की जायेगी।
4	ई-रिक्शा कल्याण योजना	बेरोजगार युवक/युवतियों को ई-रिक्शा क्रय हेतु 03 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत बचत खाते से मात्र 12 रूपये वार्षिक प्रीमियम पर 02.00 लाख रू0 के सुरक्षा बीमा का लाभ प्राप्त होगा। 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वर्ग के सदस्य बचत खाते पर मात्र 330 रू0 प्रीमियम जमा करने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा से आच्छादित हो सकते हैं।	योजना के लिये स्थानीय बेरोजगार पात्र होंगे। उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो। वाहन चालक का स्थाई वैध ड्राईविंग लाईसेन्स। आवेदक की आयु अधिकतम 55 वर्ष हो।	आवेदक ई-रिक्शा खरीदने हेतु ऋण लेने के लिए क्षेत्र के सम्बन्धित सहकारी बैंक में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा आवेदक का सम्बन्धित सहकारी बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य होगा तथा आवेदक एवं 2 गारन्टी का बैंक का नाममात्रिक सदस्य बनाया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ ई-रिक्शा डीलर का कोटेशन, दो फोटो का विवरण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सम्बन्धित बैंक या बैंक खाता विवरण, वोटर आई0डी0 जिसमें स्थानीय पता अंकित हो अथवा बिजली का बिल, पानी का बिल, जो भी आवेदक से सम्बन्धित हो प्रस्तुत करना होगा एवं बैंक हस्ताक्षरित चेकबुक भी देना होगा। आवेदक को ऐसे बेरोजगार जो शहरी अथवा अर्द्धशहरी/ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता हो तथा किराये पर भी उन्हें किरायेदारी का प्रमाण पत्र तथा उत्तराखण्ड स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। उक्त दस्तावेजों के साथ बैंक में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पत्र सही पाये जाने पर बैंक द्वारा धनराशि सीधे डीलर को प्रदान की जाती है तथा इसके उपरान्त मासिक की किश्त/धनराशि की किश्त बनाकर आवेदक 9 प्रतिशत ब्याज सहित धनराशि जमा करता रहेगा।

******

कृषि विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ [illegible]	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan)	योजना अन्तर्गत किसानों को तीन किश्तों में सालाना 6 हजार रुपये (रू0 6000/-) हस्तांतरित किये जाते हैं। प्रति 4 माह में रू0 2000/- दिये जाते हैं।	प्रदेश के समस्त कृषि परिवार (किसान), जिनके नाम पर राजस्व अभिलेखों में जमीन हो। अपवर्जित वर्ग के उच्चतम निम्न वर्गों के लोग इस योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे – सभी संस्थागत भूमिधारक। ऐसे किसान जिनके परिवार का कोई भी सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत है पात्र नहीं होंगे – (क)संवैधानिक पदों पर पूर्व में कार्यरत रहे तथा वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति। (ख) पूर्व तथा वर्तमान मंत्री/ राज्यमंत्री, पूर्व तथा वर्तमान लोक सभा/ राज्य सभा, सदस्य/ विधान सभा/ विधान परिषद सदस्य, पूर्व तथा वर्तमान मेयर/ नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व तथा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष। (ग) केंद्र सरकार/ राज्य सरकार के मंत्रालयों/ कार्यालयों/ विभागों/ क्षेत्रीय इकाइयों के समस्त कार्यरत/ सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केंद्र/ राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सम्बद्ध कार्यालयों	आवेदक/ पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ लेने हेतु सर्वप्रथम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट/ पोर्टल पर www.pmkisan.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण करने हेतु आधार संख्या एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है यदि आधार लिंक मोबाइल नंबर न हो तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकरण के उपरांत निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –किसान के नाम पर जमीन होने संबंधी दस्तावेज (खतौनी में संबंधित किसान का नाम होना अनिवार्य है), बैंक खाता जो आधार से लिंक हो तथा आधार कार्ड/ राशन कार्ड संख्या। उक्त योजना में पंजीकरण करने के उपरांत विभागीय स्तर से जांच की जाती है, जांच में दस्तावेज सही पाये जाने पर केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि सीधे किसान के खाते में भुगतान की जाती है। यदि कोई किसान स्वयं पंजीकरण करने में सक्षम नहीं है तथा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी पंजीकरण कराने में असमर्थ है तो नजदीकी सहायक कृषि अधिकारी/

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / अपात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			राज्य/केंद्र के अन्तर्गत स्वायत्त उपक्रम के अधिकारी/ कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक (मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी अथवा श्रेणी घ को छोड़कर) (घ) सभी सेवानिवृत्त/ अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके पेंशनधारी जिनकी पेंशन प्रतिमाह रू0 10,000 अथवा रू0 10,000 से अधिक हो (मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी अथवा श्रेणी घ को छोड़कर)। (ङ) गत वर्ष के आयकर दाता। (च) प्रोफेशनल्स व्यक्ति जैसे- डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टेड एकाउन्टेन्ट तथा आर्किटेक्ट जो किसी पेशेवर उपक्रम (प्रोफेशनल बॉडी) में पंजीकृत हो तथा पेशे से सम्बन्धित प्रैक्टिस कर रहे हों।	जनपदीय कृषि अधिकारी कार्यालय में समस्त दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन करने में विभाग द्वारा सहयोग किया जाता है। पीएमकिसान हेल्पलाइन नं0 155261 एवं 011- 24300606 के टेलीफोन नंबर पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)	पुरुष और स्त्री दोनों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कम से कम 3000.00 (रू0 तीन हजार) प्रत्येक माह पेंशन के रूप में प्राप्त होते हैं। परन्तु इस हेतु 18 से 40 वर्ष की उम्र के भीतर पंजीकरण कराना होता है एवं रू0 55 से 200 प्रतिमाह पेंशन निधि में अंशदान (किसान द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि) कुल 60 वर्ष तक जमा करना होता है तथा उतनी ही धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान की जाती है।	सभी छोटे एवं सीमान्त किसान (जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन हो) तथा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है। राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि धारक एवं किसान का नाम अभिलेखों में दर्ज हो। किसान आयकर दाता न हो।	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र लाभार्थी किसान वेबसाइट www.pmkmy.gov.in पर जाकर स्वयं अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र (C.S.C.) में सम्पर्क कर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण करने हेतु आधार संख्या एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है। यदि आधार लिंक मोबाइल नंबर न हो

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकरण के उपरांत निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :–किसान के नाम पर जमीन होने संबंधी दस्तावेज (खतरा खतौनी में संबंधित किसान का नाम होना अनिवार्य है।), बैंक खाता जो आधार से लिंक हो तथा आधार सीड हो। पंजीकरण करने के उपरांत एक नॉमिनेशन फार्म भरना होता है जिसको प्रिंट करने के उपरांत पुनः अपलोड करना पड़ता है साथ ही खाते से प्रतिमाह अंशदान कटौती की अनुमति देनी होती है। प्रथम किस्त उसी समय भुगतान की जाती है। अंतिम रूप में पंजीकरण होने पर किसान मानधन पेंशन नंबर जारी होता है तथा पेंशन नंबर भविष्य में पेंशन प्राप्त करने का आवश्यक दस्तावेज है। प्रतिमाह जो अंशदान धनराशि है वह किसान के खाते से कटौती होती है और उतनी ही धनराशि सरकार द्वारा भुगतान की जाती है। धनराशि की कटौती 60 वर्ष तक होती है। 60 वर्ष पूरे होने पर रू0 3000/– पेंशन की धनराशि मिलने लग जाती है। भविष्य में पेंशन हेतु पेंशन निधि प्रबंधन और पेंशन भुगतान के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम उत्तरदायी है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				हेतु समय पर बीमा प्रीमियम का भुगतान, फसल बीमा में उल्लेखित सभी शर्तों और नियमों का पालन करें।
4	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE)	किसानों को समय–समय पर आधुनिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि प्रदर्शनी, मेले, कृषक गोष्ठी का आयोजन एवं किसानों को एक्सपोजर विजिट पर भी ले जाया जाता है। कृषक वैज्ञानिक संवाद कराया जाता है। फार्म स्कूल–किसानों प्रदर्शनी हेतु कृषक को निःशुल्क बीज, खाद तथा रसायन उपलब्ध कराया जाता है तथा स्कूल पर 30 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रगतिशील कृषक जो खेती–बाड़ी में अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। प्रमाण पत्र के साथ निम्नानुसार धनराशि दी जाती है– विकासखण्ड स्तर रू0 10,000 (दस हजार मात्र)–किसान श्री जनपद स्तर रू0 25,000 (पच्चीस हजार मात्र) किसान भूषण राज्य स्तर रू0 50,000 (पचास हजार मात्र)– किसान रत्न	प्रदेश के किसान को इस योजना का लाभ मिल जायेगा। किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा किसान का नाम भूमि संबंधी दस्तावेजों में दर्ज होना चाहिए।	किसान यदि प्रशिक्षण/एक्सपोजर विजिट/कृषि वैज्ञानिक संवाद प्राप्त करना चाहता है तो अपने जनपद के न्याय पंचायत पर सहायक कृषि अधिकारी, विकासखण्ड स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी इकाई स्तर पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी तथा जनपद में मुख्य कृषि अधिकारी/परियोजना निदेशक (आत्मा) के नाम से प्रशिक्षण हेतु पत्र लिखकर आवेदन कर सकता है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त किसान द्वारा संबंधित क्षेत्र के कृषि विज्ञान केन्द्र/अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। किसान पुरस्कार प्राप्त करने हेतु जनपद के कृषि कार्यालयों द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तथा विज्ञापन के उपरान्त इच्छुक कृषि/विकास खण्ड कृषि कार्यालय/जनपद स्तरीय कृषि कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्धारित अवधि में फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल, कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	प्राकृतिक आपदाओं जैसे –बारिश, ओलावृष्टि, अचानक बिजली, बाढ़, सूखा, कीट, रोगों, चक्रवात एवं भूस्खलन से फसलों की बुवाई से कटाई तक नुकसान की भरपाई की जाती है। फसल कटाई के 14 दिन बाद तक (चक्रवात, चक्रवाती बारिश, बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि) आपदा से हुए नुकसान पर भी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता दी जाती है। आगजनी से होने वाला फसल नुकसान इस योजना में सम्मिलित नहीं है। क्षतिपूर्ति बीमित क्षेत्रफल का भुगतान और बीमित धनराशि पर निर्भर करता है। प्रीमियम की धनराशि- रबी में किसान को अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है तथा खरीफ की फसलों पर अधिकतम 2 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है। अन्य शेष धनराशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।	खेती करने वाले प्रदेश के सभी ऋणी और गैर ऋणी किसानों के साथ-साथ बटाईदार किसान (जो किसी अन्य की खेती पर खेती करते हों) इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान निम्न फसलों का बीमा करा सकते हैं :– 1. खरीफ–धान, मण्डुवा (समस्त जनपद) 2. रबी–गेहूं (समस्त जनपद), मसूर (जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा पिथौरागढ़)	फसल बीमा करने हेतु संबंधित पात्र किसान PMFBY वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर पंजीकरण कर सकता है जिसके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, खतौनी तथा बटाई सम्बंधी दस्तावेज, बटाईदार होने की स्थिति में इकरारनामा/एफिडेविट अपलोड करने होंगे। यदि स्वयं आवेदन नहीं कर सकते हों तो जन सेवा केन्द्र (C.S.C.)/ सहकारी बैंक/पोस्ट ऑफिस/ बीमा कम्पनी एजेन्ट के माध्यम (AIDE एप) द्वारा दस्तावेज ले के जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के उपरान्त किसान को बीमित धनराशि के सापेक्ष प्रीमियम धनराशि भुगतान करनी होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर बीमा कम्पनी क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लि0 (टोल फ्री नं0– 18005723013) एवं अपने जनपद के कृषि एवं राजस्व विभाग को सूचित करें। इसके उपरान्त तीनों विभागों द्वारा जांच की जाती है। जांच में नियमानुसार फसल क्षति पाये जाने पर भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाता है। बीमा का लाभ लेने

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/आवश्यकता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				सम्बन्धी प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, राज्य के बाहर विजिट करने सम्बन्धी प्रमाण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड/पशुपालन सुधार कार्ड यदि किसान क्रेडिट कार्ड लिया हो तो तत्सम्बन्धी विवरण, फसलबीमा/पशु बीमा कराया हो तो तत्सम्बन्धी प्रमाण, स्वप्रमाणित पासपोर्ट फोटो, किसी समिति/संगठन का सदस्य हो तो उसका विवरण, तथा फसल उत्पादन, उससे होने वाले लाभ, उद्यान आदि विवरण संलग्न कर जनपद स्तरीय कार्यालय में जमा करना पड़ता है। जमा करने के उपरान्त कृषकों का चयन ब्लॉक स्तर पर गठित कृषक सलाहकार समिति की खुली बैठक में विभागीय अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है तथा अन्तिम अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित Governing body Board Meeting (आत्मा शासी निकाय की बैठक) में किया जाता है।
11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत खेती के रकबे का विस्तार चावल, गेहूं, दालों और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रदर्शन, प्रमाणित बीज वितरण, पौध एवं मृदा प्रबन्धन, यंत्र वितरण, कृषक प्रशिक्षण	प्रदेश के किसान जो भी इस योजना का लाभ पाना चाहेंगे। छोटी जोत भूमि वाले कृषक तथा जमीनी दस्तावेजों में नाम होना अनिवार्य है।	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है, किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकता है तथा प्रस्ताव पास होने पर संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		पर्वतीय क्षेत्रों में 2.5 हेक्टेयर अथवा इससे कम तक की कृषि जमीन के लिए एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है तथा मैदानी क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर तक की जमीन के लिए एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है तथा यह कार्ड 03 वर्ष तक वैध होता है।		नमूना लेने के लिए फावड़े या खुरपी से 6 इन्च गहरा, 6 इन्च लम्बा और 4 इन्च चौड़ा वी0 आकार का गड्ढा बना ले। अब इस गड्ढे के किनारे–किनारे दीवार से ऊपर से नीचे लगभग 1–2 इंच मिट्टी इकट्ठा कर लें इस इकट्ठा की गयी मिट्टी को निकाल कर साफ जगह पर रख लें। इस तरह से खेत के 6 जगह से मिट्टी इकट्ठी करनी है। मिट्टी इकट्ठा कर ले तो सभी को अच्छी तरह मिला ले और उनमें से कंकड़ पत्थर या घास व जड़ हो तो उसे हटा दें। अच्छी तरह मिलायी गयी मिट्टी को चार बराबर भागों में बांट दें और 2 भाग को बाहर निकाल कर फेंक दें और बचे दो भाग को रख लें। बचे हुए 2 भाग को फिर से अच्छी तरह मिला दें और फिर उन्हें चार बराबर भागों में बांट दें और फिर 2 भाग को हटा दें। यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक आधा किलो मिट्टी न बच जाए। आधा किलो मिट्टी जांच के लिए सही नमूना है। इस आधा किलो मिट्टी के नमूने को साफ थैले में रखकर थैले में एक पर्ची डालनी है जिसमें किसान का नाम–पूरा पता–खसरा नम्बर–मोबा0–कौन सी फसल लेना चाहते हैं उसकी जानकारी– उल्लिखित करनी होगी तथा नमूने के साथ आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र मोबा0 आदि

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>योजना का नाम</th><th>लाभ</th><th>पात्रता/ लाभार्थी</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शन तथा कस्टम हायरिंग हेतु सहायता दी जाती है।
योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार अनुदान कृषकों को देय है :—
क्लस्टर प्रदर्शन—
• रू0 3000 प्रति है0 (धान गेहूँ व मक्का)
• 5000 प्रति है0 ([illegible])
• रू0 3000 प्रति है0 ([illegible])
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>कार्य मद</th><th>अनुदान के मानक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>[illegible]</td><td>रू0 [illegible] प्रति है0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बीज वितरण</td><td>[illegible] मूल्य का 50% या रू0 [illegible]/ कुन्टल जो भी कम हो</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>[illegible]—मूल्य का 50% या रू0 [illegible]/ कुन्टल जो भी कम हो</td></tr>
<tr><td>3</td><td>बीज उत्पादन (10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियाँ)</td><td>[illegible]— मूल्य का 50 % या रू0 [illegible] प्रति कु0 जो भी कम हो
[illegible] —मूल्य का 50 % या रू0 2000.00 प्रति कु0 जो भी कम हो
[illegible] बीज उत्पादन (मूल्य का 50% या रू0 [illegible] प्रति कु0 जो भी कम हो)
आधारित बीज उत्पादन (मूल्य का 50% या रू0 [illegible] प्रति कु0 जो भी कम हो)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>[illegible]</td><td>[illegible] मूल्य का 50% या रू0 500/ हेक्टेयर जो भी कम हो</td></tr>
<tr><td>5</td><td>[illegible]</td><td>[illegible] मूल्य का 50% /[illegible] मानक के अनुसार</td></tr>
<tr><td>6</td><td>कृषक प्रशिक्षण—</td><td>रू0 3000/ सत्र या रू0 14,000 प्रति प्रशिक्षण</td></tr>
<tr><td>7</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td></tr>
<tr><td>8</td><td>स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शन</td><td>रू0[illegible] / है0</td></tr>
</table></td><td></td><td>कराया जाता है एवं किसान संबंधित किसान को बीज, कीटनाशी, कृषि यंत्र आदि दिये जाते हैं।

यदि किसान किसी ग्राम सभा/ जनप्रतिनिधि के माध्यम से न जाना चाहे, तो वह संबंधित न्यायपंचायत के कृषि निवेश केन्द्र से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।</td></tr>
</table>

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / आवश्यकता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
८	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.)	योजनान्तर्गत मुख्य रूप से बीज उत्पादन (सभी फसलों के 50 प्रतिशत सब्सिडी पर), फसल उत्पादन (सभी फसलों के बीज 50 प्रतिशत सब्सिडी पर), जैविक खेती (वर्मी कम्पोस्ट खाद, जैविक किट 50 प्रतिशत सब्सिडी पर एवं बहुउद्देशीय जल संग्रहण टैंकों का निर्माण किया जाता है। इसमें भी 50 प्रतिशत एकमुश्त सब्सिडी दी जाती है।	प्रदेश का किसान होना चाहिए। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा जमीनी दस्तावेजों में नाम होना अनिवार्य है।	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है। किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकता है तथा प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत कराया जाता है एवं विभाग द्वारा जांच करने के उपरान्त संबंधित किसान को बीज, वर्मी कम्पोस्ट खाद, टैंक निर्माण आदि दिये जाते हैं। लाभान्वित किसान द्वारा जांच करने के बाद, किसान बीज व खाद पंचायत स्तर के कृषि विक्रय केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा टैंक निर्माण विभाग द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर बनवाया जाता है।
९	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (S.H.C.)	प्रदेश के समस्त कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) उपलब्ध कराना। किसान के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है। सभी 13 जनपदों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित हैं। किसानों को यह जानकारी प्रदान की जाती है कि उनके खेत की मिट्टी के अन्दर कितनी मात्रा में क्या चीज है एवं किस फसल के लिए कितनी खाद और किस की खाद का उपयोग करना होता है। कृषकों की मिट्टी का नमूना जांच निःशुल्क है।	प्रदेश के समस्त भूमिधर कृषक जो कृषि कार्य से जुड़े हों।	सबसे पहले किसान को अपने खेत की मिट्टी का नमूना लेना होता है जिसकी प्रक्रिया निम्न है — किसान अपने खेत में 6 जगह चिन्हित करें जहां से वह नमूना लेना चाहते हैं उसके बाद जिस जगह से नमूना लेना है वहां ऊपर की ओर से जैसे-मिट्टी की ऊपर की घास आदि। मृदा जांच हेतु सूखी मिट्टी प्रयोग में लायी जाती है। यदि एकत्रित किया गया मृदा नमूना नमीयुक्त हो तो उसे छाया में सुखा लिया जाता है जिससे नमूना वायु शुष्क हो जाये।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				होने चाहिए इस नमूने को किसान अपने जनपद के मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में स्वयं अथवा अपने ग्राम पंचायत के सहायक कृषि अधिकारी के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद जब इन नमूनों की जांच हो जाती है तो किसान को उसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है जिससे किसान से यह खेती कर सकता है और खाद उर्वरकों का उपयोग कर सकता है। सुदूर जनपद में यदि किसान मुख्यालय नहीं पहुंच पाता है तो ऐसी स्थिति में वह अपने ग्राम पंचायत के कृषि विभाग के कर्मचारी से सम्पर्क कर मृदा परीक्षण सुविधा का लाभ उठा सकता है तथा आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र एवं मो0 नम्बर की आवश्यकता होगी।
8	राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन योजना (वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम) (NMSA-RAD)	योजना का संचालन क्लस्टर आधारित किसानों के समूह जिसमें न्यूनतम 2 से 5 किसान होने अनिवार्य हैं अधिकतम कितने किसान भी हो सकते हैं। है यह मात्र एक किसान के लिए नहीं है क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत कृषि एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियों जैसे-मुर्गी पालन, मौन पालन, पशुपालन एवं औद्यानिक खेती, वर्मीकम्पोस्ट आदि समूह क्लस्टर को जाती है। कृषि एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियों तथा समेकित कृषि प्रणालियों का विवरण एवं अनुदान/लाभ के मानक निम्नवत हैं – उद्यान आधारित फसल प्रणाली–जहाँ कृषकों को	प्रत्येक का किसान होना चाहिए। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा जमीनी दस्तावेजों में किसान का नाम आवश्यक है। किसान को योजना का लाभ लेने हेतु सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा गठित क्लस्टर का सदस्य होना चाहिए अथवा सदस्य न होने की स्थिति में कृषि विभाग द्वारा क्लस्टर से जोड़ा	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व ग्रा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है तथापि किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकते हैं तथा प्रस्ताव पास होने पर जिसमें सभी किसान जो कि न्यूनतम 2 से अधिक कार्यों को करने हेतु इच्छुक हों का समूह बनाया जाता है। सम्बन्धित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत कराया जाता है एवं विभाग द्वारा अन्य

क्र०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / अपात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		आजीविका अधिक से अधिक उद्यान आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 25000.00 का कृषि आगतों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। पशुधन उत्पादन आधारित फसल प्रणाली–कृषकों की आजीविका पशुपालन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 25000.00 का कृषि आगतों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। दुग्ध उत्पादन आधारित फसल प्रणाली– जहाँ कृषकों की आजीविका दुग्ध उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 40000.00 का कृषि आगतों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। मत्स्य उत्पादन आधारित फसल प्रणाली–जहाँ कृषकों की आजीविका मत्स्य उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 25000.00 का कृषि आगतों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। मुर्गी उत्पादन आधारित फसल प्रणाली– जहाँ कृषकों की आजीविका मुर्गी उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 15000.00 का कृषि आगतों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली– जहाँ कृषकों की आजीविका कृषि वानिकी पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 15000.00 का कृषि आगतों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। (ख) फसलोत्तर एवं संसाधन संरक्षण के अन्तर्गत अनुदान मानक– ग्रीनहाउस एवं लो–टनल पॉलीहाउस (टयूबलर) का निर्माण – संरचनाओं के निर्माण हेतु कुल लागत का 50% या रू० 530.00 प्रति वर्ग मीटर जो भी कम हो।	जाता है। यह योजना राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ पर सिंचित नहीं होती/कम होती है, वहां पर लागू की जाती है।	करने के उपरान्त जिला स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित किसानों को संबंधित कृषि प्रणालियों (जो कॉलम 03 में अंकित है) का कार्य सम्पन्न होने के बाद लाभार्थी के आवेदन के खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट http://nmsa.dac.gov.in पर जाकर स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (सी०एस०सी०) के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन करते समय किसान का आधार कार्ड, बैंक खाता, कृषि जमीन संबंधी दस्तावेज जिसमें किसान का नाम अंकित हो, उपलब्ध कराना होगा। उसके उपरांत विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है तथा किसान को संबंधित समूह में जोड़ा जाता है। कृषि संबंधित कार्यों को करने के उपरांत राशि संबंधित लाभार्थी के आधार के खाते में डीबीटी होता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		मौन पालन– मौन पालन कॉलोनी हेतु लागत का 40% या रू० 800.00 प्रति कॉलोनी जो भी कम हो। पैक हाउस इकाई का निर्माण– इकाई निर्माण पर लागत मूल्य का शत-प्रतिशत या अधिकतम रू० 1.25 लाख प्रति कृषक परिवार। पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज– इसके लिए लागत मूल्य का 50% या रू० 4000.00 प्रति टन मैट्रिक एक इकाई हेतु अनुदान की सीमा रू० 2.00 लाख / इकाई। [illegible] डिवाइस– इलेक्ट्रिक / डीजल इकाईयों हेतु मूल्य का 50% या अधिकतम रू० 15000.00 प्रति इकाई। वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन– उत्पादन निर्माण लागत मूल्य का 50% या अधिकतम रू० 125.00 प्रति घन फीट, स्थायी वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु अधिकतम सहायता सीमा रू० 50,000.00 प्रति इकाई जबकि एच०डी०पी०ई० वर्मीबेड हेतु अधिकतम रू० 8,000.00 प्रति इकाई तक सहायता देय है।		
6	परम्परागत कृषि विकास योजना (P.K.V.Y.)	यह योजना जैविक खेती को प्रोत्साहन करने हेतु है जिसमें जैविक खेती करने के लिए जैविक बीज कम्पोस्ट, हरी खाद, बायोफर्टीलाइजर बायोपेस्टिसाइड, नीम केक, नीम ऑयल, वर्मी कम्पोस्ट, वेस्ट डिकम्पोजर आदि के लिए किसानों को रू० 9000 प्रति है० की प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है।	प्रदेश के सभी मूल निवासी किसान नागरिक इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र हैं। केवल किसान श्रेणी के नागरिक (जिनके पास भूमि हो तथा जमीनी राजस्व अभिलेखों में किसान का नाम अंकित हो) ही योजना में आवेदन करने पात्र माने जायेंगे।	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है तदोपरान्त किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकते हैं तथा प्रस्ताव पास होने पर संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत कराया जाता है एवं विभाग द्वारा जांच करने के उपरान्त तथा किसान द्वारा जैविक खेती में उपयोग किये जाने वाले जैविक खाद, बीज आदि कृषि

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / आवश्यकता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				विक्रेता फर्मों से खरीदने के उपरान्त लाभ दिया जाता है। लाभ लेने हेतु किसानों को प्रस्ताव के साथ स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, भूमि/राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, कृषि जमीन की खसरा खतौनी तथा किसान नागरिक की पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। किसान वेबसाइट http://pgsindia-ncof.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु उसका पंजीकृत होना अनिवार्य है, जैविक निरीक्षण करने के उपरान्त सम्बन्धित जानकारी सीधे किसान के खाते में भुगतान की जाती है।
[illegible]	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)	प्रदेश के समस्त जिलों में खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने हेतु है। इस योजना में नये जल स्रोतों का निर्माण, पुराने जल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण करना, जल संग्रहण के साधनों का निर्माण, अन्य छोटे मझोले तथा सामुदायिक जल तालाबों आदि की क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य करवाये जाते है। किसान इस योजना के अन्तर्गत अपने खेतों में छोटे तालाब, खुला सिंचाई के साधन जैसे फव्वारा (स्प्रिंकलर) सिंचाई बूंद-बूंद सिंचाई (ड्रिप इरीगेशन) के पुनर्भरण प्राप्त कर सकते हैं।	प्रदेश का किसान पंजीकृत होना चाहिए। यह राज्य के समस्त जनपदों हेतु है। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए एवं कृषि भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों में किसान का नाम अंकित होना अनिवार्य है।	किसान अपने खेत एवं क्षेत्र की आवश्यकताओं को ग्राम पंचायत की खुली बैठक जो विभागीय अधिकारियों एवं स्था. जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में होती है में प्रस्ताव लायेगा तथा प्रस्ताव पास होने पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा योजना 2 में अंकित कार्यों के निर्माण/लागत विवरण सम्बन्धी प्रस्ताव किसान के साथ मिलकर तैयार किया जाता है तथा जिला स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य कृषि विभाग द्वारा करवाया जाता है।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		उक्त कार्यों को करने हेतु भारत सरकार के मानकों के अनुसार निम्न अनुदान दिया जाता है– सामुदायिक जल टैंक– मूल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम 2.50 लाख रु. अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है जल्द उत्पाद क्षेत्रफल (सिंचित होने वाला क्षेत्रफल) 01 है0 होना चाहिए। सामुदायिक जैव टैंक–मूल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम 2.50 लाख / क्षमता 01 है0 जल स्रोत– मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 15,000 / इकाई गहरी एवं उथली ट्यूबवेल–मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 25,000 / इकाई गहरी ट्यूबवेल– मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 1,00,000 / इकाई जल निकास का पुनर्उद्धार एवं मरम्मत– मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 15,000 / इकाई मिनी स्प्रिंकलर सेट– मूल्य का 55 प्रतिशत या अधिकतम रू0 64,717 / है0 माइक्रो स्प्रिंकलर सेट– मूल्य का 55 प्रतिशत या अधिकतम रू0 44,757 / है0 पोर्टेबल स्प्रिंकलर सेट– मूल्य का 45% या अधिकतम रू0 26,213 / है0		कार्य सम्पन्न होने के बाद किसान के खतौनी इन्तखाब तथा आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फोटो, कृषि जमीन संबंधी दस्तावेज अभिलेख प्राप्त किये जाते हैं एवं बाद में कॉलम 3 में अंकित सब्सिडी का भुगतान सीधे किसान के खाते में किया जाता है।
11	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM)	योजना के तहत प्रदेश के सभी किसानों को खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने हेतु एस.सी./ एस.टी./ लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों (सभी जाति की) के लिए 50 प्रतिशत एवं बड़े किसानों के लिए 40 प्रतिशत अनुदान / अधिकतम सहायता दी जाती है, विवरण निम्नवत है :–	किसान उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो तथा 50 प्रतिशत अधिक सहायता एस.सी./ एस.टी./ लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों (सभी जाति की) के लिए है।	सर्वप्रथम कृषि विभाग / जनपदीय मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने के उपरान्त दरों की सब्सिडी पर खरीद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। विज्ञापन में उल्लिखित तिथि के भीतर ही इस योजना का लाभ पाने के लिए

क्र.	योजना का नाम	उद्देश्य	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		जाती है, जिसके फलस्वरूप विक्रेता/किसान को उपज का प्रतिस्पर्धात्मक/अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकता है तथा आनलाईन विक्रय की गयी कृषि उपज का भुगतान सीधे विक्रेता/ किसान के बैंक खाते में प्राप्त होता है। उत्तराखण्ड राज्य में 16 मंडी समितियों में ई–नाम योजना संचालित की जा रही है। आगामी माहों में 23 मण्डी समितियों में ई–नाम योजना संचालित हो जायेगी।		टेक्नीशियन द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, विक्रेता की सहमति से न्यूनतम बिड/बोली की धनराशि एवं बिड/बोली अवधि निर्धारित की जाती है एवं बिड का आनलाईन संचालन मंडी समिति द्वारा किया जाता है। आनलाईन माध्यम से प्राप्त अधिकतम बोली/बिडिंग की धनराशि से विक्रेता की सन्तुष्टि उपरान्त बोली की घोषणा की जाती है। सर्वोत्तम बोली वाले क्रेता एवं विक्रेता के बीच में अनुबंध पत्र/सेल बिल डाउनलोड किया जाता है, जोकि क्रेता/विक्रेता/समिति क्रेता द्वारा अपनी ई–नाम आई0डी0 से विक्रेता से क्रय की गयी कृषि उपज की धनराशि, मण्डी समिति को देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस की धनराशि का भुगतान का चालान प्रिंट करके भुगतान आनलाईन माध्यम से सीधे विक्रेता के बैंक खाते में किया जाता है अथवा नकद धनराशि के माध्यम से भी किया जा सकता है। उसके उपरान्त फसल संबंधित विक्रेता तक पहुंचाने का कार्य संबंधित मंडी समिति द्वारा किया जाता है।

PROO

उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / [illegible]	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		(see table below)	पात्र किसान का नाम खेती योग्य जमीन के राजस्व अभिलेखों में अंकित हो।	किसान को SMAM के पोर्टल http://agrimachinery.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन तथा [illegible] ऑनलाइन [illegible] के माध्यम से चयन होता है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नम्बर, बैंक खाता तथा जमीन संबंधी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र (यदि किसी जाति विशेष से हो) अपलोड करने होते हैं। सभी दस्तावेज उसी जनपद के होने चाहिए जिस जनपद में कृषि जमीन हो। यदि किसान को ऑनलाइन आवेदन नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में कृषि विभाग के विकासखण्ड स्तर के अधिकारी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पंजीकरण संख्या/ प्रमाण संबंधित किसान को प्राप्त होता है। फिर किसान कृषि विभाग के अंतर्गत पैनल फर्मों से जो [illegible] में सूचीबद्ध हो, उनसे संबंधित यंत्र खरीदेगा, उसके बिलों को जो पंजीकरण संख्या प्राप्त हुई है उसी में अपलोड करेगा। तदोपरांत कृषि विभाग के कार्मिकों द्वारा बिलों की जांच की जाती है तत्पश्चात डीबीटी के माध्यम से अनुदान की धनराशि का भुगतान सीधे कृषक के खाते में किया जाता है। योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन में 'पहले आओ पहले पाओ' की व्यवस्था

क्र	यंत्र का नाम	अनुदान की मात्रा [illegible]
1	पॉवर टिलर 8 बीएचपी से कम	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
2	पॉवर टिलर 8 बीएचपी एवं अधिक	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
3	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
4	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
5	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
6	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
7	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
8	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
9	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
10	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
11	[illegible]	[illegible] अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
12	[illegible]	[illegible] अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
13	[illegible]	[illegible] अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
14	[illegible]	[illegible] अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
15	[illegible]	[illegible] अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो
16	[illegible]	50% या अधिकतम रू. [illegible] जो भी कम हो

क्र.	योजना का नाम	लाभ			पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		17	ट्रैक्टर 20 से 40 पी0टी0ओ0हार्सपावर	50% या अधिकतम रू0 2.50 लाख जो भी कम हो।		लागू है। इसमें प्रत्येक जनपद में टारगेट निर्धारित है। टारगेट पूरा होने पर किसान को आगामी वर्ष में पुनः आवेदन करना पड़ेगा।
		18	ट्रैक्टर 40 से 70 पी0टी0ओ0हार्सपावर	50% या अधिकतम रू0 4.00 लाख जो भी कम हो।		
		19	[illegible] (सेल्फ प्रोपेल्ड 4 फीट)	50% या अधिकतम रू0 2.50 लाख जो भी कम हो।		
		20	[illegible] 35 एचपी से अधिक	50% या अधिकतम रू0 1.00 लाख जो भी कम हो।		
		21	[illegible]	50% या अधिकतम रू0 2.00 लाख जो भी कम हो।		
		22	[illegible] 35 एचपी से अधिक	50% या अधिकतम रू0 1.65 लाख जो भी कम हो।		
		23	[illegible]	50% या अधिकतम रू0 2.213 लाख जो भी कम हो।		
		24	[illegible]	50% या अधिकतम रू0 2.241 लाख जो भी कम हो।		
		25	रोटावेटर (6 फीट)	50% या अधिकतम रू0 0.448 लाख जो भी कम हो।		
		26	रोटावेटर (7 फीट)	50% या अधिकतम रू0 0.476 लाख जो भी कम हो।		
		27	रोटावेटर (8 फीट)	50% या अधिकतम रू0 0.504 लाख जो भी कम हो।		
		28	[illegible]	50% या अधिकतम रू0 30000.00 जो भी कम हो।		
		29	[illegible]	50% या अधिकतम रू0 18000.00 जो भी कम हो।		
		30	[illegible]	50% या अधिकतम रू0 10000.00 जो भी कम हो।		
		31	[illegible]	50% या अधिकतम रू0 10000.00 जो भी कम हो।		
		32	[illegible]	50% या अधिकतम रू0 10000.00 जो भी कम हो।		
		33	[illegible]	50% या अधिकतम रू0 12000.00 जो भी कम हो।		
		34	[illegible]	50% अनुदान।		

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / शर्तें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
12	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, कस्टम हायरिंग सेन्टर / बड़े किसानों हेतु। (SMAM)	कस्टम हायरिंग सेन्टर (ऐसे कृषकों के समूह जो कृषि यंत्रों की खरीद / किराये पर देने / बनाने का कार्य करते हों) के अन्तर्गत कृषक समूह / सहकारिता समूह / एफ.पी.ओ. / स्वयं सहायता समूह / कृषक को रू0 10.00 लाख से लेकर रू0 100.00 लाख तक के का अनुदान पर क्रय कर सकता है। जिस पर अनुदान के रूप में अधिकतम 40 प्रतिशत का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य के सभी कृषक जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे अधिक जमीन हो, सहकारिता समूहों, स्वयं सहायता समूहों, कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए है। सभी किसान / समूहों के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। व्यक्तिगत कृषक किसान की स्थिति में राजस्व अभिलेखों में नाम होना चाहिए तथा समूह की स्थिति में समूह के सदस्यों का कृषि जमीन संबंधी दस्तावेजों में नाम होना चाहिए।	उपरोक्त प्रक्रिया क्रमांक 11 के अनुसार होगी परन्तु समूह के आवेदन करने की स्थिति में समूह / कस्टम हायरिंग सेंटर का बैंक खाता, समूह के अध्यक्ष की फोटो, समूह के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड, समस्त सदस्यों के जमीन के दस्तावेज अनिवार्य है।
13	इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) कृषि विपणन — उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	किसान पहले अपनी फसल की कटाई के बाद नजदीकी मंडी में ले जाते हैं एवं अपनी उपज का एक निश्चित आढ़त मंडी समिति को देने के बाद फसल या तो स्वयं मंडी में बेचता है या किसी बिचौलिए को औने-पौने दामों में बेचकर घर आ जाते हैं परन्तु किसानों को फसल का उचित दाम मिल सके इस हेतु ई-नाम भारत एक ऑनलाइन मंडी / बाजार किसानों के लिए तैयार किया है जिसमें किसान अपनी फसल का उचित दाम पाने हेतु फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। इसमें किसान किसी बिचौलिए को अपनी फसल न देकर स्वयं बेच सकता है साथ देख सकता है कि उसकी फसल के कितने रूपये प्रति कुं. / टन / [illegible] से ज्यादा मिल रहा है फिर उसी को बेच सकते हैं। इसमें किसान की कृषि उपज की गुणवत्ता मंडी प्रयोगशाला में निर्धारित की	राज्य के समस्त किसान जो अपनी फसल को ई-नाम के माध्यम से बेचना चाहता है पात्र होंगे।	किसान / विक्रेता स्वयं भी मंडी / मंडी समिति के सहयोग से ई-नाम (eNAM) पोर्टल पर पंजीकरण करा सकता है, जिसमें किसान / विक्रेता का पूरा विवरण भरा जाता है। मुख्यतः आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाता एवं जमीन संबंधी दस्तावेज अनिवार्य हैं। पंजीकरण के उपरान्त कृषकों की स्वीकृति (approval) समिति द्वारा की जाती है। किसान अपनी फसल को ऐसी मंडी समिति जो ई-नाम में पंजीकृत है उसके पास ले जायेगा उपरोक्त किसान / विक्रेता की कृषि उपज का लाट (ढेरी संख्या) मंडी समिति द्वारा जारी की जाती है [illegible] करके [illegible] मंडी

उद्यान विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	उद्यान कार्ड	उद्यान विभाग की समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यान कार्ड अनिवार्य है।	राज्य के सभी किसान जो उद्यान गतिविधियां करना चाहते हैं तथा उनके पास अपनी निजी / लीज की जमीन हो, पात्र होंगे।	उद्यान कार्ड उद्यान सचल दल केन्द्र से बनाये जाते हैं। उद्यान कार्ड बनाने हेतु उद्यान कार्ड का प्रारूप [illegible] केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है। [illegible] सम्पूर्ण जानकारी भरकर, आधार कार्ड, [illegible] की प्रति के साथ [illegible] उद्यान [illegible] केन्द्र में ही जमा करना होता है। [illegible] उद्यान कार्ड दिया जाता है। उद्यान सचल दल केन्द्र – किसानों तक [illegible] योजनाओं की जानकारी एवं किसानों को निवेश [illegible] उपलब्ध कराये जाने हेतु उद्यान सचल दल केन्द्र कार्यालय हैं जहाँ पर [illegible] उद्यान निरीक्षक / सहायक विकास अधिकारी उद्यान नियुक्त रहते हैं जो [illegible] किसानों की समस्याओं का समाधान करते हैं। राज्य के सभी [illegible] में कुल 319 उद्यान सचल दल केन्द्र स्थापित हैं।
2	फल पौधरोपण विस्तार	नये उद्यानों की स्थापना एवं उत्पादन में वृद्धि करना। कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता पर कृषकों को पौधे उपलब्ध कराये जाते हैं। उद्यान विकसित किये जाने हेतु निर्धारित पौधे आम, अमरूद, अनार, सेब, लीची, [illegible] आड़ू, खुमानी, अखरोट, नींबू प्रजाति, माल्टा, कीवी, ड्रैगन फ्रूट आदि फल पौध कृषकों को दिये जाते हैं। [illegible] का पौधा 400/- रु0 का है तो किसान को [illegible] में रु0 200/- जमा करने होंगे [illegible] 200/- की [illegible] राजसहायता [illegible] और किसान को एक पौधा रु0 200/- में मिल जाता है।	ऐसे कृषक जिनकी अपनी भूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड [illegible]। [illegible] न्यूनतम [illegible] हेक्टेयर एवं अधिकतम 1.00 हेक्टेयर [illegible] होनी चाहिए। अधिकतम [illegible] 04 हेक्टेयर है।	उद्यान सचल दल केन्द्रों (ए0एच0एम0सी0) में प्रभारी अधिकारी / कार्मिक से आवेदन प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://[illegible] से भी डाउनलोड कर सकते हैं। [illegible] पौधों को लगाने के लिए [illegible] माह में आवेदन [illegible] पौधों को लगाने के लिए [illegible] माह में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ [illegible] आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक [illegible] होगा। [illegible] आवेदन [illegible] उद्यान सचल दल केन्द्र में जमा करना होता है। आवेदन [illegible] यदि कोई शिकायत हो तो [illegible] जिला उद्यान अधिकारी [illegible] की जिम्मेदारी होती है। [illegible] योजनाओं में [illegible] आवेदन हेतु [illegible]

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हतायें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				शासन से कार्ययोजना के अनुसार लक्ष्य जनपद स्तर को उपलब्ध करा दिए जाते हैं। राज्य पोषित-योजनाओं में सम्बन्धित आवेदन उ०प्र०उद्यान के माध्यम से तथा जनपद से निदेशालय को प्रेषित किए जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरान्त शासनादेश जारी करके जनपदों को लक्ष्यानुसार स्वीकृति/कार्यादेश प्रदान किया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं भौतिक सत्यापन कराया जाता है, उसके उपरान्त कृषक सम्बन्धित उ०प्र०उद्यान से 50 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। सम्बन्धित योजना के लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार लक्ष्य की उपलब्धता पर किया जाता है।
3	सब्जी बीजकल विकास	कृषकों को सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु योजना के अनुसार सब्जियों के बीज 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर उपलब्ध कराये जाते हैं। कृषक को मौसमी सब्जी उगाने से लगभग 02 माह पूर्व आवेदन करना होता है। (उदाहरण सब्जी बीजों के बीज का पैकेट यदि रु0 200/- का है तो किसान को सम्बन्धित उ०प्र०उद्यान में रु0 100/- जमा करने होते हैं तथा रु0 100/- की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को पूरा बीज रु0 100/- में मिल जाता है।)	कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्य करने वाला कृषक। अधिकतम 02 हैक्टेयर भूमि	सम्पूर्ण प्रक्रिया [illegible] के अनुसार है। चयन पर कृषक को मौसमी सब्जी बीज उपलब्ध कराये जाते हैं।
4	मसाला बीजकल विकास	कृषकों को मसाला उत्पादन में बढ़ावा देने हेतु मसाला बीज एवं कन्द (अदरक, हल्दी, लहसुन) पर 50 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम रु0 15 हजार प्रति हैक्टेयर के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं। यह बीज अधिकतम 04 हैक्टेयर तक की जमीन हेतु ही उपलब्ध कराये जाते हैं। उदाहरण हल्दी/अदरक 01 किलो रु0 200/- का है तो किसान को सम्बन्धित उ०प्र०उद्यान में रु0 100/- जमा करने होते हैं तथा रु0 100/- की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उतना बीज	कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्य करने वाला कृषक हो।	सम्पूर्ण प्रक्रिया [illegible] के अनुसार है। चयन पर कृषक को मसाला बीज एवं कन्द उपलब्ध कराये जाते हैं। हल्दी, अदरक के लिए जनवरी-मार्च माह में उद्यान कार्यालय जाकर आवेदन कर देना चाहिए। अन्य मसालों के लिए भी बुवाई की तिथि से 01 माह पूर्व आवेदन कर देना चाहिए।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		रु. 100/- में दिया जाता है।)		
5	पुष्प क्षेत्रफल विस्तार	कृषकों को पुष्प उत्पादन में बढ़ावा देने हेतु पुष्प रोपण सामग्री (बल्ब/पौधे/बीज) कुल लागत का 40 प्रतिशत राज्यसहायता (अधिकतम 2 हैक्टेयर) तक उपलब्ध करायी जाती है। अर्थात लूज पुष्प अधिकतम 20 हजार रुपये की पुष्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। कट-फ्लावर पुष्प अधिकतम 40 हजार रुपये की पुष्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। कन्दीय पुष्प अधिकतम 15 हजार रुपये की पुष्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। (जैसे: [illegible] 1 किलो रु. 200/- का है तो किसान को अनुदान राशि में रु.100/- देय होते हैं तथा रु. 100/- की कटौती करवाकर [illegible] जाती है और किसान को वह बीज रु. 100/- में दिया जाता है।)	कृषकों को अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्य करने वाला कृषक	सम्पूर्ण [illegible] के अनुसार है। इस पर कृषक को पुष्प रोपण सामग्री (बल्ब/पौधे/बीज) उपलब्ध करायी जाती है।
6	मशरूम उत्पादन	मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कम्पोस्ट/स्पॉन इकाई हेतु किसान/मशरूम उत्पादन हेतु इच्छुक व्यक्ति के लिए 40 प्रतिशत राज्यसहायता की सहायता दी जाती है। मशरूम उत्पादन इकाई की स्थापना अधिकतम 20 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। स्पॉन उत्पादन इकाई की स्थापना अधिकतम 20 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना अधिकतम 20 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। कृषि आधारित सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी विभाग/संस्थाएं/कृषि/औद्योगिक विश्वविद्यालय आदि) हेतु 100 प्रतिशत लागत की राज्य सहायता दी जाती है।	मशरूम उत्पादन हेतु इच्छुक कृषक, कृषक के पास अपनी जमीन/लीज पर जमीन होनी आवश्यक है। एक किसान को 01 ही यूनिट मिलता है। ऋण न लेने की स्थिति में राज्यसहायता/सब्सिडी देने का प्रावधान नहीं है।	इस योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन, आवेदन पत्र/प्रारूप पर अथवा किसान की वेबसाइट [illegible] से डाउनलोड करेगा अथवा संबंधित जिले के उद्यान कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित कृषक [illegible] प्राप्त करने से किसान को जो प्रोजेक्ट के लिए [illegible] एवं [illegible] कार्यालय की [illegible] प्राप्त करना पड़ता है। उसके उपरान्त [illegible] कार्यालय में जमा करना पड़ता है। इसके बाद इच्छुक किसान को बैंक में ऋण हेतु आवेदन करना पड़ता है जिसमें बैंक को [illegible] आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, राशनकार्ड, [illegible] की जमाबंदी, [illegible] आदि के साथ [illegible] एवं [illegible] उपलब्ध कराने पड़ते हैं। बैंक द्वारा [illegible] द्वारा स्वीकृत करता है। ऋण स्वीकृति के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर [illegible] सहायक निदेशक उद्यान/[illegible] जिला अधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करना पड़ता है। आवेदन के साथ [illegible] बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र, आधार कार्ड, [illegible] की नकल/प्रमाण [illegible]

IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएँ	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				आवेदक निवास/खसरा खतौनी, नक्शा एवं खतौनी, महाजन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, संयुक्त खाता होने की स्थिति में निर्विवाद जमीन होने का शपथ पत्र मांगी जाती है। यदि कोई अभिलेख आवेदक द्वारा आवेदन के समय उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे नोटिस/निर्देश में अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कहा जाता है। प्रस्ताव को समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर संबंधित इच्छुक कृषक को निदेशक मत्स्य विभाग/मुख्य मत्स्य विकास अधिकारी के कार्यालय से स्वीकृति पत्र एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है तथा इच्छुक कृषक अपना मत्स्य यूनिट स्थापित करने का कार्य शुरू करता है जिसके बाद विभागीय अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण आख्या के उपरान्त सब्सिडी दो किश्तों में सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है। की जाती है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया वर्तमान में ऑफलाइन है।
2	ट्यूबवेल स्थापना /पौण्ड निर्माण	सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कृषकों को नये ट्यूबवेल/पौण्ड निर्माण हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता अर्थात 90 हजार प्रति इकाई (अधिकतम 01 नग) की दर से प्रतिपूर्ति भुगतान की जाती है।	कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। संबंधित क्षेत्र में पानी है या नहीं इसकी पुष्टि सर्वेक्षक करेगा। एक कृषक को 01 ट्यूबवेल/पौण्ड निर्माण की सब्सिडी दी जाती है।	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक से आवेदन प्रोफार्म प्राप्त करना पड़ता है। आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप/प्रस्ताव के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नम्बर भी संलग्न होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। आवेदन प्रस्ताव भरने में दिक्कत होने पर संबंधित उद्यान सचल दल केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन प्राप्त/जमा करना होगा। उद्यान सचल दल केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रस्ताव को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के पश्चात धनराशि जारी करते जनपदों को धनराशि अनुसार स्वीकृति/लक्ष्य प्रदान किया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। इसके उपरान्त कृषक ट्यूबवेल निर्माण/पौण्ड निर्माण का कार्य शुरू करता है। जिसके बाद विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण आख्या के उपरान्त सब्सिडी सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
8	ग्रीन हाउस निर्माण	ग्रीन हाउस के अन्दर सब्जी एवं फूलों की खेती की तकनीकी का प्रोत्साहन करने हेतु फेन एण्ड पेड सिस्टम/नेचुरल वेन्टिलेटेड पोलीहाउस/सब्जी एवं फूलों की रोपण सामग्री हेतु कुल लागत का 50 से 95 प्रतिशत अनुदान भुगतान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :– विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती करने हेतु फेन एण्ड पेड सिस्टम/नेचुरल वेन्टिलेटेड पोलीहाउस हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दी जाती है। सब्जी एवं फूलों की रोपण सामग्री (बीज/पौध क्रय/रोपण) 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। ग्रीन हाउस निर्माण– फेन एण्ड पेड सिस्टम पोलीहाउस, ट्यूबलर स्ट्रक्चर पोलीहाउस का कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय है। शेड नेट हाउस निर्माण हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दी जाती है। राज्य सरकार की अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश अर्थात कुल 75 प्रतिशत अनुदान देय है। प्लास्टिक मल्चिंग– [illegible] में Micro Flora की संख्या [illegible] हेतु खेतों को प्लास्टिक शीट से ढकने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दी जाती है। संरक्षित खेती के लिए रोपण सामग्री की व्यवस्था– पोलीहाउस में उगाये जाने वाले रोपण सामग्री (पौधे/कलिकाएं) की खरीद पर कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय किये जाते हैं। यदि कृषक [illegible] में क्रियान्वित है तो उसे 50 प्रतिशत अनुदान भुगतान की जाती है। ग्रीन हाउस के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के अनुसार 4000 वर्ग मीटर/500 वर्ग मीटर तक	कृषकों की अपनी भूमि/ सिंचाई का स्रोत तथा जमाबन्दी प्राप्त कृषक। जो [illegible] पहले से [illegible] नहीं दी जाती है।	उद्यान सहायक एवं अन्यों में कार्यालय अधिकारी/कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इस आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://[illegible] से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र/[illegible] के साथ जमीन के [illegible] तथा [illegible] एवं [illegible] हेतु [illegible] का [illegible] आवश्यक [illegible] होगा। [illegible] के आवेदन करने की व्यवस्था [illegible] है। आवेदन प्रस्तुत करने के [illegible] संबंधित [illegible] कार्यालय [illegible] है। [illegible] कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा। [illegible] संबंधित [illegible] के [illegible] पर [illegible] है। [illegible] के निरीक्षण की [illegible] है एवं [illegible] द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरान्त [illegible] की प्रशासनिक अनुसार स्वीकृति/कार्यादेश दिया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं भुगतान के [illegible] जाता है। स्वीकृति पत्र के साथ [illegible] की सूची [illegible] की जाती है। जिससे अपने खर्च पर ग्रीन हाउस निर्माण का कार्य शुरू करेगा। यदि किसान के पास [illegible] न हो तो किसी बैंक से लोन लिया जा सकता है। ग्रीन हाउस का निर्माण होने के बाद संबंधित विभागीय अधिकारियों की [illegible] तथा विभागीय अधिकारी [illegible] निरीक्षण करके [illegible] जिसके द्वारा [illegible]/[illegible] सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		[illegible] जाता है। [illegible] वर्ग मी. के [illegible] पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त राजसहायता [illegible] द्वारा दी जाती है। कुल [illegible] प्रतिशत सब्सिडी की धनराशि कृषक को मिलती है।		
9	मौन पालन	मौनपालन (मधुमक्खी [illegible]) व मौन कॉलोनी [illegible] 40 प्रतिशत की राजसहायता (अधिकतम [illegible] रु. 2000, कॉलोनी रु. 2000) पर उपलब्ध कराना। [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible] रु. [illegible]/- की है जो किसान [illegible] रु.[illegible]/- जमा करते हैं [illegible] रु. [illegible]/- की सब्सिडी [illegible] है और किसान को [illegible] रु. [illegible]/- में मिल जाता है। यदि कोई किसान अपने [illegible] में [illegible] रखना चाहता है तो रु. [illegible] प्रति [illegible] की आर्थिक सहायता किसान को भुगतान की जाती है। किसान यदि प्रशिक्षण लेना चाहता है तो [illegible] दिवसीय मौनपालन प्रशिक्षण [illegible] निःशुल्क दिया जाता है तथा [illegible] किसान को रु. 100 प्रति दिन [illegible] रु. [illegible] प्रति [illegible] दिया जाता है। कुल 1000 रु. की [illegible] है।	मौनपालन हेतु इच्छुक कृषक	[illegible] किसान [illegible] हेतु अपने उद्यान [illegible] केन्द्रों पर [illegible] के लिए आवेदन [illegible] [illegible] बैंक [illegible] होगा। [illegible] आवेदन [illegible] [illegible] किसान को [illegible] किया जाता है [illegible] किसान [illegible] [illegible] 40 प्रतिशत सब्सिडी [illegible] हैं। [illegible] किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु कृषक को अपने [illegible] केन्द्रों पर प्रशिक्षण हेतु आवेदन [illegible] आधार कार्ड, [illegible] बैंक [illegible] होगा। [illegible] किया जाता है। [illegible] 10-15 किसान, मौनपालन हेतु इच्छुक होने पर [illegible] द्वारा प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित [illegible] किसान को [illegible] जाता है तथा किसान [illegible] प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आता है। प्रशिक्षण समाप्त होने पर किसान को 1000 रु. की [illegible] में भुगतान/नकद दिया जाता है।
10	तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन	[illegible] इकाई [illegible] मीट्रिक [illegible] की यूनिट इकाई [illegible] [illegible] [illegible] कोल्ड स्टोरेज [illegible] [illegible] मीट्रिक [illegible] राइपनिंग चैम्बर (300 मीट्रिक [illegible]) [illegible]	इच्छुक उद्यमी/कृषक। अपनी जमीन हो। आयु [illegible] से [illegible] वर्ष तक [illegible]	[illegible] केन्द्रों के [illegible] अधिकारी/[illegible] से आवेदन प्रारूप प्राप्त [illegible] है व आवेदन [illegible] विभाग की वेबसाइट [illegible] से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप/[illegible] के साथ जमीन के सम्बन्धी [illegible] एवं [illegible] [illegible] हेतु [illegible] आधार कार्ड, [illegible] बैंक [illegible]

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		यूनिट की लागत [illegible] बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में [illegible] से 50 प्रतिशत तक की धनराशि/सब्सिडी भुगतान की जाती है।	की है।	चाहिए होगा। ऑनलाइन में आवेदन करने की सुविधा [illegible] है। आवेदन [illegible] करने के पश्चात [illegible] कार्यालय में आवेदन [illegible] करना होगा। इसी के साथ-साथ [illegible] बैंक में ऋण हेतु आवेदन करेगा। [illegible] प्रस्ताव की [illegible] जाते हैं एवं [illegible] द्वारा [illegible] प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरान्त [illegible] स्वीकृति/ [illegible] प्रस्तुत किया जाता है। ऋण का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक/उद्यमी को [illegible] अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र दिया जाता है [illegible] कृषक/उद्यमी को [illegible] अधिकारी को [illegible] करते हैं। ऋण स्वीकृति की [illegible] सूचना [illegible] होती है। विभागीय अधिकारियों की [illegible] कार्यों को किया जाता है। कार्य पूर्ण होने के बाद विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण के उपरान्त [illegible] अनुदान/सब्सिडी कृषक के ऋण खाते में भुगतान की जाती है।
11	खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य वृद्धि प्रभाग	नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई हेतु 50 प्रतिशत (अधिकतम रु0 400.00 लाख/[illegible]) की [illegible] सहायता/सब्सिडी की धनराशि दी जाती है। पूर्व से स्थापित किसी इकाई को [illegible] की शर्तों पर [illegible] है ताकि [illegible] कम्पनी/ फर्म/ प्रोपराइटर [illegible] हों।	कृषक/ [illegible] इकाई स्थापित करने हेतु [illegible] कम्पनी/ फर्म/ प्रोपराइटर।	इच्छुक [illegible] अधिकारी/ [illegible] से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं या आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट [illegible] से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र/प्रस्ताव के साथ [illegible] 25 [illegible] डीपीआर [illegible] इकाई [illegible] बैंक/ वित्तीय संस्था द्वारा [illegible] भूमि [illegible] इकाई द्वारा [illegible] इंजीनियर द्वारा [illegible] 100/- का [illegible]

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		की अनुमन्यता प्रति इकाई [illegible] जाती है।	आदि। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। यदि आवेदक ने सरकार की अन्य योजनाओं से पूर्व योजना में बैंक ऋण लिया हो तो वह इस योजना के तहत भी बैंक ऋण को लेकर एक बारह [illegible] तथा टीम का [illegible] के लिये पात्र है।	अधिकारियों की देखरेख में होगा तथा विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा भौतिक सत्यापन करेगी। [illegible] पूर्ण होने के उपरान्त [illegible] [illegible] पोर्टल पर [illegible] होने की सूचना [illegible] करेगा [illegible] अनुमन्य अनुदान कृषक/लाभार्थी के [illegible] खाते में भुगतान की जाती है। [illegible] सहायता प्राप्त करने की [illegible] इस योजना से [illegible] हो जाय। इस [illegible] के लिये "[illegible]" [illegible] आवश्यक [illegible] [illegible] इकाईयों के उत्पादन/विपणन हेतु [illegible] द्वारा [illegible] प्रस्तुत करने [illegible] आवेदन [illegible] जनपदीय [illegible] है।
14	[illegible] की घेराबन्दी की योजना	[illegible] जनपदों में [illegible]-नेट/[illegible] [illegible] एवं [illegible] को बचाने हेतु [illegible] की घेराबन्दी हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 1.00 लाख प्रति हैक्टेयर) अनुमन्य सब्सिडी के रूप में भुगतान की जाती है।	[illegible] सभी [illegible] कृषक	[illegible] [illegible] एवं [illegible] में [illegible] अधिकारी/[illegible] [illegible] [illegible] प्रयोग कर [illegible] सकता है। आवेदन पत्र के साथ [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] एवं खतौनी, आधार कार्ड, [illegible] कार्ड, [illegible] कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नम्बर की प्रविष्टि होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था [illegible] है। आवेदन पत्र [illegible] के [illegible] होने पर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जाती है। [illegible] आवेदन में प्रयोग [illegible] होगा। [illegible] [illegible] आवेदन पत्र को [illegible] [illegible] [illegible] जाता है। [illegible] से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा [illegible] के प्रस्ताव स्वीकृत करने के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को [illegible] अनुसार स्वीकृति/[illegible] दिया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को [illegible] अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं [illegible] को [illegible] [illegible] जाता है। [illegible] [illegible] विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में [illegible] की [illegible] की जाती है, जिसके बाद विभागीय [illegible] द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण आख्या के उपरान्त सब्सिडी सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है।
15	मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना	मशरूम [illegible] हेतु निम्नवत लाभ दिया जाता है :- [illegible] [illegible] कुल लागत की 50 प्रतिशत [illegible] अधिकतम [illegible] [illegible]	मशरूम उत्पादन हेतु इच्छुक कृषक	इस योजना का लाभ लेने हेतु [illegible] [illegible], आवेदन पत्र/प्रस्ताव [illegible] उद्यान विभाग की वेबसाइट http://uhm.up.gov.in से डाउनलोड करेगा अथवा [illegible] [illegible] [illegible] एवं [illegible] [illegible] से प्राप्त कर सकता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		प्रति लाभार्थी उपलब्ध करवाई जाती है। [illegible] ... [illegible] प्रति लाभार्थी उपलब्ध करवाया जाता है। [illegible] ... [illegible] प्रति लाभार्थी [illegible] ... [illegible] किया जाता है। [illegible] ... [illegible] किया जाता है।		[illegible] ... [illegible] किया जाता है। [illegible] ... [illegible] सकता है।
१६	[illegible] कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना	[illegible] कम्पोस्ट इकाईयाँ [illegible] ... रु. 33,000 प्रति इकाई [illegible] ... अनुदान दिया जाता है।	[illegible] ... [illegible]	इसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया [illegible] की योजना के अनुसार अपनाई जाती है।
१७	सेब की अति सघन बागवानी योजना	[illegible] ... [illegible]	सेब की अति सघन/ सीडलिंग बागान स्थापित करने हेतु न्यूनतम [illegible] 0.04 हैक्टेयर [illegible]	लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		तथा मेंड़बंदी हेतु 440 पौध प्रति एकड़ (रू0 3.34 लाख) होगी। राजसहायता की गणना आवेदक द्वारा आच्छादित क्षेत्र, वास्तविक लागत एवं पौधों की संख्या के अनुपातिक आधार (Prorata basis) पर की जायेगी।	अधिकतम 100 नाली (02 है0) प्रति लाभार्थी/समूह आदि को देय होगा।	
18	मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना	फल के पौधों, पुष्प बीज हेतु सब्जी के बीज, रोपण सामग्री के लिए कुल लागत पर कृषकों को 80 प्रतिशत सहायता। इसमें धनराशि नहीं दी जाती है, बीज/पौध सब्सिडी पर दिये जाते हैं। ड्रिप/स्प्रिंकलर, रसायन (दवाईयां) आदि पर कृषकों को 80 प्रतिशत सहायता। इसमें धनराशि नहीं दी जाती है, उपकरण सब्सिडी पर दिये जाते हैं। कूल चैम्बर (क्षमता–30 मैट्रिक) का कुल लागत रू0 15.00 लाख का 80 प्रतिशत राजसहायता/सब्सिडी धनराशि भुगतान की जाती है। रेफ्रिजरेटेड वैन (क्षमता–9 मैट्रिक) का कुल लागत रू0 24.00 लाख का 80 प्रतिशत राजसहायता/सब्सिडी धनराशि भुगतान की जाती है।	कृषकों को अपनी भूमि/खेत पर हो तथा उद्यान कार्य करने वाला कृषक	उद्यान सचल दल केन्द्रों में खण्ड स्तरीय अधिकारी/कार्मिक से आवेदन प्रपत्र प्राप्त करना पड़ता है। आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://uphorticulture.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पौध लगाने एवं उपकरण लेने से पहले 30 जून तक आवेदन करना होता है। आवेदन प्रपत्र के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज तथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त बीज की जमीन हेतु क्षेत्र का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। विभाग में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। उक्त दस्तावेजों के साथ किसान को अपना आवेदन पत्र उद्यान सचल दल केन्द्र में जमा करना पड़ता है। आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त उल्लेखित होता है। प्रपत्र को भरने में किसान को यदि कोई दिक्कत हो तो सम्बन्धित उद्यान सचल केन्द्र का कार्मिक सहयोग करता है तथा उनकी जिम्मेदारी होती है। उद्यान सचल केन्द्र कार्मिक किसान के प्रस्ताव को जनपद स्तर तथा जनपद से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के पश्चात शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति/कार्यादेश दिया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं कृषकांश में अंशदान जमा कराया जाता है। इसके उपरान्त कृषक सम्बन्धित उद्यान सचल दल केन्द्र से अपनी भी बीज/पौध/दवाईयां 80 प्रतिशत सब्सिडी पर खरीद सकता है। रेफ्रिजरेटेड वैन एवं कूल [illegible] की स्थिति में किसान द्वारा सम्बन्धित वैन खरीदने/कूल चैम्बर निर्माण के उपरान्त, विभागीय अधिकारियों के स्थलीय निरीक्षण के बाद सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। सम्बन्धित योजना में लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार, बजट की उपलब्धता पर किया जाता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				के दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। आवेदन [illegible] करने में दिक्कत होने पर नजदीकी [illegible] संपर्क कर सकते हैं। [illegible] कार्यालय में आवेदन [illegible] होगा। [illegible] में आवेदन करने से पूर्व उद्यमी/संस्था बैंक से ऋण [illegible] प्रस्तुत करेगा। [illegible] निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा [illegible] स्वीकृत करने के उपरान्त [illegible] जाता है [illegible] माध्यम कराया जाता है। [illegible] के बीच उद्यमी को ऋण स्वीकृत [illegible] होता है जिसमें विभागीय अधिकारी भी सहयोग करते हैं। ऋण स्वीकृति के उपरान्त [illegible] उपलब्ध करानी होगी है। विभागीय अधिकारियों की [illegible] सहायता एवं उपस्थिति में [illegible] की स्थापना की जाती है। कार्य पूर्ण होने के बाद विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा [illegible] के उपरान्त [illegible] उद्यमी के ऋण खाते में भुगतान की जाती है।
12	टपक सिंचाई (ड्रिप) [illegible]	खेतों की आवश्यकतानुसार ड्रिप सिंचाई, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, रेन गन के माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने हेतु सिंचाई प्रणाली की स्थापना की जाती है। इसके अन्तर्गत [illegible] हेक्टेयर तथा अधिकतम [illegible] हेक्टेयर के खेतों हेतु 45 से 55 प्रतिशत **राज्यांश/केन्द्रांश अनुदान देय है।** राज्य के कृषकों को टॉप अप के रूप में 25 **प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश/ सब्सिडी अनुदान प्रदान की जा रही है।**	कृषकों की स्वयं की भूमि/लीज पर हो, [illegible] आवश्यक कृषक।	[illegible] केन्द्रों में आवेदन जमा होगा। आवेदन के साथ [illegible] एवं [illegible] इसके अतिरिक्त [illegible] आधार कार्ड [illegible] भी [illegible] होगा। [illegible] आवेदन करने की व्यवस्था ऑनलाइन है।
13	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME)	छोटे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, जैसे- डेयरी, [illegible] बेकरी, [illegible] मछली [illegible] की स्थापना हेतु [illegible] **35 प्रतिशत अथवा अधिकतम [illegible] लाख तक** अनुदान/सब्सिडी भुगतान की जाती है। [illegible] के लिए **35 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त 25 प्रतिशत** की भुगतान की जाती है। **[illegible] के लिए कुल 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15 लाख**	मौजूदा या नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई [illegible] शामिल [illegible] के [illegible] / [illegible] कार्ड/ [illegible] / एन.जी.ओ./ [illegible] / एस.एच.जी./ प्राइवेट लि. [illegible]	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा भारत सरकार के पोर्टल https://pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन जमा होता है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, [illegible] एवं संबंधित उद्यमी/संस्था के [illegible] प्रमाण पत्र, [illegible] बैंक खाता [illegible] की आवश्यकता होती है। [illegible] से प्राप्त आवेदन को [illegible] के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन [illegible] किया जाता है। [illegible] अधिकारी [illegible] /उद्यमी/संस्था के [illegible] का प्रस्ताव तैयार करवाते तथा [illegible] बैंक को प्रेषित करेगा। बैंक के ऋण स्वीकृत होने पर संबंधित उद्यमी/हितग्राही [illegible] इकाई [illegible] कार्य [illegible]

उद्यान विभाग (जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल, गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखण्ड)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रदेश में जड़ी-बूटी कृषि कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु [illegible] अनुसूचित जाति/जनजाति [illegible] औषधीय पादपों के बीज/पौध [illegible] । जड़ी-बूटी के कृषिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु जड़ी-बूटी के [illegible] आदि पर 50 प्रतिशत [illegible] सहायता प्रदान करना।	औषधीय [illegible] बीज/पौध [illegible] औषधीय एवं सगन्ध पादपों [illegible] कृषकों को [illegible] । [illegible]	प्रदेश के [illegible] जड़ी-बूटी [illegible] कृषिकरण [illegible] होंगे।	कृषकों का चयन [illegible] जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान के [illegible] द्वारा किया जाता है। [illegible]
2.	जड़ी-बूटी कृषकों का पंजीकरण	औषधीय एवं सगन्ध पादपों की कृषिकरण कर रहे कृषकों को पंजीकरण [illegible] कृषिकरण से उत्पादित जड़ी-बूटी की निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण [illegible] निर्धारित [illegible] ।	औषधीय व सगन्ध पौध उत्पादक [illegible] जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा [illegible] संस्था/संस्थान/[illegible] द्वारा [illegible] कृषक [illegible] होते हैं।	संस्थान के [illegible] सहायक द्वारा [illegible] कृषिकरण [illegible] पंजीकरण किया जाता है। [illegible] जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान को प्रेषित किया जाता है। [illegible] द्वारा पंजीकरण किया जाता है।

PROGRAMME [illegible]

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड

चाय बागान कौसानी, बागेश्वर

PROGRAMME

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3	जड़ी-बूटी उत्पाद की निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण	कृषिकरण से उत्पादित औषधीय व सगन्ध उत्पाद की निकासी के सरलीकरण के उद्देश्य से यह नीति अधिसूचित की गयी है अपनी नाप भूमि में उत्पादित औषधीय व सगन्ध उत्पाद को कृषक, वन विभाग द्वारा स्थापित मण्डियों अथवा किसी अन्य क्रेता को बेच सकते हैं इस व्यवस्था से कृषिकरण से उत्पादित औषधीय व सगन्ध पादपों के उत्पाद की निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण हुआ है।	नाप भूमि में औषधीय व सगन्ध पादपों का उत्पादन कर रहे काश्तकार लाभान्वित होंगे तथा वैधानिक रूप से नाप भूमि में औषधीय व सगन्ध पादपों का कृषिकरण कर रहे काश्तकार पात्र होंगे।	कृषक के उपज सत्यापन द्वारा निर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है रजिस्ट्रेशन प्रपत्र की जानकारी सहित कृषक को संस्थान द्वारा प्राधिकृत सहयोगी संस्था / भेषज विकास इकाई को आवेदन करना होगा भौतिक सत्यापन के उपरान्त रवन्ना जारी किया जाता है।
4	निर्यात के लिए औषधीय पादप उत्पादकों को वैधानिक उत्पादन प्रमाण पत्र (legal production Certificate) LPC जारी करना।	अतिक्रम संकटग्रस्त व साईटीज (CITES) प्रजातियों के उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध है, किन्तु नाप भूमि में वैधानिक रूप से उत्पादित संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे कुठ, कुटकी, इत्यादि के निर्यात में सुविधा प्रदान करना इस नीति का उद्देश्य है।	कृषक जो नाप भूमि में संकटग्रस्त प्रजाति जैसे कुठ, कुटकी इत्यादि का वैधानिक कृषिकरण कर रहे काश्तकार पात्र होंगे।	कृषक द्वारा विदेशी आयातक की मांग का पत्र संलग्न करते हुए जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा निर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व भेषज विकास इकाई द्वारा जारी रवन्ना संलग्न कर जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान को आवेदन किया जाता है। संस्थान द्वारा सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी से अनुरोध कर वन विभाग, भेषज विकास इकाई एवं जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन के उपरान्त सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी को LPC जारी करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है तदक्रम में वन विभाग द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत LPC जारी की जाती है।

*****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPT

उद्यान विभाग ([illegible])

क्र.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्र.	योजना का नाम	लाभ	मात्रा/धनराशि	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		4011 [illegible] किये गये हैं। • वर्तमान में बोर्ड के अन्तर्गत 3100 [illegible] हैं जिसमें 2279 महिला [illegible] कार्यरत है।		
6	टी टूरिज्म	• बोर्ड द्वारा [illegible] (पिथौरागढ़) [illegible] जा रही है [illegible] प्राप्त हो रहे हैं। • राज्य में भ्रमण करने वाले [illegible] बोर्ड द्वारा [illegible] किया जा रहा है। • [illegible] बोर्ड द्वारा [illegible] किया जा रहा है। • [illegible] की जा रही है। • बोर्ड द्वारा [illegible] लाख की [illegible] की जा रही है। • [illegible] 300–500 [illegible] किया जा रहा है। • बोर्ड द्वारा [illegible] प्राप्त हो रहा है।	• [illegible] ई–निविदा [illegible] किया जाता है। • [illegible] 5 वर्ष का [illegible] किया जाता है।	• बोर्ड [illegible] ई–निविदा [illegible] जा रहा है। • [illegible] जा रहा है। • [illegible] ई–निविदा की कार्यवाही की जा रही है।
7	ग्राम केन्द्रों की स्थापना।	बोर्ड द्वारा [illegible] वर्ष 2023–24 में 8.92 लाख [illegible] की गई है। [illegible] की गई है:– 1. ग्राम केन्द्र [illegible] – [illegible] 2. ग्राम केन्द्र [illegible] – [illegible] 3. ग्राम केन्द्र [illegible] – [illegible] 4. ग्राम केन्द्र [illegible] – [illegible] 5. ग्राम केन्द्र [illegible] – [illegible] 6. इसके [illegible] बोर्ड द्वारा [illegible] प्रस्तावित है:– • ग्राम केन्द्र [illegible] • ग्राम केन्द्र [illegible]	बोर्ड द्वारा स्थापित [illegible] की जा रही है।	बोर्ड द्वारा स्थापित [illegible] किया जा रहा है।

******

संगन्ध पौधा केन्द्र, सैलाकुई, देहरादून, उत्तराखण्ड।

[illegible]

उद्यान विभाग (भेषज विकास इकाई)उत्तराखण्ड

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	2	3	4	5
1	भेषज कृषि विकास योजना (जड़ी–बूटी कृषिकरण कार्यक्रम)	कुठ प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 1000 कुटकी प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 660 बड़ी इलायची प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 1120 (चौथे वर्ष से), सर्पगंधा प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 1200 तथा तेजपत्ता प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 1200 (दस वर्ष पश्चात) का लाभ अर्जित किया जा सकता है। इससे किसानों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ भी होती है।	स्थानीय बेरोजगार व्यक्ति जिसके पास पांच नाली भूमि उपलब्ध हो, अपना आवास कोई हो और जड़ी–बूटी खेती से रोजगार के अवसर प्राप्त करने का इच्छुक हो।	चयनित विकास खण्ड के चयनित ग्राम/पट्टी के निवासी जो क्लस्टर (2–3ग्राम के सम्मिलित 10 कृषक) में कार्य करने के इच्छुक हों। जलवायु एवं ऊंचाई के आधार पर जड़ी–बूटी की खेती करना चाहते हों को प्रशिक्षण कैम्प के माध्यम से जिला भेषज समन्वयक, भेषज विकास इकाई चयनित करते हैं। उनकी क्लस्टरवार सूची मुख्यालय को कार्ययोजना के साथ पौध की मांग हेतु प्रेषित करते हैं। तदुपरान्त इन चयनित व्यक्तियों को जुलाई–अगस्त (वर्षाकाल) में प्रति नाली मानक के अनुसार चयनित नर्सरी से आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाती है। रोपित किये गये पौधों का जिला भेषज समन्वयक द्वारा जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल गोपेश्वर से पंजीकरण करवा कर फसल निकालने से 03 माह पूर्व उस प्रजाति की बिक्री किसी भी मण्डी/फार्मेसी हेतु जिला भेषज समन्वयक द्वारा रवन्ना निःशुल्क निर्गत किया जाता है।

******

PROGRAMME

				[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

		की मजदूरी का भुगतान नहीं करना पड़ता है। बैंक द्वारा कृषक को निःशुल्क बीज सामग्री निःशुल्क तकनीकी सहयोग/परामर्श/अनुश्रवण किया जाता है।	भूमि है अथवा वह [illegible] भूमि संबंध [illegible] नहीं है।	किया जाता है [illegible] द्वारा स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति के उपरान्त [illegible] विभाग अधिकारी द्वारा बैंक [illegible] बीज सामग्री की [illegible] की जाती है। बैंक द्वारा [illegible] किसानों को बीज सामग्री [illegible] निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है तथा बैंक [illegible] तकनीकी सहयोग किया जाता है। संबंधित ग्राम [illegible] द्वारा [illegible] उपयुक्त कृषक [illegible] जाती है।
6.	[illegible]	[illegible] तेलों के घरेलू उत्पादन तथा प्रसंस्करण हेतु [illegible]/[illegible] [illegible] आदि की स्थापना पर रू० 10 लाख तक [illegible] पर [illegible] 75 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनुदान [illegible] का भुगतान [illegible] के माध्यम से किया जाता है। [illegible] कृषकों [illegible] (प्रसंस्करण) की सुविधा। कृषकों में उद्यमिता का विकास।	कृषक/[illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]
7.	गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट	कृषक की [illegible] गुणवत्ता [illegible] पर 50 प्रतिशत छूट। [illegible] गुणवत्ता रिपोर्ट [illegible] बाजार में [illegible] मिलने में सहायता	[illegible] कृषक।	कृषक द्वारा [illegible] गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी। कृषक को [illegible] आवश्यक है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई, देहरादून

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	सगन्ध जागरूकता कार्यक्रम	सगन्ध पौधों एवं उनकी खेती से होने वाले लाभ की जानकारी [illegible] एवं [illegible]। कृषि जलवायु के अनुसार फसलों की जानकारी देना।	इच्छुक व्यक्ति	सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) द्वारा [illegible] आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में कोई भी व्यक्ति [illegible] खेती से सम्बन्धित जानकारी [illegible] इच्छुक हो प्रतिभाग कर सकता है।
2.	सगन्ध कृषक पंजीकरण।	सगन्ध पौधा केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु कृषकों का सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) में पंजीकरण अनिवार्य है। [illegible] द्वारा कृषकों को [illegible] प्रशिक्षण, [illegible] आदि सुविधाएं दी जाती हैं।	[illegible] कृषकों [illegible] कृषि [illegible] हेतु [illegible] अनिवार्य है।	सगन्ध कृषिकरण [illegible] के अन्तर्गत कृषक को [illegible] पंजीकरण अनिवार्य होता है। पंजीकरण हेतु [illegible] कैप को आवेदन करना होगा। पंजीकरण [illegible] [illegible] से ऑनलाईन [illegible] भू-अभिलेख, आधार कार्ड [illegible] पंजीकरण हेतु संस्तुति करेगा। संस्तुति के उपरान्त निदेशक कैप द्वारा पंजीकरण किया जाता है [illegible] कृषक को पंजीकरण संख्या आवंटित [illegible] द्वारा / कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
3.	सगन्ध कृषिकरण	निःशुल्क बीज/पौध सामग्री दी जाती है– प्रति कृषक [illegible] नाली [illegible]। [illegible] हेतु निःशुल्क बीज–पौध सामग्री [illegible] [illegible] / कैप [illegible] सहायता दी जाती है। निःशुल्क तकनीकी जानकारी, [illegible] अनुश्रवण।	[illegible] कृषकों [illegible] कृषि [illegible] हेतु कृषि [illegible] सगन्ध खेती के इच्छुक हों।	[illegible] कृषिकरण हेतु कृषक [illegible] सगन्ध पौधा केन्द्र [illegible] आवेदन [illegible] भू-अभिलेख, आधार कार्ड एवं [illegible] कृषि जलवायु [illegible] निदेशक कैप को [illegible] करेगा। [illegible] निदेशक कैप द्वारा [illegible] उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए जाते हैं। [illegible] निदेशक [illegible] करते हैं, संस्तुति के उपरान्त कृषक हेतु [illegible]

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

कालसी फार्म, देहरादून।

PROGRAMME ... ENT

		मिलती है।		
8.	समस्त तेलों/ उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य।	कृषक 25 प्रजातियों के सगन्ध तेलों/ उत्पाद को निर्धारित मूल्य पर कैप में विक्रय कर सकता है। कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित सगन्ध तेलों का उचित मूल्य एवं बाजार सुनिश्चित किया जाता है।	सगन्ध कृषिकरण कर रहे पंजीकृत कृषक।	कृषक चिन्हित 25 प्रजातियों के सगन्ध तेलों/ उत्पाद को यदि निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषकों का विक्रय सेलाकुई में उपलब्ध है। विक्रय करने का इच्छुक है तो कैप, सेलाकुई में सम्पर्क उपरान्त उत्पादित तेल मात्रा के क्रय पर लेकर आयेगा। तेल के सम्बन्धित नमूना के परीक्षण क्रय की प्रमाणिकता हेतु पैकिंग आदि की व्यवस्था होगा। कैप कार्यालय द्वारा तेल की गुणवत्ता परीक्षण अपनी गुणवत्ता प्रयोगशाला में कराया जाता है। निर्धारित की सगन्ध तेलों/ उत्पाद क्रय हेतु स्वीकार किये जाते हैं एवं उसकी धनराशि कृषक के खाते में भेजी जाती है। तेल के नमूने गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाये जाने पर कृषक का तेल क्रय नहीं किया जायेगा।
9.	किच्छा, काशीपुर में स्थित एरोमा पार्क में सगन्ध उद्योगों की स्थापना पर एमएसएमई विभाग द्वारा प्रोत्साहन	एरोमा पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन सहायता प्राप्त उपादान, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क में छूट, मण्डी शुल्क में छूट ब्याज उप दान एवं विद्युत आपूर्ति (संलग्नक–1)।	एरोमा पार्क में सगन्ध उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमी/ व्यक्ति	एरोमा पार्क में उद्योग लगाने की स्थापना हेतु SIDCUL अपनी वेबसाइट https://www.sidcul.com/eprocure/home के माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। एरोमा पार्क में रिक्त भूखण्डों के लिए निश्चित अवधि के लिए आवेदन लिया जाता है। रिक्त भूखण्डों के सम्बन्ध में SIDCUL वेबसाइट पर प्लॉट के आकार और प्रीमियम की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। आवेदक प्लॉट के आकार की पसंद के आधार पर प्रस्तावित प्लॉट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और प्रीमियम राशि जमा कर सकता है। विशेष भूमि/ भूखण्डों के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करने के बाद यहां निर्धारित प्रक्रिया/ प्रक्रिया के आधार पर उपयुक्तता के आधार औद्योगिक भूमि/ भूखण्ड आवंटित किए जाएंगे। SIDCUL द्वारा ऑनलाइन बोली लगाई जाती है। अधिकतम बोली लगाने वालों को प्लॉट दिया जाता है। प्लॉट के आवंटी को आवंटन पत्र दिया जाता है। खाली प्लॉट और विज्ञापन के बारे में अधिक जानकारी www.sidcul.com से प्राप्त की जा सकती है। कैप द्वारा एरोमा पार्क में उद्योग स्थापित करने वाले इच्छुक उद्यमियों को तकनीकी सहायता प्रदान किया जाता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION

(संलग्नक–1)

क्र0 सं0	मानदण्ड	स्थापित होने वाली इकाईयों के लिए प्रोत्साहन
1	**निवेश प्रोत्साहन सहायता**	उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश पर **40 प्रतिशत (अधिकतम रू0 40 लाख)**
2	**ब्याज उपादान**	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष तक उद्यम के कार्यशाला भवन निर्माण तथा प्लांट व मशीनरी क्रय करने हेतु लिये गये सावधि ऋण पर देय ब्याज का **10 प्रतिशत (अधिकतम रू0 08 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)**
3	**एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति**	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष तक कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी.टू.सी.) को विक्रय किया गया हो, का **शत-प्रतिशत**।
4	**स्टाम्प शुल्क में छूट**	उद्यम स्थापना हेतु भूमि के विक्रय पत्र विलेख/लीज–डीड के निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) में देय **स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्ण छूट**।
5	**मण्डी शुल्क में छूट**	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिये कच्चे माल पर **मण्डी शुल्क की शत् प्रतिशत छूट**।
6	**कम दर पर विद्युत आपूर्ति**	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिये सिंचाई ट्यूबवेल हेतु लागू विद्युत दर के अनुसार **(वर्तमान में 1.55 प्रति यूनिट)** और निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

पशुपालन विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	बकरी पालन	इच्छुक लाभार्थियों को बकरी पालन एक इकाई (10 मादा 01 नर) 10 से 14 माह तक की उपलब्ध कराकर बकरी पालन के स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना का कुल लागत रु. 70,000.00 में से 90 प्रतिशत धनराशि रु. 63,000.00 राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है तथा 10 प्रतिशत धनराशि रु. 7,000.00 लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है।	सामान्य, अनुसूचित जाति व जनजाति के SECC वर्ग के इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।	इच्छुक लाभार्थी को ग्राम सभा की खुली बैठक में आवेदन करना होगा। प्रस्ताव पास होने के उपरान्त लाभार्थी अपने प्रस्ताव संबंधित क्षेत्र के पशुचिकित्सा अधिकारी/ पशुधन प्रसार अधिकारी/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को देंगे अथवा ग्राम पंचायत स्तर पर जमा कर देंगे। ग्राम स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के उपरान्त विकास खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अंतिम चयन किया जाता है तथा इसकी सूचना पशुपालन विभाग को भेजा जाता है। चयन के उपरान्त लाभार्थी को बकरी खरीदने हेतु एक ही किश्त में धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रदान की जाती है। आवेदन के साथ आवेदक को आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होंगे।
2	भेड़ पालन	भेड़ पालन हेतु एक इकाई (10 मादा 01 नर) 10 से 14 माह तक की उपलब्ध कराकर भेड़ पालन के स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना की कुल लागत रु. 70,000.00 में से 90 प्रतिशत धनराशि रु. 63,000.00 राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है तथा 10 प्रतिशत धनराशि रु. 7,000.00 लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है।	अनुसूचित जाति व जनजाति के SECC वर्ग के इच्छुक लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया क्रमांक-1 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार है। बकरी के स्थान पर भेड़ दिये जाते हैं।
3	गौ पालन	गौ पालन को बढ़ावा देने में सम्पूर्ण प्रदेश स्तर की एक दुधारू गाय उपलब्ध कराना। योजना की कुल लागत रु. 40,000.00 में से 90 प्रतिशत धनराशि रु. 38,000.00 राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है तथा 10 प्रतिशत धनराशि रु. 4000.00 लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है।	अनुसूचित जाति व जनजाति के SECC वर्ग के इच्छुक लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया क्रमांक 1 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार है। बकरी के स्थान पर गाय दी जाती है। इस योजना में विभाग द्वारा धनराशि गाय खरीदने हेतु डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

8	गौसदनों की स्थापना	न्यायालय द्वारा छोड़े गये व स्वच्छन्द विचरण करने वाले अनुपयोगी पशुधन को उचित शरणस्थली प्रदान करने के लिए अशासकीय संस्था को आर्थिक सहायता : गौसदन हेतु सुरक्षा भवन का निर्माण, भण्डारण कक्ष, चारदिवारी, पेयजल व्यवस्था, गोमूत्र से अर्क बनाने हेतु संयंत्र स्थापना, गोबर गैस प्लांट एवं पशुचिकित्सालय निर्माण जैसी मदों में कुल व्यय का अधिकतम 90 प्रतिशत सीमा तक राजकीय अनुदान देय होगा। राजकीय अनुदान की अधिकतम सीमा रू0 25.00 लाख होगी।	गौसदनों की स्थापना हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत निम्न तीन प्रकार की संस्थाओं से आवेदन स्वीकार होंगे – गौवंश एवं अन्य पशुओं के कल्याण कार्यों हेतु पंजीकृत बिना लाभ अर्जन हेतु गौवंश कल्याण हेतु गठित स्वयंसेवी संस्था, अथवा किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट। न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव तथा उपयुक्त क्षमता रखने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता। ऐसे धार्मिक संस्थानों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास स्वयं की भूमि हो अथवा 30 वर्ष तक लीज पर ली हो। केवल गौसदन अनुदान की पात्रता हेतु पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम–25 एवं मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम–50 कमजोर निराश्रित अनुत्पादक गोवंशीय पशु संख्या वाले गौसदन।	इच्छुक संस्था उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड देहरादून के कार्यालय में आवेदन करेगा। आवेदन पत्र https://ahd.uk.gov.in/files/Gau_Sadan_Recognition_Application_Form.pdf लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा संबंधित क्षेत्र के पशुपालन अधिकारी/पशुपालन विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न होंगे। • राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित संस्था के नाम भूमि स्वामित्व के अभिलेख। • सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकरण। • संस्था की नियमावली/उपविधि में अशक्त/अनाथ गोवंश को शरण दिये जाने का प्रावधान का प्राविधान। • संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी के नाम, पदनाम पता एवं दूरभाष नम्बर। • स्थानीय ग्राम सभा/नगर पालिका /अन्य स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र। • चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा आय–व्यय लेखा रिपोर्ट। • संस्था का बैंक खाता। • संस्था का चयन होने के उपरांत राजकीय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने से पूर्व आवेदक संस्था को निर्धारित प्रपत्र पर कम से कम 05 वर्षों हेतु स्थायी अनुबंध पत्र इकरारनामा प्रस्तुत करना होगा।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DIARY

डेयरी विभाग, उत्तराखण्ड

4	महिला बकरी पालन	[illegible] महिलाओं को 12 से 14 [illegible] बकरियों की एक इकाई ([illegible] मादा 01 नर) उपलब्ध करायी जाती है। योजना की कुल लागत रू. [illegible] राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।	[illegible]	[illegible] पर किया जाता है।
5	[illegible] की स्थापना	[illegible] MPACS [illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible] फार्म की स्थापना	रू. 15 [illegible]	[illegible]	[illegible]
7	पशुपालकों को [illegible] हेतु अनुदान	[illegible]	[illegible]	[illegible]

रेशम विभाग, उत्तराखण्ड

PROGRAMME IMPLEMENTATION

डेयरी विकास विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	राज्य पोषित सहकारी विकास योजना तथा गंगा गाय महिला डेरी योजना।	दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को गाय/भैंस क्रय करने हेतु निम्नवत लाभ दिया जाता है। **सामान्य जाति के सदस्यों हेतु –** 02, 03 एवं 05 दुधारू पशुओं की इकाई लागत (पशु क्रय, बीमा, परिवहन तथा कैटल शेड लागत सहित, मिल्क कैन आदि) हेतु 30 अनुदान एवं 40 प्रतिशत ऋण जिला सहकारी बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है तथा शेष 30 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। डेयरी विभाग द्वारा 2 पशुओं हेतु रू. 80,000/– तीन पशुओं हेतु रू. 1,23,290/– एवं पांच पशुओं हेतु रू. 2,03,825/– की अनुदान की दी जायेगी। **अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला सदस्यों (किसी भी जाति की) हेतु–** 02, 03 एवं 05 दुधारू पशुओं की इकाई लागत (पशु क्रय, बीमा, परिवहन तथा कैटल शेड लागत सहित, मिल्क कैन आदि) के लिये 75 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत ऋण जिला सहकारी बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है। डेयरी विभाग द्वारा 2 पशुओं हेतु रू. 1,06,000/– तीन पशुओं हेतु रू. 1,64,875/– एवं पांच पशुओं हेतु रू. 3,06,438/– धनराशि की दी जायेगी। अनुदान	दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्य अथवा जो सदस्य नहीं है उनको सदस्य बनाकर गाय (6 ली0/दिन) एवं भैंस (8 ली0/दिन) क्रय हेतु ऋण एवं अनुदान दिया जाता है। सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला लाभार्थी होंगे। गाय/भैंस का क्रय राज्य के बाहर से किये जाने की वरीयता है। न्यूनतम 2 पशु क्रयोपरान्त की शर्त [illegible] करने हेतु ऋण लेना अनिवार्य है।	आवेदक समिति का सदस्य होना अनिवार्य है। नवीन ग्राम पंचायत/ग्रामीण क्षेत्र से 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति पराग्रेयरी समिति सचिव को मात्र रू 20.00 का सदस्यता शुल्क तथा शेयर क्रय कर सदस्यता ली जा सकती है इसके लिए पशुपालक होना अनिवार्य नहीं है। आवेदक आवेदन पत्र दुग्ध सहकारी समिति अथवा सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक से प्राप्त करेगा। आवेदन शुल्क रू 200 जमा करके बैंक द्वारा निर्धारित ऋण प्रपत्र पर। यदि आवेदक की भी सहकारी समिति की सदस्य संख्या [illegible] उक्त व्यवस्था न होने पर 02 जमानती जो दुग्ध समिति के सदस्य हों की जमानत उपलब्ध करानी जायेगी। किसी संस्था से ऋण लिया हो तो उसका विवरण, जिसने पशु लेने है का विवरण, के साथ दुग्ध सहकारी समिति में जमा करना होगा। उसके उपरान्त समिति सचिव प्रस्तावित करते हैं। तथा प्रबंधक/प्रधान प्रबंधक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 एवं सहायक निदेशक डेयरी द्वारा जांच कर उसकी संस्तुति दी जाती है। संस्तुति के उपरान्त आवेदन पत्र बैंक में प्रस्तुत किया जाता है। बैंक द्वारा समस्त दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त, लाभार्थी का मानक के अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाता है तथा ऋण धनराशि लाभार्थी के खाते में निर्गत की जाती है। धनराशि प्राप्त होने के बाद दुग्ध सहकारी समिति/डेयरी विभाग की क्रय समिति द्वारा लाभार्थी को पशु क्रय कराया जाता है तथा राज्य के बाहर जिला के अन्तर्गत सुनिश्चित डेयरी क्षेत्रों से पशु उपार्जन हेतु क्रय

		2. पशु खरीदने की होने तथा सब्सिडी प्राप्त करने हेतु ऋण लेना अनिवार्य है।		समिति स्तर से जाती है। पशुओं का चयन क्रय समिति करती है एवं पशुओं की स्वास्थ्य की जांच कर, पशुपालक के घर तक छोड़ती है। इसके लिए पशुपालक को विभागीय कर्मियों को कोई धनराशि नहीं देनी पड़ती है। यदि किसी लाभार्थी को पूर्वनिर्दिष्ट क्षेत्र के पशु पसन्द नहीं आते हैं तो उस स्थिति में लाभार्थी, संबंधित जनपदीय प्रबन्धक को लिखित में सूचित करेंगे एवं अनुमति मिलने के उपरान्त राज्य के बाहर से क्रय समिति के साथ ही पशु उपलब्ध करायेंगी।
2	दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना	दुग्ध सहकारी समितियों को दुग्ध उपलब्ध कराने वाले पशुपालकों को दूध का मूल्य प्रदान करने के साथ ही मानक के अनुसार रु0 04.00/ली0 अथवा रु0 03.00/ली0 की प्रोत्साहन राशि भुगतान की जाती है।	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के ऐसे सदस्य जो दुग्ध उपलब्ध कराते हैं।	दुग्ध समिति को दुग्ध आपूर्ति करने वाले सदस्यों को निर्धारित मानक (7.50 से 7.99 प्रतिशत वसा रहित ठोस) पर रु0 03.00/ली0 एवं 08.00 प्रतिशत व इससे अधिक वसा रहित ठोस पर रु0 4.0/ ली0 प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान दुग्ध समिति सदस्यों को डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। इसके लिए दुग्ध उपलब्ध कराने वाले पशुपालक को सहकारी समिति में अपना बैंक खाता विवरण देना होगा।
3	साईलेज एवं [illegible] पशुपोषण योजना	दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों पर्वतीय एवं मैदान के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त मिनिरल मिक्सचर एवं प्रोबायोटिक्स वर्तमान में साईलेज पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है जिसमें लाभार्थी को प्रति किग्रा रु0 2.00 के कन्सन्ट्रेट अनुदान प्रतीत मिलता है। कम्पोजिट फीड ब्लाक 50 प्रतिशत, जो वर्तमान में रु0 8/किग्रा में लाभार्थी को मिलता है।	दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों को, जो दुग्ध सहकारी समिति को दुग्ध उपलब्ध कराते हैं।	समिति को दुग्ध उपलब्ध कराने वाले प्रत्येक सदस्य द्वारा चारा की मांग का प्रार्थना पत्र समिति के सचिव के नाम पर दिया जाता है तथा सम्बन्धित समिति सचिव सदस्य की आवश्यकतानुसार जिला स्तरीय दुग्ध संघ को मांग प्रेषित कर सदस्य को दुग्ध सहकारी समिति में ही पशुपोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है।

*****

मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड

PROGRAMME

रेशम विभाग

क्र०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / आवश्यकता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	रेशम वृक्षारोपण	क्लस्टर में चयनित किसानों को रेशम वृक्षारोपण हेतु रू० 17,244 की धनराशि अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। 2– रेशम कृमि विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।	पात्रता हेतु लाभार्थियों का क्लस्टर/समूह होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में क्लस्टर हेतु न्यूनतम 25 किसान एवं मैदानी क्षेत्रों में 50 किसान होने अनिवार्य। समूह के लाभार्थियों के पास न्यूनतम 300 पौधों के रोपण हेतु भूमि उपलब्ध हो। चौकी कीटपालन कार्य विभागीय सेंटर्स में किया जाता है। इसलिए क्लस्टर का चयन विभागीय रेशम फार्मों से 15–20 किमी० की दूरी के अन्तर्गत/इससे अधिक दूरी होने पर प्रस्तावित समूह, सामूहिक चौकी केन्द्र हेतु एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराये तथा इच्छुक कीटपालक का प्रशिक्षण प्राप्त कर चौकी कीटपालन कार्य कर सकते हैं। पूर्व से कीटपालन कार्य करने वालों या जिन किसानों के पास शहतूत पौध उपलब्ध हो उनको प्राथमिकता। शहतूती रेशम कार्य 4000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र तक किया जा सकता है लेकिन इस कार्य के लिए गर्म घाटी वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। ओक कीट पालन हेतु विभाग द्वारा इस वृक्षारोपण के कोई क्षेत्र विशेष चयनित नहीं किये हैं लेकिन अधिकांश राजकीय रेशम फार्म पूर्व में उन्हीं स्थानों पर स्थापित किये गये हैं जहां पर शहतूती रेशम का कार्य आसानी से किया जा सकता है।	चौकी केन्द्रों से सम्बद्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों/ग्राम स्तर सहायता समूहों एवं केन्द्र/फेज प्रभारियों द्वारा क्षेत्र में आयोजित प्रचार–प्रसार गोष्ठियों/बैठकों के माध्यम से इच्छुक लाभार्थियों का चयन किया जाता है। क्षेत्र विशेष में क्लस्टर का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विशेषज्ञ कमेटी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र रेशम वृक्षारोपण/कार्य हेतु उपयुक्त है या नहीं। कमेटी निरीक्षण की संस्तुति के उपरान्त विभागीय कार्मिकों की तकनीकी सहयोग से शहतूत वृक्षारोपण व अन्य कार्य योजना को शासन लाईन से अनुमोदन किया जाता है। चयनित लाभार्थियों को पौधशाला तैयार करने हेतु पोस्टर कार्ड/राशन कार्ड, बैंक खाते विवरण, जिस क्षेत्र में वृक्षारोपण करना चाहते हैं उसके भूमि खतौनी इत्यादि फोटो प्रति जमा किये जाते हैं। उसके उपरान्त विभागीय कार्मिकों की देख रेख में वृक्षारोपण व अन्य कार्य सम्पन्न किये जाते हैं और सम्पादित किये कार्यों के अनुरूप ही किसानों को अनुदान धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।
2.	कीटपालन उपकरण	चयनित लाभार्थियों को कीटपालन कार्य हेतु आव	पात्रता हेतु लाभार्थियों का क्लस्टर/समूह होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में क्लस्टर हेतु	चौकी केन्द्रों से सम्बद्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों/ग्राम स्तर सहायता समूहों एवं केन्द्र/फेज प्रभारियों द्वारा क्षेत्र में

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		[illegible] ... उपलब्ध कराई जाती है।	[illegible] ... की अनिवार्यता है।	[illegible] ... प्रशिक्षण दिया जाता है।
5.	कीटपालन भवन	कीटपालन भवन हेतु [illegible] ... की आर्थिक सहायता [illegible] ... उपलब्ध कराई जाती है। [illegible]	[illegible]	[illegible] ... से जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
2.	अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति उपयोजना	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों हेतु तालाब के आवंटन (न्यूनतम 10 तालाब एक ही स्थान पर बनाने अनिवार्य है) क्लस्टर, तालाब निर्माण करने एवं प्रथम वर्षीय निवेश तथा मत्स्यबीज के क्रय एवं आहार हेतु 80 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। एक ग्राम में न्यूनतम 10 तालाब तैयार किये जायेंगे। व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 500 घन मीटर हेतु अनुदान अधिकतम 3 लाख का अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के समिति/समूह, महासंघ/फैडरेशन/संगठन हेतु 1000 घन मीटर हेतु अनुदान अधिकतम 6 लाख का अनुदान दिया जाता है। मैदानी क्षेत्र में 1 हैक्टेयर तालाब निर्माण हेतु कुल लागत का 5 लाख 50 हजार के सापेक्ष 60 प्रतिशत का 3 लाख 10 हजार का अनुदान। मैदानी क्षेत्र में 0.05 से 0.50 हैक्टेयर तक के तालाब निर्माण किये जायेंगे।	पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के समस्त व्यक्ति, जो मत्स्य उत्पादन करने हेतु इच्छुक हों या मत्स्य उत्पादन कर रहे हों। उक्त व्यक्ति/समूह के पास स्वयं/लीज पर भूमि एवं भूमि में जल उपलब्धता होना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।	लाभार्थी को जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अन्य प्रक्रिया क्रमांक 1 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार होगी।
3.	मत्स्य पालन विविधीकरण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) योजना	जिन मत्स्य पालकों के पास पहले से ही तालाब है उनको तालाब में बत्तख/सुअर पालन, तालाब के बांधों पर बागवानी/मुर्गी पालन अथवा समेकित गतिविधियों हेतु 80 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाती है। पुनर्चक्रीय प्रणालियों को मत्स्य प्रसंस्करण/विपणन इकाइयों से जोड़ने हेतु सम्मिलित किया (इकाई) की लागत का 2 लाख 40 हजार के सापेक्ष 60 प्रतिशत का 1 लाख 50 हजार का अनुदान दिया जाता है। 100 घन मीटर के मत्स्य तालाब की लागत का 75 हजार के सापेक्ष 60 प्रतिशत का 42	उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही मत्स्य उत्पादन कर रहे हों, अथवा उक्त जाति के ऐसे व्यक्ति जो भूमिहीन हों उन्हें मत्स्य प्रसंस्करण/विपणन व्यवसाय अपनाने वाले भी पात्र होंगे।	योजना का लाभ लेने हेतु पात्र लाभार्थी को प्रार्थना पत्र (निर्धारित प्रारूप) सम्बन्धित मत्स्य प्रभारी अथवा मत्स्य प्रसंस्करण/विपणन हेतु जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी कार्यालय में देना। प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप, सम्बन्धित मत्स्य तालाब की स्थिति में आधार कार्ड, भूमि की खतौनी, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, तालाब का विवरण संलग्न करेगा। मत्स्य प्रसंस्करण/विपणन हेतु प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर संलग्न करेगा। भविष्य में आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम

IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		हजार का अनुदान दिया जाता है। मैदानी क्षेत्र में 1.0 हैक्टेयर की तालाब सुधार की लागत रू 5.0 लाख के सापेक्ष रू 3.0 लाख का अनुदान। पर्वतीय क्षेत्र में 01 [illegible] पुनर्निर्माण (पुरानी/कच्चा/सीमेंट टैंक) की लागत रू 1 लाख 38 हजार के सापेक्ष 60 प्रतिशत रू 83 हजार का अनुदान दिया जाता है। मैदानी क्षेत्र में 01 [illegible] पुनर्निर्माण की लागत रू 6 लाख 60 हजार के सापेक्ष 60 प्रतिशत रू 3 लाख 96 हजार का अनुदान दिया जाता है।		से ऑनलाइन होगी। प्रार्थना पत्र जमा करने के उपरान्त मत्स्य निरीक्षक/ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सर्वे किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद संबंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तदुपरान्त ज्येष्ठ कार्मिकों की देख-रेख एवं तकनीकी सहायता से पुनः तालाब मरम्मत/सुधार कार्य, स्थापित गतिविधियां एवं किये कार्य का मौके पर सत्यापन किया जाता है, इसके उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर सब्सिडी का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाता है।
4.	राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना	ऐसे मत्स्य पालक, जो पहले से मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हैं, उनको मत्स्य निवेश जैसे कि मत्स्य आहार, फर्टिलाइजर आदि की कुल धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। 100 वर्ग मीटर तालाब हेतु 1 कुन्तल मत्स्य आहार का अनुदान। 500-2000 वर्ग मीटर तालाब हेतु 6 कुन्तल मत्स्य आहार का अनुदान। आर.ए.एस./बायोफ्लॉक हेतु 7 कुन्तल मत्स्य आहार का अनुदान। ट्राउट फार्मिंग हेतु 10 कुन्तल मत्स्य आहार का अनुदान। मत्स्य पालन हेतु इनपुट [illegible] की आवश्यक सामग्रियाँ जैसे इन्सुलेटर, [illegible] एवं [illegible] पर [illegible] की कुल लागत के सापेक्ष 50 प्रतिशत का अनुदान। छोटे मत्स्य [illegible] जाल/इन्सुलेटर/ [illegible] एवं [illegible] हेतु 50 प्रतिशत अनुदान।	उत्तराखण्ड के समस्त जाति, धर्म एवं वर्ग (सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि) के इच्छुक मत्स्य पालक।	योजना का लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में आधार, [illegible] एवं इनपुट [illegible] आदि जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी कार्यालय में देना होगा। प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, भूमि की कृषक खतौनी, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना होगा। भविष्य में आवेदन करने की प्रक्रिया [illegible] पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। प्रार्थना पत्र जमा करने के उपरान्त मत्स्य निरीक्षक/ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सर्वे किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद संबंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तदुपरान्त मत्स्य पालक द्वारा बीज/आहार/उपकरण मार्केट से क्रय की जाती है। मत्स्य पालक बिलों को ज्येष्ठ कार्मिकों को उपलब्ध करायेगा। ज्येष्ठ कार्मिक सत्यापित बिल को [illegible] करने के उपरान्त 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान सीधे मत्स्य पालक के खाते में भुगतान करने हेतु संबंधित जनपदीय अधिकारी को उपलब्ध करायेगा। तदोपरान्त सब्सिडी भुगतान की जाती है।
5.	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	तालाब निर्माण, ट्राउट रेसवेज, [illegible] यूनिट, आर.ए.एस., बायोफ्लॉक यूनिट	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जाति धर्म तथा	योजना का लाभ लेने हेतु भी प्रार्थना पत्र जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी

मत्स्य विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना	पर्वतीय क्षेत्रों में जलापूर्ति [illegible] का [illegible] उपयोग कर [illegible] के [illegible] हेतु तालाब की [illegible] एक ही स्थान पर [illegible] अनिवार्य है। अतएव तालाब निर्माण करने एवं प्रथम वर्षीय निवेश तथा मछलियों के [illegible] हेतु 50 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। 10 तालाब एक यूनिट के रूप [illegible] है [illegible] स्रोत [illegible] भी [illegible] है। [illegible] मछलियों के पालन हेतु तकनीकी सहायता भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। [illegible] लाभार्थी को अधिकतम 200 घन मीटर [illegible] के तालाब के लिए ही अनुदान दिया जायेगा। अधिकतम 1.5 लाख का अनुदान दिया जाता है। [illegible] / [illegible] / [illegible] / [illegible] / [illegible] हेतु 1000 घन मीटर हेतु अधिकतम 1 लाख का अनुदान दिया जाता है। अतिरिक्त 50 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी को स्वयं [illegible] से [illegible] सकता है अथवा बैंक से ऋण लिया जा सकता है।	राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के समस्त जाति धर्म, महिला एवं पुरुष जो मछली उत्पादन करने हेतु इच्छुक हों, या मछली उत्पादन कर रहे हों एवं जिनके पास भूमि/लीज की भूमि हो एवं जलापूर्ति स्रोत की उपलब्धता है, पात्र होंगे। उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।	सम्बन्धित योजना का लाभ लेने हेतु पात्र लाभार्थी/समूह को प्रार्थना पत्र [illegible] जनपद स्तर/उप [illegible] निरीक्षक [illegible]/जनपद [illegible] कार्यालय में देना। प्रार्थना पत्र के साथ आधार, [illegible] भूमि की [illegible] बैंक खाता विवरण, [illegible] फोटो [illegible] प्रमाण पत्र/भूमि [illegible] प्रमाण पत्र संलग्न होगा। भविष्य में ऑनलाइन [illegible] की प्रक्रिया [illegible] पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के [illegible] सम्बन्धित मत्स्य निरीक्षक/[illegible] द्वारा [illegible] किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात [illegible] की देख-रेख एवं तकनीकी सहायता देते हुए तालाब निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाता है। यदि लाभार्थी के पास 50 प्रतिशत धनराशि की उपलब्धता न हो तो लाभार्थी बैंक [illegible] बैंक/बैंक से ऋण ले सकता है। ऋण लेने की स्थिति में विभाग द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव बैंक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। बैंक [illegible] प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद धनराशि स्वीकृत करता है। तालाब निर्माण कार्य सम्पन्न होने पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के आधार पर डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी के खाते में अनुदान [illegible] की जाती है। ऋण की स्थिति में अनुदान बैंक के माध्यम से लाभार्थी को [illegible] जाती है। तकनीकी सहायता विभाग से कभी भी प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी लाभार्थी को प्रशिक्षण प्राप्त करना हो तो लाभार्थी निःशुल्क प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया जाता है तथा मछलियों की मार्केटिंग हेतु लाभार्थी [illegible] बाजार में बेचने हेतु [illegible] होता है [illegible] विभाग द्वारा [illegible] की सहायता से भी विक्रय कर सकता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

वन विभाग, उत्तराखण्ड

राजाजी पार्क

जिम कार्बेट पार्क

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हताएँ	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		सेट कल्चर, सौरऊर्जा आधारित मोटर आधारित सिंचाई सेट, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सेट, आटोमेटिक [illegible] मशीन आदि की लागत के सापेक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला वर्ग को 60 प्रतिशत का अनुदान जबकि अन्य सभी वर्ग हेतु 40 प्रतिशत का अनुदान, कार्य योजनान्तर्गत के लिए 20 प्रतिशत का अनुदान **(तालिका 01)**	सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि जिनके पास भूमि एवं जलापूर्ति स्रोत की उपलब्धता हो।	उपलब्ध कराया जाता है। प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, भूमि की खतौनी, बैंक पासबुक की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र आदि संलग्न कर विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। ऑनलाइन में आवेदन करने की सुविधा [illegible] पोर्टल के माध्यम से [illegible]। प्रार्थना पत्र जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात क्षेत्रीय कार्मिकों की देख-रेख एवं तकनीकी सहायता देते हुए स्वीकृत कार्य को पूर्ण कराया जाता है, उसके उपरान्त अनुदान का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे भुगतान किया जाता है।
6.	**दुर्घटना बीमा योजना (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना)**	मत्स्यपालकों/मछुआरों हेतु सामूहिक बीमा योजना दुर्घटना मृत्यु एवं पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में रु 5.0 लाख, आंशिक अपंगता (दोनों पैर/हाथों की उपयोगिता खोना, आँख/कान/नाक से देखना/सुनना/बोलना का आंशिक खोना आदि) की स्थिति में रु 2 लाख 50 हजार, अस्पताल में भर्ती पर रु 25 हजार धनराशि का भुगतान किया जाता है। मत्स्य पालकों को बीमा की किश्त का भुगतान नहीं करना पड़ता है। सम्पूर्ण किश्त का भुगतान विभाग वहन करता है।	**उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जाति वर्ग यथा, सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि सक्रिय मत्स्य पालक/मछुआरे जिनकी आयु 18–70 वर्ष हो।**	योजना का लाभ लेने हेतु पात्र लाभार्थी मत्स्य विभाग के क्षेत्रीय कार्मिकों के माध्यम से बीमा का आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ मत्स्य पालक/मछुआरे का आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, तथा ग्राम-प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, नॉमिनी विवरण एवं आधार कार्ड के साथ जमा करना पड़ता है। मत्स्य पालक की बीमा किश्त का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है। मत्स्य पालक का बीमा होने के उपरान्त बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र विभाग उपलब्ध कराता है। दुर्घटना/मृत्यु होने/अस्पताल में भर्ती होने की दशा में तत्काल मत्स्य विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्मिकों/अधिकारियों को लाभार्थी के परिवार द्वारा अवगत कराना पड़ता है तथा दुर्घटना की दशा में क्लेम फार्म एवं सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अस्पताल में एडमिट होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, बैंक सम्बन्धी प्रमाण पत्र को भी उपलब्ध कराना पड़ता है, उसके उपरान्त क्लेम धनराशि भुगतान कराई जाती है।

******

PROGRAMME

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना प्रारूप संलग्नक –1

गतिविधि/मद	यूनिट लागत प्रति हेक्टेयर	अनुदान (सामान्य वर्ग)	अनुदान (महिला/अनु. जाति/जनजाति)	अधिकतम लिमिट/अनुदान सीमा
नये तालाब निर्माण एवं मेढ़ों	11 लाख (प्रति हेक्टेयर)	4 लाख 40 हजार	6 लाख 60 हजार	अधिकतम 2 हेक्टेयर व्यक्तिगत एवं 20 हेक्टेयर समिति/समूह आदि
[illegible]	5 लाख 50 हजार	2 लाख 20 हजार	3 लाख 30 हजार	अधिकतम 4 यूनिट व्यक्तिगत एवं 20 यूनिट समिति/समूह आदि
लार्ज आर.ए.एस. (8 टैंक)/लार्ज बायोफ्लॉक यूनिट (50 टैंक)	50 लाख	[illegible] लाख	[illegible] लाख 80 हजार	अधिकतम 1 यूनिट
मीडियम आर.ए.एस. (4 टैंक)/मीडियम बायोफ्लॉक यूनिट (25 टैंक)	25 लाख	10 लाख	15 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
लघु आर.ए.एस. (1 टैंक)/लघु बायोफ्लॉक यूनिट (7 टैंक)	7 लाख 50 हजार	3 लाख	4 लाख 50 हजार	अधिकतम 1 यूनिट
[illegible] की स्थापना	30 लाख	12 लाख	18 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
[illegible] यूनिट	20 लाख	8 लाख	12 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
फिश कियोस्क	10 लाख	4 लाख	6 लाख	अधिकतम 1 यूनिट

गतिविधि/मद	यूनिट लागत	अनुदान (सामान्य वर्ग)	अनुदान (महिला/अनु. जाति/जनजाति)	अधिकतम लिमिट/अनुदान सीमा
मोटर साईकिल विद आईस बॉक्स	75 हजार	30 हजार	45 हजार	अधिकतम 1 यूनिट
थ्री व्हीलर विद आईस बॉक्स	3 लाख	1 लाख 20 हजार	1 लाख 80 हजार	अधिकतम 1 यूनिट
रेफ्रिजरेटेड/इन्सुलेटेड वाहन	25 लाख	10 लाख	15 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
[illegible] (क्षमता 10 टन)	40 लाख	16 लाख	24 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
केज की स्थापना	3 हजार प्रति घन मी.	1 हजार 2 सौ	1 हजार 8 सौ	अधिकतम 1800 घन मीटर व्यक्तिगत एवं 7200 घन मीटर समिति/समूह आदि
बैकयार्ड ऑर्नामेंटल यूनिट	3 लाख	1 लाख 20 हजार	1 लाख 80 हजार	अधिकतम 4 यूनिट व्यक्तिगत एवं 20 यूनिट समिति/समूह आदि
फीड मिल (क्षमता 2 टन प्रतिदिन उत्पादन)	30 लाख	12 लाख	18 लाख	अधिकतम 1 यूनिट

वन विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्र.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(1) वन्यजीवों के आक्रमण से मृत्यु, घायल या विकलांग होने पर – [illegible]

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/मापदण्ड	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		अथवा परिवार के भिन्न व्यक्तियों द्वारा किसी वृद्ध मनुष्य, व्यवसाय के दृष्टिकोण से (प्रोफेशनल/लाइसेंसिंग कन्सेंट), जिसका आशय मानसिक रूप से असंतुलित तथा अवयस्क किसी मानव को जंगली जानवर के क्षेत्र में छोड़ दिये जाने एवं जंगली जानवरों द्वारा ऐसे मानवों को क्षति पहुंचाई जाने पर अनुग्रह राशि का दावा गैर कानूनी होगा।	जाने की क्षति। (3) जंगली हाथी, जंगली सूअर, नील गाय, काला हिरण, बायसन तथा बंदरों द्वारा फसलों की क्षति, तथा (4) जंगली हाथियों द्वारा मकान की क्षति।	व्यक्ति के मारे जाने/अपंग करने/घायल करने की पुष्टि नहीं होती है, तो सम्बन्धित पीड़ित व्यक्ति/आश्रित को प्रदाय की गई अग्रिम धनराशि की वसूली राजस्व वसूली के रूप में की जावेगी। **(2) वन्यजीवों के आक्रमण से पशुहानि होने पर** – वन्य जीवों द्वारा पालतू पशुओं/मवेशी को मार डाले जाने पर प्रथमतः इसकी पुष्टि ग्राम प्रधान अथवा पंचायत के तत्कालीन किसी जनप्रतिनिधि द्वारा कर दिये जाने के उपरान्त ही मारे गये मवेशी के मृत शरीर को घटना स्थल से हटाया जायेगा। मृत मवेशी के शव पर किसी प्रकार का विष अथवा कीटनाशक पदार्थ डाले जाने और किसी भी प्रकार से मवेशी के शव से छेड़-छाड़ किये जाने की दशा में अनुग्रह राशि देय नहीं होगी। मवेशी के स्वामी द्वारा मवेशी के मारे जाने की सूचना घटना के दो दिन के अन्दर सम्बन्धित रेंज कार्यालय में लिखित रूप में देनी होगी। वन्य जीवों द्वारा पालतू पशुओं/मवेशी के मारे जाने की पुष्टि सम्बन्धित घटना क्षेत्र के ग्राम प्रधान अथवा पंचायत में तत्कालीन किसी जनप्रतिनिधि एवं सम्बन्धित क्षेत्र के वन रक्षक द्वारा संयुक्त रूप से कर दिये जाने के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा अपने पास उपलब्ध निधि से घटना दिवस में आकलित कुल देय धनराशि का 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में मवेशी के स्वामी को उपलब्ध करायी जायेगी। अवशेष धनराशि अन्तिम जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर देय होगी। वन्य जीवों द्वारा मवेशी को मारे जाने का सत्यापन सम्बन्धित रेंज अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसके उपरान्त सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक की अन्तिम जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक को देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने तथा भुगतान करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा सूचना विभाग के साथ सूचना

PROGRAMME IMPLEMENTATION

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/मापदण्ड	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				लिखित रूप से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी। अंतिम जाँच रिपोर्ट घटना के एक माह के अन्दर लिखित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। यदि अंतिम जाँच रिपोर्ट में वन्य प्राणी द्वारा मवेशी के मारे जाने की पुष्टि नहीं होती है, तो मवेशी स्वामी को प्रदान की गयी अग्रिम धनराशि की वसूली भू-राजस्व बकाये के रूप में की जायेगी। **(3) वन्यजीवों के आक्रमण से फसल क्षति होने पर –** घटना की सूचना दो दिन के अन्दर स्थानीय वन अधिकारी को लिखित रूप में देनी होगी। इसके उपरान्त सम्बन्धित घटना क्षेत्र के तहसीलदार/पटवारी व स्थानीय वन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से फसलों की क्षति का सत्यापन एवं आकलन कर जांच रिपोर्ट वन अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा अंतिम जांच रिपोर्ट घटना के दो माह के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। अंतिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक प्रकरण में देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने व भुगतान करने का पूर्ण अधिकारी होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण विवरण की सूचना लिखित रूप से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी। **(4) जंगली हाथियों के आक्रमण से मकान क्षति होने पर–** घटना की सूचना दो दिन के अन्दर सम्बन्धित रेंज कार्यालय में लिखित रूप से देनी होगी। जिसकी पुष्टि ग्राम प्रधान अथवा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी द्वारा सत्यापन कर दिया जायेगा। क्षति का आकलन सम्बन्धित क्षेत्र के नायब तहसीलदार एवं रेंज अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कर लिये जाने पर जांच रिपोर्ट सहायक वन संरक्षक/वन्य

PROGRAMME IMPLEMENTATION ... UTTAR PRADESH

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				जीव प्रतिपालक को उपलब्ध करायी जायेगी, जिनके द्वारा मामले में अन्तिम जाँच करते हुये अन्तिम जाँच रिपोर्ट एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक को प्रस्तुत किया जायेगा। अन्तिम जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक द्वारा प्रकरण में देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने व भुगतान करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण विवरण के साथ सूचना निश्चित रूप से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी।

नोट– वन विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर **–18008909715 इस नंबर पर प्रदेश के किसी भी स्थान पर मानव वन्यजीव की कोई दुर्घटना / आबादी क्षेत्रों में वन्यजीवों की उपस्थिति से संबंधित सूचना / जानकारी किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है**

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

आवास विभाग, उत्तराखण्ड

[illegible]

शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

दिनांक 06 नवम्बर 2023 को स्मार्ट सिटी के निरीक्षण के दौरान ग्रीन बिल्डिंग

संलग्नक–1

1. वन्यजीवों के आक्रमण से किसी व्यक्ति के घायल/मृत्यु होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है:–

क्षति का प्रकार	कुल देय धनराशि(रू० लाख में)	राज्य आपदा मोचन निधि(SDRF) का अंश	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि का अंश
वन्यजीव के आक्रमण से मृत्यु पर	4.00 लाख	4.00 लाख	0.00
आंशिक रूप से अपंग	1.00 लाख	59,100	40,900
पूर्ण रूप से अपंग	2.00 लाख	2.00 लाख	
साधारण रूप से घायल	15.00 हजार	4,300	10,700
गम्भीर रूप से घायल	50.00 हजार	12,700	37,300

2. वन्यजीवों के आक्रमण से पशुक्षति होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है :–

पशु क्षति का प्रकार	देय धनराशि	राज्य आपदा मोचन निधि का अंश	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि का अंश
दुधारू पशु–भैंस/गाय/ ऊँट/याक/मिथुन आदि आदि पशु	30 हजार	30 हजार	
बैल व दुधारू पशु [illegible]	40 हजार	25 हजार	15 हजार
[illegible] आदि पशु	40 हजार	16 हजार	24 हजार
[illegible] आदि पशु	22 हजार	24 हजार	
[illegible] आदि पशु	4 हजार	3 हजार	
[illegible] आदि पशु	2 हजार	2 हजार	

3. वन्यजीवों के आक्रमण से फसल क्षति होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है :–

कृषि फसल का प्रकार		देय धनराशि (प्रति हेक्टेयर)	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि का अंश
गन्ना	सम्पूर्ण फसल	28,000/	28,000/
धान/गेहूं/तिलहन	सम्पूर्ण फसल	16,000/	16,000/
उपरोक्त फसलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर	सम्पूर्ण फसल	8,000/	8,000/

4. जंगली हाथियों द्वारा मकान क्षति होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है :–

मकान का प्रकार	(क) पूर्णतः क्षतिग्रस्त/नष्ट मकान	देय धनराशि(प्रति मकान रू० में)	राज्य आपदा मोचन निधि का अंश (प्रति मकान रू० में)	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि का अंश (प्रति मकान रू० में)
पक्का मकान / कच्चा मकान (पूर्ण रूप से)	(i) पक्का मकान (ii) कच्चा मकान	95000/–	95000/–	
पक्का मकान (आंशिक रूप से)	पक्का मकान (आंशिक रूप से)	20,000/–	–	20,000/–
कच्चे मकान की क्षतिग्रस्तता की आंशिक [illegible]	(ख) आंशिक क्षतिग्रस्त मकान (i) पक्का मकान (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15 प्रतिशत क्षति हो।	15,000/–	5,200/–	9,800/–
	(ii) कच्चा मकान (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15 प्रतिशत क्षति हो।	3200/–	3,200/–	–
झोपड़ी, पशुशाला [illegible] क्षतिग्रस्त होने पर	(ग) क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी	5,000/–	4,100/–	900/–

******

स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड

PRO...NT

आवास विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक**	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत तीन प्रकार के आवास प्रदान हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है :– 1. ऋण से जुड़ी सब्सिडी। 2. **भागीदारी में किफायती आवास।** 3. **लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार।** **उक्त बिंदु 2 'भागीदारी में किफायती आवास घटक' का लाभ, पात्रता एवं प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण निम्न है :–** उक्त योजना के अन्तर्गत [illegible] 30 वर्गमीटर तक कारपेट एरिया के पक्का आवास [illegible] बिजली, [illegible] आदि सुविधा की जाती है। वर्तमान में [illegible] द्वारा कुल 21 परियोजनाओं में 17104 [illegible] आवासों का निर्माण [illegible] है। [illegible] इकाई आवास का विक्रय मूल्य रू. 8.00 लाख निर्धारित किया गया है जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा प्रति इकाई रू. 1.50 लाख राज्य सरकार द्वारा रू. 1.00 लाख प्रति इकाई एवं लाभार्थी द्वारा शेष [illegible] प्रति इकाई दिया जाना प्रस्तावित है।	लाभार्थी को [illegible] आय श्रेणी [illegible] का होना चाहिए [illegible] दिनांक 17.06.2015 से पूर्व [illegible] पक्का आवास नहीं [illegible] पोर्टल http://pmaymis.gov.in पर [illegible] उपलब्ध है। [illegible] Unique identification नम्बर निर्मित हो गया हो।	सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों द्वारा [illegible] विज्ञापन के माध्यम से आवेदन [illegible] आमंत्रित किये जाते हैं। [illegible] आवेदन फार्म [illegible] रू. 5000/- की [illegible] सम्बन्धित जिला [illegible] कार्यालय, नगर निगम/[illegible] सम्बन्धित जिला [illegible] प्राधिकरण [illegible] जाते है। आवेदन के साथ आवेदकों का आधार कार्ड, राशन कार्ड [illegible] होती है। [illegible] प्राधिकरणों [illegible] लाभार्थियों की [illegible] सूची [illegible] की जाती है। [illegible] पोर्टल के पीएमएवाई योजना भी आवेदन [illegible] जा सकते हैं।

पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान)

PROGRAMME IMPLEMENTATION

शहरी विकास विभाग

क्र.	योजना का नाम	योजना का लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (स्व-रोजगार कार्यक्रम)	[illegible] Interest Subsidy [illegible]	[illegible]	[illegible]
2	पीएम स्वनिधि	[illegible] 10,000/- [illegible] 20,000 [illegible] 50,000/- [illegible]	[illegible]	[illegible] https://pmsvanidhi.mohua.gov.in [illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] State level Nodal Agency (SLNA) [illegible] State level Sanctioning and Monitoring committee (SLSMC) [illegible] 4. [illegible]

****

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/आवश्यकता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	100 में जल संयोजन		तथा उनके द्वारा इसी नाम से भुगतान पर पहले निर्धारित अथवा नया ई-कनेक्शन जारी है, अन्य नहीं हो, तो भी जनपदीय रु0 100 में उक्त संयोजन दिया जायेगा।	लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत होने की सूचना आवेदक को एस०एम०एस० के द्वारा दी जायेगी। यदि आवेदन स्वीकृत होता है तो आवेदक द्वारा संयोजन शुल्क दिया जायेगा। संयोजन शुल्क ऑनलाईन www.ujs.uk.gov.in पर Online Service पर क्लिक कर New Connection payment लिंक पर जाकर डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/कैश कार्ड से दिया जा सकता है अथवा किसी कलेक्शन सेंटर पर भी जमा किया जा सकता है। आवेदक को रु0 25 आवेदन शुल्क, रु0 100 का नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर तथा रु0 100 का कोई अन्य संयोजन शुल्क जमा किये जाते हैं एवं आधार कार्ड, वोटर आईडी पहचान पत्र/आय प्रमाण पत्र तथा आवास सम्बन्धी जानकारी की भी आवश्यकता होती है। यदि 15 एम०एम० एवं 20 एम०एम० व्यास का किसी भी घरेलू या व्यावसायिक श्रेणी का आवेदन है तो 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा तकनीकी रूप से सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। यदि 25 एम०एम० से 40 एम०एम० व्यास का आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा तकनीकी रूप से सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। यदि 50 एम०एम० व्यास या सोसायटी/इन्स्टिट्यूशन का संयोजन आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तकनीकी रूप से सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। यदि 80 एम०एम० या इससे अधिक का व्यास का आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित महाप्रबन्धक द्वारा तकनीकी रूप से सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। स्थलीय निरीक्षण सही पाये जाने पर स्वीकृत आवेदक का पानी का कनेक्शन शुरू हो जाता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENT

स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड

	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / आवश्यकी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण-शौचालय निर्माण)	शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग के उपरान्त प्रोत्साहन धनराशि रू. 12000 प्रति शौचालय, प्रति लाभार्थी परिवार को दिया जाता है।	शौचालय विहीन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवार तथा गरीबी रेखा से ऊपर सभी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति, लघु एवं सीमान्त किसान, भूमिहीन श्रमिक, शारीरिक रूप से विकलांग, महिला मुखिया परिवार।	शौचालय प्राप्त करने हेतु इच्छुक परिवार के निर्माण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम अथवा सीधे ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन माध्यम से जनपद स्तरीय जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। तदोपरान्त जनपदीय इकाई द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्र / अपात्र को स्वीकृत / अस्वीकृत किया जाता है। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज में बी.पी.एल. कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति, आवेदन पत्र पर लाभार्थी की पासपोर्ट साइज फोटो तथा प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बी.पी.एल./ए.पी.एल. का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त किसान, भूमिहीन श्रमिक, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला मुखिया परिवार होने के प्रमाण का उल्लेख तथा बैंक पासबुक की फोटोकापी संलग्न किया जाना होता है। ऑफ-लाइन आवेदन पत्र पर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक है। तदोपरान्त जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऑन-लाइन आवेदन भारत सरकार की वेबसाइट sbm.gov.in पर किया जा सकता है जिसमें आवेदनकर्ता का आधार नम्बर एवं बैंक की पासबुक का पृष्ठ अपलोड किया जाना होता है।
2	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण-ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन)	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों तथा सार्वजनिक सुविधाएं, कम्पोस्ट, कम्पोस्ट पिट, कूड़ा संग्रहण केन्द्र तथा सामुदायिक शौचालय काम्प्लेक्सों का निर्माण ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार प्रस्तावों एवं प्राथमिक आवश्यकता के लिए कार्यक्रम के माध्यम से कराये जाते हैं, जिसकी लागत रू. 3.00 लाख है। (70% स्वच्छ भारत मिशन तथा 30% 14वें वित्त आयोग) जिसे पंचायतों को दी जाती है।	ग्राम पंचायत द्वारा जनपदीय इकाई को प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कार्य, जिसका आवेदन पत्र के द्वारा आवेदन किया जा सकता है। इस हेतु कोई निश्चित प्रारूप नहीं है।	प्रस्तावित कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत से प्रस्ताव जनपदीय इकाई को प्राप्त होता है जो कि इकाई द्वारा ही स्थल भ्रमण के उपरान्त का परीक्षण करने के उपरान्त स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों तथा सार्वजनिक सुविधाएं, कम्पोस्ट, कम्पोस्ट पिट, कूड़ा संग्रहण केन्द्र हेतु प्रत्येक ग्राम की आबादी के अनुसार प्रति व्यक्ति की दर से धनराशि निम्नानुसार निर्धारित है – 1. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों हेतु– 3000 तक की आबादी वाले ग्राम में– 60 रू. प्रति व्यक्ति एवं 3000 से अधिक आबादी वाले ग्राम में– 45 रू. प्रति व्यक्ति। 2. तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों हेतु– 3000 तक की आबादी वाले ग्राम में – 280 रू. प्रति व्यक्ति एवं 3000 से अधिक आबादी वाले ग्राम में – 660 रू. प्रति व्यक्ति। उपरोक्त गतिविधियों हेतु अधिकतम रू. 20 लाख प्रति ग्राम। 3. अंशदान (70% स्वच्छ भारत मिशन तथा 30% 14वां वित्त आयोग)। 4. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन–रू0 16 लाख प्रति विकासखण्ड। 5. गोबरधन योजना– रू0 50 लाख (प्रति जनपद में 01 चयनित इकाई हेतु) गोबरधन योजना के अन्तर्गत धनराशि कार्यदायी संस्था के रूप में चयनित ग्राम पंचायत को दिया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जनपद में एक सामुदायिक या व्यक्तिगत बायोगैस संयंत्र का निर्माण कराया जाता है।

****

पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/अहर्ता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल उपभोक्ताओं को जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था	ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं से निजी जल संयोजन लेने पर देय संयोजन शुल्क की वसूली के स्थान पर [illegible] निजी जल संयोजन के संयोजन शुल्क रूपये 100 [illegible] एवं आवेदन शुल्क रूपये 25.00 जमा कराकर शीघ्र जल संयोजन दिये जाने की सुविधा प्रदान की जा रही है।	जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के अनेक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। यह राज्य के शहरी क्षेत्रों पर लागू नहीं है।	उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवार ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट www.ujs.uk.gov.in के माध्यम से तथा ऑफलाइन सभी निकटवर्ती विभागीय जनमिलन केन्द्र में आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर पेयजल संयोजन हेतु ई-आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ, वोटर आईडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, फोटो सहित बैंक पासबुक, [illegible] एवं सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी आईडेंटिटी कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित छायाप्रति की आवश्यकता होगी। सम्बन्धित विभाग, प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम सभा द्वारा [illegible] भवन निर्माण हेतु [illegible] की आवश्यकता है। अन्य प्रयोजनों के लिए आवश्यक नहीं है। रू0 100 का नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर [illegible] दिया जाता है। [illegible] स्वामित्व/अध्यासी हेतु [illegible] स्थानीय प्रमाण-पत्र [illegible] कार्ड, नगर निगम/नगर पालिका द्वारा निर्गत भवन का मूल्यांकन प्रमाण-पत्र, [illegible] अनुबन्ध, राशन कार्ड, बिजली का बिल, राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक, ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत स्वामित्व/अध्यासी प्रमाण-पत्र में से किसी एक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति [illegible] होगी। [illegible] जिसकी सड़क से आवेदक द्वारा [illegible] जायेगा, [illegible] स्वीकृति पत्र की आवश्यकता होगी। यदि आवेदक अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/ [illegible]/ [illegible] विकलांग/ [illegible] का कार्मिक है तो उसका प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी। आवेदन करने के बाद विभाग द्वारा प्रपत्रों की जाँच की जाती है तथा 15 दिवस के भीतर आवेदक को पेयजल संयोजन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।
2.	राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवासरत बी0पी0 एल0/निर्धन परिवारों को जल [illegible]	[illegible] रू0 100 में जल [illegible] किया जाता है।	राज्य के [illegible] निर्धन परिवार जिनको रू0 100 [illegible] में [illegible] प्रदान किया जाता हो [illegible] उपलब्ध है	उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवासरत बी0पी0 एल0/निर्धन परिवारों को ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट www.ujs.uk.gov.in के माध्यम से तथा ऑफलाइन सभी निकटवर्ती विभागीय जनमिलन केन्द्र में आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर पेयजल संयोजन के [illegible]

PROGRAMME IMPLEMENTATION

पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड

दिनांक 22 अगस्त 23 को पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक ।

सुदूर क्षेत्र विकास खण्ड देवाल के मेस ग्राम पंचायत में बी0डी0सी0 की बैठक का आयोजन

पंचायती राज विभाग

क्र.	प्रमाण पत्र/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया/ संस्तुति प्रक्रिया
1	जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र	जन्मतिथि को प्रमाणित करने का मूल प्रमाण पत्र है। इसका उपयोग आधार कार्ड बनाने में, उम्र को प्रमाणित करने, स्कूल में एडमिशन के दौरान, प्राकृतिक की दौरान, [illegible] के साथ जोड़ने हेतु एवं अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज है।	उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्मे समस्त व्यक्ति, जिनका जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र न बना हो, इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए पात्र होंगे।	जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु बच्चे के माता-पिता/अभिभावक/आवेदक को आधिकारिक पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। **बच्चे का जन्म होने पर, जन्म होने की तिथि से 21 दिन के भीतर आवेदन करने पर,** जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम उक्त जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र [illegible] [illegible] आवेदन के दौरान [illegible] करने होंगे। आवेदन के उपरान्त संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरान्त [illegible] 21 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। बच्चे का जन्म होने के 21 दिन के बाद और 01 वर्ष के भीतर आवेदन करने पर, [illegible] के साथ एक नोटराइज्ड शपथ पत्र [illegible] संलग्न होगा [illegible] आवेदन के उपरान्त संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरान्त [illegible] दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। **बच्चे के जन्म होने पर 01 वर्ष तक भी प्रमाण-पत्र न बनाने की स्थिति में** 01 वर्ष के उपरान्त, बच्चे के आवेदन करने पर [illegible] नोटराइज्ड शपथ पत्र [illegible] संलग्न होगा। आवेदन के उपरान्त संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरान्त [illegible] दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित आवेदक को आधिकारिक पोर्टल की [illegible] प्रमाण पत्र [illegible] नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन किया है, वह संबंधित सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं।
2	मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र	किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की तिथि को प्रमाणित करने का मूल	उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में	मृत्यु पंजीकरण एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु मृतक के माता-पिता/अभिभावक/आश्रित को आधिकारिक पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से

PROGRAMME IMPLEMENTATION

राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड

[illegible]

क्र.	प्रमाण पत्र / सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं भुगतान प्रक्रिया / संस्तुति प्रक्रिया
		प्रमाण पत्र है। इसका उपयोग आश्रितों द्वारा पेंशन योजनाओं, संपत्ति हस्तांतरण में नाम बदलने एवं अन्य वैधिक लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज है।	मृत हुए व्यक्तियों के आश्रित जिनके परिवार के सदस्यों का मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र न बना हो इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए पात्र होंगे।	ऑनलाइन आवेदन करना होगा। **मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृत्यु होने की तिथि से 30 दिन के भीतर आवेदन करने पर** जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास या मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रपत्र पर, प्रार्थना पत्र के साथ [illegible] / [illegible] की मूल [illegible], आवेदक का आधार कार्ड, मृतक का आधार कार्ड, श्मशान / कब्रस्तान के द्वारा जारी प्रमाण, [illegible] के दौरान संलग्न करने होंगे। आवेदन के उपरान्त संबंधित जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरान्त एवं आवेदन में सही पाये जाने पर 03 दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। **मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने के 30 दिन के बाद और 01 वर्ष के भीतर आवेदन करने पर** आवेदन पत्र [illegible] के साथ [illegible] होगा तथा [illegible] / [illegible] की [illegible] की मूल [illegible], आवेदक का [illegible] पत्र, [illegible] आधार कार्ड, श्मशान / कब्रस्तान द्वारा जारी प्रमाण पत्र [illegible] करना होगा। आवेदन के उपरान्त संबंधित जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरान्त एवं जांच में सही पाये जाने पर [illegible] दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। **मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने पर 01 वर्ष तक भी प्रमाण पत्र न बनाने की स्थिति में 01 वर्ष के उपरान्त, कभी भी आवेदन करने पर,** आवेदन उप जिला मजिस्ट्रेट को मृत्यु प्रमाण पत्र (उप–जिला मजिस्ट्रेट के आदेश) [illegible], [illegible] आधार कार्ड (आवेदक), मृतक आधार कार्ड / वोटर कार्ड / [illegible] / परिवार रजिस्टर [illegible] की प्रमाणित नकल संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरान्त संबंधित जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरान्त एवं जांच में सही पाये जाने पर 10 दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित आवेदक की [illegible] पोर्टल की आईडी में प्राप्त हो जाता है तथा जिनके द्वारा ऑनलाइन सर्विस सेंटर से आवेदन किया है, वह संबंधित सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं।
3	परिवार रजिस्टर	परिवार रजिस्टर परिवार की स्थिति को प्रमाणित करने का मूल अभिलेख है, जिसका [illegible] आय प्रमाण पत्र, [illegible] पेंशन योजनायें, [illegible]	[illegible] राज्य के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में निवास कर रहे स्थायी निवासी, परिवार रजिस्टर में	परिवार रजिस्टर में नाम जोड़ने, [illegible] करने, [illegible] करने एवं परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति को [illegible] पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी ऑनलाइन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। **परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल हेतु आवेदन करने पर** आवेदन पत्र ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास [illegible] होगा तथा आवेदन करने के दौरान आवेदक का आईडी प्रूफ (आधार / वोटर कार्ड) संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरान्त 0[illegible] दिन के

क्र.	प्रमाण पत्र / सेवा का नाम	उद्देश्य	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं सत्यापन प्रक्रिया / संस्तुति प्रक्रिया
		निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है।	नाम जोड़ने/ पृथक्करण करने, संशोधित करने एवं परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।	सीधा ऑनलाइन रजिस्टर की प्रमाणित नकल संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है। **परिवार पृथक्करण हेतु** प्रार्थना पत्र संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम लिखना होगा। आवेदन के दौरान प्रार्थना पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन, राशन कार्ड/परिवार पृथक्करण का उल्लेख [illegible] (18 वर्ष से ऊपर) निवास की पुष्टि, [illegible] आईडी पर ग्राम प्रधान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। आवेदन के उपरान्त 03 दिन के भीतर परिवार पृथक्करण संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है। **परिवार संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र** संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम लिखना होगा। आवेदन के दौरान प्रार्थना पत्र, आईडी एवं ग्राम प्रधान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरान्त 03 दिन के भीतर परिवार संशोधन संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है।
4	भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण पूर्व अनुमति आवश्यक है।	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ऐसे परिवार जो अपना मकान बनाना चाहते हों।	पात्र व्यक्ति को अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान रजिस्ट्री कागज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, [illegible] प्रमाण पत्र, आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरान्त 03 दिन के भीतर प्रमाण पत्र संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है।
5	शौचालय प्रमाण–पत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में किसी परिवार का शौचालय होने को प्रमाणित करता है, जिससे वह व्यक्ति एक अन्य योजनाओं के शौचालय निर्माण के आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके।	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ऐसे परिवार जो अपना शौचालय निर्माण करवाना चाहते हों।	पात्र व्यक्ति को अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान [illegible] आवेदक के घर में शौचालय नहीं होने पर ग्राम प्रधान द्वारा [illegible] रिपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, [illegible] आवेदक का फोटो (शौचालय के निकट) संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरान्त 03 दिन के भीतर प्रमाण पत्र संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है।

****

राजस्व विभाग

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/स्वीकृति प्रक्रिया
1.	स्थाई निवास प्रमाण पत्र	उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होने को प्रमाणित करता है तथा राज्य की सेवाओं में प्रतिभाग करने एवं आरक्षण/ प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य/सेना में भर्ती आदि हेतु।	उत्तराखण्ड के ऐसे स्थाई निवासी परिवार, जिनके द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने से पूर्व 15 साल निरन्तर सम्बन्धित तहसील उत्तराखंड में वास कीरें।	आवेदक के द्वारा सरकार पोर्टल https:// eservices.uk.gov.in/ पर ऑनलाइन या जन सेवा केन्द्र/ ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है जहां आवेदन करने हेतु सम्बन्धित मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है। उसके पश्चात सम्बन्धित पोर्टल का नाम तथा सहित विवरण भरा जाता है। जिससे लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड उत्पन्न होता है। तब विभिन्न सेवाओं की सूची दिखाई देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र पर चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज लगाये जाते हैं — **अनिवार्य दस्तावेज**— भूमि की रजिस्ट्री/खतौनी/पट्टा या परिवार की निवास से सम्बन्धित दस्तावेज जिससे 15 साल निवास की पुष्टि होती हो, आधार कार्ड एवं पासपोर्ट साइज़ फोटो, शैक्षिक सम्बन्धी प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर (नगर निकाय क्षेत्र के आवेदकों जहाँ पर परिवार रजिस्टर नहीं होता है हेतु आवश्यक नहीं) **वैकल्पिक दस्तावेज**—राशन कार्ड एवं बिजली बिल या पानी बिल और गैस कनेक्शन। जैसे ही आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाता है उसकी जानकारी ऑनलाइन उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को प्राप्त होती है जहां से सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षक को जांच आख्या देने हेतु भेजा जाता है जांच सही पाये जाने के पश्चात निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन/डिजिटल प्रमाण पत्र 15 दिन के भीतर निर्गत किया जाता है। जिसका मैसेज मोबाइल फोन में या ईमेल में आ जाता है।
2.	उत्तराधिकारी/पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र	जीवित सदस्य, मृतक के उत्तराधिकारी अंकित हैं इसको प्रमाणित करने हेतु इस प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग [illegible] संबंधी	उत्तराखण्ड के ऐसे स्थाई निवासी जो मृतक के आश्रित हों।	सम्बन्धित आवेदन एवं चयन प्रक्रिया "स्थायी निवास प्रमाण पत्र" के अनुसार होगी परन्तु निम्न दस्तावेज अनिवार्य है — आवेदक का एवं सम्बन्ध परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, आवेदक का मोबाइल नंबर, मृतक व्यक्ति होने संबंधी जानकारी तथा मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड एवं वोटर आईडी। आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन/डिजिटल उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	उपयोग	पात्रता / उपलब्धता	आवेदन प्रक्रिया एवं सत्यापन / संस्तुति प्रक्रिया
		प्रमाणपत्रों वेतन [illegible] आदि में होता है।		
3.	पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र	रोजगार / विभिन्न राजकीय सेवाओं / सेना में भर्ती आदि हेतु	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी	समस्त आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया "स्थाई निवास प्रमाण पत्र" के अनुसार होगी परन्तु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :– **अनिवार्य दस्तावेज**–पहाड़ी क्षेत्र की खतौनी (ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित) निवास से संबंधित दस्तावेज (विशेषतः पर्वतीय क्षेत्र में निवास होने की पुष्टि होती हो), स्थाई निवास प्रमाण पत्र, भूमि रजिस्ट्री / खतौनी की प्रति, आधार कार्ड, शिक्षा संबंधित दस्तावेज। **वैकल्पिक दस्तावेज** –बिजली बिल या पानी बिल, राशन कार्ड / परिवार रजिस्टर [illegible] के निवास हेतु आवेदन की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
4.	चरित्र प्रमाण पत्र (ठेकेदारी / सामान्य हेतु)	ठेकेदारी व्यवसाय एवं शस्त्र लाइसेंस / नौकरी / अन्य व्यवसाय हेतु	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी	समस्त आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया "स्थाई निवास प्रमाण पत्र" के अनुसार होगी परन्तु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :– आधार कार्ड, वोटर कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र। आवेदन की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर चरित्र प्रमाण–पत्र (ठेकेदारी / सामान्य हेतु) जारी किया जाता है।
5.	हैसियत प्रमाण पत्र	ठेकेदारी व्यवसाय व व्यावसायिक लाइसेंस हेतु (आवेदन के आधार पर)	उत्तराखण्ड राज्य में भूमि / अचल सम्पत्ति के आधार पर	समस्त आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया उपरोक्त क्रमांक–1 "स्थाई निवास प्रमाण पत्र" के अनुसार होगी परन्तु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :–भूमि रजिस्ट्री / खतौनी (नोटराइज्ड), नगर निगम / PWD का मूल्यांकन, पहचान पत्र / आधार कार्ड तथा [illegible] निवास का प्रमाण जैसे बिजली बिल / हाउस टैक्स रसीद / पानी बिल / वोटर आईडी आदि। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।
6.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र	विभिन्न राजकीय सेवाओं में आरक्षण एवं शासकीय सुविधाओं [illegible] के आश्रितों हेतु [illegible] आवश्यक है।	उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए	समस्त आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया उपरोक्त क्रमांक–1 "स्थाई निवास प्रमाण पत्र" के अनुसार होगी परन्तु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन [illegible], आवेदक का आधार कार्ड तथा पहचान पत्र, निवास का प्रमाण, स्वतंत्रता सेनानी कार्ड। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।
7.	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का उत्तराधिकारी	उत्तराखण्ड राज्य के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	राज्य की सीमा में स्थाई रूप से निवास करने वाले स्वतन्त्रता	राज्य के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन समुचित माध्यम सहित प्रस्तुत करने पर संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय से निर्धारित प्रारूप पर [illegible] जारी किये जाते हैं। यह प्रमाणित पत्र

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
	होने संबंधी परिचय पत्र	सेनानी की मृत्यु को कुटुम्ब पेंशन दिये जाने हेतु व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की श्रेणी के अन्तर्गत पुत्र और पुत्री (विवाहित तथा अविवाहित) और पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पोती (पुत्र की पुत्री) को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र।	संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारी परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित सेनानी के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी होने का प्रमाण पत्र देना होता है।	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत किये जाते हैं। सत्यापन के संबंध में 2 पेंशन प्राप्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के प्रमाण पत्र को आधार मानकर परिचय पत्र जारी किया जाता है।
8.	आय प्रमाण पत्र (आय प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए वैध होता है।)	समाज कल्याण एवं अन्य विभागों की विभिन्न पेंशन, छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता, स्वरोजगारपरक योजनाओं, शैक्षणिक संस्थाओं/विद्यालयों में फीस में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु।	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी	सर्वप्रथम में अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ पर ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है। यह आवेदन करने हेतु सम्बन्धित मोबाइल नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है। इसके उपरान्त संबंधित व्यक्ति का नाम,पता, सहित विवरण मांगा जाता है। जिसमें लागइन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। यह विभिन्न विभागों की सूची दिखाती होती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा आय प्रमाण पत्र पर चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं – **अनिवार्य दस्तावेज**–स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल (नगर निकाय क्षेत्रों में आवश्यक नहीं), पिता/पारिवारिक सदस्यों के विवरण/आय आदि के संबंध में स्व-घोषणा पत्र (जिसका प्रारूप अपणि सरकार पोर्टल से डाउनलोड कर या किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या तहसील स्तर से प्राप्त कर सकते हैं)। **वैकल्पिक दस्तावेज**–पेंशन पर्ची (सेवायोजित होने की दशा में), ई-श्रमिक कार्ड/मनरेगा कार्ड (असंगठित क्षेत्र के मजदूर होने की दशा में आय की गणना मनरेगा के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर 100 दिन की वार्षिक मजदूरी आगणित की जाएगी अर्थात किसी असंगठित क्षेत्र के

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता / अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
				मजदूर द्वारा वर्ष भर 100 दिन कार्य किया गया जिसकी मजदूरी का निर्धारण मनरेगा दरों उदा0 वर्तमान में प्रतिदिन 182 रु0 हो तो उसकी वार्षिक आय 100X182.00=18200 आगणित की जायेगी। कृषि सम्बंधी आय प्रमाण (कृषक होने की दशा में उसके द्वारा उपलब्ध कृषि भूमि (हे0में) X प्रति है0 औसत उत्पादन–औसत मूल्य/मण्डलीय आय के आधार पर आय का आगणन किया जायेगा इसके अतिरिक्त कृषि व्यावसायिक है तो उस से प्राप्त वार्षिक आय को सम्मिलित करते हुए आय का आगणन किया जायेगा।) **पेंशन भोगी व्यक्ति** (पेंशनभोगी [illegible] योजनाओं तथा वृद्धा, विधवा, विकलांग एवं अन्य [illegible] से पेंशन से प्राप्त वार्षिक आय के आधार पर आगणन किया जायेगा तथा बेरोजगार की दशा में उसको प्राप्त होने वाले भत्ता–पेंशन [illegible] के आधार पर [illegible] न होने पर उसकी आय का आगणन अकुशल मजदूर की आय के अनुसार किया जायेगा।) निजी व्यवसाय (व्यवसाय होने की दशा में व्यवसाय का विवरण जो शामिल किराना, मेडिकल, डाक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, चार्टेड एकाउंटेंट, [illegible] एवं [illegible] व्यवसाय न होने की दशा में आदि [illegible] नहीं है तो ऐसी स्थिति में [illegible] उसकी नेट आय के आधार पर [illegible] से कुल वार्षिक आय का आगणन किया जाता है। आवेदनकर्ता द्वारा अन्य स्रोतों की आय भी [illegible] में उल्लिखित करनी होगी। जैसे ही आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन पत्र सीधे ऑनलाइन तहसीलदार के पास जाता है जो सीधे राजस्व एवं निरीक्षक को जांच करने हेतु भेजा जाता है जांच सही पाये जाने के उपरान्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सम्बंधित तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन/डिजीटली प्रमाण पत्र 15 दिन के भीतर निर्गत किया जाता है। जिसका प्रिंट [illegible] से ले सकता है। आय प्रमाण पत्र में अंकित आय से असंतुष्ट होने पर आवेदक प्रथम अपील उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
9.	1 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र 2. अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र	विभिन्न राजकीय सेवाओं/ [illegible] प्रतिनिधित्व एवं छात्रवृत्ति की योजनाओं में आरक्षण	उत्तरप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अधिसूचित जाति वर्ग से सम्बंधित	सामान्य आवेदन एवं चयन प्रक्रिया जाति प्रमाण पत्र के अनुसार होगी परन्तु निम्न दस्तावेज अनिवार्य है — परिवार के सदस्यों/आवेदक की भूमि रजिस्ट्री/खतौनी की प्रति (1358 के निवासस्थान/निवास का [illegible]), राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल (ग्राम निवास [illegible] जहाँ पर परिवार रजिस्टर नहीं होता है तो आवेदकों हेतु आवश्यक नहीं), वैकल्पिक दस्तावेज —बिजली

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
	है।		कुल आय सम्मिलित होगी। उक्त आय सम्बन्धी द्वारा आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए आय होगी। परन्तु यह कि जिनके पास निम्न सम्पत्ति में से कोई भी सम्पत्ति है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के पात्र नहीं होंगे – कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक निर्मित क्षेत्रफल, अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक आवासीय भूखण्ड वाले पात्र नहीं होंगे।	है, पटवारी एवं कानूनगो आख्या की जांच सही पाये जाने के उपरान्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन/डिजीटली प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर ऑनलाइन/डिजीटली प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जिसका वैरीफिकेशन मोबाइल फोन से या ईमेल से हो सकता है।
11.	सामान्य जाति प्रमाण पत्र	सेना में भर्ती आदि हेतु एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र बनाने हेतु	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी जो कि सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हों। उत्तराखण्ड में 1985 से निवासरत/निवास कर रहे हों, ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे।	उपरोक्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया आय प्रमाण पत्र के अनुसार होगी परन्तु निम्न दस्तावेज अनिवार्य है :– परिवार के सदस्यों/आवेदक की भूमि रजिस्ट्री/खतौनी की प्रति (1985 से निवासरत/निवास कर रहे के संबंधित दस्तावेज), आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल (नगर निकाय क्षेत्र हेतु आवश्यक नहीं), राशन कार्ड। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन/डिजीटली सामान्य जाति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	शर्तें	[illegible]	[illegible]
	3. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र [illegible] हेतु। (अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र 03 वर्ष के लिए वैध होता है।)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	4. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र [illegible] हेतु (यह क्रीमी लेयर [illegible] वैध होता है।)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र (EWS) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] https://eservices.uk.gov.in/ [illegible]

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
		हजार तक उपजिलाधिकारी एवं रू0 50 हजार से अधिक जिलाधिकारी द्वारा भुगतान किया जाता है।		जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी को सूचित करेंगे। उसके उपरान्त उपजिलाधिकारी / तहसीलदार के द्वारा क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा आकलित जान माल की हानि के उपरान्त क्षति का आकलन कर, सम्बन्धित आपदा पीड़ित व्यक्ति / परिवार को नियमानुसार अनुमन्य कराये जाने हेतु कार्यवाही की जाती है। पूर्ण क्षतिग्रस्त भवनों के चिन्हीकरण के लिए प्रत्येक जिलाधिकारी के स्तर पर 3 सदस्यीय समिति का गठन जिसमें खण्ड विकास अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि एवं 01 अवर अभियंता को शामिल किया जायेगा। समिति द्वारा जो भी भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त तथा मानव निवास हेतु अनुपयुक्त घोषित किये जायेंगे ऐसे सभी भवनों की अनुमन्य सहायता राशि नियमानुसार स्वीकृति उपरान्त सम्बन्धित व्यक्ति / परिवार को अनुमन्य की जायेगी। तहसीलदार स्तर से दैवीय आपदा आर्थिक सहायता रू0 10 हजार के अन्तर्गत होने की दशा में तत्समय तहसीलदार स्तर पर स्वीकृत, 10 हजार से अधिक किन्तु 50 हजार के अन्तर्गत होने से उपजिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत व रू0 50 हजार से अधिक होने पर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। वर्तमान में दैवीय आपदा आर्थिक सहायता वितरण की प्रक्रिया ऑफलाइन है। यद्यपि कार्यालय स्तर पर स्वीकृत की कार्यवाही हेतु यह प्रक्रिया अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की गयी है। जिलाधिकारी स्तर से स्वीकृति प्रदान होने पर धनराशि उपजिलाधिकारी के माध्यम से तहसीलदार को एवं तहसीलदार संबंधित पटवारी को भेजता है तथा राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी / लेखपाल) सम्बन्धित क्षेत्र के आपदा पीड़ित व्यक्ति / परिवार को उक्त धनराशि मुहैया करवाता है। उपजिलाधिकारी / तहसीलदार स्तर से भी स्वीकृति प्राप्त होने पर सम्बन्धित क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी / लेखपाल) के माध्यम से दैवीय आपदा पीड़ित व्यक्ति / परिवार को उक्त धनराशि मुहैया करवायी जाती है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।

क्र	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.	दाखिल खारिज (क्रय–विक्रय)	[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]
14.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15.	[illegible] (सीमांकन) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्र	अभिलेख का नाम	लाभ	पात्रता / दस्तावेज	आवेदन प्रक्रिया एवं प्राप्ति / संस्तुति प्रक्रिया
	की पैमाइश, नापजोख हेतु।	पर्वतीय क्षेत्रों में नाप द्वारा अंकित होने के कारण जब आवश्यक हो जाता है, तथा भी जमीन क्षेत्र को नापजोख द्वारा होने की स्थिति में मुआवजा मिलना आसान होता है। डिजिटल लॉकिंग कार्ड या जमीन खरीद होने में आसानी होती है तथा हदबंदी सम्बन्धी विवादों से बचा जाता है।	सीमांकन कराने के लिए निर्धारित शुल्क आवेदक अथवा विवाद की स्थिति में पटवारी से टैक्स की न्यायालय निर्देशित करे (राजस्व कर्मचारी द्वारा कार्य में लगाये गये समय के अनुसार उ.प्र. राजस्व अधिनियम की धारा -41 में निर्देशित दरों/शासनादेशों के अनुसार) शुल्क जमा करना अनिवार्य है।	उपजिलाधिकारी द्वारा जमीन के सीमांकन करने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के पटवारी/कानूनगो/नायब तहसीलदार की टीम गठित कर आदेश दिया जाता है। आदेश जारी करने के उपरान्त सम्बन्धित आवेदक को निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। शुल्क जमा करने के बाद टीम द्वारा जमीन के सीमांकन की तिथि निर्धारित की जाती है तथा उस तिथि की सम्बन्धित आवेदक को सूचित किया जाता है। इस तिथि में टीम के सभी सदस्य एवं आवेदक जमीन की चौहद्दी के काश्तकारों के साथ जमीन का सीमांकन करते हैं। सीमांकन के पूरा होने के पश्चात सीमांकन का प्रमाण पत्र तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से जारी किया जाता है जिसे आवेदक एक माह के भीतर प्राप्त कर सकता है।
16.	खसरा खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया	इसका उपयोग कई प्रकार पत्रों को बनाने, कई योजनाओं का लाभ लेने तथा उत्तराखण्ड का निवासी होने को प्रमाणित करने हेतु किया जाता है।	ऐसे समस्त व्यक्ति जिनकी जमीन उत्तराखण्ड में हो तथा खसरा खतौनी में उनका नाम दाखिल हो।	खसरा खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदक को सम्बन्धित क्षेत्र के तहसील जाना पड़ता है तथा सामान्य प्रार्थना पत्र एवं निर्धारित शुल्क देकर उक्त नकल प्राप्त की जाती है।
17.	नकल खसरा एवं नकल खतौनी (भू-मानचित्र की प्रति) प्राप्त करना।	जमीन का प्रमाण प्राप्त करना।	भूमि आवेदक/परिवार के सदस्यों के नाम होनी आवश्यक है।	आवेदक द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को प्रार्थना पत्र लिखकर एवं उसमें जिस खसरा/खतौनी की आवश्यकता हो उसका विवरण उल्लेख कर तथा आधार कार्ड की प्रति लगाकर, निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जाता है। रिकार्ड अत्यधिक पुराना होने की स्थिति में सम्बन्धित जनपद/क्षेत्र के रिकार्ड कार्यालय जो जिलाधिकारी कार्यालय में स्थित होते हैं के प्रभारी अधिकारी (अभिलेखपाल) के नाम का प्रार्थना पत्र लिखकर एवं निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया जाता है।
18.	दैवीय आपदा आर्थिक सहायता	दैवीय आपदा में कोई भी नुकसान होने पर रू. 10 हजार तक तहसीलदार, रू. 50	राज्य का आपदा पीड़ित व्यक्ति/परिवार।	आपदा आने की स्थिति में राजस्व कार्मिक द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने पर अथवा पीड़ित व्यक्ति/आपदा प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति/जनप्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों तथा पटवारी/कानूनगो/तहसीलदार, आपदा विभाग के अधिकारियों तथा

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPT

परिवहन विभाग

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>परिवहन सेवा का नाम</th><th>लाभ</th><th>पात्रता/लाभार्थी</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td>1</td><td>वाहनों का पंजीयन कार्य</td><td>वाहन के पंजीयन के उपरान्त सार्वजनिक स्थान पर वाहन का संचालन किया जा सकता है।</td><td>भारत के समस्त नागरिक</td><td>1. आवेदन–प्राप्त किया करने वाले अधिकृत डीलर्स द्वारा वाहन स्वामी के निवास या व्यवसाय के स्थान से संबंधित संभागीय/उपसंभागीय कार्यालय में किया जाता है।
2. आवेदन का माध्यम– वाहन पंजीयन हेतु फार्म–20 में ऑनलाईन पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice में डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आवेदन किया जाता है।
3. आवश्यक प्रपत्र/प्रक्रिया पंजीयन हेतु आवेदन के साथ निम्न प्रपत्र आवश्यक हैं –
1. विक्रय पत्र प्रारूप–21 में।
2. बीमा प्रमाण-पत्र।
3. निवास का प्रमाण (आधार/निर्वाचक पहचान पत्र/बैंक प्रमाण पत्र/पासपोर्ट/बिजली बिल)।
4. अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र यदि कोई हो।
5. प्रारूप–22 में निर्माता द्वारा जारी सड़क उपयुक्तता प्रमाण पत्र।
6. निर्धारित फीस एवं मोटरयान कर।
आवेदनों की संस्तुति संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालय में की जाती है एवं समस्त प्रविष्टियां उपयुक्त पाए जाने पर वाहन का पंजीयन अनुमोदन किया जाता है। पंजीयन उपरान्त पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित डीलरशिप को उपलब्ध कराया जाता है जहां से वाहन स्वामी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
4. फीस–(नियम 81 के अंतर्गत)
<table><tr><th>क्रमांक</th><th>वाहन का प्रकार</th><th>पंजीयन शुल्क (रू. में)</th><th>नवीनीकरण शुल्क (रू. में)</th></tr><tr><td>1</td><td>मोटर साईकिल</td><td>300</td><td>1000</td></tr><tr><td>2</td><td>थ्री–व्हीलर</td><td>600</td><td>2000</td></tr><tr><td>3</td><td>हल्का मोटर यान</td><td>1000</td><td>5000</td></tr><tr><td>4</td><td>मध्यम माल/ यात्री यान</td><td>1000</td><td>8000</td></tr><tr><td>5</td><td>भारी माल/यात्री वाहन</td><td>1500</td><td>8000</td></tr></table>नोट– पंजीयन के समय पंजीयन फीस के अतिरिक्त वाहन की श्रेणी हेतु निर्धारित मोटरयान कर भी देय होगा।
5. वैधता–निजी वाहनों हेतु–पंजीयन तिथि से 15 वर्ष
व्यावसायिक वाहनों हेतु–फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता तक।
6. नवीनीकरण–नवीनीकरण हेतु आवेदन फार्म 25 में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से</td></tr>
</table>

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/आवश्यकी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
				ऑनलाईन पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice में वाहन स्वामी द्वारा संबंधित अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2	चालक/परिचालक लाइसेंस	चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से वाहन चलाने का लाभ प्राप्त हो सकता है। भारत का कोई भी नागरिक **व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति** प्राप्त कर, अनुबंध श्रेणी के वाहन की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर, रोजगार प्राप्त कर सकता है।	भारत के समस्त नागरिक	1. आवेदन– शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति/चालन अनुज्ञप्ति/व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण हेतु इच्छुक व्यक्ति द्वारा ऑनलाईन पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। 2. न्यूनतम आयु– शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु–18 वर्ष चालन अनुज्ञप्ति हेतु– 18 वर्ष व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति हेतु–20 वर्ष 3. आवश्यक प्रपत्र– **शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु :–** 1. प्रारूप 2 में आवेदन। 2. प्रारूप–1 (क) में चिकित्सा प्रमाण पत्र। 3. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो–03 4. परिवहन यान हेतु आवेदन की दशा में आवेदक द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति 5. निवास का प्रमाण (आधार/निर्वाचक पहचान पत्र/बीमा प्रमाण पत्र/पासपोर्ट/ई–बिल्स)। 6. आयु का प्रमाण (स्कूल का प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र/सिविल सर्जन द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र)। 7. निर्धारित फीस। **स्थायी अनुज्ञप्ति हेतु :–** 1. प्रारूप–2 में आवेदन। 2. शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की प्रति। 3. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो–03 4. प्रारूप–1 (क) में चिकित्सा प्रमाण पत्र। 5. निवास का प्रमाण (आधार/निर्वाचक पहचान पत्र/बीमा प्रमाण पत्र/पासपोर्ट/ई–बिल्स)। 6. आयु का प्रमाण (स्कूल का प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र/सिविल सर्जन द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र)। 7. निर्धारित फीस। 8. व्यवसायिक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन की दशा में फार्म 5 या पर मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण स्कूल से जारी प्रमाणपत्र, जहाँ से आवेदक ने अनुदेश/प्रशिक्षण प्राप्त किया है। **चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए–** 1. प्रारूप–2 में आवेदन

PROGRAMME IMPLEMENTATION (GAD) DEPARTMENT

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/आवश्यकी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
				2. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो। 3. चालन अनुज्ञप्ति 4. व्यावसायिक वाहन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण और आवेदक की 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने की दशा में प्रारूप-1 क में चिकित्सा प्रमाण पत्र। 5. भारी माल/यात्री वाहन के नवीनीकरण की दशा में कार्य 5 क पर मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण स्कूल से जारी प्रमाणपत्र, जहाँ से आवेदक ने अनुदेश/प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 6. निवास का प्रमाण (आधार/निर्वाचक पहचान पत्र/बीमा प्रमाण पत्र/पासपोर्ट/रेन्टनामा) 7. आयु का प्रमाण (स्कूल का प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र/सिविल सर्जन द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र)। 8. निर्धारित शुल्क। 4. वैधता– चालन अनुज्ञप्ति का प्रकार — वैधता 1 शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति — जारी होने की तिथि से 06 माह 2 चालक अनुज्ञप्ति 1. व्यावसायिक वाहन की दशा में –जारी/नवीनीकरण की तिथि से 03 वर्ष 2. खतरनाक एवं परिसंकटमय माल के परिवहन हेतु व्यावसायिक वाहन की दशा में – 01 वर्ष 3 अन्य चालन अनुज्ञप्ति i यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त (मूल या नवीनीकरण के माध्यम से) करने वाले व्यक्ति ने अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि को 30 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है तो चालन अनुज्ञप्ति व्यक्ति की आयु 40 वर्ष पूर्ण होने तक वैध रहेगी। ii यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त (मूल या नवीनीकरण के माध्यम से) करने वाले व्यक्ति ने 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है परन्तु अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि/नवीनीकरण को 50 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, तो चालन अनुज्ञप्ति जारी अथवा नवीनीकरण की तिथि से 10 वर्ष तक वैध रहेगी। iii यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त (मूल या नवीनीकरण के माध्यम से) करने वाले व्यक्ति ने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है परन्तु अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि/नवीनीकरण को 55 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, तो चालन अनुज्ञप्ति जारी अथवा नवीनीकरण की तिथि से धारक की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने तक वैध रहेगी। iv यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त (मूल या नवीनीकरण के माध्यम से) करने वाले व्यक्ति ने 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तो चालन अनुज्ञप्ति जारी अथवा नवीनीकरण की तिथि से 05 वर्ष तक वैध रहेगी।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>परिवहन सेवा का नाम</th><th>लाभ</th><th>पात्रता/आवश्यकताएँ</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/स्वीकृति प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
4. फीस-(नियम 32 के अंतर्गत)
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>अनुज्ञप्ति का प्रकार</th><th>शुल्क (रू. में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु शुल्क (प्रत्येक श्रेणी के लिए)</td><td>150.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु परीक्षा/पुनर्परीक्षा</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>चालन परीक्षण/पुनर्परीक्षण (प्रत्येक श्रेणी के लिए)</td><td>300.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>चालन अनुज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु शुल्क</td><td>200.00</td></tr>
</table>
ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति/चालन अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित परीक्षा के लिए स्लाट को उपरोक्त पोर्टल की सहायता से स्लॉट बुक किया जाना आवश्यक है। निर्धारित स्लॉट के अनुसार निर्धारित समय एवं दिवस को कार्यालय में उपस्थित होकर शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति/चालन अनुज्ञप्ति हेतु परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक है।
शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु परीक्षा ऑनलाइन होती है जिसमें 15 प्रश्नों के उत्तर बहुविकल्पीय पद्धति के अनुसार निर्धारित समय में देने होते हैं। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 15 में से 9 प्रश्नों के सही उत्तर दिया जाना अनिवार्य है। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु एतदअनुसार निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आवेदक, स्वयं शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति ऑनलाइन प्रिंट कर सकते हैं। चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित चालन कौशल परीक्षण कार्यालय अथवा निर्धारित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर लिया जाता है जिसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। चालन कौशल परीक्षण उत्तीर्ण किए जाने के पश्चात आवेदक कार्यालय अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है।
</td></tr>
<tr><td>5</td><td>व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र</td><td>इस फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही व्यवसायिक वाहनों का संचालन सार्वजनिक स्थान पर किया जा सकता है।</td><td>पंजीकृत वाहन स्वामी</td><td>
1. आवेदन-वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र जारी/नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice के माध्यम से निर्धारित फीस जमा करवाकर आवेदन किया जा सकता है, इस हेतु पृथक से कोई फार्म निर्धारित नहीं है।
2. फीस-वाहन फिटनेस एवं नवीनीकरण (नियम 81 के अंतर्गत)
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>वाहन का प्रकार</th><th>मैनुअल शुल्क (रू. में)</th><th>ऑटोमेटेड शुल्क (रू. में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मोटरसाईकिल</td><td>200</td><td>400</td></tr>
<tr><td>2</td><td>तिपहिया/हल्का मोटरयान</td><td>400</td><td>600</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मध्यम/भारी मोटरयान</td><td>600</td><td>1000</td></tr>
</table>
3. वैधता-
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>वाहन का प्रकार</th><th>फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता</th></tr>
<tr><td>1</td><td>नया व्यावसायिक वाहन</td><td>02 वर्ष</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>परिवहन सेवा का नाम</th><th>लाभ</th><th>पात्रता/लाभार्थी</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>2</td><td>15 वर्ष की आयु तक के व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस का नवीनीकरण</td><td>02 वर्ष</td></tr>
<tr><td></td><td>15 वर्ष से अधिक आयु के व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस का नवीनीकरण</td><td>01 वर्ष</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ई-रिक्शा और ई-कार्ट के फिटनेस हेतु नवीनीकरण</td><td>01 वर्ष</td></tr>
</table>
4. प्रक्रिया–उपर्युक्तानुसार आवेदन किए जाने पश्चात वाहन को परीक्षण किए जाने हेतु कार्यालय अथवा सम्भाग स्तर ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) में प्रस्तुत किया जाना होगा। परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर संबंधित कार्यालय द्वारा 02 दिवस के भीतर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी/नवीनीकृत किया जाता है।
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>व्यावसायिक वाहनों के परमिट</td><td>भारत का कोई भी नागरिक वाहन परमिट प्राप्त कर वाहन का प्रयोग सार्वजनिक स्थान पर व्यावसायिक वाहन के रूप में प्रयोग कर व्यवसाय कर सकता है।</td><td>पंजीकृत स्वामी/परमिट धारक</td><td>
1. आवेदन–मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-72, 74, 76 एवं 88 के अन्तर्गत परमिट जारी किए जाते हैं। वाहन स्वामी अपने क्षेत्र के संबंधित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अथवा राज्य परिवहन प्राधिकरण में परमिट हेतु आवेदन ऑनलाइन पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं।
विभिन्न श्रेणी के परमिट हेतु आवेदन पत्र निम्नानुसार है–
1. मैक्सी गाड़ी के सम्बन्ध में प्रपत्र एसआर–20 में
2. मोटर गाड़ी के सम्बन्ध में प्रपत्र एसआर–21 में
3. निजी (प्राइवेट) सेवायान के सम्बन्ध में प्रपत्र एसआर–23 में
4. अस्थायी परमिट के सम्बन्ध में प्रपत्र एसआर–24 में
5. विशेष परमिट के सम्बन्ध में प्रपत्र एसआर–25 में।
नोट–कुछ श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों के परमिट संबंधित परिवहन प्राधिकरणों द्वारा खुली नीति (Open Policy) के द्वारा सीमित संख्या/असीमित में जारी किए जाते हैं। ऐसे परमिटों को प्राप्त किए जाने हेतु संबंधित परिवहन प्राधिकरणों से सम्पर्क किया जा सकता है।
2. फीस–परमिट जारी एवं नवीनीकरण
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>वाहन का प्रकार</th><th>शुल्क (रू0 में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मैक्सी गाड़ी</td><td>6600</td></tr>
<tr><td>2</td><td>माल यान</td><td>6600</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मोटर टैक्सी, जो मैक्सी से भिन्न हो गाड़ी</td><td>7200</td></tr>
<tr><td>4</td><td>निजी सेवायान</td><td>3800</td></tr>
<tr><td></td><td>बड़ी टैक्सी
एक सम्भाग के लिए
सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश के लिए</td><td>
3800
3800</td></tr>
<tr><td>5</td><td>छोटा टैक्सी
एक सम्भाग के लिए
सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश के</td><td>
900
1800</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/अर्हता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
				लिए वैधता–अस्थायी परमिटों के लिए जारी सभी परमिटों की वैधता– 05 वर्ष प्रक्रिया–उपरोक्तानुसार आवेदन किए जाने के पश्चात् मैनुअल आवश्यक प्रपत्र मूल रूप में संबंधित कार्यालय में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाने होते हैं। आवश्यक सत्यापन के पश्चात नियमानुसार परमिट जारी किए जाते हैं।
5	वाहन चालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण	वाहन चालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने से वाहन चालकों की वाहन चलाने की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी तथा उक्त प्रशिक्षण चालकों को स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा।	उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी योजना हेतु पात्र होंगे।	आवेदन–इच्छुक आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप (आरटीओ/एआरटीओ कार्यालय में उपलब्ध) पर अपना आवेदन Institute of Driving and Traffic Research Institute (IDTR) कार्यालय देहरादून में ऑफलाईन मोड में जमा कराया जाता है। आवश्यक प्रपत्र–हल्का मोटरयान (व्यवसायिक पाठ्यक्रम) हेतु– 1. आवेदक का आधार। 2. आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। 3. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो–01 4. हाईस्कूल का सर्टिफिकेट अथवा आयु का ट्रान्सफर सर्टिफिकेट 5. अभ्यर्थी के पास 01 वर्ष पुराना हल्का मोटरयान (नॉन-ट्रांसपोर्ट) चलाने का वैध लाइसेंस होना आवश्यक है। भारी वाहन (व्यवसायिक पाठ्यक्रम) हेतु– 1. आवेदक का आधार। 2. आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। 3. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो–01 4. हाईस्कूल का सर्टिफिकेट अथवा आयु का ट्रान्सफर सर्टिफिकेट 5. भारी वाहन (व्यवसायिक पाठ्यक्रम) हेतु अभ्यर्थी के पास हल्का मोटरयान (ट्रान्सपोर्ट) 6. चलाने का 01 वर्ष पुराना वैध लाईसेंस होना आवश्यक है। पुनश्चर्या प्रशिक्षण (Refresher Course) हेतु – 1. आवेदक का आधार। आवेदक के पास हल्का अथवा भारी मोटरयान चलाने का वैध लाईसेंस होना आवश्यक है। वैधता–समय अवधि का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। नवीनीकरण–आवश्यकता नहीं। चयन–निःशुल्क प्रशिक्षण–प्राप्त आवेदनों की संख्या के उपरान्त प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आवेदन वर्ष में कभी भी किया जा सकता है। निर्धारित बैच बनने के उपरान्त प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाता है।
6	निजी क्षेत्र में आटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग की मान्यता	व्यक्ति के नागरिक निजी ऑटोमेटेड फिटनेस सेन्टर की स्थापना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वाहनों की	वाहन स्वामी एवं रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति	विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर निजी क्षेत्र में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन हेतु आवेदन पत्र टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता एवं चयन टेण्डर डॉक्यूमेन्ट में निर्धारित की जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION REPORT

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
(आधार केन्द्र)

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/अहर्ता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
		वाहन स्वामियों को अपने वाहनों की फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सम्भागीय/उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों में वाहन सहित उपस्थित होकर आवेदन करना होगा। विभिन्न ऑटोमेटेड फिटनेस सेन्टर की स्थापना की दशा में वाहन स्वामी के पास अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। विभिन्न ऑटोमेटेड फिटनेस सेन्टर की स्थापना की दशा में वाहनों की सड़क उपयुक्तता पर प्रभावी नियन्त्रण रखा जा सकेगा।		
7	निजी क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण स्कूलों की मान्यता	निजी क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण संस्थानों का मान्यता प्रदान कर प्राप्त हुआ कोई भी अर्ह व्यक्ति चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर स्वरोजगार पा सकता है।	लाभार्थी के पास प्रस्तावित स्कूल का स्वामित्व प्रमाणपत्र/लीज प्रमाणपत्र/किरायानामा होना आवश्यक है।	**1. आवेदन–** चालक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति हेतु ऑफलाइन मोड पर परिवहन आयुक्त कार्यालय में आवेदन फार्म 12 में किया जाता है। **2. आवेदन का माध्यम–**ऑफलाइन परिवहन आयुक्त कार्यालय में। **3.शर्तें–** 1–स्थान–(i) कार्यालय का स्वामित्व प्रमाणपत्र, (ii) कम से कम 1000 वर्गमीटर (जिसमें कम से कम 03 कमरे– सौचालय+कार्यालय), (iii) प्रशिक्षण वाहनों को खड़ा करने हेतु पर्याप्त पार्किंग स्थल की उपलब्धता, (iv) स्थान का सुस्पष्ट (कुछ जगह भी), (v) प्रस्तावित स्थल का स्वामित्व प्रमाणपत्र/लीज प्रमाणपत्र/किरायानामा 2–वित्तीय स्थिति–रूपये 1.00 लाख की बैंकगारण्टी जो परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के नाम से बन्धक (36 माह के लिये) 3–वाहनों की उपलब्धता–कम से कम 02 वाहन (जैसे कार + दोहरी नियन्त्रण प्रणाली से युक्त) (वाहन के वैध प्रपत्रों की प्रति–रजिस्ट्रेशन, उपस्कर, बीमा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फिटनेस) 4–मशीन–(i) 01 सिमुलेटर मशीन (कम्पनी की प्रति संलग्न की जाए) स्थापित तथा क्रियाशील होने के सम्बन्ध में शपथपत्र। (ii) 01 बायोमैट्रिक मशीन (कम्पनी की प्रति संलग्न की जाए) स्थापित तथा

PROGRAMMING IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
				क्रियाशील होने के सम्बन्ध में आख्या। 5–प्रशिक्षक के प्रमाण पत्र–(i) कक्षा–10 की मार्कशीट/सर्टिफिकेट, (ii) कम से कम 05 साल पुराना व्यावसायिक चालक लाईसेन्स (Commercial Licence), (iii) आई0टी0आई0 मोटरमैकेनिक ट्रेड से अथवा सम्बन्धित विषय में उच्चतर शिक्षा, (iv) यातायात चिन्हों और सड़क पर उपयोग करने वाले विनियमों का पूर्णज्ञान, (v) यानों के विभिन्न संघटकों, पुर्जों के कृत्यों को समदर्शन करने और स्पष्ट करने की योग्यता, (vi) हिन्दी का पूर्णज्ञान। **4.फीस–नियम 32 में वर्णित–** आवेदन एवं नवीनीकरण हेतु –रू0 दस हजार द्वितीय प्रति हेतु –रू0 पांच हजार **5.वैधता**–उपरोक्तानुसार, जारी अनुज्ञप्ति की वैधता 05 वर्ष है। **6.नवीनीकरण**– चालक प्रशिक्षण स्कूल की अनुज्ञप्ति के नवीनकरण हेतु ऑनलाईन मोड पर परिवहन आयुक्त कार्यालय में आवेदन फार्म 13 में किया जाता है। नोट–आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा संबंधित संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय से अर्हताओं का सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन आख्या प्राप्त होने के उपरान्त परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा नियमानुसार अनुज्ञप्ति जारी की जाती है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार केन्द्र)

क्र.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

*****

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
(आई0टी0डी0ए0, उत्तराखण्ड)

[illegible]

राज्य निर्वाचन आयोग

क्र.	पहचान पत्र का नाम	उपयोग	पात्रता / सामग्री	आवेदन प्रक्रिया एवं प्राप्ति प्रक्रिया
1	मतदाता पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया	इस पत्र को अधिकार में उपयोग करने हेतु अनिवार्य है।	**फॉर्म-6**– उन्हें भी भारतीय एवं नागरिक जो किसी पुनरीक्षण वर्ष की 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई अथवा 01 अक्टूबर को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, या जब उसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने के लिए आवेदन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। **फॉर्म-6 ए**– पासपोर्ट के अनुसार जो प्रवासी भारतीय नागरिक (एनआरआई) हैं, उन सब निवासरत निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। **फॉर्म-6 बी** – निर्वाचक नामावली में आधार प्रमाणीकरण हेतु मतदाता के आधार नंबर की सूचना प्रेषित करने के लिए आवेदन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। **फॉर्म-7**– प्रस्तावित निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक का नाम हटाए जाने के लिए या निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन पर आपत्ति के लिए प्रयोग में लाया जायेगा। **फॉर्म-8**– वर्तमान निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रविष्टि को शुद्ध करने, बदली हुई मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रतिस्थापन के लिए अथवा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक भाग से किसी दूसरे भाग में निवास स्थान बदलने पर अथवा एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से किसी दूसरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान बदलने पर आवेदन के रूप में प्रयोग किया जाता है।	निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार निर्धारित तिथियाँ दी गयी हैं – 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर। उक्त तिथि के लगभग 1 माह पूर्व मतदाता सूची के लिए निर्धारित अधिकारियों द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है। इस तिथि से पूर्व ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई या 01 अक्टूबर तक अथवा उक्त तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, अपने नजदीकी मतदेय स्थलों के बीएलओ से या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर/सहायक ऑफिसर से तथा जिला निर्वाचन कार्यालयों से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की प्रारूप (फॉर्म-6, फॉर्म-6 ए, फॉर्म-6 बी, फॉर्म-7, फॉर्म-8) आदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट https://ceo.xx.gov.in/pages/view/18-downloadforms से भी डाउनलोड कर सकते हैं तथा उक्त कार्यालयों से भी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र में अपना सम्पूर्ण विवरण उल्लिखित करने के साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, निवास संबंधी प्रमाण संलग्न करने होंगे। फॉर्म 6 की स्थिति में पासपोर्ट की प्रति अनिवार्य है। सभी आवेदकों पर सम्बन्धित बीएलओ द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सत्यापन किये जाने के लिए यदि जरूरी हो आवेदक को साथ प्रस्तुत किए गये मूल अभिलेखों को भी प्रस्तुत किया जाना होगा। जिसे सत्यापन किए जाने के पश्चात् वापस लौटा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन माध्यम आवेदन पत्र https://voters.eci.gov.in और Voter Helpline App (VHA) के माध्यम से कर सकता है। आवेदन करने के बाद निर्वाचन कार्यालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र जारी की जाती है तथा मतदाता पहचान पत्र भारतीय डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से सम्बन्धित मतदाताओं को प्रेषित किए जा सकते हैं।

****

		किया जाता है। पोर्टल पर शिकायतों के साथ-साथ मांग/सुझाव भी दर्ज किए जा सकते हैं। **योजना का मुख्य उद्देश्य "जन समस्याओं का त्वरित एवं सकारात्मक निस्तारण करना है।"**		द्वारा दिये गये फीडबैक के साथ शिकायत को पुनः सम्बन्धित अधिकारी को परीक्षण/निस्तारण हेतु प्रेषित किया जाता है। शिकायतकर्ता को शिकायत से सम्बन्धित जानकारी/जनसूचनाओं को मोबाइल पर मैसेज/ईमेल/व्हाट्सएप एवं मोबाईल पर प्रदान की जाती है। उक्त 1905 पोर्टल की समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड द्वारा नियमित किए जाने की व्यवस्था है।
3.	**अपुणि सरकार पोर्टल** **https://eservices.uk.gov.in/**	उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी विभागों की नागरिक सेवाओं को एक ही स्थान पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु "अपुणि सरकार" पोर्टल की शुरूआत की गयी है। इस पोर्टल में सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों, लाइसेंसों, अनुमतियों एवं पेंशन/छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन किया जाता है। पोर्टल पर आवश्यकतानुसार आवेदन करने के उपरांत न्यूनतम शुल्क भुगतान करना पड़ता है। आवेदक अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति जान सकता है तथा सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचित सेवाओं के लिए निर्धारित समय के भीतर आवेदक को प्रमाण पत्र जारी कर दिये जाते हैं। यदि प्रमाण पत्रों को जारी करने में कोई आपत्ति होती है तो विभागीय अधिकारी रिजेक्ट अथवा आपत्ति	राज्य का कोई भी नागरिक जो सेवायें पोर्टल में सम्मिलित हों उनका लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकता है।	आवेदन करने हेतु आवेदक को सर्वप्रथम अपुणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ पर पंजीकरण करना पड़ता है। आवेदक स्वयं भी पंजीकरण कर सकता है तथा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण करने हेतु आवेदक का विवरण, आधार संख्या, मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आई डी की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के बाद आवेदक का आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है। जनरेट होने के बाद आवेदक स्वयं उपयुक्त अपनी जो प्रमाण पत्र/सेवायें लेना चाहता है उससे सम्बंधित विभाग को चिन्हित करेगा। संबंधित प्रमाण पत्र/सेवाओं हेतु जिन अभिलेखों/दस्तावेजों/फोटो/हस्ताक्षर/ प्रपत्रों/शपथ पत्र की आवश्यकता होगी, उनको पी0डी0एफ0/जे0पी0जी0 फार्मेट में अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने एवं अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत एक नंबर जारी हो जाता है जो आवेदक के मोबाइल में मैसेज से प्राप्त होता है। इसके बाद आवेदक अपने प्रमाण-पत्र/सेवाओं की अद्यतन स्थिति

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ITDA)

क्र0	नीतियां / पोर्टल का नाम	लाभ	पात्रता / अर्हताएं	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
1.	मुख्यमंत्री हेल्प लाईन 1905 पोर्टल। https://cmhelpline.uk.gov.in/	आम जनता की शिकायतों / समस्याओं / सुझावों को दूरभाष / ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज कर निर्धारित अवधि में निस्तारण कर, निस्तारण की सूचना दूरभाष, ऑन-लाईन एवं मोबाईल पर मैसेज के माध्यम से प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। राज्य के विभागों द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं / योजनाओं का विभागों द्वारा कार्य नहीं किए जाने या कार्य करने में अनावश्यक विलम्ब / लापरवाही करने इत्यादि की शिकायत कोई भी नागरिक 1905 पर आसानी से दर्ज करा सकता है। यदि शिकायत विलम्ब स्तर से भी जाती है तो शिकायत पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप सहायता की आवश्यकता हो तो शिकायत ऑटोमेटिक भी दर्ज की जा सकती है। शिकायत दर्ज होने के पश्चात् शिकायतों को ऑटोमेटिक ही सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को प्रेषित की जाती है जिस पर अधिकारी द्वारा निस्तारण	राज्य के समस्त नागरिक। शिकायतें निस्तारण अवधि की नहीं होगी – ऐसे प्रकरण जो राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। किसी सेवा / योजना के सम्बन्ध में विभाग द्वारा नीतिगत रूप से सुझाव नहीं दिया जा सकता अथवा नियुक्तियों सम्बन्धी प्रकरण है। ऐसे प्रकरण जिनमें शासन के अधिनियम / नियमावली / शासनादेश के क्रम में निस्तारण नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रकरण जिनमें शासन के अधिनियम / नियमावली / शासनादेश के क्रम में विधिवत् आवेदन न किया गया हो। ऐसे प्रकरण जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हो, जिसके लिये पृथक व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसे प्रकरण जो किसी भी न्यायालय में विचाराधीन हो। आर्थिक सहायता या नौकरी दिये जाने की मांग। व्यक्तिगत लाभ से सम्बन्धी प्रकरण (भ्रष्टाचार सहित)।	आवेदक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन टोल-फ्री नम्बर-1905 पर कॉल कर कॉल सेन्टर एक्जीक्यूटिव के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है। इस प्रयोजन हेतु देहरादून में राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर स्थापित किया जा चुका है। कॉल सेन्टर एक्जीक्यूटिव प्रातः 08 बजे से रात्रि 10 बजे तक उपलब्ध रहेंगे तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 8 बजे तक 1905 पर कॉल कर ऑटो वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने की व्यवस्था है। आवेदक स्वयं भी पोर्टल https://cmhelpline.uk.gov.in/ पर ऑनलाइन अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत दर्ज करने समय शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाईल न०, आधार कार्ड न० अंकित करना अनिवार्य होगा। शिकायत दर्ज करने के पश्चात् शिकायत को सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों (एल-1, एल-2, एल-3, एल-4) को प्रेषित की जाती है। शिकायतों निस्तारण हेतु अधिकतम 30 दिवस का समय निर्धारित है। अधिकारियों द्वारा शिकायतों पर दिये गये निस्तारण के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से सन्तुष्टि जानने हेतु कॉल किया जाता है एवं सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही शिकायत को निस्तारित माना जाता है। यदि शिकायतकर्ता असन्तुष्ट है तो शिकायतकर्ता

		के साथ प्राप्त कर देते हैं परन्तु लम्बित नहीं रख सकते हैं। लम्बित रखने पर संबंधित व्यक्ति सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है जहां पर संबंधित विभागीय अधिकारी पर निर्धारित शुल्क का जुर्माना हो सकता है।		प्राप्त कर सकता है। आवेदन करने के उपरान्त यह संबंधित विभाग के पास स्वतः ऑनलाइन जाता है। विभागीय कार्मिक/अधिकारी जांच एवं विभागीय प्रक्रिया अपनाने के उपरांत सही पाये जाने पर प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। जिसको आवेदक लाग–इन करके डाउनलोड कर सकता है। यदि सेवाओं में कोई आपत्ति हो तो उसका भी मैसेज आता है तथा आवेदक को अपना लाग–इन करके आपत्ति सही करके सबमिट करना होता है।
3.	**आई0टी0 पॉलिसी व संशोधन–2020**	राज्य में आई0टी0 एवं आई0टी0ई0 एस0, इंटरनेट सर्विस प्रोवाईडर/ टेलेकॉम सर्विस प्रोवाईडर उद्योग को बढ़ावा दिया जाना, उद्योग विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं एवं नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन योजनाओं के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना।	आई0टी0,आई0टी0ई0एस0, इंटरनेट सर्विस प्रोवाईडर/ टेलेकॉम सर्विस प्रोवाईडर एवं आई0टी0 आधारित उद्योग निवेशक, स्टार्टअप एवं स्थानीय युवा।	राज्य के आई0टी0 विभाग के अन्तर्गत संस्था आई0टी0डी0ए0 के माध्यम से यह लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस पॉलिसी में अर्हता अनुसार कम्पनी सब्सिडी ले सकती है। राज्य उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार लाभार्थी को लाभ प्राप्त होगा।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPT.

कॉमन सर्विस सेंटर, उत्तराखण्ड

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / दस्तावेज़	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोलने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण।	कॉमन सर्विस सेंटर खोलने पर कॉमन सर्विस सेंटर धारक को प्रत्येक आवेदन/सेवा पर [illegible] का भुगतान किया जाता है। जिससे CSC धारक (वीएलई) [illegible] कमा सकता है। सरकारी सेवाओं [illegible] लोगों के [illegible] उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में (CSC) के माध्यम से कई प्रकार [illegible] हेतु आवेदन [illegible] का भुगतान [illegible] सेवायें हेतु आवेदन आदि किए जाते हैं [illegible] सरकारी कार्यालयों के [illegible]	कॉमन सर्विस सेंटर के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम 100-150 वर्ग फुट [illegible] कार्यालय आवश्यक है। सम्पूर्ण [illegible] के साथ [illegible] एक [illegible] आवश्यक है। [illegible] एवं [illegible] आवश्यक है। [illegible] की आवश्यकता है। [illegible] के अनुसार [illegible] और [illegible] आवश्यक है।	कॉमन सर्विस सेंटर [illegible] (वीएलई) बनने की प्रक्रिया [illegible] है – आवेदक [illegible] https://[illegible] पर पंजीकृत करेगा। [illegible] [illegible] https://[illegible] पर [illegible] [illegible]

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

			पर्याप्त डेटा पैक के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है। टैबलेट/पीसी (टेलीफोन/स्मार्टफोन कोई) प्रमाणित वी०एल०ई० आवश्यक है।	राज्य डेटाबेस पोर्टल में प्रोविजनिंग होगा और मनुजी स्तर पर सभी सेवाओं का समाधान सम्पादन के बाद आवेदक को अपने पंजीकृत मेल आईडी में एक सी०एस०सी०आई०डी० प्राप्त होगा। जिसके उपरान्त् संबंधित व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर संचालित कर सकता है तथा किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर कॉमन सर्विस सेंटर चालक को आई०टी०डी०ए० द्वारा न्यूनतम कमीशन सीधे उनके खाते में भुगतान किया जाता है।
2	प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान	ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को डिजिटल रूप से साक्षर करने पर वी०एल०ई० को प्रति व्यक्ति रू० 300/- कमीशन/मानदेय के रूप में प्राप्त होती है। इसमें एक व्यक्ति को न्यूनतम 10 दिन से अधिकतम 30 दिन तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण वीएलई समूह के रूप में अथवा एकल रूप में दे सकता है।	प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षणार्थियों की उम्र 14 से 60 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक परिवार के केवल एक सदस्य को प्रशिक्षण देना होगा। प्रशिक्षणार्थी डिजिटल निरक्षर होना चाहिए।	वी०एल०ई० अपने क्षेत्र के लोगों को डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित करके उनका प्रशिक्षण करवा सकता है एवं यदि कोई व्यक्ति स्वयं इच्छुक हो उसका पंजीकरण कर प्रशिक्षण दे सकता है। पंजीकरण करने हेतु https://www.pmgdisha.in/about-pmgdisha/ पर आवेदन करना होता है जिसमें लाभार्थी का आधार संख्या, मोबाइल नंबर एवं शैक्षिक जानकारी की आवश्यकता होती है। वी०एल०ई० ऑनलाइन वीडियो/ऑडियो के जरिए प्रशिक्षण देगा। उनके उपरान्त कोर्स पूरा होने पर संबंधित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है जिसको डाउनलोड करके संबंधित व्यक्ति को देगा। प्रशिक्षण समाप्त होने जांच करने के उपरान्त वीएलई के खाते में प्रशिक्षण देने का मानदेय भुगतान किया जाता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

नागरिक उड्डयन विभाग(युकाडा, उत्तराखण्ड)

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून – अल्मोड़ा – पिथौरागढ़ हैली सेवा का फ्लैग ऑफ किया। दिनांक 26 अगस्त 2022

आपदा प्रबंधन विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड में बादल फटने के कारण आई बाढ़ का दौरा करते मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

सिलक्यारा, उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों की जानकारी लेते हुए मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

नागरिक उड्डयन विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / अर्हतायें	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)**	इस योजना के अंतर्गत निम्न रूट पर हैली सेवा लेने के लिए न्यूनतम प्रति व्यक्ति किराया **एक ओर से** निम्नवत है – देहरादून से टिहरी – रू0 3,437.00 टिहरी से श्रीनगर – रू0 3,437.00 श्रीनगर से गौचर – रू0 3,437.00 गौचर से श्रीनगर –रू0 3,437.00 श्रीनगर से टिहरी – रू0 3,437.00 टिहरी से देहरादून – रू0 3,437.00 देहरादून से श्रीनगर – रू0 3,992.00 श्रीनगर से देहरादून –रू0 3,992.00 देहरादून से गौचर – रू0 3,649.00 गौचर से देहरादून –रू0 3,649.00 सहस्त्रधारा से गौचर– रू0 4,150.00 गौचर से सहस्त्रधारा – रू0 4150.00 सहस्त्रधारा से चिन्यालीसौड़ – रू0 3150.00 चिन्यालीसौड़ से सहस्त्रधारा – रू0 3150.00 देहरादून से हल्द्वानी / पंतनगर – रू0 6281.00 हल्द्वानी / पंतनगर से देहरादून – रू0 6281.00 पंतनगर से पिथौरागढ़ – रू0 5111.00 पिथौरागढ़ से पंतनगर – रू0 6111.00 पंतनगर से अल्मोड़ा – रू0 3388.00 अल्मोड़ा से पंतनगर– रू0 3388.00 अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ – रू0 3388.00 पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा – रू0 3388.00	देश के समस्त नागरिक	इसका लाभ लेने हेतु ऑनलाइन / संबंधित हैलीपैड के कार्यालयों में जाकर टिकट बुक किया जा सकता है। ऑनलाइन टिकट बुक करने हेतु आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं किराया भुगतान करना होता है। ऑनलाइन टिकट बुक करने की वेबसाइट https://booking.pawanhans.co.in है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की वेबसाइट http://ucada.in से प्राप्त की जा सकती है।

******

PROGR

आपदा प्रबन्धन विभाग (उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	आपदा के कारण मृत्यु उपरान्त अनुदान	रू० 4.00 लाख अनुग्रह अनुदान मृतक के आश्रित को।	आपदा प्रभावित व्यक्ति/परिवार तथा राहत या पूर्व तैयारी सम्बन्धित कार्यों में जुड़े व्यक्ति भी योजना की पात्र होंगे।	आपदा-ग्रस्त क्षेत्र में मृत्यु होने की सूचना विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। सम्बन्धित पटवारी द्वारा क्षति की पुष्टि की जाती है तथा P-20 फॉर्म पर क्षति को अंकित किया जाता है। पटवारी की आख्या की पुष्टि तहसीलदार व उपजिलाधिकारी द्वारा की जाती है। तत्पश्चात् जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त राहत धनराशि पीड़ित के नाम के सम्बन्धित बैंकखाता के पक्ष में निर्गत की जाती है।
2	हाथ-पैर, आँख या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह भुगतान	रू० 74,000 प्रति व्यक्ति अनुग्रह अनुदान। विकलांगता के 60 प्रतिशत से ज्यादा होने की स्थिति में रू० 2.50 लाख प्रति व्यक्ति भुगतान की जाती है।	आपदा प्रभावित व्यक्ति तथा राहत या पूर्व तैयारी सम्बन्धित कार्यों से जुड़े व्यक्ति भी पात्र होंगे। विकलांगता की सीमा एवं कारण को किसी सरकारी चिकित्सालय या औषधालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।	क्रमांक-1 की प्रक्रियानुसार।
3	गम्भीर चोट जिसके उपचार हेतु चिकित्सालय में रखना आवश्यक हो।	रू० 16,300 प्रति व्यक्ति अनुग्रह अनुदान (एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में) तथा रू० 5,400 प्रति व्यक्ति (एक सप्ताह से कम की अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में)।	आपदा के कारण चोट आने पर किसी भी राजकीय चिकित्सालय/गैर राजकीय चिकित्सालय में भर्ती व्यक्ति तथा राहत या पूर्व तैयारी सम्बन्धित कार्यों से जुड़े व्यक्ति भी पात्र होंगे।	क्रमांक-1 की प्रक्रियानुसार।
4	घर बह जाने या प्राकृतिक आपदा के कारण घर के पूर्णतः या आंशिक क्षतिग्रस्त हो जाने या दो दिन से अधिक अवधि तक जल मग्न हो	रू० 1,800 प्रति परिवार अनुग्रह अनुदान कपड़ों की क्षति के लिए तथा रू० 2,000 प्रति परिवार अनुग्रह अनुदान बर्तनों या घरेलू सामान की क्षति के लिए दिया जाता है।	उक्त राहत धनराशि आपदा से प्रभावित ऐसे परिवारों को दी जानी प्रस्तावित है जिनका घर आपदा के कारण प्रभावित हो गया हो।	क्रमांक-1 की प्रक्रियानुसार।

PROGRESSIVE MISSION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	प्रभावित होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों के लिये कपड़े व बर्तन या घरेलू सामान के लिये।			
5	कृषि भूमि एवं फसल की क्षति के लिये सहायता।	दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले किसानों को भूमि में नुकसान होने पर तथा रेत या अवसाद की परत 3 इंच से अधिक होने पर/पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलबा हटाने के लिये/अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में अवसाद हटाने/समतलीकरण/पुनर्स्थापना हेतु रू. 18,000 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान सहायता दी जाती है। उक्त राहत के अन्तर्गत लाभार्थी को न्यूनतम रू. 2200/- देय है। भूस्खलन, हिम-स्खलन या नदी के मार्ग बदलने के कारण अधिकांश भूमि की हुई क्षति के कारण रू 47,000 प्रति हेक्टेयर किसान को दी जाती है। उक्त राहत के अन्तर्गत लाभार्थी को न्यूनतम रू. 5000/- देय है।	ऐसे किसान/परिवार जिनका भूमि में वास्तविक नुकसान हुआ हो। लाभार्थी द्वारा किसी अन्य योजना से लाभ उठाने पर देय नहीं होगा। राजस्व अभिलेखों के अनुसार चिन्हित क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि की क्षति पर	क्रमांक-1 की प्रक्रियानुसार।
6	कृषि निवेश अनुदान (फसलों की क्षति के 33 प्रतिशत या अधिक होने की स्थिति में)	कृषि, बागवानी व वार्षिक फसलों हेतु:- रू. 6,800 प्रति हेक्टेयर (असिंचित क्षेत्र)। न्यूनतम रू. 1000 देय है। रू. 17,000 प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में। किसी भी कृषक को देय सहायता की राशि न्यूनतम रू. 2,500 होगी। बहुवर्षीय फसल- रू. 22,500 प्रति हेक्टेयर सभी प्रकार की बहुवर्षीय फसलों के लिये अनुदान। न्यूनतम रू. 2,500 होगी। रेशम कृषक - रू. 6,000 प्रति हेक्टेयर ऐरी, शहतूत व टसर के लिये तथा रू. 7,500 प्रति हेक्टेयर मूगा के लिये न्यूनतम रू. 1000 देय है।	एक सहायता केवल छोटे एवं सीमांत कृषकों के लिये देय होगी।	क्रमांक-1 की प्रक्रियानुसार।
7	दो हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि वाले	रू. 6,800/- प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में। रू. 17,000/- प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में।	केवल बड़े कृषकों के लिये देय होगी।	क्रमांक-1 की प्रक्रियानुसार।

IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	किसानों को निवेश अनुदान	रू0 22,500/- प्रति हैक्टेयर सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए फसल की क्षति के 33 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में यह सहायता अधिकतम 02 हैक्टेयर प्रति कृषक की सीमा तक ही देय होगी।		
8	पशुपालन– छोटे व सीमान्त कृषकों को सहायता	दुधारू, कृषि एवं ढुलाई वाले जानवरों का प्रतिस्थापन– दुधारू पशु– रू0 37500/- प्रति पशु (भैंस/गाय/ऊँट/याक/ मिथुन) देय। रू0 4000/- प्रति पशु (भेड़/ बकरी/ सुअर) देय होगी। **कृषि व ढुलाई वाले पशु**/ रू0 32000/- प्रति पशु (ऊँट/ घोड़ा/ बैल) देय होगी। रू0 20000/- प्रति पशु (बछिया/ गधा/ टट्टू/ खच्चर) देय होगी। **कुक्कुट पालन** कुक्कुट पालन रू 100/- प्रति पक्षी – रू 10000/- प्रति लाभान्वित परिवार की सीमा तक देय। सहायता के लिये पक्षियों की मृत्यु अधिसूचित प्राकृतिक आपदा द्वारा होनी आवश्यक है।		क्रमांक–1 की प्रक्रिया के साथ ही इस कार्यालय का आंकिक रूप से उत्पादन पशुओं की वास्तविक क्षति तक सीमित रखा जा सकता है। पशुओं की वास्तविक क्षति पर विचार किये बिना किसी एक परिवार को देय सहायता 03 बड़े दुधारू पशुओं या 30 छोटे दुधारू पशुओं या 03 बड़े कृषि व ढुलाई वाले पशुओं की सीमा तक देय होगी जिसका सत्यापन राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना होगा।
9	मछली पालन	रू0 6,000/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत के लिये, रू0 3000/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत के लिये। रू0 15,000/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त नौकाओं के पुनर्स्थापन के लिये, रू0 4,000/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के पुनर्स्थापन के लिये दी जाती है। मत्स्य बीज फार्म के लिये निवेश अनुदान– रू0 10,000/- प्रति हैक्टेयर दी जाती है।	मछुआरों को सहायता नावों की मरम्मत/प्रतिस्थापन व क्षतिग्रस्त या खो गये जालों के लिए दी जाती है।	क्रमांक–1 की प्रक्रियानुसार।
10	हस्तशिल्प– कारीगरों को सहायता	क्षतिग्रस्त औजारों व उपकरणों की पुनर्स्थापन के लिये– रू 5000/- प्रति शिल्पकार उपकरणों के पुनर्स्थापन के लिये, कच्चे माल या बन रहे या बन गये उत्पादों की हानि के लिये–रू0 5000/- प्रति शिल्पकार कच्चे माल के लिये।		क्रमांक–1 की प्रक्रिया के साथ ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा क्षति एवं उसके प्रतिस्थापन का विधिवत् सत्यापन किया जाना आवश्यक।
11	भवन (पूर्णतः क्षतिग्रस्त/नष्ट भवन)	पक्का भवन अथवा कच्चा भवन, पूर्णतः क्षतिग्रस्त/नष्ट भवन, आंशिक क्षतिग्रस्त/नष्ट भवन – रू 1,20,000/- प्रति भवन मैदानी क्षेत्रों में। रू 1,30,000/- प्रति भवन पर्वतीय क्षेत्रों/आई0ए0पी0 योजना में आच्छादित जनपदों सहित पहाड़ी		क्रमांक–1 की प्रक्रियानुसार।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		होते : पक्का भवन (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15% क्षति हो—रू 6,000/— प्रति मध्यम/कच्चा भवन (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15% क्षति हो— रू 4,000/— प्रति भवन क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी— रू 6,000/— प्रति झोपड़ी। (झोपड़ी का तात्पर्य अस्थाई, अस्थायी एवं कच्चे घर से भिन्न जिसकी बुनाई की है जिसका निर्माण घास-फूस, मिट्टी, प्लास्टिक आदि से किया गया हो और जिसे परम्परागत आदि से किया गया हो और जिसे परम्परागत रूप से राज्य/जिला प्रशासन द्वारा झोपड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त हो)। नोट- क्षतिग्रस्त भवन का अधिकृत निर्धारण होने का सत्यापन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है। भवन से सटा हुआ पशुशाला— रू 3000/— प्रति पशुशाला।		
12	**सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति**	नये सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना के लिये दिये जाने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा रू0 20 लाख अथवा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों में आने वाली लागत (जो भी न्यूनतम हो) होगी। नये सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को 05 वर्षों तक रू0 4.00 लाख प्रति वर्ष परिचालन अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।	उत्तराखण्ड के ऐसे क्षेत्र/स्थान जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन की गतिविधियों से आच्छादित नहीं है एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील व दुरूस्थ क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो केन्द्र की स्थापना को प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त योजना केवल नये सामुदायिक रेडियो केन्द्रों के लिये है और इस योजना का लाभ लेने के लिये सम्बन्धित संस्था को उत्तराखण्ड में 03 वर्षों का अनुभव होने के साथ ही सामुदायिक रेडियो केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एलओआई प्राप्त होना चाहिये।	**सामुदायिक रेडियो केन्द्रों** की स्थापना हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिये राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर इच्छुक संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। प्रथम किश्त में स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जाती है तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त शेष 50 प्रतिशत धनराशि का आवंटन किया जाता है। नये **सामुदायिक रेडियो स्टेशन** को प्रारम्भ करने की इच्छुक संस्थाओं को समस्त वांछित अभिलेखों के साथ सचिव, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन जमा होगा। नये सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष में कभी भी आवेदन किया जा सकता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

****

उत्तराखण्ड सूचना आयोग, आर0टी0आई0 भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड। https://www.uttarakhandsandesh.com/uic-index/index.php?body

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
1	सूचना का अधिकार	**सूचना का अधिकार का क्या अर्थ है –** जनसामान्य द्वारा सरकारी सूचना की पहुँच सुगम बनाने हेतु कानूनी अधिकार। इसका आशय यह है कि सरकारी संस्थानों के कार्यों, नीतियों तथा उनके निष्पादनों में व्यापक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाना एवं औचित्यपूर्ण तथा [illegible] प्रत्येक आम नागरिक की होनी चाहिए। कोई भी भारतीय नागरिक किसी राजकीय कार्यालय से किसी भी प्रकार की सूचना रू0 10/- भारतीय पोस्टल आर्डर/ई-स्टाम्प/नकद धनराशि जमा कर सम्बन्धित विभाग के लोक सूचना अधिकारी से लिखित रूप में या इलेक्ट्रानिक माध्यम से निवेदन कर प्राप्त कर सकता है। यदि वह बी0पी0एल0 धारक है तो उसे निःशुल्क सूचना दी जायेगी। यदि सूचना अधिक पृष्ठों में हो तो प्रति पृष्ठ रू0 2/- की दर से अतिरिक्त शुल्क जमा कर सूचना दी जाती है।	भारतीय नागरिक	कोई भी भारतीय नागरिक किसी सरकारी कार्यालय से सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को सादा आवेदन पत्र लिखेगा तथा आवेदन पत्र में जो सूचना प्राप्त करनी है उसका विवरण लिखेगा। आवेदन पत्र के साथ रू0 10/- नकद जमा कर अथवा पोस्टल आर्डर/ई-स्टाम्प/डिमाण्ड ड्राफ्ट/चालान द्वारा सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करेगा। सम्बन्धित विभाग का लोक सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध/धारित होने पर सूचना जितने पृष्ठों में है की धनराशि प्राप्त करने हेतु उसे प्रेषित करेगा तथा उसके बाद धनराशि जमा करने पर आवेदक को सूचना उपलब्ध करायेगा। यह सूचना 30 दिन के भीतर देनी होती है। यदि सूचना उपलब्ध न हो तो सूचना धारित न होने की सूचना से भी अवगत करायेगा। यदि सूचना 'पर धारित' (किसी अन्य धारित की अभिरक्षित सूचना) से सम्बन्धित है तो लोक सूचना अधिकारी उस धारित से 5 दिनों में अन्तरित प्राप्त करने पर ही सूचना देगा। यदि आवेदक प्राप्त सूचना से सन्तुष्ट न हो तो वह अपीलीय अधिकारी के समक्ष तीस दिन के अन्दर अपील कर सकते हैं जिसका निस्तारण अपीलीय अधिकारी द्वारा 30 से 45 दिन के भीतर किया जाना होता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होने की दशा में राज्य सूचना आयोग, जिसका पता ऊपर लिखित है, से मात्र 90 दिनों के अन्तर्गत द्वितीय अपील योजित कर सकते हैं जिसमें आयोग सूचना उपलब्ध कराने/विभागीय लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी पर जुर्माना लगाने/अन्य आदेश दे सकते हैं।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, चालंग हिल्स, पी०आ०–कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड। https://urtsc.uk.gov.in

क्र.	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया, चयन/संस्तुति प्रक्रिया
1.	सेवा का अधिकार	सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत राजकीय विभागों द्वारा दी जाने वाली नागरिक केन्द्रित सेवायें जिन्हें अधिसूचित किया गया है उदा० स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि, हेतु समयावधि निर्धारित की गयी है। ये समय-सीमाएं सेवाओं की प्रकृति एवं उनसे विभाग पर आधारित है। नागरिक सेवाएं आवेदन की तिथि से ही प्राप्त करायी जा सकती हैं और किसी सेवा के विषय में कुछ शिकायत करने की भी सम्भावना होती है। निर्धारित समय के भीतर सेवा उपलब्ध न कराये जाने पर संबंधित पदाभिहित अधिकारी/अधिकारी पर शास्ति लगाये जाने का प्रावधान भी अधिनियम में किया गया है। सेवा प्रदाता विभाग द्वारा स्थायी निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र आदि के नाम से अधिसूचना द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि स्थायी निवास प्रमाण, जाति प्रमाण-पत्र आदि किस अधिकारी द्वारा कितने समय में जारी किया जायेगा। इससे जन सामान्य को सेवा देने वाले अधिकारी एवं सेवा हेतु लगने वाले समय की स्पष्ट जानकारी हो जाती है।	राज्य के समस्त नागरिक	यदि पदाभिहित अधिकारी नियत समय-सीमा के अंतर्गत सेवा प्रदान करने में विफल हुआ है अथवा उसने आवेदन को त्रुटिपूर्ण/ त्रुटिवश निरस्त/खारिज किया है, तो आवेदक संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को समय सेवा प्रदान करने की नियत अवधि समाप्ति होने के बाद अपील योजित कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी अपील को ग्राह्य करते हुए आदेश पारित कर सकेगा अथवा पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जैसी वह विहित करे, सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करेगा। वह अपील को लिखित रूप में खारिज करने के आदेश पारित कर सकता है। परन्तु इस दशा में वह खारिज करने के कारणों से आवेदक को सूचित करेगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील निस्तारित करेगा। आदेश से संतुष्ट न होने पर आवेदक सेवा का अधिकार आयोग में अपील प्रस्तुत कर सकता है। द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी (उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग) द्वारा अपील प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील निस्तारित की जायेगी। सेवा को उपलब्ध कराने में असफल होने पर आयोग स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। आयोग के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु आयोग की वेबसाइट, टोल फ्री नम्बर 18002706818 एवं व्हाट्स एप नं. 7617579050, 7617579040, 7617579041, 7617579071 पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

****

प्रेरणा एवं प्रयास

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, थानो रोड, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज, रायपुर देहरादून– वेबसाइट– https://sssc.uk.gov.in/

क्र.	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं संस्तुति/चयन प्रक्रिया
1	उत्तराखण्ड राज्य में समूह 'ग' की सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में।	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन के आयोग राज्य के किसी भी राजकीय विभाग/ संगठन/आयोग/संस्था की लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह–ग की (जो वर्तमान अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में है) सीधी भर्ती के लिए पदों हेतु परीक्षा आयोजित कराने के लिए राज्य की संस्था है। राजकीय विभागों द्वारा सीधी भर्ती के लिए पदों हेतु संबंधित पदों की सेवानियमावली के अंतर्गत रिक्तियों का अधियाचन (अधियाचन का आशय यहाँ है कि संबंधित पद हेतु कितनी रिक्तियां है तथा संबंधित रिक्तियां भिन्न–भिन्न वर्गों के लिए आरक्षित है) के अनुसार चयन हेतु अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जाता है। आयोग द्वारा अधियाचन के परीक्षणोपरान्त सम्बन्धित पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु राज्य के समस्त पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा जमा करना होता	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/शैक्षणिक अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है :– (क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। (ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास–प्रमाण पत्र धारक हो। (ग) अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाईस्कूल का सर्टिफिकेट अथवा इसकी समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की गयी हो। साथ ही विज्ञापन में उल्लिखित अन्य अनिवार्य/वांछित योग्यता धारित करने पर आवेदन कर सकते है।	सम्पूर्ण प्रक्रिया उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के समान है। यद्यपि समूह 'ग' के पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग के द्वारा साक्षात्कार का प्राविधान नहीं है तथा परीक्षाओं के आवेदन के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट https://sssc.uk.gov.in से आवेदन करना होता है। कोई भी अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु तैयारी करना चाहता हो अथवा कर रहा हो, वह उक्त वेबसाइट को समय–समय पर देखते रहें ताकि वह भर्ती विज्ञापन में अप्लाई कर सकें। साथ ही तैयारी कैसे करनी है इसके लिए आयोग द्वारा आयोजित की गयी विभिन्न परीक्षाओं के पुराने प्रश्नपत्रों को निःशुल्क डाउनलोड कर मार्गदर्शन लेकर तैयारी कर सकते हैं।

****

तदोपरान्त सम्बन्धित विभागों से शासनादेशों को प्राप्त कर विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों के साथ चर्चा करने के उपरान्त पुस्तक के स्वरूप को सरल एवं स्पष्ट भाषा में लिखने के साथ ही चार भागों में बांटने पर विचार किया गया — **(योजना का नाम क्या है, योजना का लाभ क्या है, योजना का लाभ कौन व्यक्ति ले सकते हैं/योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कौन व्यक्ति पात्र हैं एवं योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कहां/कैसे करना होगा, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी एवं आवेदन करने के उपरान्त कैसे चयन किया जाता है तथा लाभ कैसे लाभार्थी को मिलता है)**, ताकि राज्य के वंचित पात्र लाभार्थी पुस्तक पढ़कर योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को जानकर लाभ प्राप्त कर सकें। विभागों से प्राप्त सूचनाओं का परीक्षण कर, पुस्तक को **"मेरी योजना"** नाम देकर अंतिम रूप दिया गया। **"मेरी योजना"** नाम रखने का तात्पर्य था कि योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं परन्तु हर व्यक्ति से संबंधित हैं। **"मेरी योजना"** पुस्तक में विभिन्न विभागों/संस्थाओं/प्राधिकरणों/ बोर्ड/कॉर्पोरेशन/एजेंसी/निगम/आयोग जो उत्तराखण्ड राज्य में संचालित केन्द्र/राज्य सरकार की लगभग 400 योजनाओं/नीतियों/कार्यक्रमों/मुख्य सेवाओं/प्रमाणपत्रों/पोर्टल का उल्लेख किया गया है।

इस पुस्तक को बनाने के प्रत्येक स्तर पर, चाहे पुस्तक का स्वरूप, नाम, पुस्तक सामग्री, लेखन, शासनादेश चयन/परीक्षण, पुस्तक का नाम, कॉपीराइट आदि में जहां सुश्री रंजना द्वारा अहम भूमिका निभाई गयी, वहीं शासनादेश संकलन में श्री राजेन्द्र चौहान एवं श्रीमती वन्दना भाटनी विशेष कार्याधिकारियों ने विशेष योगदान दिया तो श्री नरेन्द्र सिंह कुटियाल, संयुक्त सचिव द्वारा पुस्तक के अंतिम स्वरूप को प्रकाशन करने में एक ईंधन का काम किया। इतना ही नहीं कार्यालय स्तर पर श्रीमती कुसुम द्वारा पुस्तक में कम्प्यूटर कार्य करने में विशेष योगदान दिया फिर भी यह पुस्तक राज्य के समस्त विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों, सचिवालय सेवा के कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों के बिना अधूरी थी। सभी के सम्मिलित परिश्रमों का प्रयास है कि **"मेरी योजना"** पुस्तक जनमानस हेतु तैयार हुई है। आशा है कि सभी के सम्मिलित प्रयास से तैयार **"मेरी योजना"** पुस्तक उत्तराखण्ड राज्य को **सर्वश्रेष्ठ राज्य** बनाने के साथ ही **गरीबी एवं बेरोजगारी मुक्त** राज्य बनाने में सफल होगी।

(दीपक कुमार)
सचिव
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

PROOF

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, वेबसाइट– https://psc.uk.gov.in

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] https://psc.uk.gov.in [illegible]

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

1905	सी०एम० हेल्पलाईन
155368	आयुष्मान हेल्पलाईन
1364	पर्यटन हेल्पलाईन
1078	आपदा प्रबन्धन सेवायें
1064	एन्टी करप्शन हेल्पलाइन
1098	चाईल्ड हेल्पलाईन
181	महिला हेल्पलाईन (आपातकालीन/गैरआपातकालीन परिस्थितियों हेतु)
112	आपातकालीन सेवा
104	स्वास्थ्य हेल्पलाईन
1551	किसान कॉल सेंटर
1800117800	मन की बात (सुझाव व विचार प्रेषित करने हेतु)
18002709818	सेवा का अधिकार आयोग
100	पुलिस
101	अग्नि
1514	नेशनल करियर सर्विस
14599	कॉमन सर्विस सेंटर
1072	रेलवे दुर्घटना आपातकालीन सेवा
1073	रोड दुर्घटना आपातकालीन सेवा
18008909715	वन विभाग

PROGRAM

राजकीय विभाग, बोर्ड, आयोग, [illegible], संस्थान, कार्यालय व निगमों के नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल

क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल	क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल
1	[illegible]	2	[illegible]
3	[illegible]	4	[illegible]
5	[illegible]	6	[illegible]
7	[illegible]	8	[illegible]
9	[illegible]	10	[illegible]
11	[illegible]	12	[illegible]
13	[illegible]	14	[illegible]
15	[illegible]	16	[illegible]
17	[illegible]	18	[illegible]
19	[illegible]	20	[illegible]
21	[illegible]	22	[illegible]

क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल	क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल	क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible] @gmail.com	[illegible]	[illegible] @gmail.com
[illegible]	[illegible] @gmail.com	[illegible]	[illegible] @gmail.com
[illegible]	[illegible] @gmail.com	[illegible]	[illegible] @gmail.com
[illegible]	[illegible] @gmail.com	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] @gmail.com	[illegible]	[illegible] @gmail.com
[illegible]	[illegible] @gmail.com	[illegible]	[illegible] @gmail.com
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] @gmail.com
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] @gmail.com
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		